खण्ड-429, अंक-9
शुक्रवार, 21 फाल्गुन, शक संवत् 1920
(12 मार्च, 1999 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 1999)

खण्ड 429 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1999

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	क–ख
नियम 311 के अन्तर्गत सूचनाओं के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष का निर्णय ...	1
स्वामी ओइम्वेश द्वारा विधान सभा के उपाध्यक्ष पद हेतु नाम वापसी की सूचना ...	1–2
प्रश्नोत्तर	2–92
अतरांकित प्रश्न संख्या–124 तथा 134 का सुसंगत उत्तर न आने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	92
विधान सभा उपाध्यक्ष पद निर्वाचन हेतु प्राप्त सभी नाम निर्देशन पत्र निरस्त किये जाने का प्रस्ताव ... (स्वीकृत) ...	92–109
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	110
जनपद गोण्डा के मनकापुर क्षेत्रान्तर्गत झिलाही एवं साभरपुर में विद्युत उपकेन्द्र स्थापित कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	110
जनपद चित्रकूट में कलेक्ट्रेट परिसर का निर्माण असिंचित भूमि में कराये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	110
लखनऊ के गोमतीनगर के विवेक खण्ड–2 में स्थित सामुदायिक केन्द्र के भवन का अनुरक्षण कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	111
माध्यमिक शिक्षा विभाग में कार्यरत अस्सी प्रतिशत लेखाकारों को पर्याप्त समयोपरान्त पदोन्नति न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	111
प्रदेश के ख्याति प्राप्त खिलाड़ी स्व० ध्यान सिंह के परिवार को आर्थिक सहायता दिलाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	111–112
जनपद उन्नाव के बीघापुर, भगवन्तनगर एवम् पुरवा में सुचारु रूप से विद्युत आपूर्ति कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	112
वर्ष 1999–2000 में प्रत्येक विधायक के निर्वाचन क्षेत्र के लिये 25-25 हैण्ड पम्प की स्वीकृति उत्तराखण्ड क्षेत्र के संदर्भ में लागू न होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	113–115
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल में बजट समितियों (विभागों से सम्बद्ध स्थायी समितियों) के गठन के प्रयोजनार्थ गठित उत्तर प्रदेश विधान सभा की अध्ययन समिति का प्रतिवेदन† (सदन के पटल पर रखा गया) ...	115
पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय मथुरा को पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सालय एवं पशुपालन विश्वविद्यालय, मथुरा घोषित किये जाने विषयक श्री बदन सिंह आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ... ... (उपस्थित की गयी)	115

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद लखनऊ की एल० डी० ए० कालोनी, कानपुर रोड योजना सेक्टर एच के अन्तर्गत स्थित एस० एस० ई०–3 के भूखण्डों में सीवर तथा पीने के पानी की व्यवस्था कराने विषयक डा० आर० एस० मिश्र द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ... (उपस्थित की गयी)	116
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय विधेयक, 1999 (पुरःस्थापित) ...	116
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें	116–130
वित्तीय वर्ष 1999–2000 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–44–पर्यटन विभाग, अनुदान संख्या–54—लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान), अनुदान संख्या–55—लोक निर्माण विभाग (भवन), अनुदान संख्या–58—लोक निर्माण विभाग (संचार साधन), अनुदान संख्या–59—लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय), अनुदान संख्या–86—सूचना विभाग ... (जारी)	130–131
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (क्रमागत)	131–132
वित्तीय वर्ष 1999–2000 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–44–पर्यटन विभाग, अनुदान संख्या–54—लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान), अनुदान संख्या–55—लोक निर्माण विभाग (भवन), अनुदान संख्या–58—लोक निर्माण विभाग (संचार साधन), अनुदान संख्या–59—लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय), अनुदान संख्या–86—सूचना विभाग ... (जारी)	132–159
पर्यटन, लोक निर्माण तथा सूचना विभाग के प्रस्तुत अनुदान की मांगों पर चर्चा हेतु समय बढ़ाने की मांग	159
वित्तीय वर्ष 1999–2000 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–44–पर्यटन विभाग, अनुदान संख्या–54—लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान), अनुदान संख्या–55—लोक निर्माण विभाग (भवन), अनुदान संख्या–58—लोक निर्माण विभाग (संचार साधन), अनुदान संख्या–59—लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय), अनुदान संख्या–86—सूचना विभाग (स्वीकृत)	159–181
वित्तीय वर्ष 1999–2000 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–38—नागरिक उड्डयन विभाग (स्वीकृत) ...	181–182
मुख्तार अंसारी, सदस्य, विधान सभा की रिहाई एवं गिरफ्तारी की सूचना ...	182
उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) अध्यादेश, 1999 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1999 (संकल्प अस्वीकृत विधेयक पारित)	182–186
नियम–51 के अन्तर्गत सूचनाएं	187–188

विषय	पृष्ठ-संख्या
प्रदेश में परिवहन निगम के बस स्टेशनों पर खाद्य पदार्थों की बिक्री में यात्रियों को हो रही असुविधाओं तथा शासकीय क्षति के संबंध में नियम–51 के अन्तर्गत श्री अक़बर हुसैन द्वारा दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	188
जनपद बलिया के कतिपय ग्रामों की सुरक्षा हेतु बने रिंग बांधों की मरम्मत सिंचाई विभाग के अधीन कराने के लिये श्री राजधारी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य ...	189
जनपद–भदोही संत रविदास नगर की कालीन नगरी भदोही में डिग्री कालेज न होने से छात्रों के समक्ष उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री पूर्णमासी पंकज द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	189–190
महिला कल्याण, बाल विकास विभाग में जिला कार्यक्रम अधिकारी के स्वीकृत पदों पर भर्ती सेवा नियमावली के अनुसार पदोन्नति न दिये जाने के संबंध में श्री आचार्य रामदेव वैश्य द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	190
जनपद गौतम बुद्ध नगर में दादरी क्षेत्रान्तर्गत कतिपय फैक्ट्रियों द्वारा धूदुजाना नाला में कचरा युक्त पानी डाले जाने से फसलों की क्षति के संबंध में श्री नवाब सिंह नागर द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	191–192
जनपद मथुरा में उत्तर प्रदेश जल निगम से सम्बद्ध प्रोजेक्ट मैनेजर कान्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन, मानस नगर महोली स्थित कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में श्री अजय कुमार पोइया द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	192–193
जनपद कुशीनगर के गन्ना कृषक संघर्ष समिति कप्तानगंज के किसानों पर लाठीचार्ज एवं गोली चलाये जाने के संबंध में श्री राम नक्षत्र, द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य ...	193–194
प्रदेश में विकास कार्यों हेतु अवमुक्त की गई विधायक निधि की धनराशि का उपयोग दिनांक 31 मार्च, 1999 तक न हो पाने की दशा में उक्त धनराशि को व्यपगत (लैप्स) होने से बचाने की व्यवस्था किये जाने के संबंध में डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	194–195
नत्थी	196

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

शुक्रवार, दिनांक 12 मार्च, 1999

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया, श्री	गोण्डा
अजय राय, श्री	वाराणसी
अफरोज अली खां, श्री	रामपुर
अब्दुल कलाम, श्री	बस्ती
अब्दुल कलाम, श्री	वाराणसी
अमीर आलम खान, श्री	मुजफ्फरनगर
अशोक यादव, श्री	फिरोजाबाद
ओंकार सिंह, श्री	एटा
ओमकार सिंह, श्री	बदायूं
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर
कंवर पाल सिंह मास्टर, श्री	सहारनपुर
काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, श्री	रामपुर
काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन, श्री	हरिद्वार
के० सी० सिंह "बाबा", श्री	उधम सिंह नगर
गंगा बख्श सिंह, श्री	उन्नाव
गजेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री	मेरठ
छोटे सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद,
जगदम्बिका पाल, श्री	बस्ती
जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री	फर्रुखाबाद
जय नारायन तिवारी, श्री	सुल्तानपुर
ज्ञानवती सिंह, डा०	अलीगढ़
दीपलाल भारती, श्री	पडरौना
देवेन्द्र सिंह यादव, कुंवर	एटा
नरेन्द्र सिंह चौधरी, श्री	कानपुर देहात
नरेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
नरेन्द्र सिंह शिशौदिया, श्री	गाजियाबाद
नवाब सिंह नागर, श्री	गाजियाबाद
परमानन्द दण्डी, स्वामी	रामपुर
फागू, श्री	मऊ
बाबू राम यादव, श्री	मैनपुरी
बालेश्वर त्यागी, श्री	गाजियाबाद
बिजेन्द्र आर्य, श्री	मुजफ्फरनगर
महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा	आगरा
महेन्द्र कुमार, श्री	बुलन्दशहर
मारकण्डेय चन्द, श्री	गोरखपुर
मुख्तार अन्सारी, श्री	मऊ
मुन्ना लाल मौर्य, श्री	फतेहपुर
मुराद लारी, श्री	देवरिया
मूल चन्द, श्री	बिजनौर
यशवंत, श्री	आजमगढ़
राजेन्द्र, श्री	गाजीपुर
राजेश अग्रवाल, श्री	बरेली
राम आसरे पासवान, श्री	बस्ती
राम आसरे सिंह कुशवाहा, डा०	कानपुर नगर
राम नरेश रावत, श्री	गाजियाबाद
रामपाल राजवंशी, श्री	सीतापुर
राम प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती,
राम लखन, श्री	सुल्तानपुर
लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
विजय प्रकाश, श्री	इलाहाबाद
विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
विद्या सागर गुप्ता, श्री	लखनऊ
विनय कुमार पाण्डेय "विन्नू", श्री	गोण्डा
विरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर

शिव चरन प्रजापति, श्री	हमीरपुर	सुखपाल पांडेय, श्री	बस्ती
श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा	सुशीला अग्रवाल, श्रीमती	मुजफ्फरनगर
संजय सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर	हरि प्रसाद उर्फ घमड़ी, श्री	सोनभद्र
समर पाल सिंह, श्री	मेरठ		

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 12 मार्च, 1999 ई०

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।)

(माननीय अध्यक्ष के पीठासीन होने पर)

नियम 311 के अन्तर्गत दी गयी सूचनाओं के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, नियम–311 की सूचना नियम–56 में ली गई है यह कहा गया था.....

श्री अध्यक्ष–

कल नियम–56 में क्रम-संख्या–7 पर आया था जहां तक मुझे स्मरण है ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, एक अति आवश्यक सूचना लखीमपुर खीरी में वन कर्मियों.....

श्री अध्यक्ष–

मुझसे अभी कक्ष में मिल लीजिएगा मैं आपकी समस्या का समाधान कर दूंगा ।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, मेरी सूचना थी.....

श्री अध्यक्ष–

कल इस सदन में आपत्ति की गई कि अध्यक्ष महोदय नियम 311 में दी हुई सूचना को किस नियम के तहत नियम–56 में परिवर्तित करते हैं । नियम–311 बिना अध्यक्ष की अनुमति के प्रस्तुत नहीं की जाती है लेकिन अब नियम–311 की किसी सूचना को नियम 56 में परिवर्तित नहीं करूंगा । गुण-दोष पर विचार करके, अनुमति दी जाए या नहीं यह देखेंगे । अनुमति नहीं दी जाएगी तो यहां प्रस्तुत नहीं हो सकेगी ।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, मेरा सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने माननीय सदस्यों की सुविधा के लिये यह किया थो माननीय सदस्य आपत्ति करते हैं कि नियम–311 को नियम–56 में परिवर्तित करने का कोई नियम नहीं है तो जिस नियम में सूचना आयेगी उसमें उसका निस्तारण हो जाएगा । मैं तो सबकी राय से सदन चलाने का प्रयास करता हूं आम राय नहीं बनती है किसी विषय पर तो ठीक है ।

श्री स्वामी ओइमूवेश द्वारा विधान सभा के उपाध्यक्ष पद हेतु नाम वापसी की सूचना

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, आज की तिथि में उपाध्यक्ष का चुनाव होना है जो परम्परायें हैं.....

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–3 आने दीजिए ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, स्वामी ओइम्वेश जी ने निर्विरोध रूप से उपाध्यक्ष गौरी शंकर जी चुने जाएं इस लिए वह अपना नाम वापस ले रहे हैं यह मैं आपको भिजवा रहा हूं।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है आप सूचना भिजवा दें।

(श्री अवधेश प्रसाद के खड़े होने पर)

शून्य प्रहर में सुन लेंगे।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश की विषम आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए सरकारी वाहनों के प्रयोग पर नियंत्रण हेतु निर्देश

**1.—डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की विषम आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए मितव्ययिता हेतु कोई कदम उठाये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार मितव्ययिता की दृष्टि से प्रदेश के सभी विभागों के मुख्यालयों पर तैनात अधिकारियों को उपलब्ध सरकारी वाहनों के प्रयोग पर नियंत्रण लगाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

प्रशासनिक व्यय में मितव्ययता के अन्तर्गत राज्य सरकार प्रतिवर्ष मितव्ययता लाये जाने हेतु शासनादेश जारी कर निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित कराती है।

जारी किये गये शासनादेश में यह स्पष्ट है कि सरकारी समस्त विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव केवल एक ही शासकीय वाहन का प्रयोग करेंगे तथा निगमों या सार्वजनिक उपक्रमों की गाड़ियों का प्रयोग किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा चाहे वे इन संस्थाओं के अध्यक्ष अथवा निदेशक मण्डल के सदस्य का कार्यभार सम्भाल रहे हों। शासन द्वारा आवंटित वाहनों के उपयोग के संदर्भ में प्रति वाहन, प्रतिमाह के आधार पर राजकीय कोष में वाहन के उपयोग के लिये प्रत्येक अधिकारी से कार के संबंध में रु० 250/- तथा जीप के संबंध में रु० 200/- की कटौती के निर्देश भी जारी किये गये हैं। साथ ही पेट्रोल तथा डीजल की खपत में कमी लाये जाने के निर्देश भी दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैंने यह प्रश्न किया था कि सरकार मुख्यालयों पर तैनात अधिकारियों को सरकारी वाहनों के प्रयोग पर नियंत्रण करने पर विचार करेगी ? उत्तर यह आया कि शासनादेश जारी कर निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित कराती है और फिर यह कहा गया कि प्रमुख सचिव/सचिव केवल एक ही शासकीय वाहन का प्रयोग करेंगे तथा निगमों या सार्वजनिक उपक्रमों की गाड़ियों का प्रयोग किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। मान्यवर, यह प्रश्न किसी न किसी रूप में इस सत्र में चौथी बार आया है यह पूरे सदन के चिन्ता का विषय है। जब सरकार के सामने आर्थिक संकट है तो गाड़ियों का दुरुपयोग क्यों किया जा रहा है। इससे करोड़ों रुपया बचाया जा सकता है। मान्यवर, इसी आर्थिक संकट को दृष्टिगत रखते हुए सरकार ने पंचम वेतन आयोग की शेष सिफारिशों को अभी तक नहीं दिया है। जब शासनादेश से प्रतिबन्ध लगाया गया है तो फिर शासनादेश का पालन क्यों नहीं हो रहा है, और क्यों इस प्रतिबन्ध को लगाया गया है ? तथा इस मद में कितनी कमी आयी है यह बताने का कष्ट करें ?

श्री हुकुम सिंह–

कितनी कमी आयी है इसका आंकलन करना सम्भव नहीं है । शासनादेश का पालन किया जाय यह प्रयास किया जाता है । अगर यह देखा जाता है कि शासनादेश का पालन अधिकारी नहीं कर रहे हैं तो उस अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जायेगी ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस शासनादेश का पालन क्यों नहीं हो रहा है ? और अगर पालन हो रहा है तो माननीय मंत्री जी की जानकारी में होगा कि कितनी गाड़ियां वापस आयी क्योंकि शासनादेश जारी करने की आवश्यकता तब पड़ी जब अधिक गाड़ियों का इस्तेमाल हो रहा था ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय डा० बाजपेयी जी अगर सारी गाड़ियां वापस आ जायें तो कितनी बचत होगी यह बता दें ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

अगर इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है तो फिर शासनादेश जारी करने का क्या औचित्य था ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, डा० बाजपेयी गाड़ी के प्रति चिन्तित हैं । मैं इनकी चिन्ता की प्रशंसा करता हूं । इनकी चिन्ता है कि शासन में मितव्ययिता आनी चाहिए और उसके एक भाग गाड़ी की ओर इन्होंने ध्यान दिलाया है । गाड़ी के अलावा सरकार ने कड़े कदम उठाये हैं मितव्ययिता के । अगर जानकारी करना चाहें तो जानकारी दे सकता हूं । हमारा यह प्रयास रहता है कि एक से ज्यादा गाड़ी इस्तेमाल न की जाय । जो इन्होंने कहा कि पालन नहीं होता है तो शासनादेश जारी क्यों करते हैं तो हम उसका पालन करवाते हैं । अगर अपवाद स्वरूप पालन नहीं हो रहा है तो तरीके हैं पालन कराने के हम उसका पालन करायेंगे ।

श्री अशोक बाजपेयी–

मितव्ययिता का प्रयास मान्यवर, अगर शासन के उच्च पदों से प्रारम्भ हो तो उसका प्रभाव नीचे तक जायेगा । मान्यवर, मैं यह भी जानना चाहूंगा कि जो मंत्रि परिषद् के सदस्य हैं जिनके लिये मितव्ययिता प्रथम प्रयास होना चाहिए उन पर इस 98-99 में अब तक कितना धन व्यय हुआ है ? मुझे जानकारी है कि एक-एक मंत्री पर 5-5 लाख रुपया व्यय किया गया है ।

श्री अध्यक्ष–

यह मूल प्रश्न में नहीं आता मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, इस शासनादेश के जारी होने के पहले कितना खर्च होता था गाड़ियों पर और इसके बाद कितना हो रहा है और क्या लाभ हुआ है ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मितव्ययिता का सिद्धान्त अपनी जगह कायम है । सरकार ने जो-जो कदम उठाये हैं उसमें 7 जनवरी, 1999 का आखिरी शासनादेश है जिसमें कहा गया है कि अधिकारियों के विदेश भ्रमण पर तत्काल प्रभाव पर रोक रहेगा । अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अतिथि के अतिरिक्त 5 सितारा होटल में भोजन दिये जाने पर रोक रहेगी । दिल्ली और लखनऊ के बीच वायुयान यात्रा केवल प्रमुख सचिव,

सचिव एवं विभागाध्यक्ष को ही करने की अनुमति होगी । आयोजनेत्तर व्यय पर 10 प्रतिशत कम करने का निर्णय लिया गया है । मान्यवर, इसी तरह से निगमों में भी अध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक किसी अधिकारी के घर फर्नीचर आदि की व्यवस्था अनियमित मानी जायेगी । मान्यवर, ऐसे कुछ कदम उठाये हैं केवल गाड़ी ही पर्याप्त नहीं है ।

श्री राजधारी–

मान्यवर, आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए क्या इन पेट्रोल चालित मोटर गाड़ियों को डीजल गाड़ियों में बदली की जायेगी दूसरे वाहनों के निजी प्रयोग पर रोक लगाने की कार्यवाही होगी ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, 21 अगस्त, 98 को आदेश जारी किया गया जिसमे नई गाड़ियां 98-99 में न क्रय किये जाने की बात है । केवल अपरिहार्य स्थिति में ही गाड़ी खरीदी जाती है । मान्यवर, गाड़ियों की प्रयोग पर ढाई सौ रुपये प्रतिमाह अधिकारियों से वसूला भी जा रहा है ।

श्री मुन्ना चौहान–

क्या मान्यवर, जिला स्तर पर पूल्ड वेहिकिल्स सिस्टम को लागू करेंगे दूसरे निगमों में जहां एक व्यक्ति के पास एक से अधिक वाहन उपलब्ध हैं उनको सरेन्डर करने के लिये इन्तजाम करेंगे और तीसरा भारत सरकार से दृष्टान्त लिया जा सकता है । भारत सरकार में निदेशक स्तर के व्यक्ति को प्रदेश सरकार में सचिव स्तर का माना जाता है लेकिन केन्द्र सरकार में उसे कोई वाहन नहीं दिया जाता, इसी प्रकार विशेष सचिव स्तर के अधिकारी को कोई वाहन नहीं है लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार में सभी संयुक्त सचिव, विशेष सचिव स्तर के सभी अधिकारियों के पास वाहन हैं, जिन्हें वह निगमों से अनधिकृत रूप से लेकर इस्तेमाल करते हैं । क्या ऐसे सभी अधिकारियों के विभागों का चिन्हीकरण कर, उनके खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह–

शायद मुन्ना चौहान जी कहीं और थे, जिस समय मैं बता रहा था । 7 जनवरी, 1999 को शासनादेश जारी किया गया, इसमें यह निर्देश दिया गया कि निगमों से कोई गाड़ी सचिव, प्रमुख सचिव, संयुक्त सचिव नहीं लेगा और यदि ऐसा संज्ञान में लाया जाता है कि किसी ने गाड़ी ली है तो वह गलत ली है और उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मितव्ययिता की दृष्टि से शासनादेश किस तारीख को जारी किया गया और शासनादेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिये अधिकारियों और विधान सभा के सदस्यों की एक संयुक्त टीम बनाने की कृपा करेंगे ताकि इस पर अंकुश लगे और अनुश्रवण भी होता रहे तथा दोषी पाये जाने वाले के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, शासनादेश 7 जनवरी, 1999 को जारी किया गया । दूसरा जो माननीय सदस्य का सुझाव है, वह नार्मल सुझाव है और इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, यह अनावश्यक है ।

प्रदेश सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की गारन्टी हेतु निर्धारित नीति की जानकारी

**2—श्री राम औतार शाक्य–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में अल्पसंख्यकों को सुरक्षा की गारन्टी दिये जाने के बारे में सरकार ने कोई नीति निर्धारित की है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस संबंध में कोई विशेष कार्ययोजना बनाने जा रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

जी हां । प्रदेश में समतामूलक समाज की स्थापना करना, समरसता की भावना पैदा करना एवं जातिपांति, मत मजहब, वर्ग और सम्प्रदाय को भेद किये बिना समाज के सभी वर्गों की सुरक्षा की व्यवस्था व समाज को भयमुक्त वातावरण प्रदान करने राज्य सरकार की प्रमुख प्रतिबद्धता है और इसके लिये वर्तमान अधिनियमों के अन्तर्गत अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देने हेतु राज्य सरकार पूर्ण सजग एवं कृत संकल्प है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, यह सारा सदन और प्रदेश भिज्ञ है कि आजादी के बाद माइनारिटीज और मेजारिटी के बीच जो अविश्वास की भावना पैदा हुई, उससे ईसाइयों पर हमले हुए, मुसलमानों पर हमले हुए, बौद्धों पर हमले, सिखों पर हमले हुए । यह सभी लोग इस देश की मूल धारा से जुड़े हुए हैं । मैंने प्रश्न केवल अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की गारंटी के बारे में पूछा था, उत्तर आया जी हां, लेकिन उत्तर में आपने सभी वर्गों के बारे में बता दिया । मैं अल्पसंख्यकों के संबंध में स्पेसिफिक तौर से जानना चाहता हूं कि उनकी सुरक्षा के लिये कोई विशेष कार्य योजना बनाई गई है, जिसके लिये आपने जी हां कहा है ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, जहां तक मैं समझता हूं फिर मैं दुबारा बल देना चाहता हूं कि अगर सभी समुदायों में समरसता बनी रहेगी तो अल्पसंख्यकों को भी खतरा नहीं होगा । मान्यवर, विशेष कार्ययोजना क्या है यह मैं बता दूं चूंकि देश में एक ऐसा वातावरण बना था जिसमें माइनरटीज के ऊपर हमला हुआ उनको आतंकित किया गया अपने प्रदेश में ऐसा न हो 7 जनवरी, 1999 को एक विशेष कार्ययोजना बनायी गयी और उसे तमाम जिलों में भेज दिया गया । तो जैसा मैंने कहा उस कार्ययोजना में हमने कहा है संवेदनशील तथा अतिसंवेदनशील क्षेत्रों के रूप में पहचानशुदा कस्बों/क्षेत्रों में इसकी पर्याप्तता कार्यक्षेत्र तथा कार्य कुशलता के विशेष संदर्भ में प्राथमिकता के आधार पर व्यापक रूप से पुनरीक्षित की जाय ।

यदि आवश्यकता पड़े तो तनाव व झगड़े की तैयारी के संबंध में सही व समय से अभिसूचना प्राप्त करने की ओर विशेष ध्यान दिया जाय और स्थानीय अभिसूचना इकाई को सतर्कता बरतने के लिये विशेष रूप से निर्देशित किया जाय ।

साम्प्रदायिक सद्भावना को बढ़ावा देने तथा जिले में शांति कायम रखने के लिये उचित कदम उठाने हेतु सभी स्तरों पर साम्प्रदायिक स्थिति की आवधिक पुनरीक्षा करना ।

साम्प्रदायिक सद्भाव सुदृढ़ करने की दिशा में जिला एकीकरण समिति के कार्य संचालन को क्रियाशील बनाना ।

धर्मनिरपेक्षता विरोधी दृष्टिकोण रखने वाले तत्वों को अलग-थलग करने के लिये तत्काल कदम उठाये जाने की आवश्यकता है ।

साम्प्रदायिक कटुता को बढ़ावा देने वाले व्यक्तियों से निपटने के लिये भारतीय दण्ड संहिता की धारा 153 (क), 153 (ख), 295 से 298 तथा 505 के उपबन्धों एवं किसी अन्य कानून का स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जाना ।

साम्प्रदायिक संकट को बढ़ावा देने वाले साम्प्रदायिक संगठनों की गतिविधियों पर कार्यवाही करना आदि अनेक निर्देश दिये हैं अगर आप कहें तो और भी हैं मैं बता सकता हूं ।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो सही जवाब देना चाहिए था उससे हट कर घुमाफिरा कर भाषा का इस्तेमाल किया । जैसे समरसता मूलक समाज की स्थापना करना, समरसता की भावना पैदा करना एवं जाति पांति, मत मजहब, वर्ग और सम्प्रदाय को भेद किये बिना समाज के सभी वर्गों की सुरक्षा आदि-आदि । सवाल यह नहीं था, सवाल यह था कि बौद्ध, सिक्ख, मुसलमान, ईसाई आदि भाइयों में यह भावना व्याप्त हो गयी है कि जब से उत्तर प्रदेश में यह सरकार आयी है वे सुरक्षित नहीं हैं । इस पर आपने क्या कार्य योजना बनाई है और उसमें कितनी सफलता मिली है ? क्योंकि अल्पसंख्यक लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में जेलों में भेज दिया गया है, बौद्ध, सिक्ख, ईसाई के साथ अन्याय हो रहा है ।

श्री अध्यक्ष–

यह कौन करेगा ? इसके लिये यह सदन नहीं है । आप प्रश्न से हट कर बात कर रहे हैं ।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

जो कार्य योजना बनाई गई है, उसका कोई मापदण्ड होगा, इसकी जानकारी होगी, वह बता दें ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, प्रत्यक्ष के लिये प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती और सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि हमारे लगभग डेढ़ साल के ट्रैक रिकार्ड देखें इसमें लखनऊ में हमने अजरदारी का जुलूस निकलवाया, यह सबसे बड़ा प्रमाण है जो आप और आपके सहयोगी कभी नहीं कर पाये ।

दूसरा हमारे पूरे कार्यकाल में केवल एक घटना हुई जिसको आप साम्प्रदायिक कह सकते हैं मुरादाबाद में वह भी चन्द घण्टों में हमने कन्ट्रोल कर लिया जो आपके समय में महीनों-महीनों तक चलता था और सैकड़ों लोग मारे जाते थे ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपया शान्त रहें ।

(शोर)

आप लोग कृपया शान्त रहें ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, मैं अपनी एक आशंका का समाधान माननीय मंत्री महोदय से चाहता हूं ।

(शोर)

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, यह सरकार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के संबंध में गम्भीर नहीं है और न इसके लिये कोई योजना ही बना रही है । आज अल्पसंख्यकों में असुरक्षा की भावना व्याप्त हो गई है इसलिये मैं और मेरा दल सदन का त्याग करता है ।

(श्री रामतेज यादव एडवोकेट अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग-कर चले गये)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, एक शंका का समाधान चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

अब अगला प्रश्न और उसका उत्तर भी आ गया है आप कृपया बैठें।

मेजर जगत पाल सिंह–

मान्यवर, यह सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

[× × ×]

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। यह लिखा नहीं जा रहा है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा यह सरकार नहीं कर रही है। इसके विरोध में, मेरा दल इस सदन से त्याग करता है।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये)

तारांकित प्रश्न

जिला योजना की भांति नगरीय क्षेत्र विकास हेतु विकेन्द्रित नियोजन प्रणाली की रूपरेखा में विधायकों की भागीदारी

*1—डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला योजना की भांति नगरीय क्षेत्रों के विकास के लिये विकेन्द्रित नियोजन प्रणाली शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो नगरीय क्षेत्र के सम्यक् विकास का कोई वैकल्पिक कार्यक्रम बनाया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों? क्या राज्य सरकार नगरीय विधायकों, सदस्य, विधान परिषद् को भी नगर क्षेत्र की विकास योजनाओं में भागीदार बनाये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नियोजन राज्य मंत्री (डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय)–

वर्तमान विकेन्द्रित नियोजन प्रणाली के अन्तर्गत सम्पूर्ण जनपद की जिला योजना तैयार की जाती है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ नगरीय क्षेत्रों के विकास से सम्बन्धित योजनां भी समाहित रहती है। जिला स्तर पर गठित जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति में जनपद के समस्त सांसद, विधान सभा सदस्य एवं विधान परिषद् सदस्य, सदस्य हैं। इस प्रकार नगरीय क्षेत्र के विधायकगण जनपद के विकास कार्यों से स्वतः ही सम्बद्ध हैं।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। मेरा प्रश्न था कि क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला योजना की भांति नगरीय क्षेत्रों के विकास के लिये विकेन्द्रित नियोजन प्रणाली शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? इसका उत्तर माननीय मंत्री जी ने यह दिया है कि वर्तमान विकेन्द्रित नियोजन प्रणाली के अन्तर्गत सम्पूर्ण जनपद की जिला योजना तैयार की जाती है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ नगरीय क्षेत्रों के विकास से सम्बन्धित योजना भी समाहित रहती है। माननीय मंत्री जी ने नगरीय विकास की कोई रूपरेखा नहीं बतायी है और कहा है कि नगरीय क्षेत्रों की योजना ग्रामीण क्षेत्रों के साथ समाहित रहती है।

:—[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

मान्यवर, मैंने अगला बिन्दु यह पूछा था कि नगरीय क्षेत्र के सम्यक् विकास का कोई कार्यक्रम बनाया गया है क्या राज्य सरकार नगरीय विधायकों, सदस्य, विधान परिषद् को भी नगर क्षेत्र की विकास योजनाओं में भागीदार बनाये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों? इसका उत्तर माननीय मंत्री जी ने यह दिया है कि जिला स्तर पर गठित जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति में जनपद के समस्त सांसद, विधान सभा सदस्य एवं विधान परिषद् सदस्य, सदस्य हैं। इस प्रकार नगरीय क्षेत्र के विधायकगण जनपद के विकास कार्यों से स्वतः ही सम्बद्ध हैं।

मान्यवर, मेरा स्पेसिफिक प्रश्न था कि नगरीय क्षेत्र के विकास के लिये क्या किया जा रहा है। मान्यवर, नगरीय क्षेत्र के अन्तर्गत प्रदेश की जिला योजना की जो गाइड लाइन्स 21-2-98 को जारी की गयी है उसमें क्रम संख्या 8 पर कहा गया है कि जिला योजना के अन्तर्गत नाली निर्माण आदि के कार्य नहीं किये जायेंगे।

मान्यवर, नगरीय क्षेत्र के विकास के लिये जिला योजना में कौन से कार्य लिये जायेंगे बताने का कष्ट करें ? उनकी रूपरेखा क्या है ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

मान्यवर, जिला प्लान तय करते समय नगरीय क्षेत्रों और जनपदीय क्षेत्र दोनों के विकास की कठिनाई पर चर्चा होती है ऐसे तमाम आइटम हैं जो ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र में समान रूप से लागू होते हैं। जिला प्लान में शहरी क्षेत्रों में सामाजिक वानिकी, सेवायोजन कार्यालय निर्माण, पशु चिकित्सालय, चिकित्सालय, विद्युत वितरण, प्राथमिक शिक्षा आदि ऐसे आइटम हैं जो दोनों क्षेत्रों में समान रूप से लागू होते हैं और इन पर चर्चा होती है ऐसा नहीं है कि केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही यह कार्य किये जाते हैं।

डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मंत्री जी ने जो बिन्दु बताये हैं किसी बिन्दु से कोई लाभ नगरीय क्षेत्रों की जिला योजना के माध्यम से नहीं मिल पाता है। माननीय मंत्री जी जिला योजना का वर्तमान स्वरूप बता रहे हैं। ऐसे बिन्दुओं का नगरीय क्षेत्र को कोई लाभ नहीं मिलता है। जिला योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत का कार्य किया जाता है। नगरीय क्षेत्र में काम करने के लिये दान का आवंटन होना चाहिए।

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि विद्युत क्षेत्र में कहीं कोई प्राविधान नहीं है ऐसी बात नहीं है। जिला योजना में नये ट्रांसफार्मर खरीदने के लिये पैसा देते हैं जो नगरीय और जनपदीय क्षेत्रों में समान रूप से लागू होता है।

श्री अमित अग्रवाल–

मान्यवर, मेरे पास मण्डलायुक्त मेरठ का एक पत्र है जिन्होंने एक आदेश के जरिये दिनांक 21-12-98 को पी० डब्ल्यू० डी० को लिखा है कि जिला योजना के अन्तर्गत नये कार्य केवल उन्हीं ग्रामों को सम्पर्क मार्गों से जोड़ने के लिये किये जायेंगे जो गांव पहले से सम्पर्क मार्गों से जुड़े नहीं हैं। नाली निर्माण खड़ंजा निर्माण के कार्य शहरी क्षेत्रों में नहीं किये जायेंगे। मान्यवर, एक नया पैसा भी पी० डब्ल्यू० डी० जे० आर० वाई० योजना में नगरीय क्षेत्र खर्च नहीं होता है। नगरीय क्षेत्रों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। क्या इसके बारे में अलग से योजना बनाकर यह कार्य कराने की व्यवस्था करेंगे ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

मान्यवर, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा नगरीय क्षेत्रों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। यह कदाचित सत्य नहीं है कि नगरीय क्षेत्रों के लिये कुछ नहीं किया जाता है, मान्यवर, आप

मा० मुख्य मंत्री जी का बजट भाषण वर्ष 1999–2000 उठाकर देख लें तो आप देखेंगे कि गत वर्ष 525 करोड़ रुपया इनके विकास पर व्यय किया गया है और वर्ष 1999–2000 में 575 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। मान्यवर, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है, मलिन बस्ती सुधार कार्यक्रम हैं, माननीय सदस्य स्वयं ज्ञाता हैं, एक कठिनाई जरूर है, मैं अवगत कराना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने अन्तर्राज्यीय एकता परिषद् के समक्ष इस चीज को रखा है कि तमाम ऐसी मदें हैं जिनके रखरखाव के लिये कठिनाई है, समुचित संसाधन न होने के कारण उनके अनुरक्षण में कठिनाई हो रही है। अनुरक्षण के लिये केन्द्र सरकार से पृथक से सहायता की मांग की गयी है और उसके लिये नीति बनाने की मांग की है और कहा गया है कि गाडगिल मुखर्जी फार्मूले के अनुसार दी जा रही सहायता में और दिया जाये, ताकि सरकार जरूरी कार्यों को कर सके।

डा० सरजीत सिंह डंग–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं 4 बार से इस विधान सभा का सदस्य रहता चला आ रहा हूं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि नगरीय क्षेत्रों के लिये पैसा नहीं दिया गया है। मेरा आधा क्षेत्र नगरीय है और आधा क्षेत्र ग्रामीण है और बहुत से ऐसे सदस्य हैं, जिनका पूरा का पूरा क्षेत्र नगरीय है, वहां पर एक भी नया विद्यालय नहीं बना है, न कोई नाली बनी है और न किसी अन्य प्रकार का कोई विकास का कार्य किया गया है। डा० बाजपेयी जी ने जो प्रश्न उठाया है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज केवल ग्रामीण क्षेत्र की चिन्ता की जा रही है, तो क्या आप क्षेत्रीय विधायक को सहभागिता देंगे, जो केवल नगरीय क्षेत्र के लिये हो, जिला योजना का अधिकांश धन उसमें चला जाता है क्या आप नगरीय क्षेत्रों की बिगड़ती हुई स्थिति को देखते हुए उनके लिये कोई ठोस कदम उठाने की कृपा करेंगे ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

मान्यवर, अभी मैंने कहा कि सरकार की विभिन्न योजनायें हैं, नगरीय क्षेत्रों में मलिन बस्ती सुधार कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उस पर 45 करोड़ रुपया रखा गया है, तथा श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुधार योजना है। फिर भी इन स्वायत्तशासी संस्थाओं की कठिनाई है, सरकार उससे चिंतित है। यहां से लेकर केन्द्र तक हम प्रयास कर रहे हैं। मेरा आप से आग्रह है कि आप भी हमें सहयोग दें।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या नगरीय क्षेत्रों को नगर निगम द्वारा, या टाउन एरियाज द्वारा विभिन्न कार्यों के लिये अनुदान किया जाता है। मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि जब नगर विकास विकास द्वारा नगर क्षेत्रों को विभिन्न कार्यों हेतु अनुदान दिये जाते हैं तो जिला योजना के पैसे को नगर में देने का औचित्य क्या है ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

मान्यवर, मैं ध्यान से सुन नहीं पाया, कृपया अपने प्रश्न को दोहरा दें।

श्री लालजी वर्मा–

मैं पुनः प्रश्न पूछ लेता हूँ। मेरा अनुरोध यह है कि नगर निगम, नगर पालिका परिषद् तथा टाऊन एरिया को नगर विकास विभाग द्वारा विशेष रूप से दशम वित्त आयोग के रिक्मेन्डेशन के आधार पर विभिन्न अनुदान दिये जाते हैं और पर्याप्त मात्रा में दिये जाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में जिला योजना के पैसे को नगर में लगाने का औचित्य क्या है ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

माननीय सदस्य ने जो बात रखी है उस बात में दम है लेकिन माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि जिला योजना का आधार केवल जनसंख्या मात्र ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य का यह प्रश्न है कि जब नगर विकास विभाग द्वारा नगरपालिकाओं, नगर परिषदों तथा टाउन एरिया को अलग से धन दिया जाता है तो जिला योजना के पैसे को उन क्षेत्रों में लगाने का औचित्य क्या है ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

जिला योजना के कुछ स्पैसिफिक कार्यक्रम हैं जिला और नगरीय क्षेत्रों में समान रूप से धन लगाया जाता है।

(कई सदस्यों ने माननीय अध्यक्ष जी से आग्रह किया कि प्रश्न का सही उत्तर नहीं आया है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ऐसी स्थिति में इसके महत्व को देखते हुये चर्चा स्वीकार कर ली जाये।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न के महत्व को देखते हुए, इस पर चर्चा करा लेते हैं।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संबंध में मैं जानना चाहता हूं कि संविधान के तिहत्तरवें और चौहत्तरवें संशोधन के अन्तर्गत नई जिला नियोजन समितियां बनाने का प्राविधान है, जिसका जिक्र उत्तर में किया है। इन जिला नियोजन समितियों का गठन कब तक कर लिया जायेगा ? इन जिला नियोजन समितियों का अगर पुनर्गठन होगा तो उसका प्रारूप क्या होगा ? क्या इन जिला नियोजन समितियों में माननीय विधायकों को सदस्य के रूप में रखा जायेगा ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

मान्यवर, पहली बात तो यह है कि माननीय बाजपेयी जी वरिष्ठ सदस्य हैं, जिला नियोजन समितियों में माननीय विधायकगण आज सदस्य हैं ही, इसमें कहीं प्रश्न नहीं उठता है कि रखा जायगा या नहीं रखा जायेगा। आपने संविधान संशोधन का उल्लेख किया, वह विषय विचार के क्रम में है और आपके सामने वह विषय आयेगा।

प्रदेश के अधिकांश नगरों में पेयजलापूर्ति संकट निवारण हेतु सरकारी योजना की जानकारी

*2—श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश के अधिकांश नगरों में पेयजलापूर्ति का संकट व्याप्त है। यदि हां, तो क्या सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर शुद्ध पेय जलापूर्ति सुनिश्चित किये जाने हेतु सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नगर विकास राज्य मंत्री (श्री सतीश महाना)–

प्रदेश के अधिकांश नगरों में मानक के अनुसार जलापूर्ति नहीं हो रही है, परन्तु पेयजल की गम्भीर समस्या उत्पन्न नहीं है।

जी हां।

प्रदेश के जिन नगरों में पाइप पेयजल सुविधा उपलब्ध नहीं है उन नगरों में पाइप पेयजल हेतु तथा सभी नगरों में योजनाओं के पुनर्गठन हेतु अनुमानित लागत रु० 2550.00 करोड़ एवं गोकुल, आगरा तथा कानपुर के बैराज बनाये जाने की योजना अनुमानित लागत 450.00 करोड़ रु० अर्थात् कुल 3000.00 करोड़ रु० की योजना है।

लागू नहीं।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने यह स्वीकार किया है कि प्रदेश के अधिकांश नगरों में मानक के अनुसार पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है परन्तु पेयजल की गम्भीर समस्या उत्पन्न नहीं है । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को यह बताना चाहूंगा कि बनारस नगर में विशेष कर मेरे विधान सभा क्षेत्र में पहली मंजिल को कौन कहे गलियों के अन्दर गड्ढे खोदकर मग्गे से पानी ले जाना पड़ रहा है और दूसरी तरफ विडम्बना यह भी है एक नयें आदेश के तहत जल मूल्य और जलकर में 15 प्रतिशत की वृद्धि और 10 प्रतिशत सरचार्ज लागू कर दिया गया है । तो यह विरोधाभास है । एक तरफ पानी नहीं है दूसरी तरफ गन्दे पानी की आपूर्ति की जा रही है । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वाराणसी नगर के लिये विशेषकर जो हमारी दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र है वहां पानी की समुचित आपूर्ति हो लोगों को पहली दूसरी मंजिल पर पानी मिले इस हेतु सरकार व्यवस्था करेगी ?

श्री सतीश महाना–

माननीय सदस्य ने जो बात कही है यह सही है कि मानकों के अनुरूप जितनी जलापूर्ति की आवश्यकता है उतना नहीं दे पा रहे हैं । इसके लिये शासन चिन्तित है । लेकिन माननीय सदस्य के दक्षिणी क्षेत्र में पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है । समान रूप से इसकी वितरण की व्यवस्था की जा रही है । सदस्य की जानकारी में है कि उनके क्षेत्र में दो ट्यूबवेल लगाये गये हैं और भी आवश्यकता होगी और वह निवेदन करेंगे तो इस पर विचार कर लेंगे ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

यह जो पुनर्गठन की बात कही गयी है । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कुछ वर्ष पूर्व एक योजना विश्वबैंक की सहायता से बनाई गई वह 8–10 वर्षों में वह योजना पूरी हुई 13 करोड़ से वह योजना शुरू हुई और 36-38 करोड़ पर समाप्त हुई लेकिन उसके बाद भी दुख का विषय है जो पुनर्गठन का लाभ मिलना चाहिए था वह लाभ नहीं मिला क्या उस पुनर्गठन योजना पर जनता की गाढ़ी कमाई का 36–38 करोड़ रुपये खर्च कर दिये गये उसके बाद भी वाराणसी की जनता को कोई लाभ नहीं मिल रहा । क्या उस योजना के बारे में कोई उच्च स्तरीय टेक्निकल जांच करायेंगे क्यों लाभ नहीं मिला ? इसके लिये कौन जिम्मेदार है ? व ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे ?

श्री सतीश महाना–

माननीय सदस्य ने वाराणसी की पुनर्गठित योजना के बारे में जानकारी की है । यह प्रश्न मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं था, अलग से जानकारी चाहेंगे तो दे देंगे ।

श्री अध्यक्ष–

इसके लिये अलग से प्रश्न कर लें ।

श्री केशो मेहरा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि आगरा तथा कानपुर और गोकुल बैराज के लिये 450 करोड़ की योजना है । मैं जानना चाहता हूं कि मंत्री जी की जानकारी में यह योजना वर्ष 1996-97 में शासन से स्वीकृत हो गई थी जिसमें 63 करोड़ का प्राविधान किया गया था । 1997-98 में जिसके लिये 130 करोड़ का प्राविधान किया गया था । वर्ष 1999–2000 के बजट में, जैसा कि मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि 450 करोड़ की योजना है कोई धन का प्राविधान नहीं किया गया है । आगरा बैराज के लिये बजट में धन का प्राविधान न होने पर योजना किसी प्रकार प्रारम्भ होगी ?

श्री सतीश महाना–

गोकुल बैराज और गंगा बैराज कानपुर की योजना पर कार्य प्रारम्भ है। गोकुल बैराज की योजना इस वर्ष लगभग समाप्त हो जाएगी । जहां तक आगरा बैराज की बात है इसकी भी योजना बनाई जा रही है । यह हमारी योजना में है हम देखेंगे ।

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि मानक के अनुरूप जल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है । बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहां मानक के अनुसार जल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है । बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहां बिल्कुल भी जल आपूर्ति नहीं हो पा रही है सिद्धान्त यह है कि कोई चीज जल आपूर्ति की जाती है तो उसका पैसा लिया जाता है । जलकर जल आपूर्ति का कर होता है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जहां बिल्कुल जल आपूर्ति नहीं हो रही है वहां जल कर से मुक्त करेंगे । जल कर नहीं लेंगे । ऐसा आश्वासन देंगे कि बिल्कुल जल कर की वसूली नहीं करेंगे ?

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, अभी लगभग 53 नगर ऐसे हैं जहां पर हम वाटर वर्क्स पाईप लाइन द्वारा सप्लाई नहीं कर रहे हैं इसलिए वहां से वसूली भी नहीं कर रहे हैं ।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, आज अधिकांश नगरों में पेयजल का संकट व्याप्त है । आप आपके संज्ञान में भी है और इसी दूषित पेयजल के कारण पीलिया रोग फैला हुआ है । नालियां और पाइप लाइन सूखे हुए हैं । लखनऊ में ही ओ० सी० आर० की चौथी और पांचवीं मंजिल पर पानी नहीं पहुंच पाता है । इसी प्रकार दारुलशफा, पार्क रोड तथा दूसरे भागों में जहां पर पानी दूसरी और तीसरी मंजिल पर नहीं पहुंच पाता है तो क्या माननीय मंत्री जी इसका सर्वे कराकर कोई विशेष कार्य योजना तैयार करेंगे ?

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, मैंने पहले ही कहा कि अभी हम कई जनपदों में मानक के अनुरूप पानी नहीं दे पा रहे हैं .। जहां-जहां पर आवश्यकता होगी, लोकल बाडीज पानी आपूर्ति के लिये प्रयास करेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य ने कुछ विशेष क्षेत्रों का उल्लेख किया है इसलिये आप इसका सर्वे करा लें ।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, मुझे अभी इसकी जानकारी नहीं है मैं इसे दिखवा लूंगा ।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

मान्यवर, मैं आपके मांध्यम से जानना चाहता हूं कि हमारे आजमगढ़ जनपद में जलापूर्ति का संकट है और सप्लाई सुचारु रूप से नहीं हो पा रही है ।

श्री अध्यक्ष–

यह जो प्रश्न है उससे संबंधित अनुपूरक पूछिये । एक-एक जनपद और बस्ती की बात करेंगे तो उसका उत्तर तो मंत्री जी नहीं दे सकेंगे यहां पर ।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

मान्यवर, आजमगढ़ शहर में दो मंजिले मकान हैं, तीन मंजिले मकान हैं उन मकानों पर पानी नहीं चढ़ता है । मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि कि क्या इस बारे में व्यवस्था करेंगे कि वहां पर पानी का फोर्स बढ़े ?

श्री अध्यक्ष–

आजमगढ़ के बारे में माननीय सदस्य की चिन्ता है । मंत्री जी इसको देख लें ।

श्री सतीश महाना–

अलग-अलग जनपदों के बारे में इस समय सूचना नहीं है । माननीय सदस्य अलग से पूछ लें मैं उनको जानकारी दे दूंगा ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, मेरा एक प्रश्न है लेकिन मैं आपके संरक्षण की अपेक्षा में पूछना चाहता हूं कि मैंने स्पैसिफिक वाराणसी नगर और अपने दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र का उल्लेख किया और कहा कि वहां पानी की घोर कमी है । जो पानी की आपूर्ति हो रही है वह गन्दा और प्रदूषित है और समुचित मात्रा में आपूर्ति भी नहीं हो रही है । इसी तरह से इसका भी उल्लेख किया था कि एक नया आदेश लागू किया गया है कि प्रति वर्ष 15 प्रतिशत की वृद्धि होती रहेगी और 10 प्रतिशत का सरचार्ज । मान्यवर, लोगों को चिन्ता यह है कि कुछ वर्षों में उनको अपने मकान बेचने पड़ेंगे टैक्स देने के चक्कर में । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यहां पर विसंगति है । एक तो वहां पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है जो थोड़ी बहुत होती भी है वह बहुत गन्दा और प्रदूषित है और इस आदेश के तहत जल मूल्य में रिकरिंग वृद्धि हो रही है । मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि एक बार इस पर पुनः विचार कर लें । यह जो 3 हजार करोड़ की योजना का उल्लेख किया गया है उसमें बनारस के जल कष्ट को देखते हुए उसे सम्मिलित किया गया है कि नहीं, अगर नहीं किया गया है तो क्या इसे सम्मिलित करेंगे ?

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि पानी के लिये एक 3 हजार करोड़ रुपये की योजना है । वर्ल्ड बैंक को 1108 करोड़ रुपये के लिये निवेदन किया है । वाराणसी के लिये वाटर सप्लाई 122.89 करोड़ के लिये 18-7-98 को भारत सरकार के माध्यम से वर्ल्ड बैंक को प्रेषित किया है और दूसरी बात जो आपने जानकारी चाही थी जल मूल्य के बारे में तो ऐसा है कि आपरेशन और मन्टीनेंस के लिये स्थानीय स्तर से जो जलकर वसूला जाता है वह आपरेशन और मेन्टीनेंस के कार्यों के लिये कम था इसलिये 15 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी बिना इस वृद्धि के मेन्टीनेंस का कार्य सम्भव नहीं है ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, आप समझ सकते हैं कि कोई ऐसा कानून नहीं है कि उसकी समीक्षा न हो और अपने आप लागू होता रहे । यह गैर कानूनी है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि यह जो रिकरिंग वृद्धि की बात है इस पर पुनः विचार करें ।

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी, आप इस सुझाव पर ध्यान दे दीजियेगा ।

श्री श्रीराम पाल–

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्र और बुन्देलखण्ड के जिलों में जल मूल्य में मैदानी क्षेत्र से अन्तर है । कानपुर नगर का जल रेट कुछ है । कालपी और उरई का अलग है, जबकि यह लगे हुए क्षेत्र हैं । आपके माध्यम से अनुरोध है कि क्या मैदानी क्षेत्र में कानपुर की जगह झांसी जनपद के जिला जालौन और झांसी में भी जल मूल्य समान दर से वसूल किया जायेगा ?

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, इस बात के लिये तय किया गया है कि जल संस्थान को यहां से निर्देशित करें सामान्य रूप से मेन्टीनेंस के हिसाब से लिया जाए।

(डा० सरजीत सिंह डंग का नाम पुकारे जाने पर)

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

मान्यवर, 12 बज रहे हैं और इन्हें आपने बुला लिया।

श्री अध्यक्ष–

मैं इंतजार कर रहा था, ठीक 12 बजे तो डा० डंग को बुलाऊं।

(हंसी)

(श्री रामतेज यादव एडवोकेट के खड़े होने पर)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

यह भी उन्हीं की श्रेणी में आते हैं इन्हें आपने नहीं बुलाया।

श्री अध्यक्ष–

दोनों उसी श्रेणी में आते हैं।

डा० सरजीत सिंह डंग–

यह हमारी तरह दाढ़ी वाली पार्टी के हैं।

प्रदेश में आने वाले 20 वर्षों में जनसंख्या भार के तद्नुरूप पेयजल संसाधनों को बढ़ाने की कार्य योजना की जानकारी

*3—डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेकि अगले 20 वर्षों में जनसंख्या भार को दृष्टिगत रखते हुए उसके अनुरूप पेयजल संसाधनों को बढ़ाने की कोई योजना बनायी गयी है? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सतीश महाना–

जी हां। डिजाइन जनसंख्या के आधार पर योजना बनायी गयी है। नगरीय क्षेत्रों में डिजाईन संख्या 30 वर्ष तथा ग्रामीण क्षेत्रों में डिजाइन जनसंख्या 15 वर्ष के आधार पर ली जाती है।

प्रदेश के सभी नगरों को मानक के अनुसार पेयजल उपलब्ध कराने के लिये रु० 3000 करोड़ तथा सम्पूर्ण ग्रामीण बस्तियों को 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के आधार पर पेयजल उपलब्ध कराने के लिये रु० 2522.00 करोड़ की आवश्यकता का अनुमान है जिसका प्राविधान नवम् पंचवर्षीय योजना के आलेख्य में किया गया है। योजना का सर्वेक्षण एवं नियोजन उ० प्र० जल निगम द्वारा धन की उपलब्धता के आधार पर किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि डिजाइन जनसंख्या के आधार पर यह कोई योजना बना रहे हैं और वर्तमान नगरीय जनसंख्या क्या है? 20 वर्ष बाद जनसंख्या का आंकलन क्या होगा। 1999–2000 में नगरीय क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल पर खर्चा करने के लिये आपने कोई प्राविधान

किया गया है। अगले पांच वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल पर क्या उपलब्धता है कितना धन वास्तव में आप उपलब्ध करा पायेंगे ?

श्री सतीश महाना–

प्रदेश की जनसंख्या के हिसाब से नगरीय क्षेत्र की जनसंख्या 19 प्रतिशत है.....

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न समझ लीजिए ठीक से।

श्री सतीश महाना–

1991 के हिसाब से 13 करोड़ थी उसके हिसाब से नगरीय क्षेत्र में प्रतिशत देख लें प्रति वर्ष.....

डा० सरजीत सिंह डंग–

मेरा सवाल दूसरा है मैंने प्रश्न किया क्या डिजाइन जनसंख्या के आधार पर कोई योजना बना रहे हैं, आज क्या जनसंख्या है और 20 वर्ष बाद क्या होगी ? 1999–2000 में अगले पांच वर्ष में कितने धन की उपलब्धता पेयजल पर करायेंगे ? मैं आंकलन पूछ रहा हूं।

श्री सतीश महाना–

आठवीं और नौवीं पंचवर्षीय योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत 73 करोड़ रुपया आता है इसमें मामला प्रस्तावित होगा।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मेरा प्रश्न है कि अगले पांच वर्षों में वास्तविक धन कितना व्यय कर पायेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी प्रश्न स्पष्ट न हो तो स्पष्ट करा लें।

श्री सतीश महाना–

वर्ष 1999–2000 में परिव्यय पूछ रहे हैं, 186 करोड़ का परिव्यय है नगरीय क्षेत्र के बारे में पूरी जानकारी है ग्रामीण क्षेत्र के बारे में ग्राम्य विकास मंत्री जी बता देंगे।

श्री अध्यक्ष–

इस प्रश्न को प्रश्न एवं संदर्भ समिति को संदर्भित कर देते हैं।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, डिजाइन जनसंख्या के आधार पर योजना बनायी गयी है। जब योजना बनायी है तो कितना धन खर्च करेंगे प्रत्येक वर्ष इसकी भी योजना सामने आयी होगी। योजना का विवरण होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

मैंने कह दिया है कि इस प्रश्न को प्रश्न एवं संदर्भ समिति को संदर्भित कर देते हैं।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

अम्बेडकर ग्राम घोषित करने के मानक एवं जनपद हरदोई, ब्लाक पिहानी, ग्राम ललवापुर को पुनः आदर्श ग्राम घोषित कर विकास कार्य कराने की जानकारी

*1—श्री अब्दुल मन्नान—

क्या अम्बेडकर ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किसी ग्राम को अम्बेडकर ग्राम घोषित किये जाने का क्या मानक है ? क्या यह सही है कि जनपद हरदोई के ब्लाक पिहानी के ग्राम ललवापुर ग्राम सभा दमगढ़ा जहां की आबादी शत प्रतिशत अनुसूचित जाति की है शासनादेश संख्या 1373/38. दिनांक 24-5-94 द्वारा अम्बेडकर ग्राम घोषित किया गया था ? यदि हां, तो उसे किन कारणों से अम्बेडकर ग्राम को सूची से हटा दिया गया ? क्या पुनः उसे अम्बेडकर ग्राम या गांधी ग्राम अथवा पं० दीन दयाल उपाध्याय योजना के अन्तर्गत आदर्श ग्राम घोषित कर विकास कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

अम्बेडकर ग्राम विकास एवं सेवायोजन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री राधेश्याम कोरी)—

वर्तमान में, 1991 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति की जनसंख्या के आधार पर राजस्व ग्रामों को अवरोही क्रम में क्रमबद्ध करते हुए, प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति/जनजाति की अपेक्षाकृत अधिक जनसंख्या वाले 10-10 ग्रामों का चयन है ।

शासनादेश सं०—1123/38-3-94, दिनांक 24-3-94 में घोषित नीति के अनुसार वर्ष 1995-96 में अम्बेडकर ग्रामों के चयन हेतु जनपद हरदोई के 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति/जनजाति की आबादी के 436 ग्रामों की पात्रता सूची तैयार की गयी थी जिसमें ग्राम दमगढ़ा का नाम सम्मिलित था, किन्तु शासनादेश संख्या 2496/38-3- दिनांक 4-8-95 के द्वारा वर्ष 1995-96 में हरदोई जनपद हेतु मात्र 205 अम्बेडकर ग्रामों का संतृप्तीकरण हेतु लक्ष्य निर्धारित किया गया था । इसमें उक्त ग्राम दमगढ़ा सम्मिलित नहीं था ।

उपरोक्त 436 ग्रामों में से वर्ष 1995-96 में 205 ग्रामों के चयन के पश्चात् 231 ग्राम आगामी वर्ष में संतृप्त करने हेतु अवशेष रह गये थे । परन्तु वर्ष 1996-97 में अम्बेडकर ग्रामों के निर्धारित मानकों में परिवर्तन हो जाने के कारण पात्रता सूची के अनेक ग्राम चयनित नहीं हो सके जिसके अनुसार दमगढ़ा भी अम्बेडकर ग्राम के रूप में चयनित नहीं हो सका ।

भविष्य में अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत यदि मानक के अनुसार यह ग्राम पात्रता के लक्ष्य में आयेगा तो स्वतः चयनित हो जायेगा । गांधी ग्राम का चयन वर्तमान में नहीं किया जा रहा है तथा पं० दीन दयाल उपाध्याय योजना के अन्तर्गत ग्रामों का चयन नहीं किया जाता है, अपितु 1000 से अधिक आबादी वाले ग्रामों में सम्पर्क मार्ग बनाये जाते हैं ।

डा० अशोक बाजपेयी—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में जानना चाहूंगा कि 96-97 की जिला योजना के अन्तर्गत इस गांव का चयन किया गया था । इसका सर्वेक्षण करा लिया गया । गांव की जनता को विश्वास हो गया अब विकास कार्य होंगे । 98-99 में इस गांव ललवापुर दमगढ़ा को छोड़ दिया गया । तो मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि भले ही मानक में यह नहीं आता है लेकिन एक बार चयन हुआ, बड़ी आबादी है इसको दृष्टिगत रखते हुए इस गांव को वही सुविधा उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे जो सामान्यतया अम्बेडकर गांवों को दी जाती हैं ?

श्री राधेश्याम कोरी—

यह ललवापुर ग्राम सभा दमगढ़ा जब चयनित हुआ था तब 436 अम्बेडकर ग्राम हरदोई जनपद में चयनित हुए थे लेकिन विकास के मानक जब तय हुए थे उसमें 205 अम्बेडकर ग्रामों का संतृप्तीकरण

हेतु लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिसमें उक्त ग्राम दमगढ़ा सम्मिलित नहीं थी । इसलिए कि यहां की आबादी मात्र 836 है इसलिए अरोही क्रम में यह ग्राम आता नहीं है ।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, विशेष परिस्थितियों में क्या इस ग्राम को सुविधाएं देने पर विचार करेंगे । विशेष परिस्थितियों में यह ललवापुर से दमगढ़ा तक सम्पर्क मार्ग बनाये जाने के निर्देश देंगे ?

श्री राधेश्याम कोरी–

मान्यवर, यह राजस्व ग्राम नहीं है और यहां की आबादी भी कम है । यह गांव बहुत पीछे है जो चयन किये गये हैं ।

श्री अध्यक्ष–

यह प्रश्न ही नहीं है ।

ऊर्जा मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)

मान्यवर, यह बताया गया है कि यह विचाराधीन नहीं है, परन्तु माननीय सदस्य से बात करके, इस सम्पर्क मार्ग की समस्या का समाधान कर दिया जायेगा ।

श्री अध्यक्ष–

चलिये, इससे कुछ हल निकल आयेगा ।

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में विद्युत उत्पादन क्षमता एवं देहाती क्षेत्रों में कटौती को पूर्ण करने के उपाय की जानकारी

*1—कुं० रेवती रमण सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में विद्युत उत्पादन कितना है और कितनी देहाती क्षेत्र में आवश्यकता है तथा कितनी कटौती करनी पड़ रही है ? उसे पूरा करने के लिये सरकार क्या उपाय कर रही है ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां । वर्तमान में राज्य विद्युत परिषद् का उत्पादन लगभग 3000 मेगावाट प्रतिदिन है ।

देहाती क्षेत्र की अनुमानित औसत विद्युत आवश्यकता लगभग 1000–1200 मेगावाट प्रतिदिन है ।

वर्तमान में बुन्देलखण्ड एवं पर्वतीय क्षेत्र के देहाती क्षेत्र जहां प्रतिदिन 24 घंटे विद्युत आपूर्ति का प्राविधान है, में लगभग 04 घण्टे प्रतिदिन विद्युत कटौती तथा प्रदेश केअन्य जनपदों के देहाती क्षेत्र जहां प्रतिदिन औसतन 10 घण्टे विद्युत आपूर्ति का प्राविधान है, में प्राविधान के सापेक्ष औसतन 01 से 02 घण्टे की विद्युत कटौती करनी पड़ रही है ।

वर्तमान में विद्युत कमी को पूरा करने के लिये सरकार चालू विद्युत उत्पादन परियोजनाओं से अधिकाधिक मात्रा में विद्युत उत्पादन करने तथा केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं से अधिक विद्युत आयात करने का प्रयास कर रही है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, शहर में आप 2 हजार मेगावाट बिजली दे रहे हैं और गांव में 1 हजार मेगावाट बिजली दे रहे हैं । मान्यवर, परीक्षाएं चल रही हैं और उसमें भी चार घण्टे बिजली की कटौती कर रहे हैं । बुन्देलखण्ड में चार घण्टे और मैदानी क्षेत्रों में एक से दो घण्टे बिजली कटौती हो रही है । तो क्या इन परीक्षाओं को देखते हुए और रबी की फसल को देखते हुए इस कटौती को खत्म करेंगे ? चार घण्टे की अघोषित कटौती शहरों में भी हो रही है ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, गांव की टैरिफ फिक्स है । अभी हमारी आनपारा बी की एक यूनिट 500 मेगावाट की खराब हो गई है हमने कल माननीय ऊर्जा मंत्री, भारत सरकार से बातकी है उन्होंने अतिरिक्त 500 मेगावाट बिजली देने की बात कही है वह एक-दो दिन में उपलब्ध हो जायेगी । उपलब्धता के आधार पर जो हमारा रूटीन है उसके अनुसार विद्युत व्यवस्था करेंगे ।

श्री राम सिंह सैनी–

मान्यवर, शाम को जब 7 बजे तक बच्चों के पढ़ने का समय होता है तब कटौती रहती है इसे आप न करें ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, ग्रामीण क्षेत्र के दो रोस्टर हैं एक रात्रि 10 बजे से 8 बजे तक और दूसरा 8 बजे से सायंकाल 6 बजे तक । तो जो पीक ऑवर है उसमें देना सम्भव नहीं है ।

श्री श्रीराम पाल–

मान्यवर, वर्तमान सरकार और पूर्व सरकारों का यह नीतिगत फैसला था कि पर्वतीय क्षेत्र और बुन्देलखण्ड के जनपदों में विद्युत में कटौती नहीं की जायेगी लेकिन इसके बावजूद बुन्देलखण्ड क्षेत्र के जनपदों में 4 घण्टे की कटौती की जा रही है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या ऊर्जा मंत्री किसानों के हित को देखते हुए इस कटौती को समाप्त करेंगे और पूरे समय विद्युत उपलब्ध करायेंगे ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, शासन की नीति है कि वहां की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए 24 घंटे विद्युत सप्लाई की जाय, लेकिन उपलब्धता के आधार पर वितरण करना पड़ता है । अभी इस समय 500 मेगावाट की एक मशीन खराब हो गयी है, इसलिये कटौती हो रही है, यह कटौती परमानेन्ट नहीं है । हम विद्युत उपलब्धता के आधार पर कटौती को समाप्त कर देंगे ।

श्री श्रीराम पाल–

मान्यवर, किसानों की फसलें सूख रही हैं, ट्यूबवेल का पानी उन्हें मिलता नहीं, इससे सिंचाई नहीं हो पा रही है, हमारा आपके माध्यम से अनुरोध है कि आज से ही विद्युत कटौती खत्म करने के आदेश देंगे ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मुझे लगता है माननीय सदस्य अपने क्षेत्र में कम जाते हैं । इस समय 24 घण्टे में 20 घंटे बिजली दी जा रही है, केवल 4 घण्टे की कटौती होरही है । कोई किसान जब 20 घण्टे में अपना खेत सींच नहीं सका तो वह 4 घंटे में क्या सींचेगा, बेमतलब गलत आरोप लगाने से कोई फायदा नहीं है ।

श्री श्रीराम पाल–

6 घण्टे से ज्यादा बिजली की आपूर्ति नहीं हो रही है और माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं कि 20 घण्टे बिजली आ रही है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य जानकारी दे रहे हैं, इसको संज्ञान में लेकर देख लीजिए, क्या स्थिति है ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

ठीक है, हम इनको बुलाकर बात कर लेंगे ।

श्री सुरेन्द्र नाथ अवस्थी–

मान्यवर, मंत्री जी कृषक हित न देखें लेकिन इस समय साढ़े 9 लाख बच्चे परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, मानवीय आधार पर, माननीय मंत्री जी 4 से 6 घण्टे की जो विद्युत कटौती हो रही है, को समाप्त करने का फैसला करेंगे, ताकि बच्चों की परीक्षा पर प्रभाव न पड़े ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि इस सरकार की निगाह में किसान भी प्राथमिकता पर है और बच्चे भी हैं लेकिन उपलब्धता का आधार मुख्य आधार होता है । मैंने अभी सदन को सूचित किया है कि हम कल केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री से मिले हैं और केन्द्र स्तर पर ज्यादा विद्युत उपलब्ध कराकर कटौती समाप्त करने के संबंध में बात हुई है, 1-2 दिन में समस्या का समाधान होगा ।

श्री स्वामी ओइमूवेश–

पिछले दिनों मंत्री जी आप बिजनौर गये थे, वहां आपने घोषणा की थी कि बिजनौर जिले में विद्युत की कोई कटौती नहीं होगी लेकिन आपके कहने के बाद भी कटौती हो रही है क्या इसको तत्काल समाप्त करायेंगे ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, मैंने एक महीने के लिये कटौती मना की थी, सारे दिनों के लिये नहीं ।

श्री राधेश्याम जायसवाल–

मान्यवर, हरदोई आपका विधान सभा क्षेत्र है, वहां विद्युत कटौती मुक्त है, क्या इसी तरह से सीतापुर तथा अन्य जनपदों को कटौती मुक्त करेंगे ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, शासन का एक रूटीन है, उसके बावजूद भी जहां-जहां विशेष परिस्थितियां होती है, उसमें हरदोई नहीं तमाम जिले हैं । कहीं जिलाधिकारी लिखकर भेजते हैं, कहीं पुलिस अधीक्षक लिखकर देते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ताज संरक्षित क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, बुन्देलखण्ड का क्षेत्र है, जिनको कटौती मुक्त किया जाता है लेकिन बाकी ऐसे किसी को भी विशेष लाभ नहीं दिया जा रहा है ।

कुंवर देवेन्द्र सिंह यादव–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अभी बताया कि वह बिजली की सप्लाई 20 घण्टे दे रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूंकि हमारे यहां पर बिजली की सप्लाई 10–11 घण्टे से अधिक नहीं है, तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि एटा में बिजली की सप्लाई को बढ़ाने की कृपा करेंगे ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, जो रूटीन है वह सभी के लिये है, सभी जिलों में बराबर है ।

श्री अरविन्द गिरि–

मान्यवर, अभी माननीय सदस्य ने कहा कि माननीय ऊर्जा मंत्री ने अपने चुनाव क्षेत्र में बिजली की कटौती को समाप्त कर दिया है, तो मैं कहना चाहता हूं कि गोला गोकरन उनका संसदीय क्षेत्र है, तो क्या वहां पर भी बिजली की कटौती को समाप्त करेंगे, जिससे लोगों को असुविधा न हो ? वहां पर 25 तारीख से बिजली की कटौती के विरुद्ध आन्दोलन चलने जा रहा है ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

श्रीमन्, हम विचार कर रहे हैं और उस पर कार्यवाही करेंगे, दिल्ली में बात हो रही है और माननीय सदस्यों को राहत अवश्य दिलायेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नकाल समाप्त हुआ ।

जनपद हरिद्वार में होटल क्लासिक रेजीडेन्सी में नियम विरुद्ध मांस बेचने की जांच/दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जानकारी

*2—श्री अम्बरीष कुमार–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरिद्वार में होटल क्लासिक रेजीडेंसी को नियम विरुद्ध मांस बेचने व परोसने की अनुमति दिये जाने की जांच करायी गयी है ? यदि हां, तो कौन दोषी पाया गया तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नगर विकास एवं आवास मंत्री (श्री लालजी टण्डन)–

जी हां ।

जांच के परिणामस्वरूप सर्वश्री बृज मोहन नवानी, लाइसेंस लिपिक तथा डा० एन० सी० सिद्ध, वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी को दोषी पाया गया । श्री बृज मोहन नवानी को निलम्बित कर दिया गया है तथा डा० एन० सी० सिद्ध के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

लखनऊ सिटी मान्टेसरी स्कूल, स्टेशन रोड/राजेन्द्र नगर ब्रांच के भवन के मानचित्र की नगर निगम द्वारा स्वीकृति एवं सुरक्षा की दृष्टि से असुरक्षित घोषित करने की मांग

*3–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ स्थित सिटी माण्टेसरी स्कूल की स्टेशन रोड एवं राजेन्द्र नगर ब्रांच के भवन क्या लखनऊ नगर निगम द्वारा स्वीकृत मानचित्र के अनुसार है ? क्यों यह सही हैं कि उक्त भवन 4-5 मंजिले हैं और असुरक्षित तथा कमजोर भी है ? क्या विद्यालय में पढ़ रहे छात्र छात्राओं एवं स्टाफ की सुरक्षा की दृष्टि से इस इमारत को निष्प्रयोज्य/असुरक्षित घोषित करने की कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं ।

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रदेश में ग्रिड फेल होने से उत्पन्न बिजली संकट को रोकने के उपाय

*4–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि ग्रिड फेल हो जाने से प्रदेश को कई बार भयंकर बिजली संकट से गुजरना पड़ा है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके कारणों की जानकारी करने और इनकी पुनरावृत्ति को रोकने हेतु कोई उपाय किये हैं ? यदि हां, तो वह क्या हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

नोट :–नत्थी (घ) तारांकित प्रश्न संख्या–1 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया ।

जी हां।

ग्रिड फेल होने की सम्भावना को कम करने हेतु 800 तथा 400 के०वी० की नई पारेषण लाइनों का निर्माण तथा कैपीसीटर बैंकों का ऊर्जीकरण किया जाना।

वर्ष 1998-99 में घोषणानुसार विधायकों की संस्तुति पर पांच ग्रामों के विद्युतीकरण को जिला योजना अन्तर्गत पूरा करने की मांग

*5–श्री लालजी वर्मा–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1998-99 के बजट सत्र में मा० मंत्री जी द्वारा प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में मा० विधायकों की संस्तुति पर 5–5 ग्रामों के विद्युतीकरण की घोषणा की थी ? यदि हां, तो इन ग्रामों का विद्युतीकरण किस योजना में किया जायेगा ? क्या जिला योजना के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि को उक्त योजना के अन्तर्गत समायोजित किया गया है ? यदि हां, तो जिला योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य को किस प्रकार पूरा किया जायेगा ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां।

मा० विधायकों द्वारा उनके विधान सभा क्षेत्र के संस्तुत 5 ग्रामों का विद्युतीकरण वर्ष 98-99 की जिला योजना के अन्तर्गत अंगीकृत किया जायेगा। जिला योजना में लक्ष्य कम होने की स्थिति में राज्य सेक्टर के अन्तर्गत परिषद् को आवंटित धनराशि से विद्युतीकरण किया जायेगा।

जी हां।

मा० विधायकों द्वारा संस्तुत ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्य जिला योजना के अन्तर्गत प्राथमिकता के आधार पर कराया जायेगा। धन अवशेष रहने पर अन्य स्वीकृत ग्रामों का विद्युतीकरण जिला योजना में कराये जायेंगे।

*6–श्री राजधारी–

[10वें बुध के ता० प्र० सं०–2 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

ग्रामीण क्षेत्रीय विधायकों को पांच ग्रामों के विद्युतीकरण की प्रदत्त सुविधानुसार नगरीय विधायकों को 5 वार्डों/मोहल्लों के विद्युतीकरण की संस्तुति करने का अधिकार देने पर विचार

*7–डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्र के विधायकों को उनके विधान सभा क्षेत्र में 5 ग्रामों के विद्युतीकरण की संस्तुति के अधिकार की भांति प्रदेश के 19 नगरीय क्षेत्र विधायकों को उनके क्षेत्र के 5 वार्डों/मोहल्लों के विद्युतीकरण की संस्तुति करने का अधिकार देने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो यह सुविधा कब तक प्रदान की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी नहीं।

वित्तीय वर्ष 1999–2000 से शहरी क्षेत्र के प्रत्येक विधायक की संस्तुति पर 15 लाख के कार्य उनके क्षेत्र में कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य विद्युत परिषद् के ग्लोबल टेण्डर में शामिल अधिकारियों की सी० बी० आई० जांच कराने विषयक सांसद के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

*8–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद के अन्तर्गत माननीय भानु प्रताप सिंह वर्मा, सांसद सहित 10 सांसदों एवं चार विधायकों का हस्ताक्षरित पत्र दिनांक 30-11-98 जो मुख्य मंत्री को सम्बोधित था तथा जो ग्लोबल टेण्डर में अन्तर्राष्ट्रीय साजिश में शामिल अधिकारियों की सी० बी० आई० जांच कराने हेतु था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

राज्य विद्युत परिषद् की सतर्कता इकाई से जांच कराई जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में बिजली की कमी एवं दूर करने के उपाय

*9–श्री समर पाल सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या प्रदेश में बिजली की कमी है ? यदि हां, तो कितनी ? सरकार प्रदेश को बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या कोई कदम उठा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

प्रदेश की प्रतिबन्धित मांग के सापेक्ष लगभग 800–1000 मेगावाट की विद्युत की कमी रहती है ।

सरकार द्वारा बिजली के मामले में आत्मनिर्भरता हेतु निम्न कदम उठाये जा रहे हैं :–

(1) प्रदेश की बन्द पड़ी तापीय इकाइयों का आधुनिकीकरण/नवीनीकरण करके उत्पादन योग्य बनाना ।

(2) केन्द्रीय विद्युत घरों से 500 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत आयात किया जाना ।

(3) सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में नई विद्युत परियोजनायें स्थापित की जाने की कार्यवाही किया जाना ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद चम्पावत के ''छीड़ापानी'' परियोजना में ''चाय प्रोसेसिंग इकाई'' स्थापित करने पर विचार

*10–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद चम्पावत के ''छीड़ापानी'' परियोजना क्षेत्र में ''चाय प्रोसेसिंग इकाई'' स्थापित करने का मामला शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक उक्त इकाई स्थापित कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तरांचल विकास मंत्री (डा० रमेश पोखरियाल निशंक)–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

किसी स्थान पर न्यूनतम 100 हेक्टेयर में पौधारोपण हो जाने पर चाय प्रसंस्करण इकाई की स्थापना लाभप्रद होती है। यह स्थिति अभी नहीं आयी है।

जनपद आगरा में मा० सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार विद्युत कटौती न किये जाने के निर्देश

*11—श्री केशो मेहरा–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में डीजल जनरेटरों के प्रयोग पर लगी रोक एवं मा० सर्वोच्च न्यायालय के चौबीस घंटे अनवरत विद्युत आपूर्ति के निर्देश को दृष्टिगत रखते हुए आगरा में पीक आवर्स में विद्युत प्रयोग पर लगी रोक को हटाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

आगरा में 24 घंटे निरन्तर विद्युत आपूर्ति किये जाने तथा पीक आवर्स में विद्युत कटौती न किये जाने के निर्देश हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा बिना जांच पड़ताल के मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पास करने एवं नया गांव तिकोनिया पार्क के सामने अनाधिकृत रूप से मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने विषयक सभासद के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

*12—श्री महेन्द्र कुमार–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को बिना किसी जांच पड़ताल एवं बिना पार्किंग छोड़े नक्शा पास कर दिया जा रहा है ? यदि हां, तो इसको रोकने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ? क्या नयागांव स्थित तिकोनिया पार्क के सामने अनाधिकृत रूप से मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने सम्बन्धी श्री विनोद कृष्ण सिंघल, सभासद का पत्र दिनांक 6-6-98 जोकि उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं मुख्य नगर अधिकारी लखनऊ नगर निगम को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एवं अन्य समस्त प्रकार के भवनों के मानचित्रों को नियमानुसार परीक्षण उपरान्त ही पास किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां।

नया गांव स्थित तिकोनिया पार्क के सामने बेसमेन्ट एवं भूतल का निर्माण किया गया है जिसके लिये निर्माणकर्ता के विरुद्ध उ० प्र० नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा–27 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा चुकी है तथा धारा 28 के अन्तर्गत निर्माण को बन्द कराने हेतु क्षेत्रीय पुलिस को भी कहा गया है। वर्तमान में उक्त निर्माण कार्य रुका हुआ है। अब निर्माणकर्ता द्वारा स्वैच्छिक शमन योजना 98 के अन्तर्गत रु० 15,000/- शमन हेतु प्राधिकरण में जमा कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

*13—श्री हरदेव सिंह–

[4थे शुक्रवार के लिये स्थगित]

जनपद हरदोई की भांति प्रदेश के अन्य ग्रामीण/शहरी अंचलों में विद्युत सप्लाई की जानकारी

*14–श्री राम ललित चौधरी–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई में शहर तथा ग्रामीण अंचलों में कितने घण्टे विद्युत की सप्लाई दी जाती है ? क्या अन्य जिलों के ग्रामीण और शहरी अंचलों में विद्युत सप्लाई उक्त की भांति की जाती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

प्रदेश में शहरी क्षेत्रों में 24 घण्टे तथा ग्रामीण क्षेत्रों में दस घण्टे प्रतिदिन विद्युत सप्लाई प्राविधानित है इसमें हरदोई जनपद भी सम्मिलित है।

प्रदेश की ऊर्जा प्रणाली में विद्युत उपलब्धता के अनुसार अन्य जनपदों के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में अधिकाधिक विद्युत आपूर्ति के प्रयास किये जाते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण क्षेत्रों में सायं पांच से रात्रि 12 बजे तक विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने की योजना की जानकारी

*15–प्रो० रवीन्द्र पुण्डीर–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में सायं 5.00 बजे से रात्रि 12.00 बजे तक विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक उस योजना का क्रियान्वयन हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश की ऊर्जा प्रणाली में सायंकाल पीक की अवधि में निरन्तर विद्युत की काफी कमी बनी रहती है, अतः प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों को उक्त अवधि में निरन्तर विद्युत आपूर्ति किया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद हाथरस, सिकन्दराराऊ में अवैध पशुवध पर प्रतिबन्ध लगाने की मांग

*16–श्री यशपाल सिंह चौहान–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिकन्दराराऊ जनपद हाथरस में पशु वधशाला के कितने लाइसेन्स प्रदान किये गये हैं ? क्या सरकार जनपद हाथरस में अवैध तरीके से किये जा रहे पशुवध पर प्रतिबन्ध लगायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

सूचना एकत्र की जा रही है।

अतारांकित प्रश्न

जनपद हरदोई की नगर पंचायत माधोगंज के कर्मचारियों के बकाया वेतन भुगतान की मांग

1–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के सभी निकायों को गत वर्षों के बकाया वेतन का सम्पूर्ण भुगतान हेतु अनुदान राशि राज्य वित्त आयोग द्वारा प्रदान कर दी गई है और

इसी तरह चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम चार माह का स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु पर्याप्त अनुदान राशि राज्य विद्युत आयोग द्वारा उपलब्ध करा दी गई है परन्तु जनपद हरदोई की नगर पंचायत माधोगंज के कर्मचारियों के बकाया वेतन अनुदान राशि नहीं दी गयी है तथा चालू वित्तीय वर्ष में भी मात्र तीन माह का ही वेतन प्रदान किया गया है ? क्या उक्त मामले में जांच कराकर नगर पंचायत माधोगंज के कर्मचारियों के बकाया वेतन का भुगतान कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां । राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार संक्रमित की जा रही धनराशि वेतन बकाया वेतन अथवा किसी अन्य मद में दिये जा रहे अनुदान की धनराशि नहीं, बल्कि राज्य सरकार के कर राजस्व की शुद्ध आय में नगरीय स्थानीय निकायों के 7% शेयर की धनराशि है, जिससे वेतन के साथ-साथ अन्य विकास कार्य जिन्हें स्थानीय निकाय आवश्यक समझे करा सकते हैं ।

नगर पंचायत माधोगंज को राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार वर्ष 98-99 में निम्नानुसार धनराशि दी गयी है :–

(लाख रुपये में)

	98-99
प्रथम किस्त	2.66
द्वितीय किस्त	2.66
तृतीय किस्त	1.52
अतिरिक्त आवंटन (वर्ष 97-98 हेतु)	1.94
योग :	8.78

जी नहीं ।

कर्मचारियों के बकाया वेतन के भुगतान का उत्तरदायित्व स्थानीय निकाय का है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियां लागू हो जाने के फलस्वरूप अब निकायों को आयोजनेत्तर मद में कोई भी अनुदान अनुमन्य नहीं है । केवल राज्य सरकार के कर राजस्व की शुद्ध आय के 7% भाग की धनराशि में से प्रत्येक निकाय हेतु उसकी 80% जनसंख्या तथा 20% क्षेत्रफल के आधार पर आयोग द्वारा निर्धारित अनुपातिक प्रतिशत के अनुसार निर्धारित शेयर अनुमन्य है जो उन्हें वित्त विभाग द्वारा सीधे संक्रमित किया जा रहा है ।

जनपद हरदोई के भक्त प्रह्लाद घाट के जीर्णोद्धार हेतु नगर पालिका परिषद् को धन उपलब्ध कराने की मांग

2–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद हरदोई के मुख्यालय स्थित नगर पालिका परिषद हरदोई में भक्त प्रहलाद घाट जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐतिहासिक पौराणिक भक्त प्रहलाद घाट के जीर्णोद्धार हेतु नगर पालिका परिषद हरदोई को धन उपलब्ध करा कर भक्त प्रहलाद घाट का विकास कराने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

जी नहीं ।

भक्त प्रह्लाद घाट का प्रबन्ध श्रवण देवी मन्दिर की प्रबन्ध समिति द्वारा किया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

3–श्री राम औतार शाक्य–

[दिनांक 24–2–99 को अता०प्र०सं० 187 द्वारा उत्तरित]

4–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

[4थे शुक्रवार के लिये स्थगित]

5–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

[4थे शुक्रवार के लिये स्थगित]

राज्य विद्युत परिषद् के विद्युत वितरण खण्ड कन्नौज के राजस्व अभिलेखों की जांच हेतु विशेष सम्प्रेक्षा प्रतिवेदन की रिपोर्ट का विवरण

6–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद के अन्तर्गत विद्युत वितरण खण्ड कन्नौज का माह 4/83 से /95 तक अवधि के राजस्व अभिलेखों के जांच के लिए कोई विशेष सम्प्रेक्षा के आदेश दिये गये थे ? यदि हां, तो उसकी जांच रिपोर्ट पर की गई कार्यवाही का विवरण क्या है ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

विशेष सम्प्रेक्षा प्रतिवेदन की समीक्षा की जा रही है ।

जनपद हरदोई मल्लावां में शुद्ध जल हेतु 5000 लीटर की दूसरी टंकी स्थापित करने की मांग

7–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र जनपद हरदोई के अन्तर्गत नगरपालिका परिसर मल्लावां की आबादी लगभग मौजूदा समय में साठ हजार है ? क्या यह सही है कि उक्त साठ हजार की आबादी वाले नगर में मात्र 2500 लीटर एक छोटी पानी की टंकी काफी दिनों पूर्व बनी थी वह अब जरजर अवस्था में हो गई है ? यदि हां, तो क्या शासन नागरिकों को शुद्ध जल प्रदान करने के लिए 5000 लीटर की दूसरी टंकी स्थापित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं । नगर पालिका, मल्लावां की वर्तमान जनसंख्या लगभग 35,000 है ।

जी नहीं । पूर्व में स्थापित 250 किलोमीटर के अवर जलाशय एवं 113 इण्डिया मार्क–II हैण्डपम्पों से जलापूर्ति सुनिश्चित की जा रही है ।

टंकी का निर्माण कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

टाण्डा तापीय शक्ति परियोजना, जनपद अम्बेडकर नगर के परिसर में निजी प्रबन्ध तंत्र द्वारा संचालित विद्यालयों को निःशुल्क भवन बिजली सुविधायें प्रदान करने का औचित्य

8—श्री लाल जी वर्मा–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टाण्डा तापीय शक्ति परियोजना विद्युत नगर टाण्डा, जनपद अम्बेडकर नगर की कालोनी परिसर में निजी प्रबन्ध तन्त्र द्वारा कितने विद्यालय संचालित किये जा रहे हैं ? क्या उक्त विद्यालयों को भवन बिजली आदि सुविधायें उक्त परियोजना द्वारा निःशुल्क प्रदान की गयी है ? यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां । टाण्डा तापीय शक्ति परियोजना जनपद अम्बेडकर नगर की कालोनी परिसर में निम्नलिखित विद्यालय निजी प्रबन्ध तंत्र द्वारा संचालित किये जा रहे हैं :–

(1) डी० ए० वी० पब्लिक स्कूल ।

(2) विवेकानन्द शिशु कुन्ज ।

(3) आर्य कन्या जूनियर हाईस्कूल ।

तीनों विद्यालयों को निःशुल्क भवन सुविधा उपलब्ध करायी गयी है । बिजली की सुविधा निःशुल्क नहीं है ।

परिषदीय कर्मचारियों के पाल्यों (वाइर्स) को बेहतर शिक्षण सुविधा सुलभ कराने हेतु विद्यालयों को उक्त सुविधायें दी जा रही हैं ।

लखनऊ के विकास, सुन्दरीकरण एवं जन सुविधाओं के अनुरक्षण हेतु विधायकों के क्षेत्रानुसार व्यय विवरण सदन के पटल पर रखने की मांग

9–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या नगर विकास मंत्री लखनऊ के विकास एवं सुन्दरीकरण एवं जन सुविधाओं के अनुरक्षण निर्माण कार्य हेतु लखनऊ नगर निगम द्वारा माननीय विधायकों के क्षेत्रानुसार व्यय विवरण सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या लखनऊ में विकास कार्यों का क्षेत्रानुसार समान रूप में बजट देने की कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

विवरण निम्नवत् है :–

1–पूर्वी क्षेत्र	379.97 लाख
2–पश्चिमी क्षेत्र	564.08 लाख
3–मध्य क्षेत्र	417.51 लाख
4–महोना	188.83 लाख
5–कैन्ट	340.98 लाख

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

माननीय नगर निगम, लखनऊ के सदन का अधिकार क्षेत्र का विषय है ।

जनपद प्रतापगढ़ में वर्ष 1998-99 में विधान सभा क्षेत्रों हेतु पूर्वांचल विकास निधि से स्वीकृत धनराशि का विवरण

10–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या नियोजन मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1998-99 में जनपद प्रतापगढ़ की प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र को कितनी-कितनी धनराशि के निर्माण कार्य पूर्वांचल विकास निधि के राज्यांश से स्वीकृत किये गये? उसका विवरण क्या है ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

वर्ष 1998-99 में जनपद प्रतापगढ़ की निम्नलिखित विधान सभा क्षेत्रों के समक्ष अंकित धनराशि पूर्वांचल विकास निधि के राज्यांश से स्वीकृत की गई है :––

	(लाख रु० में)
1—कुण्डा	44.00
2—वीरापुर	107.89
3—पट्टी	57.72
4—सदर	38.56
5—रामपुर खास	23.68
	271.85

उपर्युक्त अंकित धनराशि मार्गों/सड़कों/पुलों के निर्माण हेतु स्वीकृत की गई है ।

जनपद लखनऊ, ब्लाक काकोरी स्थित फतेहगंज विद्युत उपकेन्द्र पर नियमित विद्युत आपूर्ति हेतु दो अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की मांग

11–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जनपद के काकोरी ब्लाक के अन्तर्गत फतेहगंज विद्युत उपकेन्द्र से आपूर्ति होने वाली पारा कालोनी में मात्र 250 के०वी०ए० के एक ट्रान्सफार्मर द्वारा विद्युत की आपूर्ति की जा रही है ? यदि हां, तो उक्त ट्रान्सफार्मर पर लगभग 600 कनेक्शनों का लोड होने के कारण लो वोल्टेज एवं अनियमित विद्युत आपूर्ति को देखते हुये क्या सरकार दो अतिरिक्त ट्रान्सफार्मर लगाये जाने के आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

एक अतिरिक्त 250 के० वी० ए० का ट्रांसफार्मर लगाया जाना प्रस्तावित है जिससे उपभोक्ताओं की समस्या हल हो जाएगी ।

जून, 99 तक लगाया जाना प्रस्तावित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ, गोमती नगर के विभव खण्ड में वर्ष 1988–89 में आवंटियों को प्राप्त कब्जों की जानकारी

12–श्री रमेश राही–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोमती नगर, लखनऊ के विभव खण्ड में वर्ष 1988-89 में आवंटित भूखण्डों में कितने व्यक्तियों को अब तक कब्जा दिया गया है ? उसका ब्यौरा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

कोई भी कब्जा नहीं दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

समय-समय पर किसानों द्वारा विवाद एवं अवरोध उत्पन्न किये जाने के कारण विकास कार्य कई वर्ष तक प्रारम्भ नहीं कराये जा सके थे । वर्तमान में विकास कार्य प्रारम्भ करा दिये गये हैं और विकास कार्य पूर्ण होने के पश्चात् आवंटियों को भूखण्ड/ भवन का कब्जा दिया जावेगा ।

जनपद उन्नाव, सफीपुर के नगर पंचायत चेयरमैन व अधिशासी अधिकारी की लापरवाही से ऊगू वासियों को जलापूर्ति न होने के संबंध में कार्यवाही की मांग

13–श्री बाबूलाल कुरील–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता के वि० सभा क्षेत्र-सफीपुर के अन्तर्गत नगर पंचायत ऊगू वासियों को चेयरमैन व अधिशासी अधिकारी की लापरवाही के कारण करीब एक महीने से जलापूर्ति नहीं हो रही है ? यदि हां, तो क्या दोषी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

नगर पंचायत ऊगू के निवासियों को नियमित रूप से जलापूर्ति की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राज्य नियोजन संस्थान, लखनऊ के मूल्यांकन प्रभाग में क्षेत्र अनुसंधाता के पदों की संख्या तथा प्रतिनियुक्ति सम्बन्धी मानक व मूल विभाग में वापस बुलाने की जानकारी

14–श्री विजय सिंह–

क्या नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य नियोजन संस्थान, लखनऊ के मूल्यांकन प्रभाग में क्षेत्र अनुसंधाता के कुल कितने पद है ? वर्तमान समय में कितने क्षेत्र अनुसंधाता प्रतिनियुक्ति पर दूसरे विभागों में चले गये और कितने यहां कार्यरत हैं ? प्रतिनियुक्ति पर भेजने का मानक क्या है तथा उनकी सीट का कार्य निस्तारित कैसे और किसके द्वारा किया जा रहा है ? क्या मूल्यांकन प्रभाग में क्षेत्र अनुसंधाता के पद पर अधिक नियुक्तियां की गयी है ? क्या मंत्री जी अधिकाधिक संख्या में प्रतिनियुक्ति पर चले गये क्षेत्र अनुसंधाताओं को अपने मूल विभाग में वापस करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

40 पद स्वीकृत हैं ।

4 क्षेत्र अनुसंधाता प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण पर हैं तथा 28 प्रभाग में कार्यरत हैं ।

प्रतिनियुक्ति पर भेजने का मानक उपयुक्तता, उपयोगिता एवं आवश्यकता है । प्रतिनियुक्ति पर गये क्षेत्र अनुसंधाताओं का कार्य उपलब्ध स्टाफ से कराया जा रहा है ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण अधिकारी/कर्मचारी को अन्य विभागों के कार्य कलाप समझने में सहायक होता है और इससे दृष्टिकोण व्यापक होता है।

जनपद बलिया में 33 के० वी० सोहोव विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

15–श्री अम्बिका चौधरी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र जो शासन द्वारा दिये गये आदेश पत्रांक एम–5/3–50/बलिया/96 दिनांक 16-1-97 जो सोहोव विद्युत उपकेन्द्र 33 के०वी० का निर्माण कराये जाने विषयक है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? उक्त विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कब तक कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

उक्त पत्र उपलब्ध नहीं हो पा रहा है।

उपकेन्द्र का निर्माण वर्ष 1998-99 की कार्य योजना में सम्मिलित है और निर्माण प्रारम्भ भी कर दिया गया है। उपकेन्द्र का निर्माण कार्य राज्य विद्युत परिषद् की वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार पूर्ण कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़, पट्टी में पूर्वांचल विकास निधि के राज्यांश से निर्माण कार्यों की स्वीकृति का विवरण एवं मानक की जानकारी

16–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या नियोजन मंत्री कृपया बतायेंगे कि पूर्वांचल विकास निधि के राज्यांश से जनपद प्रतापगढ़ की पट्टी विधान सभा क्षेत्र के लिये निर्माण कार्य को स्वीकृत करने हेतु शासन के नियोजन अनुभाग–5 को आयुक्त इलाहाबाद मण्डल एवं जिलाधिकारी प्रतापगढ़ के संस्तुति पत्र वर्ष 1997-98 एवं 1998-99 में प्राप्त हुये हैं ? यदि हां तो कितने कार्य ऐसे हैं जिनकी संस्तुति की गयी किन्तु अभी तक स्वीकृत नहीं हुई ? क्या यह सही है कि पट्टी विधान सभा क्षेत्र के संस्तुत कार्यों को स्वीकृति शेष रहने पर भी जनपद के अन्य विधान सभा क्षेत्रों के बाद के संस्तुत कार्यों को स्वीकृति प्रदान की गयी है ? यदि हां, तो उसका आधार एवं मानक क्या थे ? क्या शेष की स्वीकृति जारी की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

जी हां।

पट्टी विधान सभा क्षेत्र के लिये कुल 35 कार्यों के प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनके सापेक्ष पूर्वांचल विकास निधि नियमावली की विहित प्रक्रिया के अन्तर्गत अनुमन्य नहीं पाये गये 23 कार्यों की स्वीकृति नहीं प्रदान की गयी है।

जी हां।

जनपद की अन्य विधान सभा क्षेत्रों की पारस्परिक असमानता व धन की उपलब्धता तथा आगणनों को निधि नियमावली की विहित प्रक्रिया के अन्तर्गत अनुमन्यता ही स्वीकृति के आधार एवं मानक है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़, तहसील पट्टी, ग्राम हरीपुर बरदैता में 33/11 के० वी० विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव

17—श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी के ग्राम हरीपुर बरदैता में 33/11 के० वी० विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसकी स्वीकृति कब तक प्रदान कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां, राज्य विद्युत परिषद् के विचाराधीन है ।

तकनीकी दृष्टिकोण से जांच कराकर क्षेत्रीय तकनीकी समिति द्वारा अनुमोदित किये जाने पर परिषद् की वित्तीय संसाधन की उपलब्धता तथा कार्य की वरीयता के अनुसार इस पर विचार किया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

18–श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

[दिनांक 12-2-99 को अता०प्र०सं० 153 द्वारा उत्तरित]

19–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

[4थे शुक्रवार के लिये स्थगित]

राज्य विद्युत परिषद् के विद्युत वितरण खण्ड कन्नौज के ग्राम मकदूमपुर में राजकीय नलकूप नं० 2 से विद्युत चोरी के मामले में दोषियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जानकारी

20–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत विद्युत वितरण खण्ड कन्नौज के अधीन ग्राम मकदूमपुर में वर्ष 1991-92 में राजकीय नलकूप सं०–2 से लाईन खींचकर कुछ ग्रामवासियों को नये कनेक्शन देने हेतु उनसे समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करा ली गई थी ? यदि हां, तो क्या इस मामले को विद्युत चोरी का मामला मानकर अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी नहीं । विद्युत वितरण खण्ड, कन्नौज के ग्राम मकदूमपुर के कुल 12 ग्रामवासियों ने राजकीय नलकूप सं०–2 से लाईन खींचकर कनेक्शन लेने हेतु प्रत्येक से रु० 300/- जमा किया था जिसका एस्टीमेट अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, कन्नौज द्वारा इस कारण से अस्वीकृत कर दिया गया कि नलकूप की लाईन से बत्ती/पंखा का संयोजन देना नियमानुसार नहीं था । अतः संबंधित ग्रामवासियों ने केवल रुपया जमा किया था, अन्य आवश्यक औपचारिकतायें यथा एस्टीमेट एवं संयोजन की स्वीकृति आदि पूर्ण नहीं की गई थी ।

इस प्रकरण की परिषदीय सतर्कता शाखा से जांच कराई गई और जांच के फलस्वरूप कुल 12 परिषदीय अधिकारियों/कर्मचारियों को उपरोक्त 12 ग्रामवासियों द्वारा किये गये अवैध विद्युत उपभोग के विरुद्ध कोई वैधानिक कार्यवाही नहीं करने, विद्युत चोरी का अभियोग दर्ज नहीं कराने तथा उनके कनेक्शन विच्छेदित नहीं करने, का दोषी पाया गया, जिसके लिये 11 अधिकारियों/कर्मचारियों को निन्दा प्रविष्टि तथा वर्ष 1990-91 की सत्यनिष्ठा रोकने का दण्ड तथा एक अधिकारी को कठोर चेतावनी का दण्ड प्रदान किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विद्युत नगरीय वितरण खण्ड प्रथम गोरखपुर एवं प्रवर्तन दल गोरखपुर द्वारा उपभोक्ताओं के शोषण के संबंध में मुख्य अभियन्ता (गोरखपुर क्षेत्र) (वाणिज्यिक) को प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही तथा प्रवर्तन दल की प्रगति रिपोर्ट की जानकारी

21–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत विद्युत नगरीय वितरण खण्ड प्रथम, गोरखपुर एवं प्रवर्तन दल गोरखपुर की मिली भगत से उपभोक्ताओं का शोषण बड़े पैमाने पर किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या इस संबंध में श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया, विधायक का पत्र दिनांक 5-10-98 एवं 26-11-98 जो कि क्रमशः मुख्य अभियन्ता (गोरखपुर क्षेत्र) एवं मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य) को संबोधित था, उन्हें प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि प्रवर्तन दल का पिछले तीन वर्षों की प्रगति रिपोर्ट क्या है ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी नहीं ।

श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया, विधायक का पत्र दिनांक 05-10-98 जो मुख्य अभियन्ता (गोरखपुर) को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ नहीं प्रतीत होता है किन्तु पत्र दिनांक 26-11-98 जो मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य) को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है । चूंकि अधि० अभि० तथा प्रवर्तन दल के विरुद्ध की गयी शिकायत अप्रमाणित पायी गयी, अतः उनके विरुद्ध कार्यवाही का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

प्रवर्तन दल की पिछले 3 वर्षों की प्रगति निम्न है ।

वर्ष	प्रवर्तन दल द्वारा डाले गये छापों की संख्या
1995-96	61497
1996-97	57354
1997-98	69096

22–श्री हरदेव सिंह–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद उन्नाव, नगर पंचायत मौरावां के चन्दनगंज बाजार की सफाई एवं सड़क मरम्मत करवाने की मांग

23–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव नगर पंचायत मौरावां की चन्दनगंज बाजार की सफाई सड़क मरम्मत व पानी की व्यवस्था कराये जाने विषयक श्री राजीव कृष्ण निवासी मौरावां, उन्नाव का पत्र दिनांक 19-5-98 को जिला अधिकारी, उन्नाव को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

श्री राजीव कृष्ण निवासी मौरावां, उन्नाव के पत्र दि० 19-5-98 के संबंध में जिलाधिकारी, उन्नाव ने सम्बन्धित अधिकारियों को दिनांक 21-5-98 को तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देश के अनुपालन में नगर पंचायत मौरावां में चन्दनगंज बाजार में प्रतिदिन नियमित रूप से तीन सफाई कर्मचारी दोनों पालियों में सफाई करते हैं । पेय जल व्यवस्था के लिये मुख्य बाजार में दो नये इण्डिया मार्का–2 हैण्ड पम्प लगवा दिये गये हैं, तथा एक खराब हैण्ड पम्प सुधरवा दिया गया है, तथा उपलब्ध बजट से निर्माण कार्य करा दिया गया है, वर्तमान में सड़क निर्माण का कार्य प्रगति पर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

24–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

[दिनांक 26–2–99 को ता०प्र०सं० 12 द्वारा उत्तरित]

प्रदेश में इण्डिया मार्का नल 10-10 लगाये जाने के अन्तर्गत सीतापुर के हरगांव में अधिशासी अभियन्ता द्वारा पालन न किये जाने के विरुद्ध कार्यवाही

25–श्री रमेश राही–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के समस्त विधायकों को पिछले वित्तीय वर्ष में अपने-अपने विधान सभा क्षेत्र में 10-10 इण्डिया मार्का नल लगाये जाने के आदेश दिये थे परन्तु इसके विपरीत जनपद सीतापुर के अधिशासी अभियन्ता जल निगम ने अभी तक हरगांव विधान सभा क्षेत्र में कोई भी नल नहीं लगवाया है ? क्या सरकार उक्त अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं । प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 25–25 इण्डिया मार्का–II हैण्डपम्प लगाये जाने के आदेश दिये गये थे ।

उक्त विधान सभा क्षेत्र में सभी प्रस्तावित 25 हैण्डपम्प अधिष्ठापित किये जा चुके हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मथुरा की संजय कालोनी, कृष्णा नगर को ध्वस्त करने से रोकने हेतु विधायक कोष्ठक के पत्र पर कार्यवाही की मांग

26–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संजय कालोनी कृष्णानगर जनपद मथुरा को ध्वस्त करने से रोके जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक–सी०एम०वि०को०/एम–5/12873/ मथुरा/98, दिनांक 4-7-98 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री लालजी टण्डन–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

वक्फ नं० 11 लखीमपुर खीरी की नियुक्ति मुतवल्ली विषयक विधायक कोष्ठक के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

27–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वक्फ नं० 11 लखीमपुर खीरी की नियुक्ति मुतवल्ली विषयक विधायक कोष्ठक का पत्र सं० सी० एम०/वि० को०/ एम–3/1157/ मथुरा/98, दिनांक 3-6-98 सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

अल्पसंख्यक कल्याण एवं मुस्लिम वक्फ एवं हज राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री राजा गजनफर अली)–

जी हां ।

उत्तर प्रदेश सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड से प्राप्त आख्यानुसार प्रश्नगत पत्र में उल्लिखित शिकायतों की जांच के आधार पर यथोचित कार्यवाही उक्त बोर्ड के नियंत्रक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खण्ड पीठ, लखनऊ में दायर रिट याचिका संख्या–2549 (एम/वी)/96 में दिनांक 23 अगस्त, 1996 को पारित स्थगन आदेश के कारण सम्भव नहीं है ।

जनपद गाजीपुर, जहूराबाद में पूर्वांचल सहकारी कताई मिल्स लि० बहादुरगंज के निष्कासित श्रमिकों को नियमित रखने की मांग

28—श्री गणेश राजभर–

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जहूराबाद में पूर्वांचल सहकारी कताई मिल्स लि० बहादुर गंज में अव्यवस्था के क्रम में क्या सुधार हुआ है ? क्या श्रमिकों के भुगतान के संबंध में कार्यवाही हो रही है ? क्या कुछ श्रमिक मिल से बाहर निकाल दिये गये हैं ? क्या इनको नियमित रखने के संबंध में विचार हो रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रम मंत्री (श्रीमती प्रभा द्विवेदी)-

मिल में दीर्घकालीन तालाबन्दी के बाद उत्पादन प्रक्रिया दि० 7-11-97 से प्रारम्भ हुई और दि० 20-8-98 तक मिल सुचारु रूप से चल रही थी । परन्तु दि० 20-8-98 से 31-8-98 तक प्रतिष्ठान में तालाबन्दी घोषित कर दी गयी और दि० 01-9-98 से 20-9-98 तक श्रमिक हड़ताल पर थे । पुनः दिनांक 21-9-98 से इस मिल में उत्पादन प्रारम्भ हुआ और प्रतिष्ठान में उत्पादन, उत्पादकता एवं विपणन सभी भागों में उत्तरोत्तर सुधार हुआ है ।

श्रमिकों की अप्रैल, 1997 के बाद अब तक कोई भी मजदूरी का भुगतान करना अवशेष नहीं है । परन्तु माह सितम्बर, 1995 का वेतन रु० 8 लाख, माह नवम्बर, 96 का वेतन रु० 21.04 लाख, माह दिसम्बर, 96 का वेतन रु० 3.09 लाख का भुगतान करना अभी अवशेष है । उक्त भुगतान मिल में कार्यशील पूंजी/वित्तीय संसाधनों के अभाव में नहीं किया जा सका है ।

मिल की सेवाओं से किसी भी श्रमिक को दि० 7-11-97 के बाद निष्कासित नहीं किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

29–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

[दिनांक 18-2-99 को अता० प्र० सं० 138 द्वारा उत्तरित]

जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी, आसपुरा ब्लाकों के अविद्युतीकृत गांव तथा विद्युतीकरण की जानकारी

30–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक पट्टी मगरौरा, आसपुरा देवसरा में अविद्युतीकृत ग्राम कौन-कौन से हैं ? इन ग्रामों के विद्युतीकरण की स्वीकृति कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जनपद प्रतापगढ़, ब्लाक पट्टी, मगरौरा एवं आसपुर देवसरा में कुल 250 ग्राम एल० टी० मेन्स द्वारा अविद्युतीकृत हैं । अविद्युतीकृत ग्रामों की सूची मेरे कार्यालय कक्ष में अवलोकनार्थ उपलब्ध है, जो कार्यालय समय में देखी जा सकती है । प्रश्नगत ब्लाकों में वर्ष 98-99 में 31 ग्रामों के विद्युतीकरण का लक्ष्य है । शेष ग्रामों का विद्युतीकरण आगामी वर्षों में लक्ष्यों के अनुरूप तथा धन की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा । अतः समय सीमा निर्धारित करना सम्भव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम बेहसा एअर पोर्ट, लखनऊ में सार्वजनिक रास्ते की भूमि पर अवैध कब्जे को हटाने की मांग

31–श्री उदय राज यादव–

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1997 के चौथे मंगलवार के लिए निर्धारित अता० प्र० सं०–185 के उत्तर के संदर्भ में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जांचोपरान्त पाये गये अवैध कब्जे को अभी तक न हटाये जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार उक्त अवैध कब्जे को अविलम्ब हटाने के आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

अवैध कब्जों को जांचोपरान्त निर्धारित तिथियों में पुलिस बल की अनुपलब्धता एवं अन्य अपरिहार्य कारणों वश अभी तक नहीं हटाया जा सका।

जी हां।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य विद्युत परिषद् के अध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा चल/अचल सम्पत्ति का ब्यौरा प्रस्तुत किये जाने की जानकारी

32—श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या राज्य विद्युत परिषद् के अध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा अपनी चल एवं अचल सम्पत्ति का विवरण सेवा में आने से पूर्व प्रस्तुत किया गया था ? क्या उनके द्वारा उक्त विवरण अपने वर्तमान तैनाती के समय भी प्रस्तुत किया गया है ? यदि हां, तो उक्त विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी नहीं।

राज्य विद्युत परिषद् के पूर्णकालिक सदस्यों एवं अध्यक्ष द्वारा चल/अचल सम्पत्ति विवरण दिये जाने की अद्यतन स्थिति निम्नवत है :—

1—अध्यक्ष/सदस्य (वितरण)/सदस्य (पारेषण) एवं सदस्य (उत्पादन) से अद्यतन वितरण प्राप्त हो गया है।

2—सदस्य (वित्त एवं लेखा) भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा सेवायें संवर्ग के अधिकारी हैं। उन्होंने सूचित किया है कि उनके द्वारा वांछित सूचना निर्धारित समय सारिणी के अनुसार अपने पैतृक विभाग को प्रस्तुत की जाती रही है। अतः उनके संबंधित विवरण उपलब्ध नहीं है। अध्यक्ष/सदस्य (वितरण)/सदस्य (पारेषण) एवं सदस्य (उत्पादन) द्वारा प्रस्तुत चल/अचल सम्पत्ति के विवरण की प्रतियां मेरे कार्यालय कक्ष में उपलब्ध हैं। मा० सदस्य द्वारा उन्हें कार्यालय समय में देखा जा सकता है।

प्रश्न नहीं उठता।

मा० मुख्य मंत्री के आदेशानुसार गाजीपुर अंधऊपारा से उपकेन्द्र कासिमाबाद तक तार जोड़ने में विलम्ब हेतु दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही

33—श्री गणेश राजभर–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि माननीय मुख्य मंत्री के माध्यम से गाजीपुर अंधऊपारा से उपकेन्द्र कासिमाबाद तक तार जोड़ने के आदेश हुए हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त कार्य करा दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी कार्य में विलम्ब के लिये दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने के आदेश देंगे ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

माननीय विधायक श्री गणेश राजभर के पत्र दिनांक 18-9-98 के सन्दर्भ में माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश प्राप्त हुए हैं।

गाजीपुर अंधऊपारा से विद्युत उपकेन्द्र कासिमाबाद तक चोरी गये 33 के० वी० लाइन के तार के स्थान पर नये तार लगाने के आदेश कर दिये गये हैं। कार्य कराने की प्रक्रिया आरम्भ हो चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्त कार्य कराने की प्रक्रिया आरम्भ हो चुकी है। परिषद् की विषम वित्तीय स्थिति के बावजूद इस कार्य को शीघ्रातिशीघ्र कराने के प्रयास किये जा रहे हैं। अतएव इस संबंध में किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा, मनकापुर के कतिपय ग्रामों का विद्युतीकरण किये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के प्रस्ताव की जानकारी

34—श्री राम विशुन आजाद–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्रांक सं०–ग–2, 342004, दिनांक 25-7-98 द्वारा विधान सभा क्षेत्र मनकापुर के ग्रामों के विद्युतीकरण हेतु कोई प्रस्ताव जिलाधिकारी, गोण्डा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव पर ग्रामों को कब तक ऊर्जीकृत कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां, माननीय विधायक द्वारा संस्तुत निम्न पांच ग्रामों की सूची जिलाधिकारी, गोण्डा के माध्यम से प्राप्त हुई है :—

1—विशुनपुर

2—हरना टायर बाजार

3—दीन नगर

4—भोपालपुर बाजार

5—मटरिया सर्वजीत बाबा का पुरवा

उपरोक्त पांच ग्रामों का विद्युतीकरण प्राथमिकता के आधार पर वर्ष 1998-99 में करने का लक्ष्य है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा, मनकापुर के ग्राम गाड़रही का विद्युतीकरण की मांग

35—श्री राम बिशुन आजाद–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा के विकास खण्ड मनकापुर के अन्तर्गत ग्राम गड़रही का ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण किया जाना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो उक्त ग्राम का विद्युतीकरण कब तक करवा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत ग्राम जिला सिंचाई एवं ऊर्जा सलाहकार समिति द्वारा चयनित नहीं है और माननीय विधायक द्वारा संस्तुत पांच ग्रामों की सूची में भी नहीं है।

जनपद गोण्डा में वर्ष 1997-98 में जिला योजनान्तर्गत आवंटित धनराशि तथा मानक का आधार

36—श्री राम विशुन आजाद–

क्या नियोजन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला योजना के अन्तर्गत जनपद गोण्डा में कितनी-कितनी धनराशि वर्ष 1997-98, 1998-99 में आवंटित की गयी है ? क्या उक्त धनराशि आवंटित करने का कोई मानक बनाया गया है ? क्या यह ही है कि उक्त आवंटित धनराशि कतिपय विधान सभा क्षेत्र हेतु ही आवंटित की गयी है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

विकेन्द्रित नियोजन प्रणाली के अन्तर्गत गोण्डा जनपद की जिला योजना हेतु वर्ष 1997-98 में रु० 24416.14 लाख तथा वर्ष 1998-99 में रु० 2650.00 लाख का परिव्यय आवंटित किया गया।

जी हां। जनसंख्या तथा पिछड़ेपन के वस्तुपरक मानक के आधार पर जिला योजना हेतु जनपदों को परिव्यय का आवंटन किया जाता है।

जी नहीं। जिला योजनाओं में क्षेत्रवार अथवा विधान सभा क्षेत्रवार परिव्यय आवंटित किये जाने का प्राविधान नहीं है।

जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाकों में वर्ष 1998-99 में जिला योजना/आर० ई० सी० योजनान्तर्गत ग्रामों का विद्युतीकरण की स्वीकृति का आधार

37—श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक शिवगढ़ एवं गौरा में वित्तीय वर्ष 1998-99 में जिला योजना/आर०ई०सी० तथा अन्य योजनाओं में कितने ग्रामों का विद्यतीकरण स्वीकृत किया गया है ? उक्त का आधार क्या है ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जनपद प्रतापगढ़ के शिवगढ़ ब्लाक में 8 ग्रामों का तथा गौरा ब्लाक में 4 ग्रामों का विद्युतीकरण विभिन्न योजनाओं में स्वीकृत किया गया है।

उपरोक्त ग्रामों में से 9 ग्रामों का विद्युतीकरण ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की योजनान्तर्गत तथा 3 ग्रामों का विद्युतीकरण क्षेत्र के मा० विधायक द्वारा संस्तुत पांच ग्रामों के अन्तर्गत किया जाना है।

जनपद प्रतापगढ़, पट्टी के सभी थानों/तहसीलों कार्यालयों तथा चिकित्सालयों में हैण्डपम्प लगाने की नीति की जानकारी

38—श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के सभी थानों तहसीलों सभी ब्लाक स्तरीय राजकीय कार्यालयों, सभी प्रकार के चिकित्सालयों में पेयजल हेतु हैण्डपम्प लगाये जाने हेतु समयबद्ध कार्य योजना स्वीकृत करेंगे ? यदि हां, तो उसकी नीति क्या होगी ?

श्री लालजी टण्डन–

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के सभी थानों, तहसील, सभी ब्लाक स्तरीय राजकीय कार्यालयों, सभी प्रकार के चिकित्सालयों में पेयजल हेतु इण्डिया मार्का–IIहैण्डपम्प अधिष्ठापित करने की वर्तमान में कोई योजना नहीं है।

प्रश्न में वर्णित स्थलों पर हैण्डपम्प अधिष्ठापित करने संबंधी कार्य योजना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

जनपद मथुरा के 'श्री कृष्ण जन्म स्थान व्यवसायी समिति' को सुरक्षा के नाम पर बेदखल न किये जाने विषयक विधायक कोष्ठक के पत्र

39—श्री अजय कुमार पोइया–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री श्रीकृष्ण जन्म स्थान व्यवसायी समिति, मथुरा का पत्र जो सुरक्षा के नाम पर बेदखल न किये जाने के संबंध में विधायक कोष्ठक का पत्रांक सी०एम०/वि०को०/एम–3/12599/मथुरा/98, दिनांक 30-6-98 जिलाधिकारी, मथुरा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री लालजी टण्डन–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद हरदोई, मल्लावां, ग्राम बावटमऊ में विद्युत तारों की चोरी तथा तार बदलकर विद्युत लाभ प्रदान किये जाने की जानकारी

40—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई में 91—मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के ग्राम बावटमऊ में हुए विद्युत तारों की चोरी की रिपोर्ट संबंधित थाना क्षेत्र में लिखायी गयी है ? क्या मण्डलायुक्त, लखनऊ मण्डल के दिनांक 2 मई, 1997 के आदेशों के बावजूद अभी तक उक्त ग्राम में नये तार लगवाकर विद्युत लाभ प्राप्त नहीं कराया गया है ? कब तक नये तार लगवाकर जनता को विद्युत लाभ प्राप्त करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

जी हां ।

कोई भी विद्युत उपभोक्ता न होने के कारण तार बदलकर विद्युत लाभ प्राप्त कराने का प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्तानुसार ।

41—श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश में वरिष्ठ नियोजक तथा चीफ को आर्डिनेटर प्लानर के पदों पर नियुक्ति

42—श्री मानिक चन्द्र यादव–

क्या सरकार को ज्ञात है कि नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उ० प्र० के मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक का पद जून, 1996 से रिक्त है ? क्या इस पद को भरे जाने हेतु चयन के लिये केवल एक ही व्यक्ति के नाम पर विचार किया जा रहा है ? क्या यह सही है कि मुख्य कोआर्डिनेटर प्लानर तथा चार वरिष्ठ नियोजक के पद रिक्त हैं ? क्या एक ही व्यक्ति को विशेष लाभ दिये जाने हेतु अन्य पदों को नहीं भरा जा रहा है ? क्या ऐसी अनियमितता को रोकने के लिये मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के चयन से पहले वरिष्ठ नियोजक तथा चीफ कोआर्डिनेटर प्लानर के पदों को भरा जायेगा ? यदि हां, तो इन पदों पर कब तक नियुक्तियां कर दी जायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

यह पद दिनांक 4-1-99 को भरा जा चुका है ।

जी नहीं । पात्रता क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले दो अधिकारियों के नामों पर विचार हुआ था ।

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न उत्पन्न नहीं होता क्योंकि मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक पद पर चयन सम्पन्न हो चुका है ।

उत्तर प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा शासनादेश के विरुद्ध वाहनों के उपयोग पर दण्डात्मक कार्यवाही की मांग

43—श्री मानिक चन्द्र यादव–

क्या सरकार को ज्ञात है कि नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ० प्र० के कार्यवाहक मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक वर्षों से सरकारी वाहन का उपयोग अपने घर से कार्यालय आने जाने तथा व्यक्तिगत कार्यों हेतु कर रहे हैं जिसके लिये किसी प्रकार का भुगतान उनके द्वारा नहीं किया जा रहा है ? क्या सरकार शासनादेशों के विरुद्ध की जा रही इस अनियमितता के लिये जांच कराकर कोई दण्डात्मक कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं । मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा सरकारी वाहन का उपयोग व्यक्तिगत कार्यों में नहीं किया जा रहा है । बल्कि नियमानुसार इसका उपयोग घर से कार्यालय जाने तथा आने हेतु किया जा रहा है एवं शासकीय वाहनों के उपयोग के संबंध में निर्धारित शासकीय नीति के अनुसार मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा धनराशि रु० 250.00 प्रतिमाह का भुगतान किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोण्डा के कतिपय फीडरों के विद्युत भार को देखते हुए झिलाही और साबरपुर में विद्युत उपकेन्द्र खोलने की मांग

44—श्री राम विशुन आजाद–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा में रेहरा, मनकापुर, झिलाही तथा बबदर फीडरों की लाइनें अधिक लम्बी होने से आये दिन विद्युत आपूर्ति में बाधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार विद्युत भार को देखते हुए झिलाही और साबरपुर में विद्युत उपकेन्द्र खोलने की कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

इन पोषकों को विद्युत पोषित करने वाले उपकेन्द्र की क्षमता विद्युत भार को देखते हुए उचित है । मनकापुर 33/11 के० वी० उपकेन्द्र की क्षमतावृद्धि की जा चुकी है तथा गौरा चौकी पर 33/11 के० वी० विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण 1998-99 की कार्य-योजना में सम्मिलित है । इससे विद्युत गुणवत्ता में सुधार होगा ।

जनपद लखनऊ, ब्लाक बक्शी का तालाब, थाना भगौतीपुर में विद्युतीकरण की मांग

45—श्री राम सिंह

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम–भगौतीपुर, ब्लाक–बक्शी का तालाब, जनपद लखनऊ के विद्युतीकरण किये जाने के संबंध में पूर्व में कोई आदेश किये गये थे ? यदि हां, तो अब तक उक्त ग्राम का विद्युतीकरण क्यों नहीं किया गया ? क्या मंत्री जी उक्त ग्राम का विद्युतीकरण किये जाने के संबंध में पुनः आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

ग्राम–भगौतीपुर, ब्लाक–बख्शी का तालाब, जनपद लखनऊ का चयन अक्टूबर, 98 में किया गया था । ग्राम के विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है तथा कार्य को पूर्ण करने का लक्ष्य 3/99 निर्धारित है।

प्रश्न नहीं उठता ।

कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य 3/99 निर्धारित है ।

जनपद एटा के नगर पालिका परिषद् कासगंज के अध्यक्ष के विरुद्ध भ्रष्टाचार, अनियमिततायें, पद के दुरुपयोग सम्बन्धी आरोपों पर जांच व कृत कार्यवाही

46—श्री नेतराम सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एटा जिले के नगर पालिका परिषद् कासगंज के अध्यक्ष के विरुद्ध भ्रष्टाचार, अनियमिततायें, पद के दुरुयोगों के गम्भीर आरोपों से संबंधित प्रश्नकर्ता की संस्तुति से सभासद श्री राजेन्द्र कुमार दोहरे का शिकायती पत्र माह मई, 1998 में प्राप्त हुआ है ? क्या यह सही है कि अपर जिला अधिकारी, एटा के पत्र संख्या–521 दि० 22-6-98 द्वारा जांच संदर्भित थी ? यदि हां, तो आरोप क्या थे तथा जांच के परिणाम क्या रहे ? दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लालजी टण्डन–

सदस्य, नगरपालिका परिषद्, कासगंज, एटा श्री राजेन्द्र कुमार बोहरे का शिकायती पत्र दिनांक 11-11-1997 माह मई, 1998 में प्राप्त हुआ है ।

जी, हां ।

नगरपालिका परिषद् कासगंज की दुकानों के आवंटन में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन न करने, वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमितातायें बरतने के आरोप थे ।

सम्प्रति जांच प्रचलित है ।

जांच पूर्ण होने पर दोष सिद्ध होने की दशा में दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ।

जिला टिहरी गढ़वाल, जूनियर हाई स्कूल बेरनी को उच्चीकृत किये जाने की मांग

47—श्री लाखीराम जोशी–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला टिहरी गढ़वाल में जू० हा० स्कूल बेरनी को राजकीय हाईस्कूल में उच्चीकरण का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त विद्यालय का उच्चीकरण कब तक किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० रमेश पोखरियाल निशंक–

जी हां।

विचाराधीन है।

48–श्री लाखीराम जोशी–

[दि० 24-2-99 को अता० प्र० सं० 179 द्वारा उत्तरित]

राज्य विद्युत परिषद्, बरेली क्षेत्र के लिपिक कर्मियों की समयबद्ध वेतनमान घोषित होने के पश्चात् रिकवरी आदेश पारित करने के आधार की जानकारी

49—श्री गोपाल कृष्ण–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य विद्युत परिषद् द्वारा घोषित समयबद्ध वेतनमान सम्बन्धी नई योजना के लागू करने पर उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद्, बरेली क्षेत्र के अन्तर्गत लिपिकीय कार्मिकों की रिकवरी की जा रही है ? यदि हां, तो क्या ऐसे कर्मचारी पूर्व में परिषद् के आदेशों के अनुरूप एवं क्षेत्रीय लेखाधिकारी, बरेली द्वारा अनुमोदित वेतन आहरित नहीं कर रहे थे ? यदि हां, तो बिना किसी आरोप/दण्ड के कर्मचारियों से रिकवरी के आदेश वेतन निर्धारण एवं वितरण के लगभग 12 वर्ष पश्चात किया जाना क्या नियमानुसार है ? क्या इस हेतु कर्मचारी दोषी हैं ? यदि नहीं, तो किस आधार पर रिकवरी आदेश पारित एवं लागू किये गये हैं ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां, किन्तु यह प्रत्याप्तियां समयबद्ध वेतनमान सम्बन्धी नई योजना के लागू किये जाने के परिणामस्वरूप नहीं वरन् परिषद् आदेश संख्या–489, दिनांक 25-2-89 के प्रस्तर–II में निहित प्राविधानानुसार वेतन निर्धारण न किये जाने के कारण है।

जी हां। संगत परिषदादेश संख्या–489/पी/राविप–तीस–4पी/1986, दिनांक 25-2-89 के प्रस्तर–II के संबंध में स्थिति अस्पष्ट होने के कारण बरेली क्षेत्र में उप-मुख्य लेखाधिकारी कार्यालय द्वारा जिस वेतन निर्धारण की विधीक्षा की गयी थी, वह वास्तव में उक्त संगत परिषदादेश में निहित मूल भावना के विपरीत थी।

जी हां, चूंकि कालान्तर में परिषद् के संज्ञान में यह तथ्य आया कि प्रश्नगत प्रकरण में परिषदाधीन विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा समरूपता में कार्यवाही नहीं की जा रही है, तब परिषद् ने सम्यक् विचारोपरान्त परिषदादेश संख्या–1346/काविनी/राविप–29–4(6) पी/86, दिनांक 16-7-96 तथा संख्या–914-काविनी/राविप–29/98–4(6)पी/86, दिनांक 12-5-98 द्वारा समस्त क्षेत्रीय इकाइयों में व्याप्त भ्रम के निवारणार्थ स्पष्टीकरण निर्गत किया गया।

जी नहीं।

उक्त प्रस्तर (ग) में उल्लिखित तथ्यों/परिस्थितियों में प्रत्याप्ति के आदेश जारी किये गये हैं।

जनपद चम्पावत में चम्पावत–च्यार–किगतौली मोटर मार्ग निर्माण की मांग

50—श्री अजय कुमार पोइया–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चम्पावत में चम्पावत–च्यार किगतौली मोटर मार्ग स्वीकृत है और इसके लिये भूमि भी अध्याप्ति कर ली गयी है ? यदि हां, तो उक्त मोटर मार्ग को अब तक न बनाये जाने के क्या कारण हैं ? कब तक उक्त मार्ग का निर्माण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० रमेश पोखरियाल निशंक–

जी हां।

किन्तु स्वीकृत मार्ग का नाम चम्पावत–गौड़ी–किमतौली हल्का वाहन मार्ग है।

भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही प्रगति में है ।

भूमि विवाद के कारण, अब जिस भूमि का पंजीकरण विभाग के नाम हो चुका है उसमें मार्ग का निर्माण कार्य प्रगति पर है । संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद चम्पावत के जवाहर नवोदय विद्यालय, लटाली के सम्पर्क मार्ग पर पुलिया निर्माण की मांग

51—श्री अजय कुमार पोइया–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जवाहर नवोदय विद्यालय लटाली जनपद चम्पावत के लिये बनाये गये सम्पर्क मार्ग पर नाले के ऊपर पुलिया का निर्माण न होने के कारण उक्त मार्ग आवागमन के लिये चालू नहीं हो पा रहा है ? क्या यह सही है कि उक्त सम्पर्क मार्ग के किनारे चहारदीवारी न बनाये जाने के कारण सड़क से बहते पानी के कारण वहां के किसानों के खेतों का कटान हो रहा है ? यदि हां, तो सड़क के किनारे चहार दीवारी बनाते हुए नाले पर पुलिया का निर्माण कब तक करवा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० रमेश पोखरियाल निशंक–

नाले पर पुलिया का निर्माण किया जा चुका है तथा मार्ग आवागमन हेतु चालू है ।

आवश्यक दीवालों का निर्माण कार्य करा दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद एटा, विद्युत खण्ड कासगंज, नगर पंचायत बिलराम में 133 के० वी० सब-स्टेशन के निर्माण का व्यय विवरण एवं उसे चालू न कराने विषयक जानकारी

52—श्री नेतराम सिंह –

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एटा जिले के विद्युत खण्ड कासगंज की नगर पंचायत बिलराम में 133 के०वी० का सब स्टेशन कब और किस की संस्तुति पर स्वीकृत हुआ ? अब तक इस सब स्टेशन पर कितना धन व्यय हो चुका है ? इसे पूर्ण करने के लिये कितने अतिरिक्त धन की आवश्यकता है ? क्या प्रश्नकर्ता द्वारा जून, 1998 के अन्तिम सप्ताह में उक्त सब स्टेशन को पूरा कराने के लिये मांग की गयी थी ? यदि हां, तो इस सब-स्टेशन को अब तक चालू न करने के क्या-क्या कारण हैं ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

विद्युत व्यवस्था में सुधार हेतु तकनीकी दृष्टि से आवश्यक के अनुसार बिलराम में नये 33 के० वी० उपकेन्द्र का निर्माण स्वीकृत किया गया । 132 के०-वी० विद्युत उप स्थान स्वीकृत नहीं है । अब तक रु० 5.28 लाख का व्यय हो चुका है ।

इस वर्ष में प्रभावी दरों के अनुसार इसको पूरा करने के लिये 77.65 लाख रुपये की और आवश्यकता है ।

जी हां ।

पत्र में बिलराम में 132 के० वी० सब स्टेशन को पूर्ण कराये जाने का उल्लेख है । जबकि बिलराम में 132 के० वी० नहीं वरन् 33 के० वी० सब-स्टेशन पर कार्य अपूर्ण है ।

वित्तीय संसाधन के अभाव में इस उपकेन्द्र का निर्माण अभी तक पूर्ण नहीं हो सका ।

जनपद मैनपुरी में मास्टर प्लान के विरुद्ध एवं बिना ले आउट पास कराये प्राइवेट कालोनाइजरों द्वारा प्लाटिंग पर कार्यवाही की मांग

53—श्री मानिक चन्द्र यादव–

क्या सरकार को ज्ञात है कि मैनपुरी नगर में मास्टर प्लान के विरुद्ध एवं बिना ले आउट पास कराये प्राइवेट कालोनाइजरों द्वारा प्लाटिंग की जा रही है ? यदि हां, तो क्या इनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

बिना ले आउट पास कराये कालोनाइजरों द्वारा की जा रही प्लाटिंग रोकने हेतु उत्तर प्रदेश निर्माण कार्य विनियमन अधिनियम, 1958 की धारा–10 के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी द्वारा स्थगन आदेश एवं कारण बताओ नोटिस जारी किये जा चुके हैं तथा अवैध प्लाटिंग की भूमि की रजिस्ट्रियां भी प्रतिबन्धित कर दी गयी हैं । समाचार-पत्र में भी इस आशय की सूचना प्रकाशित की गयी है कि जनसामान्य बिना ले-आउट प्लान स्वीकृत कालोनियों में भूमि-भूखण्ड न खरीदे ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मैनपुरी में राइजिंग लाइन से सैकड़ों अवैध कनेक्शन देने वाले दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

54—श्री मानिक चन्द्र यादव–

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि मैनपुरी नगर में राइजिंग लाइन (टंकी को पानी पहुंचाने वाली पाइप लाइन) से अवैध रूप से सैकड़ों कनेक्शन दिये गये हैं ? क्या इसके कारण जन सामान्य को पानी बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त अवैध कनेक्शन देने वाले दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेंगे तथा पानी की सुचारु व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं ।

जी नहीं । जन सामान्य को पानी सुचारु रूप से मिल रहा है ।

नगर पालिका द्वारा अवैध कनेक्शन नहीं दिये गये हैं, अतः किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है । नगर पालिका द्वारा पेयजल की आपूर्ति सुचारु रूप से की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़, लालगंज नगर पंचायत के नगरीय क्षेत्र में भूमि विवाद हल कर पानी की व्यवस्था की मांग

55—श्री नरेन्द्र सिंह–

विधान सभा के तृतीय सत्र 1998 के तीसरे शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न संख्या–64 के उत्तर के संबंध में क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद आजमगढ़ में नगर पंचायत कटघर, लालगंज के नगरीय क्षेत्र के लिये निर्माणाधीन बोरिंग के भूमि विवाद में क्या कोई न्यायालय का स्थगनादेश है ? यदि नहीं, तो भूमि विवाद के हल के लिये क्या कोई प्रयास किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

निर्माणाधीन बोरिंग के भूमि विवाद के सम्बन्ध में न्यायालय का कोई स्थगन आदेश नहीं है ।

स्थानीय स्तर पर भूमि विवाद को हल करके नलकूप को संचालित करने हेतु प्रयास जारी हैं ।

जनपद बलरामपुर, पचपेड़वा के कतिपय ग्रामों में विद्युत आपूर्ति ठीक करवाने की मांग

56—श्री बिन्दु लाल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड पचपेड़वा, जनपद बलरामपुर के मिशनपुर बिश्राम से चन्दनपुर भुरूहर परेई, भगवानपुर, कोडर आदि (अनुसूचित जनजाति थारू) ग्रामों की विद्युत आपूर्ति खराब है ? यदि हां, तो कब से ? उसे ठीक न कराने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार इस लाइन को ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

विकास खण्ड पचपेड़वा, जनपद बलरामपुर के मिशनपुर बिश्राम से चन्दनपुर भुरूहर परेई, भगवानपुर, कोडर आदि (अनुसूचित जनजाति थारू) ग्रामों की विद्युत आपूर्ति पहले खराब थी, अब वर्तमान में ठीक है ।

विगत कई वर्षों से खराब थी, फरवरी 1999 से ठीक है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई, नगर पंचायत माधौगंज में बढ़ी हुई आबादी के अनुसार नवीन पानी की टंकी के निर्माण की मांग

57—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के 91—मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत नगर पंचायत, माधौगंज में पानी की एक पुरानी टंकी बनी है ? क्या यह सही है कि माधौगंज की आबादी टंकी निर्माण के समय से अब दो गुनी हो गयी है जिससे पीने के पानी की विकट समस्या है ? यदि हां, तो क्या पेयजल समस्या के निराकरण हेतु सरकार नवीन पानी की टंकी का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

वर्ष 1991 की जनसंख्या के अनुसार नगर पंचायत माधौगंज की आबादी लगभग 8723 थी । वर्तमान जनसंख्या लगभग 14000 अनुमानित है । उक्त नगर पंचायत को वर्तमान में 115 किलोमीटर क्षमता वाले अवर जलाशय तथा दो नलकूपों से जलापूर्ति की जा रही है ।

नवीन पानी की टंकी का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद हरदोई, नगर पालिका परिषद् मल्लावां के पेयजल की व्यवस्था हेतु हैण्डपम्प की मांग

58—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि, जनपद हरदोई की नगर पालिका परिषद्, मल्लावां की आबादी वर्तमान समय में लगभग 60–70 हजार है ? यदि हां, तो क्या भीषण पेयजल संकट को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक (मोहल्ला) वार्ड में दस-दस इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्प लगाने की व्यवस्था सरकार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं। वर्तमान में नगर पालिका परिषद्, मल्लावां की जनसंख्या लगभग 35 हजार है।

नगर पालिका परिषद् में एक नलकूप तथा 113 इण्डिया मार्क–2 हैण्डपम्पों से जलापूर्ति की जा रही है। प्रश्नगत क्षेत्र में अतिरिक्त हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ, गीतापल्ली आलमबाग में नाली पक्की करवाने की मांग

59—श्री अजय कुमार पोइया–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जनपद की गीता पल्ली ब्लाक नं०–7 आलमबाग, (डामर रोड के दखिन) की कच्ची नाली को पक्की कराये जाने के संबंध में वहां के निवासियों के हस्ताक्षर युक्त प्रार्थना-पत्र दिनांक 30 जुलाई, 1998 उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां।

प्रकरण में व्ययानुमान धनांक रु० 2,50,000.00 लखनऊ नगर निगम की माननीय कार्यकारिणी के विचारार्थ प्रेषित किया गया है।

जनपद हरदोई, विद्युत वितरण खण्ड सण्डीला, ग्राम मुहम्मदपुर के जले ट्रांसफार्मर को बदल कर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने तथा दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

60—श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के विद्युत वितरण खण्ड सण्डीला के अन्तर्गत ग्राम मुहम्मदपुर (बेलवारान) में मार्च, 1998 में ट्रांसफार्मर जल जाने के कारण विद्युत आपूर्ति आज तक बाधित है ? क्या उपभोक्ताओं से उक्त अवधि के विद्युत किराये की मांग भी की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ? ट्रांसफार्मर अब तक न बदले जाने अथवा ठीक किये जाने में विलम्ब हेतु दोषी कौन है ? क्या सरकार दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करने तथा उक्त अवधि का विद्युत किराया समाप्त करते हुए विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी नहीं। विद्युत आपूर्ति चालू है।

जी हां।

उपभोक्ताओं से उक्त अवधि के विद्युत बिलों की मांग की जा रही है।

सम्बन्धित परिवर्तक जो कि चालू हालत में हैं, से समस्त पोषित उपभोक्ताओं पर विद्युत शुल्क बकाया होने के कारण।

प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत आपूर्ति चालू होने के कारण कोई दोषी नहीं है। विद्युत बिल समाप्त करने का कोई प्रश्न नहीं उठता। विद्युत आपूर्ति चालू है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रतापगढ़ के नगर पालिका परिषद् के सार्वजनिक पार्कों को बेचने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

61—श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र सं०– ग–2 नं० 467526 पर मंत्री जी के आदेश दिनांक 6-7-98 जो सचिव, नगर विकास को नगर पालिका परिषद्, प्रतापगढ़ के सार्वजनिक पार्कों को बेचने के विरुद्ध कार्यवाही हेतु था, पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां, प्रकरण मा० न्यायालय सिविल जज, प्रतापगढ़ में विचाराधीन था । जिसमें दिनांक 17-8-98 को नगर पालिका परिषद्, प्रतापगढ़ के पक्ष में निर्णय हो जाने के फलस्वरूप किसी कार्यवाही की आवश्यकता शेष नहीं रह जाती ।

प्रश्न नहीं उठता ।

व्यावसायिक परीक्षा परिषद् की प्रति वर्ष आय-व्यय का विवरण तथा व्यय धनराशि की अधिकतम सीमा

62—श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि व्यावसायिक परीक्षा परिषद् की प्रति वर्ष आय-व्यय कितना है ? क्या यह आय सरकारी ट्रेजरी के माध्यम से लेने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त धनराशि का उपयोग श्रम विभाग के वाहनों के मरम्मत पर किया जा रहा है ? यदि हां, तो उप निदेशक, विभागाध्यक्ष एवं परिवहन आयुक्त की स्वीकृति/अनुमति हेतु व्यय धनराशि की अधिकतम सीमा क्या है ? क्या इसका पालन हो रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

व्यावसायिक परीक्षा परिषद् का प्रतिवर्ष आय-व्यय भिन्न-भिन्न होता है । इस हेतु प्रत्येक वर्ष परिषद् द्वारा बजट पास किया जाता है । वर्ष 1997-98 में आय-व्यय निम्नवत् है :—

आय—रु० 1,45,28, 467.00

व्यय—रु० 1,12,89,000.00

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

परिषद् एक स्वायत्तशासी संस्था है जो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अधीन पंजीकृत है । अतः व्यावसायिक परीक्षा परिषद् संबंधित सोसाइटी की उपविधियों के अनुसार धनराशि का प्रबंधन करने हेतु स्वतंत्र है ।

केवल परिषद् के कार्य संचालन हेतु प्रयुक्त वाहनों का रख-रखाव एवं पी० ओ० एल० पर धनराशि व्यय परिषद् निधि से किया जाता है । उपनिदेशक को एक बार में अधिकतम 2500/- रुपये तक तथा निदेशक व्यावसायिक परीक्षा परिषद् को एक बार में 15000/- रुपये की धनराशि स्वीकृत करने का अधिकार है । विभागाध्यक्ष एवं परिवहन आयुक्त को कोई वित्तीय अधिकार नहीं है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद उन्नाव की कतिपय नगर पंचायतों में कर्मचारियों का पेंशन खाता खोलने की मांग

63—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद उन्नाव की कौन-कौन ऐसी नगर पंचायतें हैं जिनके कर्मचारियों का पेंशन निधि का खाता नहीं खुला है ? इन नगर पंचायतों के कर्मचारियों की पेंशन खाता कब तक खोल दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अकेन्द्रीयत सेवा निवृत्ति लाभ विनियमावली, 1984 के अन्तर्गत जनपद स्थित समस्त नगर पंचायतों हेतु जिला मजिस्ट्रेट, उन्नाव के नियंत्रण में एक सामान्य पेंशन निधि का खाता संख्या–4/1144 "उत्तर प्रदेश पालिका अकेन्द्रीयत सेवा पद धारी पेंशन निधि" के नाम से भारतीय स्टेट बैंक, उन्नाव में खुला हुआ है । इस खाते में जनपद की नगर पंचायतों द्वारा अपने कर्मचारियों का पेंशन अंशदान जमा किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग में विभागीय नियमावली के विरुद्ध नियुक्तियों में दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जानकारी

64–श्री मानिक चन्द्र यादव–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के आदेश संख्या 1729 दिनांक 27-3-85 के द्वारा विभागीय सेवा नियमावली के विरुद्ध बिना सेवा योजन कार्यालय से अभ्यर्थियों की याचना किये बिना तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्तियां की गयी हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या उक्त विषय आवास अनु०–3 के पत्रांक 3767/37-3-87-11एन०एन०/86, दिनांक 28-1-89 द्वारा जांच हेतु नगर एवं ग्राम सेवायोजन विभाग–7 बंदरिया बाग, लखनऊ को भेजा गया तथा उसकी जांच की गयी ? यदि हां, तो क्या कोई दोषी पाया गया ? यदि हां, तो दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

प्रश्नगत प्रकरण में जांच की कार्यवाही प्रचलित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां । आवास अनुभाग–3 के पत्रांक 3767/37-3-87–112 एन०एन०/86, दिनांक 28-1-87 के साथ संलग्न शिकायती पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं के संदर्भ में सम्बन्धित कर्मचारी श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव के विरुद्ध जांच की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी ।

जांच की कार्यवाही प्रचलित होने के कारण किसी के दोषी पाये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

65–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

जनपद लखनऊ, राजाजीपुरम् कालोनी में जलालपुर रेलवे क्रासिंग से पारा कालोनी की गड्ढे युक्त सड़क की मरम्मत एवं पुनर्लेपन

66–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद लखनऊ स्थित राजाजी पुरम् कालोनी में जलालपुर रेलवे क्रासिंग से पारा कालोनी को जाने वाली मुख्य सड़क पर जगह-जगह टूट-फूट गड्ढे तथा

जल भराव की स्थिति है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत एवं पुनर्लेपन करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

जी हां ।

नगर निगम के आगामी बजट में प्रस्ताव सम्मिलित किया जायेगा ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद संत रविदास नगर, गोपीगंज नगर पालिका को विगत वर्षों में जल निकासी हेतु उपलब्ध धनराशि में धांधली की जांच/कार्यवाही की मांग

67–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद संत रविदास नगर अन्तर्गत गोपीगंज नगर पालिका में जल निकासी हेतु 1996–97 तथा 1997–98 में कितना धन अवमुक्त किया गया है तथा किस कार्यदायी संस्था द्वारा उक्त कार्य कराया गया है ? क्या यह सही है कि इस कार्य में व्यापक स्तर पर धांधली की गई है ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच कराकर कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

नगर पालिका परिषद्, गोपीगंज में जल निकासी हेतु वर्ष 1996-97 में रुपया 25.00 लाख तथा वर्ष 1997-98 में रुपया 3.25 लाख धन अवमुक्त किया गया है । उक्त निर्माण कार्य एवं परिकल्प सेवायें उत्तर प्रदेश जल निगम यूनिट–34 भदोही से कराया गया है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ, राजाजीपुरम्, पारा कालोनी में विद्युत उपकेन्द्र राजाजीपुरम् से विद्युत आपूर्ति कराने की मांग

68–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ स्थित राजाजीपुरम् कालोनी से लगी हुई पारा कालोनी में पारा रोड के पूर्वी क्षेत्र में राजाजीपुरम विद्युत केन्द्र द्वारा विद्युत आपूर्ति की जाती है ? क्या पारा कालोनी में राजाजीपुरम् विद्युत केन्द्र से विद्युत आपूर्ति किये जाने हेतु रेलवे विभाग से विद्युत लाइन बिछाने हेतु अनुमति प्राप्त हो गई है ? यदि हां, तो सम्पूर्ण पारा कालोनी को राजाजीपुरम् विद्युत केन्द्र से विद्युत की आपूर्ति की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

जी हां ।

जी नहीं, वर्तमान में 33/11 के० वी० राजाजीपुरम् उपकेन्द्र अतिभारित है । अतः एक नये 33/11 के० वी० विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण राजाजीपुरम् में प्रस्तावित है । इस उपकेन्द्र के बनने के उपरान्त सम्पूर्ण पारा कालोनी को नये राजाजीपुरम् विद्युत उपकेन्द्र से विद्युत आपूर्ति किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्तावित नये 33/11 के० वी० उपकेन्द्र हेतु अभी भूमि का आवंटन नहीं हो पाया है । भूमि के

आवंटन एवं उपकेन्द्र के निर्माण के पश्चात् सम्पूर्ण पारा कालोनी को नये राजाजीपुरम् विद्युत केन्द्र से आपूर्ति किया जाना सम्भव होगा।

प्रश्न नहीं उठता।

69–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद गोण्डा, मनकापुर के ग्रामों का विद्युतीकरण विषयक जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी को प्राप्त प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

70–श्री राम विशुन आजाद–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्रांक संख्या–ग 342124 दि० 2-9-98 जो विधान सभा क्षेत्र मनकापुर के ग्रामों के विद्युतीकरण किये जाने का प्रस्ताव जिलाधिकारी, गोण्डा/मुख्य विकास अधिकारी, गोण्डा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार पत्र में उल्लिखित ग्रामों का विद्युतीकरण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां।

जी नहीं।

शासन की नीति के अनुसार माननीय विधायक द्वारा संस्तुति पांच ग्रामों को विद्युतीकृत करना है। माननीय विधायक द्वारा पूर्व में दिये गये पत्र सं०–2, 342004 दिनांक 25-7-98 में दी गयी सूची के आधार पर जिलाधिकारी, गोण्डा द्वारा सूचित निम्न पांच ग्रामों पर कार्य के लिये निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

1–विशुनपुर, 2–हरना टायर बाजार, 3–दीननगर, 4–भोपत पुर बाजार, 5–मटरिया सर्वजीत बाबा का पुरवा।

उ० प्र० में 21 सितम्बर, 1997 में नगर पंचायत, नगर पालिका एवं नगर निगमों में बर्खास्त किये गये चेयरमैनों की संख्या एवं उनके कारण एवं अन्य संस्थाओं में भी बर्खास्तगी करने पर विचार की जानकारी

71–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उ०प्र० में नगर पंचायत, नगर पालिका परिषदों एवं नगर निगमों के कितने चेयरमैंनों को दिनांक 21 सितम्बर, 1997 से अब तक अपने पदों से बर्खास्त किये गये और उनके कारण क्या हैं ? क्या यह सच है कि सरकार अन्य संस्थाओं में कार्यरत चेयरमैनों को भी आरोप में बर्खास्त करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है ?

श्री लालजी टण्डन–

वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमिततायें बरतने के कारण दिनांक 21-9-97 से अब तक नगर पंचायत के 3 चेयरमैनों तथा नगर पालिका परिषद् के 9 चेयरमैनों को पदच्युत किया गया है।

जी हां।

72–डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

प्रदेश के विकास प्राधिकरणों के दैनिक/संयत वेतन पर कार्यरत सहायक अभियन्ताओं की नियमित नियुक्ति पर विचार

73–डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विभिन्न विकास प्राधिकरणों में दैनिक/संयत वेतन पर कितने सहायक अभियन्ता कार्यरत हैं तथा उनके रखे जाने का आधार क्या है? क्या उपरोक्त सहायक अभियन्ताओं की नियमित नियुक्ति दिये जाने पर विचार किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां,

विभिन्न विकास प्राधिकरण से प्राप्त सूचना के आधार पर कुल 52 सहायक अभियन्ता प्रदेश के विभिन्न विकास प्राधिकरणों में दैनिक वेतन पर वर्तमान में कार्यरत हैं । उन्हें सम्बन्धित विकास प्राधिकरणों द्वारा रखा गया है ।

जी नहीं । क्योंकि दैनिक वेतन सहायक अभियन्ताओं को नियमित करने की कोई व्यवस्था वर्तमान में नहीं है ।

जनपद मथुरा, गोवर्धन हेतु 200 इण्डिया मार्का–II हैण्डपम्प स्वीकृत किये जाने विषयक विधायक कोष्ठक के पत्र पर कृत कार्यवाही

74–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र गोबर्धन हेतु 200 इण्डिया मार्का–2 हैण्ड पम्प स्वीकृत करने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक सी०एम०/वि०को०/एम–3–10974/मथुरा/98, दिनांक 19-5-98 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां, किन्तु प्रश्न में वर्णित पत्र उपलब्ध नहीं हो पा रहा है ।

यह उल्लेखनीय है कि विधान सभा क्षेत्र, गोवर्धन के अन्तर्गत 01 अप्रैल, 1998 से 25 फरवरी, 1999 तक कुल 311 इण्डिया मार्क–2 हैण्डपम्प अधिष्ठापित किये गये हैं । वर्तमान में गोवर्धन विधान सभा क्षेत्र में कुल 1761 नग इण्डिया मार्क–2 हैण्डपम्प अधिष्ठापित हैं । इसके अतिरिक्त गोवर्धन विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत गोवर्धन, राधा कुण्ड, सोख एवं फरहा नगरें में पाइप पेयजल सुविधा भी उपलब्ध है ।

जनपद सुल्तानपुर, पूरे छत्तासिंह मजरे गोरियाबा में आंधी से गिरे खम्भों एवं ट्रांसफार्मर ठीक कराने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

75–श्री तेजभान सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूरे छत्तासिंह मजरे गोरियाबाद जनपद-सुल्तानपुर में गत जून की आंधी में गिरे 2-3 खम्भों एवं ट्रांसफार्मर को ठीक कराने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 07–10–98, अधिशासी अभियन्ता, वि०वि० खण्ड सुल्तानपुर, जगदीशपुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या खम्भों को लगवाकर लाइन चालू कर दी गई है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो इसे कब तक ठीक करा कर लाइन चालू की जायेगी ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मार्च, 1999 तक लाइन चालू किया जाना प्रस्तावित है ।

राज्य विद्युत परिषद् नियमावली 27 जून, 1987 के अनुसार प्रभावित परिवार के पौत्र को नियुक्ति न करने की जानकारी

76–श्री लालजी वर्मा–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या 23/25/1973–कार्मिक–2, दिनांक 15 जून, 1985 में भूमि अध्याप्ति से प्रभावित कृषक परिवार में पौत्र को नियुक्त किये जाने का प्राविधान है ? यदि हां, तो क्या राज्य विद्युत परिषद् द्वारा बनायी गई नियमावली संख्या 145–राविप दिनांक 27 जून, 1987 में भूमि अध्याप्ति से प्रभावित परिवार के पौत्र को नियुक्ति दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० जल निगम, गोरखपुर में 6 साल से अधिक समय से कार्यरत व पुनः स्थानान्तरित सहायक अभियन्ताओं के स्थानान्तरण की मांग

77—श्री गोमती यादव–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निर्माण खण्ड (विद्युत/यांत्रिक) उ०प्र० जल निगम, गोरखपुर में कौन-कौन से जूनियर इंजीनियर/सहायक अभियन्ता 6 साल से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं और कौन-कौन जूनियर इन्जीनियर व सहायक अभियन्ता उसी शाखा में 7-8 साल के अन्तराल के बाद पुनः दुबारा स्थानान्तरित किये गये और वहां आ गये हैं ? क्या सरकार उक्त शाखा में 6 साल से अधिक समय से कार्यरत तथा 7-8 साल के अन्तराल के बाद पुनः उक्त शाखा में स्थानान्तरित होकर आये विभिन्न श्रेणी के अभियन्ताओं का स्थानान्तरण अन्यत्र करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

निर्माण शाखा (विद्युत/यांत्रिक) उ० प्र० जल निगम, गोरखपुर में निम्नलिखित जूनियर इंजीनियर/सहायक अभियन्ता 6 साल से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं :––

1—श्री के० एन० गुप्ता, जूनियर इंजीनियर ।

2—श्री एम० एन० उपाध्याय, जूनियर इंजीनियर ।

3—श्री बलराम जी श्रीवास्तव, जूनियर इंजीनियर ।

4—श्री डी० एन० सिंह, जूनियर इंजीनियर ।

5—श्री शिवजी तिवारी, जूनियर इंजीनियर ।

6—श्री आर० एन० चतुर्वेदी, जूनियर इंजीनियर ।

सहायक अभियन्ता–शून्य ।

निर्माण शाखा (विद्युत/यांत्रिक) उ० प्र० जल निगम, गोरखपुर में 7-8 साल के अन्तराल के बाद निम्नलिखित जूनियर इंजीनियर/सहायक अभियन्ता दुबारा स्थानान्तरित होकर शाखा में कार्यरत हैं :–

1—श्री बच्चा सिंह, जूनियर इंजीनियर ।

2—श्री पी० एच० यादव, जूनियर इंजीनियर ।

3—श्री ए० आर० खान, जूनियर इंजीनियर ।

4—श्री शिवजी तिवारी, जूनियर इंजीनियर ।

5—श्री के० एन० गुप्ता, जूनियर इंजीनियर ।

6—श्री एस० एम० आर० रिजवी, जूनियर इंजीनियर ।

7—श्री डी० एन० सिंह, जूनियर इंजीनियर ।

8—श्री एम० एन० उपाध्याय, जूनियर इंजीनियर ।

9—श्री मशहूर अली, जूनियर इंजीनियर ।

10—श्री एस० आर० सिंह, सहायक अभियन्ता ।

11—श्री एफ० वी० चौधरी, सहायक अभियन्ता ।

विभिन्न श्रेणी के अभियन्ताओं का स्थानान्तरण वर्ष 1999 हेतु स्वीकृत स्थानान्तरण नीति के अनुसार किया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वर्ष 1988 में उजाड़े गये विस्थापितों को प्रदत्त सुविधाओं की भांति आवंटित करने सम्बन्धी पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

78–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्ष 1988 में उजाड़े गये विस्थापितों को दिये गये भूखण्ड/भवन की भांति भूखण्ड दिलाने से सम्बन्धित पत्र मा० राज्य मंत्री, आवास के रजिस्टर्ड पत्र संख्या–4865/वी०आई०पी०/मा० राज्य मंत्री आवास/98, दिनांक 25-11-98 सचिव, आवास को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

प्रकरण में पूर्व में लखनऊ विकास प्राधिकरण से आख्या प्राप्त की गई थी । परीक्षणोपरान्त यह पाया गया कि प्राधिकरण में प्रचलित नियमों के अन्तर्गत धनराशि का निर्धारण आवंटन की तिथि के अनुसार किया जाता है तथा विषयगत प्रकरण में यही प्रक्रिया अपनायी गयी है । जबकि आवंटी, भूखण्ड का मूल्य-निर्धारण आवंटन की तिथि से 06 वर्ष पूर्व की दर पर कराना चाहती है, जो नियमानुसार सम्भव नहीं है । अतएव सम्यक् विचारोपरान्त इस प्रकरण में अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं पायी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

79–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

[4थे शुक्रवार के लिये स्थगित]

जनपद संत रविदास नगर की नगर परिषद् गोपीगंज में पेयजलापूर्ति हेतु निर्माणाधीन नलकूप को पूर्ण कराने की मांग

80—श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सन्त रविदास नगर अन्तर्गत नगर परिषद् गोपीगंज में पेयजल आपूर्ति हेतु निर्माणाधीन नलकूप अधूरा पड़ा है ? क्या अधूरे कार्य को पूर्ण कराने हेतु कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं ।

नगरपालिका परिषद् गोपीगंज द्वारा अपने स्तर से अधूरे पड़े कार्य को पूर्ण कर नलकूप चालू किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलिया, जय प्रकाश नगर में पानी की टंकी के निर्माण में विलम्ब का कारण/पूर्ण कर जलापूर्ति की मांग

81–श्री भरत सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत 10 वर्षों से जय प्रकाश नगर जनपद बलिया में जल निगम द्वारा पानी की टंकी निर्माणाधीन है ? यदि हां, तो इसमें विलम्ब के कारण क्या हैं ? उक्त टंकी का निर्माण कब तक पूर्ण करके जलापूर्ति सुनिश्चित कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं । प्रश्नगत टंकी का निर्माण कार्य माह जनवरी, 1999 में प्रारम्भ किया गया है ।

धन की उपलब्धता के अनुसार निर्माण कार्य दिसम्बर, 1999 तक पूर्ण करने व मई, 99 से सीधे पम्पिंग द्वारा जलापूर्ति चालू करने का प्रयास है ।

जनपद गोण्डा में ग्राम पंचायत के प्रस्ताव में चयनित व्यक्तियों को अम्बेडकर ग्राम विकास योजनान्तर्गत प्राप्त इन्दिरा आवास शेष अचयनित पात्र व्यक्तियों हेतु सरकारी आवास उपलब्ध कराने की अद्यतन स्थिति की जानकारी

82–श्री राम विशुन आजाद–

क्या अम्बेडकर ग्राम विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा में वर्ष 1997-98, 1998-99 में कितने लाभार्थी को अम्बेडकर ग्राम योजना के अन्तर्गत इन्दिरा आवास हेतु चयन किया गया है ? क्या ग्राम पंचायत के प्रस्ताव में ही चयन किये गये व्यक्तियों को लाभ मिला है ? जिन पात्र व्यक्तियों का चयन ग्राम पंचायत में नहीं किया गया है उनको आवास देने हेतु सरकार ने कौन सी योजना बनाई है ?

श्री राधेश्याम कोरी–

जनपद गोण्डा में वर्ष 1997-98 में 1485 एवं वर्ष 1998-99 में 2337 इन्दिरा आवास के लाभार्थियों का चयन अम्बेडकर ग्राम विकास योजनान्तर्गत किया गया है ।

जी हां । इन्दिरा आवास योजना विषयक ग्राम विकास विभाग के शासनादेश संख्या–3087/38-5-98-654/98, दिनांक 27-5-98 के प्रस्तर–8 (क) में निहित निर्देशानुसार ग्राम पंचायत के पारित प्रस्ताव में चयनित लाभार्थियों को पात्रता क्रम में लाभान्वित किये जाने का प्राविधान है । तद्नुसार ही चयनित पात्र व्यक्तियों को लाभ दिया गया है ।

कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

83–श्री हरदेव सिंह–

[4थे शुक्रवार के लिये स्थगित ।

84–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

[4थे शुक्रवार के लिये स्थगित ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत लेसू पेट्रोल पम्प पर प्रतिमाह पेट्रोल मेन्टिनेंस पर व्यय विवरण की जानकारी

85–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1998 के तृतीय शुक्रवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 91 के उत्तर के संदर्भ में क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि लेसू पेट्रोल पम्प पर आने वाली समस्त गाड़ियों पर प्रतिमाह पेट्रोल मद एवं मेन्टिनेन्स पर कितना रुपया व्यय हो रहा है ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

विधान सभा के पूर्व सन्दर्भित प्रश्न संख्या–91 के सन्दर्भ में सम्बन्धित वाहनों द्वारा लेसू पेट्रोल पम्प से प्राप्त पेट्रोल पर वर्ष 1991-92 से 1995-96 की अवधि में औसत मासिक व्यय तथा इन वाहनों की मेन्टीनेंस पर औसत मासिक व्यय निम्न प्रकार से है :––

1—लेसा पेट्रोल पम्प से वाहनों द्वारा पेट्रोल पर औसत मासिक व्यय–रु० 1.744 लाख

2—वाहनों की मेन्टीनेंस पर औसत मासिक व्यय रु० 1.515 लाख ।

86–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

[4थे शुक्रवार के लिये स्थगित]

राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत महाप्रबन्धक लेसा, लखनऊ द्वारा ओवर टाइम बन्द करने के आदेश तथा अवैध ओवर टाइम देने वाले अधिकारियों के नाम,पदनाम तथा तैनाती की जानकारी

87–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत महाप्रबन्धक लेसा लखनऊ द्वारा ओवर टाईम बन्द करने का आदेश किया गया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उसकी प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या नार्म से अधिक एवं अवैध ओवर टाइम देने वाले अधिकारियों को चिन्हित कर लिया गया है ? यदि हां, तो उन अधिकारियों के नाम, पदनाम तथा तैनाती स्थान क्या हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

जी हां (प्रतिलिपि संलग्न) ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रकरण के जांच हेतु समिति गठित कर दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जांच रिपोर्ट अभी प्रतीक्षित है ।

(देखिये नत्थी (क) आगे पृष्ठ 196 पर ।)

विकास प्राधिकरणों की केन्द्रीयित सेवाओं में सहायक अभियन्ता के कुल पद एवं उनके सापेक्ष सीधी भर्ती/प्रोन्नति प्राप्त कार्यरत सहायक अभियन्ताओं का विवरण

88–डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विकास प्राधिकरणों की केन्द्रीयित सेवाओं में सहायक अभियन्ताओं के कितने पद हैं तथा उन पदों के विपरीत कितने सहायक अभियन्ता कार्यरत हैं ? इन सहायक अभियन्ताओं के पदों के विपरीन कितने पद पर सीधे सहायक अभियन्ता चयनित किये गये है तथा कितने आन्तरिक पदोन्नति से लिये गये हैं ?

श्री लालजी टण्डन–

उ० प्र० विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा में सहायक अभियन्ता संवर्ग में कुल 220 पद हैं। उनके सापेक्ष 217 सहायक अभियन्ता कार्यरत हैं।

99 सहायक अभियन्ता सीधी भर्ती के एवं 118 सहायक अभियन्ता प्रोन्नत कोटे में कार्यरत हैं।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के 132 के० वी० विद्युत उपकेन्द्र जौनपुर में वर्ष 1996 से प्राप्त शिकायतों का अनुरक्षण कार्य पूर्ण कराने एवं वर्ष 1990 से अनुरक्षण कार्य पर व्यय धनराशि की जानकारी

89–श्री हरदेव सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद के अन्तर्गत 132 के०वी० विद्युत उप केन्द्र, जौनपुर में माह अगस्त, 1996 से अब तक शिकायत पुस्तिका में अंकित शिकायतों का अनुरक्षण कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि 132 के०वी० उपकेन्द्र जौनपुर स्थित अधिकारियों के आवास में वर्ष 1990 से अब तक कौन-कौन अनुरक्षण कार्य कराये गये तथा अनुरक्षण आदि मदों पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

132 के० वी० विद्युत उपकेन्द्र, जौनपुर में माह अगस्त, 1996 से अब तक शिकायत पुस्तिका में अंकित शिकायतों का अनुरक्षण कार्य पूर्ण करा दिया गया है।

132 के० वी० उपकेन्द्र जौनपुर पर स्थित अधिकारियों के आवासों में वर्ष 1990 से दिसम्बर, 1998 तक छत, फर्श एवं दीवाल की मरम्मत, विद्युतीकरण, रंगाई, पुताई, जलापूर्ति सेनीटेशन, खिड़की एवं दरवाजों आदि के मरम्मत के कार्य कराये गये हैं। उक्त मदों पर अनुरक्षण कार्य हेतु कुल धनराशि रुपया 2,85,369.92 खर्च किये गये हैं।

जनपद आजमगढ़, मेहनाजपुर विद्युत सब स्टेशन की जर्जर मशीनों को बदल कर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग

90–श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद आजमगढ़ में मेहनाजपुर विद्युत सब स्टेशन की अति जर्जर पुरानी मशीनों के कारण मेहनाजपुर इलाके की विद्युत वितरण व्यवस्था प्रायः प्रभावित रहती है ? क्या सरकार जनहित में मेहनाजपुर सब स्टेशन की पुरानी मशीनों को बदलकर किसानों के लिये बेहतर विद्युत वितरण व्यवस्था सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां। प्रश्नगत विद्युत उपकेन्द्र की मशीनें (ओ० सी० बी०) पुरानी होने के कारण मेहनाजपुर ब्लाक क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति कभी-कभी प्रभावित हो जाती है।

जी हां।

प्रश्नगत विद्युत उपकेन्द्र की पुरानी ओ० सी० बी० को बदलने के लिये लगभग रु० 16 लाख व्यय अनुमानित है। राज्य विद्युत परिषद् की विषम वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए धन की उपलब्धता एवं कार्यों की वरीयताक्रम के अनुसार यह कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

91–श्री श्रीराम पाल–

[4थे शुक्रवार के लिये स्थगित]

मथुरा, वृन्दावन विकास प्राधिकरण में व्याप्त भ्रष्टाचार से मुक्ति विषयक उपाध्यक्ष, मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण का विधायक कोष्ठक से प्राप्त पत्र तथा कृत कार्यवाही की जानकारी

92–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण में कथित भ्रष्टाचार से मुक्ति विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक सी०एम०/वि०को०/एम–3/14231/मथुरा/98, दिनांक 28-7-98 उपाध्यक्ष मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री लालजी टण्डन–

(क) जी हां।

(ख) उक्त संदर्भित पत्र के साथ संलग्न श्री मदनलाल अग्रवाल के प्रार्थना पत्र के संदर्भ में उनके द्वारा स्वीकृति हेतु प्रस्तुत मानचित्र आपत्तियों के निराकरण के पश्चात् प्राधिकरण द्वारा दि० 25-11-98 को स्वीकृत कर दिया गया है। प्रार्थना-पत्र में उठाये गये अन्य बिन्दु तथ्यात्मक नहीं पाये गये।

93–डा० ज्ञानवती सिंह–

[4थे शुक्रवार के लिये स्थगित]

जनपद गाजियाबाद, नगर पंचायत निवाड़ी द्वारा नीलाम की गयी जमीन की जिलाधिकारी द्वारा जांच पर कृत कार्यवाही की जानकारी

94–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद की नगर पंचायत निवाड़ी द्वारा नीलामी की गई जमीन (एल०एम०सी०) की जांच जिलाधिकारी, गाजियाबाद से कराई जा रही है? यदि हां, तो जांच के आधार पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां।

जिलाधिकारी, गाजियाबाद की जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है। जांच रिपोर्ट का परीक्षण किया जा रहा है तथा जांच रिपोर्ट में अन्तर्ग्रस्त दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के चयन में पात्रता के मानक तथा ग्राम पंचायतों की भूमिका दृष्टिगत रखते हुए सरकार द्वारा नियमों में संशोधन करने पर विचार

95–श्री राम विशुन आजाद–

क्या सरकार को जानकारी है कि प्रदेश में अम्बेडकर ग्रा० विकास योजना के चयन में पात्रता का मानक क्या है ? क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत के प्रस्ताव पर ही उक्त योजना का लाभ दिया

जाता है ? क्या सरकार बतायेगी कि जिन पात्र व्यक्तियों का चयन ग्राम पंचायत में किसी कारण वश नहीं किया जाता है उनको आवास देने हेतु नियमों में कोई संशोधन करने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राधेश्याम कोरी–

प्रदेश में अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत अम्बेडकर ग्रामों के चयन में पात्रता का मानक वर्तमान में निम्नवत् है :—

प्रदेश के सभी विधान सभा क्षेत्रों में (शहरी क्षेत्रों को छोड़कर) प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति/जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम में 10-10 राजस्व ग्रामों का अम्बेडकर ग्राम के रूप में चयन किया जाता है। जी हां। यह सही है कि व्यक्तिगत लाभपरक कार्यक्रमान्तर्गत ग्राम पंचायत के प्रस्ताव पर चयनित लाभार्थी को पात्रता के क्रम में धन की उपलब्धता होने पर उक्त योजना का लाभ दिया जाता है।

जी नहीं।

क्योंकि भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार इन्दिरा आवास कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

मेरठ मण्डल के ग्रामीण क्षेत्रों में सायंकाल नियमित विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने की मांग

96–श्री समरपाल सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि मेरठ मण्डल के ग्रामीण क्षेत्रों में शाम को 6.00 बजे से 11.00 बजे तक विद्युत की आपूर्ति नहीं होती हैं ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त गांव के लोगों को शाम को नियमित बिजली उपलब्ध करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

सायंकाल पीक के समय विद्युत की मांग उपलब्धता से अधिक होने के कारण इस अवधि में ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति किया जाना सम्भव नहीं हो पाता है।

वर्तमान स्थिति में यह सम्भव नहीं है।

सायंकाल पीक आवर्स की अवधि में प्रदेश में विद्युत की कमी व्याप्त है।

97–श्री राम औतार शाक्य–

[दिनांक 24-2-99 को अता० प्र० सं० 176 द्वारा उत्तरित।

मुजफ्फरनगर के कतिपय क्षेत्रों में अधूरी सीवर लाइन पूर्ण करने हेतु स्वीकृत धन की जानकारी की मांग

98–श्री रणधीर सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शहर मुजफ्फरनगर में लगभग 20 वर्ष पूर्व शहर के कुछ भाग में सीवर लाइन बिछायी गयी थी परन्तु वह कार्य आज तक अधूरा पड़ा हुआ है ? क्या दिनांक 12-10-98 को नगर विकास राज मंत्री ने खतौली में घोषणा की थी कि 50 लाख रुपये शीघ्र उक्त सीवर लाइन बिछाने हेतु उपलब्ध करा दिये जायेंगे ? यदि हां, तो क्या उक्त कार्य हेतु धन उपलब्ध करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां।

माननीय राज्य मंत्री जी द्वारा दिनांक 12-10-98 को घोषणा नहीं की गयी है । शासनादेश संख्या–2983/9-5-98-41 बजट/987, दिनांक 29-8-98 तथा शासनादेश संख्या–3150/9-5-98-56 बजट/98, दिनांक 4-9-98 द्वारा मुजफ्फरनगर सीवरेज योजना हेतु रु० 25.00 लाख का अनुदान तथा रुपये 25.00 लाख का ऋण स्वीकृत किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मुजफ्फरनगर की कतिपय नगर पंचायतों में सीवर लाइन का निर्माण कराने की मांग

99–श्री रणधीर सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर के नगर पंचायत पुरकाजी एवं नगर पंचायत चरथावल मे सीवर लाइन का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो उक्त निर्माण कार्य कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

जनपद मुजफ्फरनगर के नगर पंचायत चरथावल के चारों ओर बसी घनी आबादी को नगर पंचायत में शामिल करने की मांग

100—श्री रणधीर सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद मुजफ्फरनगर के नगर पंचायत चरथावल में चारों ओर बसी घनी आबादी को नगर पंचायत चरथावल में शामिल किया गया है ? यदि नहीं, तो क्या उक्त आबादी को नगर पंचायत में शामिल किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं ।

नगर पंचायत चरथावल में चारों ओर बसी घनी आबादी को शामिल करने के लिये ग्राम पंचायत चरथावल देहात सहमत नहीं हैं, इसीलिये ग्राम पंचायत द्वारा इस आशय का प्रस्ताव पारित नहीं किया गया है । टाउन/नोटीफाइड एरिया सृजन हेतु निर्धारित मानकों के अनुसार प्रभावित होने वाली ग्राम सभाओं द्वारा सृजन के पक्ष में प्रस्ताव पारित होना आवश्यक है । अतः ग्राम पंचायत चरथावल देहात की आपत्ति के कारण उक्त आबादी को नगर पंचायत चरथावल में शामिल नहीं किया जा सकता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मुजफ्फरनगर में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के धार्मिक स्थलों को निःशुल्क विद्युत व्यवस्था की मांग

101–श्री रणधीर सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के धार्मिक स्थलों (मन्दिर आश्रम एवं शमशान घाट) को विद्युत की व्यवस्था निःशुल्क की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

निःशुल्क विद्युत की व्यवस्था का प्राविधान नहीं है।

नगर पालिका बिन्दकी के आबादी क्षेत्र से मैला तथा स्लाटर हाउस को हटाने की मांग

102–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि नगरपालिका बिन्दकी के आबादी क्षेत्र के अन्दर स्लाटर हाउस बना है ? यदि हां, तो क्या उसी के पास मैला भी डाला जाता है ? क्या आबादी क्षेत्र से मैला तथा सलाटर हाउस हटाया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां,

जी नहीं,

स्लाटर हाउस से थोड़ी दूर पर रिक्त स्थान पर मैला डाला जाता है।

आबादी क्षेत्र से एक माह में मैला हटा लिया जायेगा। स्लाटर हाउस अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने का प्रस्ताव नगर पालिका परिषद् के विचाराधीन है।

उपरोक्तानुसार।

103–प्रो० रवीन्द्र पुण्डीर–

[दिनांक 24-2-99 को अता० प्र० सं० 177 द्वारा उत्तरित]

104–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

[4थे शुक्रवार के लिये स्थगित]

जनपद इलाहाबाद के विभिन्न विद्युत उपकेन्द्रों पर कालोनियों में पारेषण/वितरण खण्डों द्वारा निर्मित आवास तथा मुख्य अभियन्ता पारेषण पूर्व इलाहाबाद द्वारा आवासों का स्थानान्तरण न किये जाने की जानकारी

105–श्री हरदेव सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न विद्युत उपकेन्द्रों पर निर्मित होने वाली कालोनियों में आवासों के निर्माण कार्य किस खण्ड/खण्डों द्वारा सम्पादित कराया जाता है ? क्या यह सही है कि मुख्य अभियन्ता पारेषण पूर्व इलाहाबाद के अधीन विभिन्न खण्डों में आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के बावजूद उनका स्थानान्तरण संबंधित खण्ड/अधिकारियों को नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

132 के० वी० तथा उससे ऊपर के विद्युत उपकेन्द्रों पर निर्मित होने वाली कालोनियों में आवासों के निर्माण का कार्य विद्युत जनपद निर्माण खण्डों एवं 33/11 के० वी० विद्युत उपकेन्द्रों पर आवासों का निर्माण विद्युत जनपद वितरण खण्डों द्वारा सम्पादित कराया जाता है।

जी हां।

जनपद निर्माण खण्डों द्वारा आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने के पश्चात् हस्तान्तरण नहीं किया गया क्योंकि इनका रख-रखाव जनपद निर्माण खण्डों द्वारा ही किया जाता है।

विद्युत प्रेषण मण्डल, आजमगढ़ के दैनिक श्रेणी लिपिकों से कनिष्ठ आलेखक एवं प्रालेखक पदों पर प्रोन्नत लिपिक तथा उनमें से कतिपय लिपिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने से रिक्त पदों पर की गयी प्रोन्नति का विवरण

106–श्री हरदेव सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि विद्युत प्रेषण मण्डल, आजमगढ़ के अन्तर्गत दैनिक श्रेणी लिपिकों से किन-2 लिपिकों की कनिष्ठ आलेखक एवं प्रालेखक पदों पर प्रोन्नति अधीक्षण अभियन्ता के कार्यालय ज्ञाप संख्या 6189/दिनांक 28-11-88 द्वारा की गयी थी ? उनमें से कितने लिपिकों द्वारा मण्डल कार्यालय में कार्य भार ग्रहण किया गया ? क्या यह सही है कि कुछ लिपिकों द्वारा मण्डल कार्यालय में कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया था ? यदि हां, तो उनके स्थान पर किन लिपिकों की प्रोन्नति की गयी थी ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

निम्नलिखित दैनिक श्रेणी लिपिकों की प्रोन्नति की गई :–

1—श्री दिल्ली राम, दैनिक श्रेणी लिपिक

2—श्री राधेश्याम यादव, दैनिक श्रेणी लिपिक

3—श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव, दैनिक श्रेणी लिपिक

4—श्री केशव प्रसाद सिंह, दैनिक श्रेणी लिपिक

उपरोक्त क्रमांक 1 से 3 तक के दैनिक श्रेणी लिपिकों ने पदोन्नति के फलस्वरूप अपना कार्यभार मण्डल कार्यालय में ग्रहण किया ।

जी हां ।

मात्र एक लिपिक श्री केशव प्रसाद सिंह ने मण्डल कार्यालय में कार्यभार ग्रहण नहीं किया ।

श्री केशव प्रसाद सिंह, दैनिक श्रेणी लिपिक के स्थान पर श्री रामरूप राम, दैनिक श्रेणी लिपिक, विद्युत प्रेषण मण्डल, आजमगढ़ की पदोन्नति कनिष्ठ पाण्डुलिपिक के पद पर की गयी ।

107–श्री हरदेव सिंह–

[4थे शुक्रवार के लिये स्थगित ।

जनपद भदोही, नगर पालिका परिषद् गोपीगंज के तालाब के सुन्दरीकरण की योजना

108–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि नगर पालिका परिषद् गोपीगंज जनपद भदोही नगरपालिका कार्यालय के बगल में तालाब स्थित है ? क्या उसमें गन्दा पानी एकत्र होने से बीमारी फैल रही है ? यदि हां, तो क्या इसके सुन्दरीकरण हेतु सरकार द्वारा कोई योजना बनाई गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्नगत प्रकरण में न्यायालय में वाद विचाराधीन है ।

जनपद हरदोई, सण्डीला में विगत वर्षों से घोषित अम्बेडकर ग्रामों का विद्युतीकरण न किये जाने की जानकारी

109–श्री अब्दुल मन्नान–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र सण्डीला के अन्तर्गत वर्ष 1995-96, 1996-97, 1997-98 एवं 1998-99 में घोषित किये गये अम्बेडकर ग्रामों को ऊर्जीकृत किये जाने हेतु विभाग को धनराशि हस्तांतरित की जा चुकी है परन्तु उक्त चिन्हित ग्रामों को अभी तक विद्युत आपूर्ति नहीं की गयी है ? यदि हां, तो इस बिलम्ब के क्या कारण हैं ? विलम्ब हेतु कौन दोषी है ? सरकार अम्बेडकर ग्रामों का कब तक विद्युतीकरण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

विधान सभा क्षेत्र सण्डीला के अन्तर्गत वर्ष 95-96, 96-97 एवं 97-98 में विद्युतीकरण हेतु 47 ग्रामों का चयन किया गया था तथा जिलाधिकारी के माध्यम से धन भी प्राप्त हुआ था । वर्ष 98-99 में अम्बेडकर ग्रामों के विद्युतीकरण के लक्ष्य नहीं हैं ।

जी नहीं । चयनित ग्रामों में से 38 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है तथा शेष 9 ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्य शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कर लिया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शेष 9 ग्रामों के विद्युतीकरण का लक्ष्य 3/99 निर्धारित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़, तहसील लालगंज में कतिपय अम्बेडकर ग्रामों के सम्पर्क मार्ग को पूर्ण कराने की मांग

110–श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या अम्बेडकर ग्राम विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ की तहसील लालगंज में अम्बेडकर गांव शहरी बन्धा तथा अम्बेडकर गांव खेतौरा में सम्पर्क मार्ग का निर्माण हो गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो उक्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

श्री राधेश्याम कोरी–

मिट्टी व पुलिया स्वीकृति के अन्तर्गत शहरी बन्धा सम्पर्क मार्ग पर 50% मिट्टी का कार्य पूर्ण है व शेष कार्य स्थानीय मिट्टी उपलब्ध न होने के कारण अपूर्ण है । इसी प्रकार अम्बेडकर ग्राम खेतौरा के सम्पर्क मार्ग हेतु स्थानीय मिट्टी उपलब्ध न होने के कारण कार्य अपूर्ण है । स्थानीय मिट्टी प्राप्त किये जाने हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रयास जारी है ।

सुन्दरीकरण हेतु उत्पीड़न/दुकानें तोड़ने विषयक जिलाधिकारी, मथुरा को प्राप्त विधायक कोष्ठक के पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

111–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या नगर वकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सुन्दरीकरण के नाम पर उत्पीड़न/दुकानें तोड़ने के सम्बन्ध में विधायक कोष्ठक का पत्रांक : सी०एम०/वि०को०/एम–3/14239 मथुरा/98, दिनांक 28-7-98 जिलाधिकारी मथुरा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही सुनिश्चित की गयी है ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अपर जिला मजिस्ट्रेट, ट्रान्स गोमती, लखनऊ द्वारा नगर महापालिका, लखनऊ से शान्ति व्यवस्था पर मांगी गयी जांच आख्या तथा कृत कार्यवाही की जानकारी

112–श्री अफजाल अहमद–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अपर जिला मजिस्ट्रेट, ट्रान्स गोमती, लखनऊ द्वारा लखनऊ नगर महापालिका के पत्रांक–अ० शा० पत्र सं० 5/आशु० 1994 दिनांक 22-7-94 द्वारा कोई जांच आख्या मांगी गई थी ? यदि हां, तो क्या सम्पत्ति अधिकारी नगर महापालिका, लखनऊ द्वारा दिनांक 16-11-94 पत्रांक संख्या डी–777/का०स०अ०/94 द्वारा जांच आख्या प्रेषित कर दी है ? यदि हां, तो नगर मजिस्ट्रेट, ट्रान्स गोमती द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

जी हां ।

अपर जिला मजिस्ट्रेट, ट्रान्स गोमती द्वारा स्थल पर शान्ति व्यवस्था बनाये रखने की कार्यवाही सुनिश्चित की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जौनपुर, सदर के खराब पड़े हैण्ड पम्पों को ठीक कराने की मांग

113–श्री अफजाल अहमद–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद जौनपुर के सदर निर्वाचन क्षेत्र जौनपुर में अनेक इण्डिया मार्का–2 हैण्ड पम्प खराब पड़े हैं ? यदि हां तो उनके रख-रखाव की जिम्मेदारी किस अधिकारी की है ? खराब हैण्ड पम्पों को कब तक ठीक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

नगरीय क्षेत्र के हैण्डपम्पों के रख-रखाव की जिम्मेदारी स्थानीय निकाय तथा ग्रामीण क्षेत्रों के हैण्डपम्पों की जिम्मेदारी संबंधित कार्यदायी संस्था की है ।

उ० प्र० जल निगम द्वारा लगाये गये हैण्डपम्प शीघ्र ठीक करा दिये जायेंगे ।

लागू नहीं ।

जनपद पिथौरागढ़ के पंचेश्वर में प्रस्तावित मिनरल वाटर प्लान्ट आरम्भ कराने की मांग

114–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि विधान सभा क्षेत्र 9–पिथौरागढ़ के पंचेश्वर में मिनरल वाटर प्लान्ट प्रस्तावित है ? यदि हां, तो यह कब से आरम्भ कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० रमेश पोखरियाल निशंक–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

किसी उद्यमी से कोई आवेदन-पत्र प्राप्त न होने के कारण ।

उ० प्र० आवास विकास परिषद्, लखनऊ के इन्दिरा नगर आवास तथा विस्तार योजनान्तर्गत ग्राम बस्तौली के भू-स्वामियों की अर्जित की गई भूमि तथा मुआवजे के भुगतान का विवरण

115–श्री गणेश राजभर–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् की लखनऊ स्थित इन्दिरा नगर आवास योजना तथा इन्दिरा नगर विस्तार योजना में ग्राम बस्तौली के खसरा नम्बर–129 की किन भू-स्वामियों की कितनी-कितनी भूमि अर्जित की गई और उन्हें कितना मुआवजा दिया गया ? क्या कुछ भू-स्वामियों तथा सोसाइटीज के नाम भूमि अर्जन से मुक्त भी किया गया ? यदि हां, तो किनके और उनसे कितना-कितना विकास शुल्क लिया गया ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि इन विज्ञप्तियों के जारी होने से पूर्व के निर्मित आवासीय भवनों का भी अर्जन किया गया ? यदि हां, तो किनके आवासीय भवनों का अर्जन किया गया तथा उनको उनके भूमि और उस पर निर्मित भवन का मुआवजा कितना-कितना और किस दर पर किन तिथियों में दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद् की लखनऊ स्थित इन्दिरानगर योजना में ग्राम बस्तौली के खसरा सं०–129 की 4-0-0 बीघा भूमि अर्जित की गयी जिसका विवरण निम्न है :––

भू-स्वामी का नाम	खाता सं०/रकबा	धनराशि (भुगतान की गई)
श्री शेख रिशाद शाहिद हुसैन	137 ए/0-2-0	रु० 1,82,863.31
–तदैव–	137 बी/2-3-0	इस धनराशि में अन्य खसरों की भूमि का प्रतिकर भी शामिल है।
श्री लक्ष्मण प्रसाद	119/1-3-0	रु० 11,397.75
श्री गणेश		रु० 1,085.49
श्री बाबू लाल	82/-12-0	रु० 8,955.37
श्री कल्लू		रु० 8,955.36

आवास एवं विकास परिषद् की इन्दिरानगर विस्तार योजना में ग्राम बस्तौली के खसरा सं०–129 मि० की निम्न भू-स्वामियों के नाम से उनके नाम के सम्मुख अंकित रकबे की कुल 42–6–0 बीघा भूमि अर्जित की गयी है तथा उनके नाम के सम्मुख अंकित मुआवजे की धनराशि का भुगतान किया गया है :––

भू-स्वामी का नाम	रकबा (बीघा में)	धनराशि
1––शेख रिशाद शाहिद हुसैन	18-15-6	रु० 20,16,324.22
तथा 1/10 भाग श्रीमती रजिया को		रु० 2,61,033.30
2––श्रीमती ताहिरा बेगम	1-10-0	रु० 67,602.03
3––श्री शेख रिशाद शाहिद हुसैन	1-16-0	रु० 2,99,779.15 (ब्याज सहित)
4––श्री रामा प्रसाद श्रीवास्तव	0-6-0	रु० 33,306:67
5––श्री रविदत्त शुक्ला	1-5-14	रु० 33,225.65

भूस्वामी का नाम	रकबा (बीघा में)	धनराशि
श्री राजेन्द्र प्रसाद व		रु० 36,303.73
श्री सुरेन्द्र सहाय व		रु० 33,225.65
श्री रंजीत कुमार		रु० 36,303.74
6—श्री शान्ति सहाय अवस्थी	0-3-0	रु० 16,887.85
7—श्री सूर्य नारायण सिंह	0-2-0	रु० 11,258.58 भुगतान नहीं लिया है ।
8—श्री त्रिलोकी नाथ गुप्ता	0-2-0	रु० 11,258.58 भुगतान नहीं लिया है ।
9—श्री किशोर कुमार	1-6-0	रु० 1,46,361.50
10—श्री कैलाश चन्द्र	0-2-0	रु० 11,258.58
11—श्री गणेश राम	0-4-0	रु० 24,768.87 भुगतान नहीं लिया है ।
12—श्री देवी प्रसाद	0-2-0	रु० 11,258.58 भुगतान नहीं लिया है ।
13—मतरुक भूमि	17-11-12	भुगतान नहीं लिया गया है ।

खसरा सं०–129 मि० में श्री त्रिलोकी नाथ शुक्ला क्षेत्रफल 288 वर्गफुट, श्री सूर्य नारायण सिंह क्षेत्रफल 288 वर्ग फुट में बने निर्माणों को अर्जनमुक्त किया गया है तथा इनसे कोई विकास शुल्क नहीं लिया गया, इसके अतिरिक्त इन खसरों की भूमि किसी सोसाइटीज को अर्जन से मुक्त नहीं की गयी है ।

उपरोक्तानुसार ।

जी हां ।

श्री देवी प्रसाद चौधरी की 0-2-0 (दो बिस्वा) भूमि तथा उस पर निर्मित भवन का अर्जन किया गया परन्तु विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा केवल भूमि का मुआवजा रु० 1.88 प्रति वर्गफुट की दर पर रु० 11,258.58 बनाया गया परन्तु भूस्वामी द्वारा मुआवजे की धनराशि प्राप्त नहीं की गयी और न ही कोई आपत्ति विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गयी । निर्मित भवन का मुआवजा भू-स्वामी द्वारा मांग न करने के कारण निर्धारित नहीं किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उप श्रमायुक्त, लखनऊ क्षेत्र कार्यालय से सम्बद्ध श्री अरविन्द कुमार सिंह, आशुलिपिक, बरेली क्षेत्र को वेतन/भुगतान करने की मांग

116–श्री अक्षयवर लाल–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री अरविन्द कुमार सिंह, आशुलिपिक बरेली क्षेत्र जिन्हें उप श्रमायुक्त लखनऊ क्षेत्र लखनऊ के कार्यालय से मार्च, 1998 में सम्बद्ध किया गया था, को माह सितम्बर, 1998 से वेतन न दिये जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार श्री सिंह को बरेली क्षेत्र के अपर श्रमायुक्त बरेली से वेतन का भुगतान करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

जी हां । कार्यालय आदेश संख्या–7500-3/स्था, दिनांक 10-12-98 द्वारा श्री सिंह की सम्बद्धता लखनऊ क्षेत्र, लखनऊ से समाप्त किये जाने के फलस्वरूप वेतन नहीं दिया जा सका ।

दिनांक 15-2-99 को श्री सिंह को वेतन धनराशि रु० 23,468 का चेक हस्तगत करा दिया गया है।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

हापुड़, पिलखुआ विकास प्राधिकरण को शासन एन० सी० आर० के माध्यम से प्राप्त धन तथा उसका सदुपयोग न होने विषयक प्रकरण में जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही

117–डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हापुड़ पिलखुवा विकास प्राधिकरण को शासन एन० सी० आर० के माध्यम से कितना धन प्राप्त हुआ है ? उक्त धन किन-किन योजनाओं के लिए अवमुक्त किया गया है ? क्या यह धन जिस मद हेतु प्राप्त हुआ है उसी मद में खर्च हुआ है ? यदि नहीं, तो क्यों ? इसका सदुपयोग न होने के कारण अब तक प्राधिकरण को कितना ब्याज देय है ? इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लाल जी टण्डन–

शासन, एन० सी० आर० के माध्यम से कुल रुपये 11,39,87,000.00 की धनराशि हापुड़ पिलखुआ विकास प्राधिकरण को अवमुक्त की गई है । उपरोक्त धनराशि में फल एवं सब्जी मण्डी योजना हेतु एन० सी० आर० से प्राप्त केन्द्रांश रु० 5.30 करोड़, शासन द्वारा अवमुक्त राज्यांश रु० 1.325 करोड़ तथा प्रीति बिहार आवासीय योजना हेतु रु० 4,7737 करोड़ शासन द्वारा अवमुक्त राज्यांश के रूप में सम्मिलित है ।

जी हां, उपरोक्त धनराशि इन्हीं दोनों योजनाओं के भूमि अधिग्रहण हेतु जिलाधिकारी, गाजियाबाद को उपलब्ध करा दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

दिनांक 03-12-1998 तक ब्याज तथा दण्ड ब्याज के रूप में प्राधिकरण पर रु० 1.855 करोड़ की धनराशि देय है । भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण न होने के कारण योजनाओं के क्रियान्वयन में विलम्ब हो रहा है । भू-अर्जन की कार्यवाही में विलम्ब का कारण भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों के एक सदस्य को नौकरी देने में असमर्थता व्यक्त किया जाना है तथा कतिपय अन्य विकास प्राधिकरणों पर प्रतिकर के भुगतान का बकाया होना है । निहित नीतिगत बिन्दुओं पर उच्च स्तरीय निर्णय प्राप्त होने के उपरान्त अर्जन की कार्यवाही हो सकेगी । उपरोक्त कारणों से किसी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मदरसों की संख्या तथा सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता

118–श्री यशपाल सिंह चौहान–

क्या अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० में मुस्लिम मदरसों की संख्या कितनी है ? क्या सरकार द्वारा इन्हें कोई आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है ? यदि हां, तो कितनी ?

श्री राजा गजनफर अली–

प्रदेश में अरबी–फारसी बोर्ड, उ० प्र० इलाहाबाद से मान्यता प्राप्त 781 मदरसे संचालित हैं ।

सरकार द्वारा स्थायी मान्यता प्राप्त मदरसों को अनुदान सूची पर लिया जाता है । अनुदानित मदरसों के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को नियमित रूप से मासिक वेतन दिया जाता है । वर्तमान में प्रदेश में

317 मदरसे अनुदानित हैं जिनके कर्मचारियों को मासिक वेतन दिया जाता है इसके अतिरिक्त सहायता प्राप्त मदरसों को पोषण अनुदान (अनुरक्षण अनुदानों) के अन्तर्गत, जल, विद्युत, भूमि एवं भवन कर, पुस्तक एवं लेखन सामग्री, क्षुद्र जीर्णोद्धार काष्ठोपकरण तथा संयोगिक व्यय हेतु निर्धारित मानक के अनुसार सरकार द्वारा धनराशि प्रदान की जाती है। समस्त सहायता प्राप्त मदरसों के लिये पूरे वर्ष हेतु दी जा रही धनराशि रु० 12.70.000 है।

मदरसा इसहाकिया अरबिया मिफ्ताहुल ऊलूम, जिला देवरिया बुद्धू खान को मान्यता प्रदान करने की मांग

119–श्री श्याम किशोर यादव–

विधान सभा के 1982 के द्वितीय सत्र के प्रथम सोमवार के अतारांकित प्रश्न सं० 122 के उत्तर के संदर्भ में क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे की मदरसा इसहाकिया अरबिया मिफ्ताहुल ऊलूम ग्रा० व पो० देवरिया बुद्धू खान जनपद देवरिया को मान्यता प्रदान की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजा गजनफर अली–

प्रश्नगत मदरसे द्वारा मान्यता हेतु आवेदन पत्र निदेशालय में उपलब्ध नहीं कराया गया है। ऐसी स्थिति में उसके मान्यता पर विचार सम्भव नहीं है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

120– श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

[दिनांक 24–2–99 को अता०प्र०सं० 178 द्वारा उत्तरित]

जनपद मेरठ/बागपत में खराब हैण्ड पम्पों को ठीक कराने हेतु धन उपलब्ध कराने की मांग

121—श्री समर पाल सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि मेरठ/बागपत जनपद में अनेक हैण्ड पम्प खराब पड़े हैं? क्या सरकार खराब हैण्ड पम्प ठीक कराने हेतु धन उपलब्ध करायेगी ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हां।

खराब हैण्डपम्पों को रि-बोर कर कार्यशील बनाने हेतु वित्तीय वर्ष 1999–2000 में जिला योजना के अन्तर्गत समुचित धनराशि का प्राविधान किया गया है।

122–श्री अजय कुमार पोइया–

[दिनांक 8–3–99 को अता० प्र० सं० 133 द्वारा उत्तरित]

123—श्री लाखी राम जोशी–

[6वें बुधवार में अता० प्र० सं०–181 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद अम्बेडकर नगर, टाण्डा तापीय शक्ति परियोजना का ऐश बांध टूटने से उत्पन्न जल भराव से प्रभावित कृषकों को क्षतिपूर्ति दिलाने की मांग

124—श्री लालजी वर्मा–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि टाण्डा तापीय शक्ति परियोजना विद्युत टाण्डा जनपद–अम्बेडकर नगर का ऐश बांध माह दिसम्बर, 1998 में टूट जाने से ग्राम कनौढ़ा एवं बिहरा के कृषकों की खेती योग्य जमीन में जल भराव हो गया है जिसके कारण रबी की बुवाई नहीं हो पायी है ?

यदि हां, तो क्या जल भराव से प्रभावित कृषकों को क्षतिपूर्ति राज्य विद्युत परिषद् द्वारा दिलायी जायेगी? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

जल भराव से हुई फसल की क्षतिपूर्ति की मांग के संबंध में जिलाधिकारी, अम्बेडकरनगर से जांच आख्या प्रतीक्षित है । जांच आख्या/संस्तुति प्राप्त होने पर समुचित कार्यवाही की जायेगी ।

जांच आख्या/संस्तुति प्राप्त होने पर समुचित कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद अम्बेडकर नगर, पो० मखदूमनगर, ग्राम कनौढ़ा के श्री सिया राम वर्मा को राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के आदेश पर टाण्डा तापीय विद्युत परियोजना में अवर अभियन्ता पद पर नियुक्ति के आदेश का अनुपालन की जानकारी

125–श्री लालजी वर्मा–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 2 दिसम्बर, 1998 को राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग उ० प्र० द्वारा श्री सिया राम वर्मा पौत्र श्री ठाकुर प्रसाद ग्राम कनौढ़ा पो० मखदूमनगर जिला अम्बेदकर नगर को टाण्डा तापीय परियोजना विद्युत नगर टाण्डा जनपद अम्बेडकर नगर में अवर अभियन्ता के पद पर नियुक्ति करने का आदेश दिया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त आदेश का अनुपालन किया जायेगा? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

माननीय राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग उ० प्र० के उक्त निर्णय दिनांक 2-12-98 को माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती देने का परिषद् ने निर्णय किया है ।

वर्ष 1998 में नगर पंचायत कप्तानगंज व रामकोला में शासनादेशों के विपरीत नियुक्तियों की जिलाधिकारी, कुशीनगर द्वारा जांच

126–श्री राधेश्याम सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पंचायत कप्तानगंज व रामकोला में शासनादेशों के विपरीत नई नियुक्तियां किये जाने के संबंध में माह दिसम्बर, 1998 में जिलाधिकारी कुशीनगर द्वारा जांच की गयी है ? यदि हां, तो क्या जांचोपरान्त उक्त नियुक्तियां निरस्त कर दी गयी हैं? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हां ।

जांचोपरान्त नगर पंचायत रामकोला में पम्प अटेन्डेन्ट के पद पर दिनांक 27-10-98 को नियुक्त श्री सुरेन्द्र कुमार व नगर पंचायत कप्तानगंज में पम्प अटेन्डेन्ट के पद पर दिनांक 28-10-98 को नियुक्त श्री चन्द्र प्रकाश सिंह की शासनादेशों के विपरीत की गयी नियुक्ति जिलाधिकारी के आदेश 9-2-99 द्वारा निरस्त कर दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद चम्पावत, ग्राम–पुल्ला, लोहाघाट में प्रस्तावित पेयजल योजना शासन स्तर पर लम्बित होने की जानकारी

127–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या सरकार को जानकारी है कि ग्राम पुल्ला वि० ख० लोहाघाट, जिला–चम्पावत की पेयजल योजना का प्रस्ताव शासन स्तर में लम्बित है ? यदि हां, तो कब तक लिफ्ट योजना बनकर तैयार हो जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० रमेश पोखरियाल निशंक–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

128–श्री लालजी वर्मा–

[4थे शुक्रवार के लिये स्थगित]

दि० 11 अक्टूबर, 1989 को शासनादेशों के बाद नगर निगम आगरा में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित/समायोजित किया जाना

129–डा० रामबाबू हरित–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 11 अक्टूबर, 1989 के शासनादेशों के बाद नगर निगम आगरा में कुल कितने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी नियमित व पदोन्नत किये गये ? क्या सीधी भर्ती के पदों पर भी पदोन्नति द्वारा कुछ पद भरे गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

नगर निगम, आगरा में शासनादेश में निर्धारित दिनांक 11 अक्टूबर, 1989 के बाद नियुक्त कुल 17 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी नियमित/समायोजित किये गये हैं । सीधी भर्ती के 5 पदों को पदोन्नति द्वारा भरा गया है, तथा 18 पदों को विनियमितीकरण समायोजन करके भरा गया है । सीधी भर्ती के उक्त पदों में से 4 पदों को 10 प्रतिशत पदोन्नति से भरे जाने के प्राविधान के अन्तर्गत एवं शेष पदों को कार्यहित एवं आवश्यकता की अनिवार्यता को दृष्टिगत रखते हुए विनियमितीकरण/समायोजन करके भरा गया है ।

जनपद अम्बेडकर नगर, जहांगीरगंज, के ब्लाक बन्दुहा आईबासा पर बने विद्युत उपकेन्द्र फीडरों को चालू कराने की मांग

130–श्री भीम प्रसाद सोनकर–

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकर नगर के जहांगीरगंज विधान सभा क्षेत्र के ब्लाक बन्दुहा आई वाला पर बने विद्युत उपकेन्द्र का दूसरा और तीसरा फीडर नहीं चालू किया गया ? यदि हां, तो उसे कब तक चालू किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां, प्रश्नगत विद्युत उपकेन्द्र का दूसरा और तीसरा फीडर अभी चालू नहीं किया गया ।

अप्रैल, 1999 तक चालू किया जाना प्रस्तावित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश लघु पनबिजली निगम के वार्षिक टर्न ओवर का विवरण

131–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश लघु पनबिजली निगम का कुल वार्षिक "टर्न ओवर" क्या है ? यह निगम वर्तमान में कितने मेगावाट विद्युत उत्पादन कर रहा है ? निगम द्वारा अब तक कुल कितने बिजलीघरों का निर्माण किया जा चुका है और कितने बिजलीघर निर्माणाधीन हैं ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

निगम का कुल वार्षिक "टर्न ओवर" रु० 378.82 लाख है ।

14.95 मेगावाट ।

08 बिजलीघरों का निर्माण किया जा चुका है ।

12 बिजलीघर निर्माणाधीन हैं ।

जनपद उन्नाव, शुक्लागंज, विकास प्राधिकरण के जोनल प्लान के कार्यान्वयन की जानकारी

132–श्री राम शंकर पाल–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद उन्नाव में शुक्लागंज विकास प्राधिकरण का जोनल प्लान बन गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि इस प्राधिकरण की स्थापना 12 वर्ष पूर्व हुई थी ? यदि हां, तो क्या उसका मास्टर प्लान भी बन गया था ? यदि हां, तो अब तक उक्त प्राधिकरण के कार्यान्वित न हो पाने का क्या कारण है ?

श्री लाल जी टण्डन–

जोनल प्लान से संबंधित भौतिक सर्वेक्षण के आधार पर बेस मैप तैयार कर लिया गया है तथा इससे संबंधित सर्वेक्षण कार्य पूर्ण कर लिया गया है । एक जोन का जोनल प्लान भी तैयार कर लिया गया है ।

प्राधिकरण का गठन दिनांक 7-12-83 को हुआ था इस प्रकार प्राधिकरण की स्थापना लगभग 16 वर्ष पूर्व हुई थी ।

उन्नाव-शुक्लागंज विकास क्षेत्र की महायोजना शासनादेश संख्या–719/37-3-6 महा०/86, दिनांक 3 जून, 1988 द्वारा अनुमोदित की गयी है । उन्नाव–शुक्लागंज विकास क्षेत्र की अनुमोदित महायोजना दिनांक 19-6-88 से प्रभावी है ।

प्राधिकरण दिनांक 7-12-83 से कार्यरत है । शेष प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सिद्धार्थनगर, खेसरहा के कतिपय ग्रामों का राज्य विद्युत परिषद् शक्ति भवन, लखनऊ से धन उपलब्ध कराकर विद्युतीकरण की जानकारी

133–श्री राधेश्याम सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि उनके पत्र संख्या–4990/वी०आई०पी०/98, दिनांक 23 जुलाई, 1998 द्वारा ग्राम मेहनुआ, ग्राम सभा चिऊटहा विकास खण्ड खेसरहा, जिला–सिद्धार्थनगर का राज्य विद्युत परिषद् से धन उपलब्ध कराकर विद्युतीकरण कराने हेतु आदेश सदस्य, वितरण, राज्य विद्युत परिषद् शक्ति भवन, लखनऊ को दिया गया था ? यदि हां, तो गांव के विद्युतीकरण हेतु कितनी धनराशि का आगणन प्राप्त हुआ और कितनी धनराशि अभी तक दी गयी है ? क्या सरकार उक्त गांव के विद्युतीकरण हेतु सम्पूर्ण धनराशि परिषद् से अवमुक्त कराकर विद्युतीकरण करा देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां। परन्तु पत्र पर परिषद् से धन उपलब्ध कराकर विद्युतीकरण करने के निर्देश नहीं थे।

प्रश्नगत ग्राम मेहनुआ के विद्युतीकरण पर रु० 3.48 लाख का खर्च आयेगा। विद्युतीकरण के लिये कोई धनराशि अवमुक्त नहीं की गयी है क्योंकि उपरोक्त ग्राम जिला सिंचाई एवं ऊर्जा सलाहकार समिति द्वारा चयनित नहीं है और सम्बन्धित क्षेत्र के माननीय विधायक द्वारा संस्तुतित पांच ग्रामों की सूची में भी नहीं है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्नगत ग्राम जिला सिंचाई एवं ऊर्जा सलाहकार समिति द्वारा चयनित नहीं है और सम्बन्धित क्षेत्र के मा० विधायक द्वारा संस्तुतित पांच ग्रामों की सूची में भी नहीं है।

134–श्री लालजी वर्मा–

[4 थे शुक्रवार के लिये स्थगित]

जनपद चित्रकूट, ग्राम छिदरिहा बुजुर्ग के श्री मुन्नी लाल द्वारा नलकूप हेतु धन जमा करने पर भी कनेक्शन न दिये जाने का कारण

135–श्री दद्दू प्रसाद–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला चित्रकूट में ग्राम छिदरिहा बुजुर्ग निवासी श्री मुन्नीलाल पुत्र श्री सहादेव का नलकूप कनेक्शन हेतु धनराशि जमा है ? यदि हां, तो अभी तक कनेक्शन न दिये जाने के क्या कारण है ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां।

परिषदीय नियमानुसार निजी नलकूप कनेक्शन हेतु उपभोक्ता को आवश्यक विद्युत सामग्री विद्युत भंडार केन्द्र से कार्य-स्थल तक ले जाना पड़ता है। उपभोक्ता ने नलकूप कनेक्शन हेतु आवश्यक सामग्री जैसे ट्रांसफार्मर आदि विद्युत भंडार केन्द्र से नहीं उठाया है। इसलिये उक्त नलकूप कनेक्शन नहीं दिया जा सका।

जनपद पिथौरागढ़ एवं चम्पावत में ''ग्रीन हाउस टेक्नोलाजी'' द्वारा पौली हाउस का निर्माण तथा सब्जी उत्पादकों को प्रशिक्षण व्यवस्था

136–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे ''ग्रीन हाउस टेक्नोलौजी'' से जनपद चम्पावत एवं पिथौरागढ़ के लिये कितने पौली हाउसों का निर्माण किया जायेगा ? इन पर कितना रुपया खर्च होगा ? सब्जी उत्पादकों को जनपद स्तर पर प्रशिक्षण की क्या व्यवस्था है ?

डा० रमेश पोखरियाल निशंक–

जनपद पिथौरागढ़ एवं चम्पावत में अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना के अन्तर्गत क्रमशः 150 एवं 75 पौली हाउस के निर्माण का प्रस्ताव है।

150 पौली हाउस के निर्माण पर रु० 102.75 लाख एवं 75 पौली हाउस के निर्माण पर रु० 53.385 लाख का व्यय अनुमानित है।

जनपद स्तर पर सब्जी उत्पादकों को त्रिदिवसीय प्रशिक्षण दिया जाता है।

137–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

[4थे सोमवार में अता०प्र०सं० 176 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद मैनपुरी में जल निगम द्वारा इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प लगाने के प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

138–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मुख्य मंत्री को प्रेषित प्रश्नकर्ता का पत्रांक संख्या–सी० एम० वि० को/एम–3/16936/ मैनपुरी/98 दिनांक 7-10-98 बाबत जल निगम द्वारा लगवाये जाने इण्डिया मार्का–2 हैण्ड पम्प विषयक पत्र प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उसके मुख्य बिन्दु क्या है ? क्या सरकार पत्र में वांछित कार्यवाही न करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

प्रश्न में वर्णित पत्र मुख्य मंत्री कार्यालय (विधायक कोष्ठक) द्वारा दिनांक 8-10-98 को सीधे जिला अधिकारी, मैनपुरी को भेजा गया है, किन्तु जनपद मैनपुरी से उक्त पत्र प्राप्त न होने की सूचना प्राप्त हुई है।

जिलाधिकारी, मैनपुरी को प्रश्न में संदर्भित पत्र की पुनः खोज करने हेतु निर्देश प्रसारित कर दिये गये हैं।

लखनऊ–सीतापुर रोड, मोहल्ला फातिमा नगर, मोहिबुल्लापुर में कच्चे नाले पर पुलिया निर्माण कराने हेतु विधायक के पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

139–डा० मुस्लिम–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि मोहल्ला–फातिमा नगर, मोहिबुल्लापुर, सीतापुर रोड, लखनऊ के नागरिकों का हस्ताक्षरयुक्त पत्र मा० वसीम अहमद, विधायक के कवरिंग लेटर सहित दिनांक 25 मार्च, 1998 को मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, लखनऊ को, कच्चे नाले पर पक्की पुलिया निर्माण विषयक प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त मोहल्ला में स्थित कच्चे नाले पर पक्की पुलिया का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हां।

प्रश्नगत कार्य शीघ्र सम्पादित करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश जल निगम मुख्यालय मानसनगर, महोली रोड, मथुरा द्वारा भ्रष्टाचार की जांच हेतु प्रबन्ध निदेशक, जल निगम को प्राप्त विधायक प्रकोष्ठ के पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

140–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद मथुरा में परियोजना प्रबन्धक यूनिट 17 सी० एण्ड डी० एस०, उ० प्र० जल निगम मुख्यालय 163 मानसनगर महोली रोड, मथुरा द्वारा किये जा रहे कथित भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक : सी० एम०/वि० को०/एम–3/18140/मथुरा/98, दिनांक 14-11-98 प्रबन्ध निदेशक, जल निगम को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हां।

पत्र में इंगित बिन्दुओं पर जांच कराई गई। यूनिट–17, सी० एण्ड डी० एस०, उ० प्र० जल निगम, मथुरा में कर्मचारियों/पीस रेटेड वर्कर (पी० आर० डब्लू०) को नियमानुसार लागू प्रक्रिया के अनुसार ही रखा गया है। अतः कर्मचारियों के रखे जाने व पी०आर०डब्लू० भुगतान में कोई वित्तीय अनियमितता नहीं की गयी है।

जनपद मथुरा, नगला मौरा व नौहरा तहसील के जल निकासी विषयक जिलाधिकारी को प्राप्त विधायक कोष्ठक के पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

141–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि नगला मौरा व नौहरा तहसील व जिला मथुरा के जल निकासी की समुचित व्यवस्था किए जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक : सी० एम०/वि० को०/एम–6/18155/मथुरा/98; दिनांक 14-11-98 जिलाधिकारी, मथुरा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हां ।

नगला मौरा व नौहरा एक ही नगला है तथा ग्राम मौरा का भाग है जिसमें जल प्लावन से खेती से भूमि में पानी भर गया था । दिनांक 12-11-98 से 1-12-98 तक जल निकासी का कार्य कराया गया और लगभग 65 एकड़ भूमि से पानी निकाला जा चुका है ।

जनपद शाहजहांपुर, नगर वार्ड संख्या 1–5 के मकानों का करांकन तथा अवशेष वसूली व्यवस्था की मांग

142–श्री शरद वीर सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर नगर के वार्ड संख्या–1 से 5 में कुल कितने मकान हैं तथा इनमें से कितने मकान ऐसे हैं जिनका करांकन किया जाना अवशेष है ? क्या सरकार इन मकानों का करांकन कराकर कर वसूली की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

वार्ड संख्या 1 से 5 में कुल 4133 मकान हैं ।

इनमें से 1258 मकानों का करांकन किया जाना शेष है ।

जी हां ।

1 अप्रैल, 1999 से कर लागू कर, कर वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर, नगर के वार्ड संख्या 1-6 तक क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट के खराब प्वाइन्ट्स को ठीक कराने की मांग

143–श्री शरद वीर सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर नगर के वार्ड संख्या–1 से 6 तक कितने क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था है ? इसमें कितने स्ट्रीट लाइट्स के प्वाइन्ट्स काम कर रहे हैं तथा कितने प्वाइन्ट्स खराब हैं ? क्या इन प्वाइट्स को ठीक करवाने की व्यवस्था की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

शाहजहांपुर नगर के वार्ड संख्या–1 से 6 तक के क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं है ।

स्ट्रीट लाइट के 91 प्वाइन्ट्स कार्य कर रहे हैं तथा 751 प्वाइन्ट्स खराब हैं ।

जी, हां ।

विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय शाहजहांपुर द्वारा मार्ग प्रकाश की लाइनें ठीक कराये जाने पर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की जा सकेगी।

जनपद शाहजहांपुर नगर के वार्ड संख्या 1–8 में गड्ढायुक्त सड़कों की मरम्मत कराने की मांग

144–श्री शरद वीर सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर नगर के वार्ड संख्या–1 से 8 में कितनी कि० मी० डामर की सड़कें गड्ढायुक्त हैं ? क्या मंत्री जी इन गड्ढायुक्त सड़कों की मरम्मत की कोई व्यवस्था करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

शाहजहांपुर नगर में वार्ड संख्या–1 से 8 में 11.550 कि०मी० डामर की सड़कें गड्ढायुक्त हैं।

राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार प्रत्येक स्थानीय निकाय को उनके अंश की धनराशि सीधे उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे स्थानीय निकाय अपने कर्मचारियों का वेतन भुगतान, सड़क निर्माण व अन्य विकास कार्य कर सकते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर नगर वार्ड संख्या 1–7 में खराब हैण्ड पम्पों को ठीक कराने की मांग

145–श्री शरद वीर सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर नगर के वार्ड संख्या–1 से 7 में कितने हैण्ड पम्प खराब हैं ? क्या मंत्री जी पेयजल व्यवस्था सुधारने के लिये इन हैण्डपम्पों को ठीक कराने की व्यवस्था करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

वार्ड संख्या–1 से 7 में 35 हैण्डपम्प खराब हैं।

धन की उपलब्धता पर प्रश्नगत हैण्डपम्पों को ठीक किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

146–श्री राम शंकर पाल–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

147–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

[दिनांक 26–2–99 को अता०प्र०सं० 149 द्वारा उत्तरित]

जनपद हरदोई के मल्लावां क्षेत्र के ग्रामों में बाढ़ से क्षतिग्रस्त विद्युत खम्भों व लाइन को ठीक कराने की मांग

148–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–हरदोई के 91–मल्लावां क्षेत्र के अन्तर्गत बाढ़ से प्रभावित ग्राम पंचायत जसेनामऊ, ग्राम पंचायत म्योरा, ग्राम पंचायत छिबरामऊ ग्राम पंचायत कटरी छिबरामऊ, ग्राम पंचायत कटरी परसोला, ग्राम पंचायत परसोला, ग्राम पंचायत तेखा कुतली बावटमऊ ग्राम पंचायत ममियामऊ, ग्राम पंचायत गढ़ी रसूलपुर, ग्राम पंचायत ठठिया नरायनमऊ में बिजली के तमाम खम्भे अधिक बाढ़ आने के कारण गिर गये हैं तथा उन खम्भों को अभी तक नहीं लगाया गया है और न तार खींचे गये हैं ? क्या सरकार क्षतिग्रस्त खम्भों व लाइन को तत्काल ठीक कराने का आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी नहीं । ग्राम म्योरा, छिबरामऊ, परसोला, बाबटमऊ, भटियामऊ तथा गढ़ी रसूलपुर का विद्युतीकरण हो चुका था, परन्तु तार के चोरी हो जाने के कारण विद्युत आपूर्ति बन्द है । शेष ग्रामों का विद्युतीकरण नहीं हुआ है । उपरोक्त विद्युतीकृत ग्रामों में कोई विद्युत उपभोक्ता न होने के कारण चोरी गये तारों को नहीं बदला गया है । एक मात्र ग्राम परसोला में तार तथा अन्य सामग्री लगाकर तार बदलने का कार्य सांसद निधि से प्राप्त धनराशि से कराया जा रहा है ।

जी नहीं । मात्र ग्राम परसोला में उपरोक्तानुसार कार्य कराया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

कोई उपभोक्ता न होने के कारण ।

उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद् परिकल्पना खण्ड (तृतीय) को लखनऊ से गाजियाबाद शिफ्टिंग के आदेश

149–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद् के परिकल्पना खण्ड़ तृतीय (गाजियाबाद) का कार्यालय जून, 1998 में लखनऊ से गाजियाबाद में शिफ्टिंग के आदेश किये गये थे ? यदि हां, तो क्या उक्त खण्ड का गाजियाबाद में कार्यालय खोल कर कार्य शुरू हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

150–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

[दिनांक 12–2–99 को अता० प्र० सं० 39 द्वारा उत्तरित]

पिथौरागढ़ में पूर्व विद्युतीकृत गांवों की संख्या एवं पुनः विद्युतीकरण की मांग

151–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र 9–पिथौरागढ़ के कितने गांव ऐसे हैं, जिनको बहुत पहले से विद्युतीकरण युक्त दर्शाया गया है, परन्तु वहां न विद्युत पोल हैं और न ही तार लाइन ही है ? क्या उक्त गांवों को पुनः विद्युतीकरण कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी नहीं ।

विधान सभा क्षेत्र 9—पिथौरागढ़ के अन्तर्गत निम्नलिखित छह ग्रामों का पूर्व में विद्युतीकरण किया गया था । परन्तु विद्युत संयोजन न आने के कारण तथा प्राकृतिक आपदाओं के कारण लाइन क्षतिग्रस्त है।

1–डुगरा कोट

2–गहतोड़ा

3–धुवामारा

4–नाकोट

5–स्ताला

6–छतकोट

यदि ग्रामों में विद्युत के समुचित संयोजन के अनुबन्ध आ जाते हैं तो क्षतिग्रस्त लाइनों को ठीक करा कर विद्युत चालू करने की कार्यवाही धन की उपलब्धता के अनुसार की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

152—श्री हरदेव सिंह तथा श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद शाहजहांपुर में वार्ड संख्या 6–12 के मकानों का करांकन तथा वसूली की कार्यवाही

153—श्री शरद वीर सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर नगर के वार्ड संख्या 6 से 12 में कुल कितने मकान ऐसे हैं जिनका करांकन किया जाना अवशेष है ? क्या सरकार इन मकानों का करांकन कराकर कर वसूली की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

कुल 1535 मकानों का करांकन किया जाना अवशेष है ।

जी, हां ।

1 अप्रैल, 1999 से करारोपण कर वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर में वार्ड संख्या 16 से 23 तक खराब हैण्डपम्पों को ठीक कराने की व्यवस्था

154–श्री शरद वीर सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर नगर में वार्ड संख्या 16 से 23 में कितने हैण्ड पम्प छोटे व बड़े खराब हैं ? क्या मंत्री जी पेयजल सुविधा हेतु इन हैण्ड पम्पों को ठीक कराने की व्यवस्था करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

प्रश्न में वर्णित वार्ड सं०–16 से 23 में कुल 42 छोटे व बड़े हैण्डपम्प खराब हैं ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर खराब हैण्डपम्पों की मरम्मत करायी जायेगी ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद शाहजहांपुर में वार्ड संख्या 17 से 24 में गड्ढायुक्त सड़कों की मरम्मत हेतु व्यवस्था

155–श्री शरद वीर सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर नगर में वार्ड संख्या 17 से 24 में कितने कि०मी० डामर की सड़कें गड्ढायुक्त है जो मरम्मत योग्य हैं ? क्या सरकार उन सड़कों की मरम्मत हेतु कोई व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

शाहजहांपुर नगर में वार्ड सं०–17 से 24 में 11–710 कि०मी० डामर की सड़कें गड्ढायुक्त हैं ।

राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार प्रत्येक स्थानीय निकाय को उनके अंश की धनराशि सीधे उपलब्ध करायी जा रही है, जिससे स्थानीय निकाय अपने कर्मचारियों का वेतन, भुगतान, सड़क निर्माण व अन्य विकास कार्य करा सकते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर में वार्ड संख्या 7 से 14 में खराब पड़ी स्ट्रीट लाइट के प्वाइन्ट्स को ठीक कराने की व्यवस्था

156–श्री शरद वीर सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर नगर के वार्ड संख्या 7 से 14 में कितने क्षेत्र स्ट्रीट लाइट के प्वाइन्ट्स खराब हैं ? क्या सरकार इन को ठीक करवाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

शाहजहांपुर नगर के वार्ड संख्या–7 से 14 में 1600 पोल के क्षेत्र में 1474 प्वाइन्ट्स खराब हैं।

जी, हां।

अधिशासी अधिकारी, विद्युत वितरण खण्ड, द्वितीय, शाहजहांपुर द्वारा मार्ग प्रकाश की लाइनें ठीक कराये जाने के उपरान्त प्वाइन्ट्स ठीक कराने की व्यवस्था की जायेगी।

श्री लीलानन्द उनियाल, ओखला गेट, नई दिल्ली–25 को गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा वैशाली आवासीय योजनान्तर्गत आवंटित आवास का कब्जा न दिये जाने की जानकारी

157–श्री लाखीराम जोशी–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने पत्रांक 0010/676 7100010/ 000039/सीसी/97 दिनांक 30-5-1997 द्वारा श्री लीलानन्द उनियाल पुत्र श्री धर्मानन्द उनियाल निवासी आयुर्वेदिक एवं कर्मा डिपार्टमेंट होली-फेमिली हास्पिटल ओखला गेट, नई दिल्ली–25 को वैशाली आवासीय योजना के अन्तर्गत कामना टाइप में मकान नं०–बी/138(बी) सेक्टर–5 (ई०डब्लू०एस०) आवास आवंटित किया गया था तथा वांछित धनराशि 7000 रुपये श्री उनियाल द्वारा प्राधिकरण कार्यालय में दिनांक 30-6-97 को जमा कर दी गयी थी ? यदि हां, तो क्या उक्त व्यक्ति को आवास का कब्जा दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? आवंटित आवास का कब्जा उन्हें कब तक दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हां।

जी हां।

जी नहीं।

मकान नं० बी/138 बी० सेक्टर-5 (ई० डब्लू० एस०) का त्रुटिवश डबल आवंटन श्री रविकान्त माथुर एवं श्री लीला उनियाल को होने के कारण कब्जा नहीं दिया गया।

श्री उनियाल के दूसरे भवन के आवंटन के अनुरोधानुसार भवन संख्या 143 ए, सेक्टर–5 वैशाली कामना (ई० डब्लू० एस०), जो सन्दर्भित योजना समस्या का निदान कर दिया गया है। आवंटी को

ब्रोशर की शर्तों के अनुसार अवशेष धनराशि जमा कराकर एवं पंजीकृत विक्रय अनुबन्ध निष्पादित कराकर भवन का कब्जा प्राप्त करने हेतु दिनांक 11-2-99 को सूचित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़, नगर पालिका बेला के अधिशासी अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय विधायक हैण्डपम्प लगवाने की जानकारी

158–श्री चन्द्रनाथ सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अधिकारी नगर पालिका बेला–प्रतापगढ़ को नगर पालिका का क्षेत्र में इंडिया मार्का हैण्ड पम्प लगाने हेतु जिला अधिकारी, प्रतापगढ़ के पत्रांक संख्या–3847(1) शिविर–97, दिनांक 11-9-97 द्वारा आदेश निर्गत किया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त अधिशासी अधिकारी नगरपालिका, बेला–प्रतापगढ़ द्वारा हैण्ड पम्प लगवाने में क्षेत्रीय विधायक का भी परामर्श प्राप्त किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हां।

निर्धारित नीति के अनुसार हैण्डपम्प लगवाने में क्षेत्रीय विधायक का परामर्श अथवा अनुमोदन प्राप्त करने का प्राविधान न होने के कारण उनसे परामर्श नहीं प्राप्त किया गया।

नगर निगम लखनऊ में विभिन्न विकास कार्यों हेतु टेण्डर प्रथा बन्द होने की जानकारी

159–श्री समर पाल सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम, लखनऊ में विभिन्न विकास कार्य/मरम्मत कार्य ठेकेदारों को किस आधार पर आवंटित किये जा रहे हैं ? नगर निगम में विकास कार्यों हेतु टेण्डर प्रथा कब से बन्द हैं ?

श्री लाल जी टण्डन–

नगर निगम, लखनऊ में विभिन्न विकास कार्य/मरम्मत कार्य सामान्यतः टेण्डर प्रक्रिया द्वारा एवं आवश्यक कार्य सभासदों के अनुरोध पर कार्यकारिणी/नगर निगम सदन की स्वीकृति के पश्चात् नगर निगम अधिनियम की धारा–117(6) (ख) के अन्तर्गत कराये जाते हैं।

टेण्डर प्रथा बन्द नहीं है।

विवेकानन्द हाइडिल कालोनी, लखनऊ के अधिकारी क्लब से प्राप्त आमदनी के राज्य विद्युत बोर्ड में जमा किये जाने विषयक प्रकरण की जानकारी

160–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या उर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के विवेकानन्दपुरी में कोई अधिकारी क्लब है जिसे विवाह के लिये किराये पर भी दिया जाता है ? यदि हां, तो क्या उसकी आमदनी को राज्य विद्युत बोर्ड में जमा किया जाता है ? यदि हां, तो 1 जनवरी, 97 से 1 दिसम्बर, 98 तक कितना राजस्व जमा कराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

विवेकानन्दपुरी हाइडिल कालोनी में एक अधिकारी क्लब है। उक्त क्लब का संचालन हाइडिल कालोनी वासियों एवं क्लब के सदस्य द्वारा गठित समिति के पदाधिकारियों द्वारा किया जाता है। उक्त क्लब भवन समिति द्वारा ही विवाह आदि उत्सवों हेतु आवंटित किया जाता है तथा उक्त क्लब के

आय-व्यय का लेखा जोखा भी उक्त समिति द्वारा ही रखा जाता है । इस क्लब द्वारा कोई भी राजस्व इस मण्डल से सम्बन्धित किसी खण्ड/इकाई में जमा नहीं किया जाता है । वर्ष 1994 में परिषदादेश संख्या–1254-राविप–(औ०स०–17)–94–7 बी/85, दिनांक 18-5-94 द्वारा परिषद् ने क्लब के किराये की धनराशि अधिशासी अभियन्ता, विद्युत जनपद निर्माण खण्ड–1, लखनऊ के माध्यम से परिषदीय खाते में जमा करने का निर्णय लिया गया था । इस परिषदीय आदेश पर अध्यक्ष, विवेकानन्द पुरी आफीसर्स क्लब द्वारा तत्कालीन अध्यक्ष, राज्य विद्युत परिषद् ने सचिव, राज्य विद्युत परिषद् के लिये निम्न टिप्पणी अंकित की गयी "अभी इसे स्थगित रखा जाय" । उक्त स्थगन आदेश के परिपेक्ष्य में कोई राशि परिषदीय खाते में जमा नहीं की जाती है ।

प्रदेश में पेयजल व्यवस्था हेतु खराब हैण्डपम्पों की मरम्मत एवं निर्माण हेतु शासन की नीति की जानकारी

161–श्री राजधारी–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि पेयजल हेतु लगाये जा रहे इण्डिया मार्क–2 हैण्ड पाइप लगाने के बाद उसके रख रखाव, मरम्मत एवं निर्माण हेतु शासन की नीति क्या है ? उक्त मद में प्रति वर्ष शासन कितनी धनराशि उपलब्ध कराता है ?

श्री लाल जी टण्डन–

प्रदेश के नागर क्षेत्रों में हैण्डपम्पों का रखरखाव नागर स्थानीय निकाय/जल संस्थान द्वारा किया जाता है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीय पेयजल योजना के अन्तर्गत अधिष्ठापित हैण्डपम्पों के अनुरक्षण का कार्य सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा किया जाता है ।

नागर क्षेत्रों में अधिष्ठापित हैण्डपम्पों के रखरखाव हेतु आय-व्ययक में कोई धनराशि की व्यवस्था नहीं की जाती है । विशेष परिस्थितियों में प्रदेश के स्थाई रूप से नगरीय क्षेत्रों में खराब हैण्डपम्पों के रिबोर के लिये वित्तीय वर्ष 1997-98 में 6.84 करोड़ रु० की धनराशि अवमुक्त की गई थी । ग्रामीण क्षेत्रों में हैण्डपम्पों के रखरखाव हेतु शासन द्वारा प्रति वर्ष 7.50 करोड़ रु० की धनराशि उपलब्ध कराई गई है । वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक में इस हेतु कोई बजट व्यवस्था वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण नहीं की गयी है । ग्रामीण क्षेत्रों में अधिष्ठापित हैण्डपम्पों के अनुरक्षण/स्थाई रूप से खराब हैण्डपम्पों के रिबोर हेतु जिला योजना के अन्तर्गत वर्ष 1998-99 में 25.4572 करोड़ रु० का प्राविधान किया गया है ।

162–श्री लाखीराम जोशी–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद चम्पावत में 'लोहाघाट नगर पालिका परिषद्' बनाये जाने विषयक प्रस्ताव की जानकारी

163–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या नगर विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि लोहाघाट नगर पंचायत को "लोहाघाट नगर पालिका परिषद्" बनाये जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक पालिका परिषद् बन जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हां ।

मामले में अतिरिक्त सूचना/अभिलेख हेतु जिलाधिकारी, चम्पावत को लिखा गया है, जिसके प्राप्त होने पर नगर पंचायत, लोहाघाट को नगर पालिका परिषद् बनाया जाना सम्भव हो सकेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राज्य विद्युत परिषद् द्वारा जी० आई० वायर क्रय करने में टेण्डर हेतु भाग लेने वाली फर्मों का विवरण

164–श्री महेन्द्र कुमार बाल्मीकि तथा श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् में जनवरी 1996 से अक्टूबर 1998 के मध्य जी०आई० वायर क्रय करने के लिये कब तक कितनी कितनी मात्रा में सप्लाई हेतु टेण्डर प्रकाशित किये गये ? टेण्डर में तकनीकी एवं वाणिज्यिक बीड के लिये किन-किन शर्तों का पालन करना था ? क्या टेण्डर में भाग लेने वाली समस्त फर्मों के नाम पता एवं दर भी बतायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जनवरी, 1996 से अक्टूबर, 1998 के मध्य जी आई/जी० एस० एस० तार क्रय करने के लिये प्रकाशित निविदा तथा मात्रा (मी० टन) में का विवरण निम्नानुसार है :—

माह	जी० आई० तार			जी० एस० एस० तार	
	5 एम० एम०	4 एम० एम०	7/4 एम० एम०	7/3.15 एम० एम०	7/1.6 एम० एम०
4/96	2850	110	20	1100	—
8/97	2000	200	45	1950	15
9/98	—	—	275	—	130
योग	4850	310	340	3050	145

निविदा विशिष्टिकरण में सम्मिलित स्पेशल इन्सट्रक्शन्स/इन्सट्रक्शन्स टू टेण्डरर्स, जनरल रिक्वायरमेन्ट आफ स्पेसिफिकेशन तथा फार्म "बी" की मानक शर्तों के अनुसार पालन करना था।

निविदा में भाग लेने वाली फर्मों का विवरण एवं दरें संलग्नक–1 † में दर्शाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़/जौनपुर के 33/11 के० वी० विद्युत उपकेन्द्र में टूफेसिंग व्यवस्था की मांग

165–श्री हरदेव सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि आजमगढ़/जौनपुर जनपद में कितने 33/11 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र है ? इनमें से कितने उपकेन्द्र पर टूफेसिंग व्यवस्था नहीं है ? क्या मंत्री जी सभी विद्युत उप केन्द्रों पर समान रूप से टूफेसिंग व्यवस्था करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

आजमगढ़ एवं जौनपुर जनपद में 33/11 के० वी० के कुल क्रमशः 31 नग एवं 26 नग विद्युत उपकेन्द्र हैं।

वर्तमान में टूफेसिंग व्यवस्था नहीं है।

वर्तमान में कोई योजना नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

---

† छपा नहीं गया।

पीक आवर्स में मांग के सापेक्ष विद्युत की उपलब्धता में कमी होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के 33/11 के० वी० विद्युत उपकेन्द्रों को पोषित करने वाली 33 के० वी० लाइनों की विद्युत आपूर्ति 132/33 के० वी० विद्युत उपकेन्द्रों से ही विच्छेदित कर दी जाती है अतएव वर्तमान में टूफेसिंग की व्यवस्था नहीं है ।

जनपद आजमगढ़ 33/11 के० वी० विद्युत उपकेन्द्र पर शिकायत पुस्तिका में दर्ज शिकायतों का निराकरण एवं कथित ग्रामों में तार, क्रास आयरन आदि के नवीनीकरण की व्यवस्था की मांग

166—श्री हरदेव सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जनपद के अन्तर्गत 33/11 के०वी० विद्युत उपकेन्द्रों पर स्थित शिकायत पंजिका में दर्ज शिकायतों का माह फरवरी, 97 से अब तक कितने अनुरक्षण कार्य नहीं कराये गये हैं ? लम्बित शिकायतों का निराकरण कब तक करा दिया जायेगा ? क्या यह सही है कि ग्राम–कोहरौली पिछौरा तक डिसइन्सुलेटर, तार, क्रास आयरन आदि जर्जर हालत में हैं ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इसका सर्वे कराकर उनके नवीनीकरण की व्यवस्था करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

आजमगढ़ जनपद के अन्तर्गत 33/11 के० वी० विद्युत उपकेन्द्रों पर स्थित शिकायत पंजिका में दर्ज शिकायतों का माह फरवरी, 1997 से अब तक एक अदद अनुरक्षण कार्य किया जाना शेष है ।

लम्बित एक अदद अनुरक्षण कार्य का निराकरण मार्च, 1999 तक किया जाना प्रस्तावित है ।

जी हां ।

जी हां ।

मार्च, 1999 तक किया जाना प्रस्तावित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

167–श्री लाखीराम जोशी तथा श्री राजेन्द्र सिंह–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद टिहरी गढ़वाल, चम्बा नगर में मनोरंजन केन्द्र का निर्माण कराने की मांग

168—श्री लाखीराम जोशी –

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला टिहरी गढ़वाल के चम्बा नगर में सामुदायिक बहुउद्देशीय भवन (मनोरंजन केन्द्र) के निर्माण का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो निर्माण कार्य के लिये कितना धन अवमुक्त किया जाना है ? क्या उक्त सा० ब० भवन का निर्माण शीघ्र कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० रमेश पोखरियाल निशंक–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद टिहरी गढ़वाल के अंजनीसैंण व लम्बागांव में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण पर विचार

169—श्री लाखीराम जोशी–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला टिहरी गढ़वाल के स्थान अंजनीसैंण व लम्बगांव में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो उक्त केन्द्रों का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० रमेश पोखरियाल निशंक–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद टिहरी गढ़वाल के भूकम्प से क्षतिग्रस्त राजकीय इण्टर कालेजों के भवन निर्माण हेतु धनराशि उपलब्ध कराने की जानकारी

170—श्री लाखीराम जोशी–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री को जानकारी है कि जिला टिहरी गढ़वाल के भूकम्प क्षतिग्रस्त रा० इ० कालेज, गजा, रा० इ० का० नकोट एवं रा० इ० कालेज पांगरखाल के भवनों (अनावासीय) के निर्माण का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त निर्माणों के आगणनों में वांछित धनराशि क्या सम्बन्धित निर्माण एजेन्सियों को उपलब्ध करा दी गयी है ? यदि हां, तो कब, कितनी व किसे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० रमेश पोखरियाल निशंक–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विचाराधीन है ।

श्री आर० एस० गर्ग, सहायक निदेशक कारखाना नोएडा का अन्यत्र स्थानान्तरण कर भ्रष्टाचार की जांच हेतु प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

171—श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के शिकायती पत्र दिनांक 14 जून, 1998 तथा 1 अगस्त, 1998 जो श्री आर० एस० गर्ग, सहायक निदेशक कारखाना, नोएडा के अन्यत्र स्थानान्तरण कर उनके भ्रष्टाचार की जांच सतर्कता विभाग से कराये जाने के संबंध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

जी हां ।

विभागीय जांच की जा रही है ।

श्री आर० एस० गर्ग, सहायक निदेशक, कारखाना, नोएडा गाजियाबाद द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने की मांग

172—श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री आर० एस० गर्ग, सहायक निदेशक कारखाना जो वर्तमान में नोएडा में तैनात हैं इससे पूर्व कुल कितने अवधि तक नोएडा/गाजियाबाद में तैनात रहे हैं? क्या श्री गर्ग के नोएडा/गाजियाबाद के कार्यकाल की अनियमितताओं की जांच चल रही है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी जांच के बिन्दुओं तथा अब तक की जांच रिपोर्ट को सदन पटल पर रखेंगे ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

श्री आर० एस० गर्ग, सहायक निदेशक कारखाना नोएडा में दिनांक 19-9-97 से तैनात हैं । उनकी गाजियाबाद में तैनाती की अवधि निम्नवत् है :––

1—दि० 16-5-84 से 14-5-87 तक

2—दि० 29-1-91 से 20-4-95 तक

3—दि० 31-8-95 से 31-6-97 तक

जी हां ।

विभागीय जांच चल रही है । इसलिये जांच रिपोर्ट सदन पटल पर रखना सम्भव नहीं है ।

जनपद चम्पावत व पिथौरागढ़ के मुनस्यारी व धारचूला मोटर मार्ग के निर्माण की मांग

173—श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या सरकार को जानकारी है कि टनकपुर–जौलजीवी मोटर मार्ग जिसकी दूरी मात्र 103 कि०मी० है, जो जनपद चम्पावत व पिथौरागढ़ के काली नदी के किनारे के पिछड़े क्षेत्र के साथ ही सीमान्त क्षेत्र मुनस्यारी व धारचूला को भी जोड़ता है, के निर्माण हेतु क्षेत्रीय जनता विगत 20 साल से मांग कर रही है ? यदि हां, तो क्या उक्त मोटर मार्ग का निर्माण कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० रमेश पोखरियाल निशंक–

जी, हां, किन्तु मार्ग की स्वीकृत लम्बाई 109 कि०मी० है ।

उक्त मोटर मार्ग का निर्माण जौलजीवी की तरफ से प्रारम्भ है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद देहरादून सुतवा नदी पर पुल निर्माण की मांग

174—श्री राजेन्द्र सिंह–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि देहरादून जनपद में डोईवाला–कुइकावाला–दुल्लावाला मार्ग पर सुतवा नदी पर पुल निर्माण कराये जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो पुल का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० रमेश पोखरियाल निशंक–

आगणन प्राप्त है लेकिन प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है ।

शासन की अर्थोपाय एवं सीमित वित्तीय साधनों की स्थिति को देखते हुए उक्त पुल के निर्माण हेतु समय सीमा निर्धारित करना सम्भव नहीं है ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद देहरादून के स्वीकृत थानों धारकोट-लड़वाकोट मार्ग का निर्माण कराने की मांग

175—श्री राजेन्द्र सिंह–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि देहरादून जनपद के थानों धारकोट-लड़वाकोट मार्ग की स्वीकृति हो जाने के बाद भी निर्माण कार्य नहीं कराया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? निर्माण कार्य कब तक आरम्भ करा दिया जायेगा ?

डा० रमेश पोखरियाल निशंक–

थानों–धारकोट–लड़वाकोट मार्ग स्वीकृत है तथा इस पर निर्माण कार्य यथाशीघ्र कराया जायेगा ।

यथाशीघ्र ।

जनपद देहरादून में रिस्पना नदी पर सेतु निर्माण हेतु शासन के विचाराधीन स्वीकृत प्रस्ताव के सम्बन्ध में जानकारी

176—श्री राजेन्द्र सिंह–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि देहरादून जनपद के धर्मपुर–मोथरोवाला डोइवाला मार्ग में रिस्पना नदी पर सेतु निर्माण का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो सेतु निर्माण की स्वीकृति कब तक दे दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० रमेश पोखरियाल निशंक–

आगणन प्राप्त है किन्तु वर्तमान में प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

शासन की अर्थोपाय एवं सीमित वित्तीय संसाधनों की स्थिति को देखते हुए उक्त सेतु के निर्माण हेतु समय सीमा निर्धारण करना सम्भव नहीं है ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद टिहरी गढ़वाल में भिलंगना नदी पर झूला पुल बनवाने की जानकारी

177—श्री लाखीराम जोशी–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला टिहरी गढ़वाल के घनसाली कस्बे में भिलंगना नदी पर झूला पुल बनाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त पुल का निर्माण कब तक किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० रमेश पोखरियाल निशंक–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद टिहरी गढ़वाल के कतिपय स्वीकृत मोटर मार्गों के निर्माण की जानकारी

178—श्री लाखीराम जोशी–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला–टिहरी गढ़वाल में स्वीकृत ज्यारना–बंगिपाल, चोपड़िवाल गांव–कखवाड़ी, अद्यपाणी–बैरनी एवं गूलर–मजा मोटर मार्गों का निर्माण कब तक पूरा कर लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० रमेश पोखरियाल निशंक–

ज्यारना–बंगिपाल, चौपड़ियाल गांव, कखवाड़ी एवं अदवाणी बैरनी मार्ग के भाग में वन भूमि पड़ने के कारण अभी निर्माण कार्य पूरा नहीं है । वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही की जा रही है तथा उसके पश्चात् निर्माण कार्य पूर्ण किया जायेगा ।

गूलरूगजा मोटर मार्ग के 24 कि०मी० निर्माण की स्वीकृति है तथा उपरोक्त स्वीकृति के विरुद्ध निर्माण पूर्ण कर लिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पिथौरागढ़ के असेवित विकास खण्डों में राजकीय कन्या हाई स्कूल/इण्टर कालेज खोलने का प्रस्ताव

179—श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 9—पिथौरागढ़ में ऐसे कितने विकास खण्ड हैं,जहां सरकार की घोषणा के उपरान्त भी विकास खण्ड मुख्यालयों में राजकीय कन्या हाई स्कूल और इण्टर कालेज नहीं हैं ? क्या सरकार उक्त विकास खण्डों में विद्यालय खोलने का प्रस्ताव करेगी ? यदि हां, तो कब तक वह विद्यालय खोल दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० रमेश पोखरियाल निशंक–

शासन की नीति असेवित विकास खण्डों में कन्या हाईस्कूल खोले जाने को प्रोत्साहित किये जाने की है । विकास खण्ड बाराकोट में राजकीय कन्या हाईस्कूल/इण्टर कालेज संचालित नहीं है, विकास खण्ड पाटी में कन्या इण्टर कालेज संचालित नहीं है ।

प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण समय सीमा निर्धारित की जानी सम्भव नहीं है ।

उपरोक्तानुसार ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के मुख्य अभियन्ता सम्वर्ग में कार्यालय अधीक्षक, पाण्डुलिपिक व आशुलिपिक के कुल पद/आरक्षण कोटा एवं रोस्टर प्रणाली लागू करने के संबंध में जानकारी

180—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के मुख्य अभियन्ता सम्वर्ग में कार्यालय अधीक्षक, वरिष्ठ पाण्डुलिपिक, कनिष्ठ पाण्डुलिपिक, दैनिक श्रेणी लिपिक एवं आशुलिपिक ग्रेड–I, II, III के कुल कितने पद सृजित हैं ? उन पदों पर अनुसूचित जाति/जनजाति के कितने कर्मचारी कार्यरत हैं ? क्या उक्त पदों में नियमानुसार अनु० जाति/अनु० जनजाति का आरक्षण कोटा पूर्ण है ? क्या परिषद् द्वारा की गयी पदोन्नतियों में रोस्टर प्रणाली का पालन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी उक्त संवर्ग में अपूर्ण कोटे को सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति द्वारा आरक्षण कोटा पूर्ण कराने पर विचार करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मुख्य अभियन्ता संवर्ग में कार्यालय अधीक्षक, वरिष्ठ पाण्डुलिपिक, कनिष्ठ पाण्डुलिपिक, दैनिक श्रेणी लिपिक के क्रमशः 90, 247, 286, 479 एवं आशुलिपिक ग्रेड–I, II, III के क्रमशः 44, 596, 517 पद सृजित हैं ।

उन पदों पर अनुसूचित जाति/जनजाति के क्रमशः 17, 10, 39, 41, 4, 6 एवं 85 कर्मचारी कार्यरत हैं ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं थे ।

जी हां, भविष्य में जैसे-जैसे रिक्तियां होंगी उसे आरक्षण कोटा से भरा जायेगा । सम्प्रति आरक्षित वर्ग के कनिष्ठ पाण्डुलिपिक के अभ्यर्थियों को वरिष्ठ पाण्डुलिपिक के पद पर प्रोन्नत किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फतेहपुर में नजूल भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त करा कर भूमिहीनों में वितरित करने की मांग

181—श्री मुरलीधर—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फतेहपुर जिले में कितनी भूमि नजूल की है ? कितनी नजूल की भूमि में असरदार लोगों का अवैध कब्जा है ? क्या सरकार उक्त भूमि अवैध कब्जे से मुक्त कराकर भूमिहीनों में वितरित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन—

जनपद फतेहपुर में कुल 5,29,506.11 वर्गमीटर नजूल भूमि है । अवैध कब्जे में 1,19,979.21 वर्गमीटर भूमि है ।

नजूल भूमि के फ्री-होल्ड की वर्तमान नीति के अन्तर्गत अवैध कब्जेदारों को विनियमितीकरण का विकल्प उपलब्ध होने के कारण वर्तमान में अवैध कब्जे हटाने का कार्यक्रम नहीं है । नजूल भूमि को भूमिहीनों में वितरित करने का कोई प्राविधान वर्तमान नीति में नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव मेसर्स सोमानी आयरन स्टील्स लिमिटेड में 5 एम० बी० ए० ट्रांसफार्मरों के जलने के कारण तथा वासुदेव कोल्ड स्टोरेज एवं गुप्ता कोल्ड स्टोरेज, सफीपुर में लाखों रुपये की क्षति के संबंध में मुख्य सचिव को प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

182—श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० रा० वि० परिषद् के अन्तर्गत मेसर्स सोमानी आयरन स्टील्स लिमिटेड, उन्नाव पर लगे 5 एम० वी० ए० के तीनों ट्रांसफार्मर जल गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि मेसर्स वासुदेव कोल्ड स्टोरेज एवं गुप्ता कोल्ड स्टोरेज सफीपुर, उन्नाव में लाखों रुपये की क्षति संबंधी श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया, विधायक का पत्र दिनांक 13-3-97 एवं 10-3-97 जो कि मुख्य सचिव, उ० प्र० शासन को संबोधित था, प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

जी हां । मै० सोमानी आयरन एण्ड स्टील्स लि०, उन्नाव के परिसर में लगे 5 एम वी ए के तीन ट्रांसफार्मर वर्ष 1995 में क्षतिग्रस्त हुए थे । क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मरों को यथाशीघ्र बदल दिया गया था । वर्तमान में उपरोक्त परिसर में स्थापित ट्रांसफार्मर सुचारु रूप से कार्य कर रहे हैं ।

ट्रांसफार्मर नं० 1 में तकनीकी खराबी आ जाने के कारण दि० 4-5-95 को आग लग गयी थी जिससे अचानक लपटें निकलने लगीं । अग्निशमन दल के स्थल तक पहुंचने के पूर्व आग ने भीषण रूप ले लिया । ट्रांसफार्मर नं० 2 आग की लपेट में आ जाने के कारण क्षतिग्रस्त हो गया ।

ट्रांसफार्मर नं० 3 दि० 20-8-95 को तकनीकी खराबी के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था ।

मा० विधायक श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया का पत्र दि० 10-3-97 प्राप्त हुआ था लेकिन पत्र दि० 13-3-97 प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है ।

मा० विधायक श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया का पत्र दि० 10-3-97 में मै० वासुदेव कोल्ड स्टोरेज एवं गुप्ता कोल्ड स्टोरेज सफीपुर, उन्नाव में लाखों रुपये की क्षति के संबंध में कोई जिक्र नहीं था, वरन् मै० सोमानी आयरन स्टील्स लि०, उन्नाव पर लगे 5 एम० वी० ए० के तीनों ट्रांसफार्मर जलने से संबंधित था, जिसको उपरोक्तानुसार शीघ्रातिशीघ्र बदल दिया गया । तीनों ट्रांसफार्मरों के जलने की जांच की

जा रही है । प्रथम दो ट्रांसफार्मरों के संबंध में जांच आख्या पर कार्यवाही हो रही है । तीसरे ट्रांसफार्मर के जलने में कोई दोषी नहीं पाया गया था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

183–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

[नियम 28(11) के अन्तर्गत निरस्त]

राज्य विद्युत परिषद् में महिला चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता निर्धारण में धांधली विषयक मा० ब्रजभूषण सिंह कुशवाहा, एम० एल० सी० के शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

184—श्री हरदेव सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत महिला चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता निर्धारण में धांधली बरती गई है ? यदि हां, तो इसके लिये कौन अधिकारी दोषी है ? उसके विरुद्ध सितम्बर, 1998 तक क्या कार्यवाही की गई ? क्या इस संबंध में मा० ब्रज भूषण सिंह कुशवाहा, एम० एल० सी० का पत्र दिनांक 17-8-97 एवं दिनांक 26-8-97 जो कि मुख्य सचिव, उ० प्र० शासन एवं मुख्य मंत्री को सम्बोधित थे, प्राप्त हुए है ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी नहीं ।

वरिष्ठता निर्धारण में कोई धांधली नहीं बरती गयी है । अतः कोई अधिकारी दोषी नहीं है । इसलिये उनके विरुद्ध किसी कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् में मृतक आश्रितों को सेवायोजन देने सम्बन्धी आदेश के अन्तर्गत वर्ष 1990–1992 की अवधि में नियुक्त कर्मचारियों का विवरण

185–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत वर्ष 1974 के पूर्व मृतक के आश्रित को सेवा में लेने संबंधी परिषद् के क्या आदेश हैं तथा वर्ष 1990 से दिसम्बर, 1992 के मध्य कितने आश्रितों को सेवा में लिया गया ? क्या मंत्री जी उनके नाम, पदनाम, तैनाती स्थान एवं कर्मचारी की मृत्यु की तिथि बतायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् में 20 जून, 1974 से पूर्व मृत परिषदीय सेवकों के आश्रितों को सेवायोजन दिये जाने का विशेष अधिकार परिषदीय अधिसूचना संख्या–296-रविप/एएस–19/81–27एफ/80, दिनांक 8-4-1981 प्रति संलग्न) द्वारा अध्यक्ष को प्रदान किया गया था जिसके अन्तर्गत वर्ष 1990 से दिसम्बर, 1992 के मध्य 20 जून, 1974 से पूर्व मृत परिषदीय सेवकों के 21 आश्रितों को सेवायोजन प्रदान किया गया । अध्यक्ष को प्राप्त विशेषाधिकार परिषदीय अधिसूचना संख्या 5614-

डब्लूसी/राविप/औस–19/92–27 एफ/80, दिनांक 6-1-1993 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा समाप्त कर† दिये गये हैं ।

विवरण संलग्न है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राज्य विद्युत परिषद् मुख्य अभियन्ता (लखनऊ क्षेत्र) कार्यालय में सितम्बर, 1978 में तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की एडहाक नियुक्ति एवं नियमित करने की जानकारी

186–श्री महेन्द्र कुमार बाल्मीकि एवं श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता (लखनऊ क्षेत्र) लखनऊ कार्यालय में ऐसे कितने तृतीय श्रेणी कर्मचारी हैं जिन्हें सितम्बर 1978 में एडहाक पर नियुक्ति प्रदान की गई ? क्या मंत्री जी उनके नाम व पदनाम बतायेंगे ? क्या यह सत्य है कि एडहाक पर नियुक्ति तिथि से ही सम्बन्धित कर्मचारियों को नियमित कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

ऐसे दो कर्मचारी हैं ।

उनके नाम सर्वश्री पारस नाथ तिवारी व बसन्त लाल जायसवाल हैं जो दैनिक श्रेणी लिपिक हैं ।

जी हां, श्रम न्यायालय के दृष्टान्त के आधार पर दिये गये प्रत्यावेदन के परिपेक्ष्य में श्री पारस नाथ तिवारी को एडहाक पर नियुक्ति की तिथि से ही नियमित किया गया । चूंकि श्री बसन्त लाल जायसवाल को पहले ही नियमित घोषित किया जा चुका था और इस संबंध में उनका कोई प्रत्यावेदन न प्राप्त होने के फलस्वरूप उनके मामले में अग्रेतर विचार नहीं हो सका ।

विद्युत परिषद् के 11/33 के० वी० लाइनों के खम्भों को जाम करने हेतु मानक के अनुसार कंकरीट पत्थर न लगाये जाने एवं गोरखपुर मण्डल की कतिपय लाइनों सहित करोड़ों रुपये के घोटाले के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र पर जांच की जानकारी

187–श्री महेन्द्र कुमार बाल्मीकि एवं श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद के अन्तर्गत निर्माण किये जा रहे 11 के०वी० एवं 33 के०वी के लाइनों के खम्भों को जाम करने में मानक के अनुसार कितना कंकरीट एवं कितना सीमेण्ट लगाया जाना निर्धारित किया गया है ? क्या यह सत्य है कि पिछले 10 वर्षों में निर्मित किसी भी लाइन के खम्बे में सीमेण्ट एवं कंकरीट नहीं डाली जा रही है? क्या यह भी सत्य है कि गोरखपुर मंडल में बांसी से विथरिया, सोहरतगढ़ से बोहली एवं देवरिया से उसरा की लाइन सहित समस्त प्रदेश में करोड़ों रुपये का घोटाला किया गया है ? यदि हां, तो क्या इस संबंध में माननीय रवीन्द्र प्रताप मल्ल, विधायक के दिनांक 1-1-94 से 31-12-94 तक 20 पत्र अध्यक्ष, उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद को प्राप्त हुए है ? यदि हां, तो उनकी जांच किस अधिकारी द्वारा करायी गयी ? जांच का परिणाम क्या है ?

---

† छापी नहीं गयी ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

11 के० वी० की पी० सी० सी० खम्भों पर बनी लाइनों के सभी खम्भों को जाम नहीं किया जाता है। केवल कोणिक पोल, टी-आफ, क्रासिंग एवं अन्तिम खम्भे अथवा वे खम्भे, जो दलदली क्षेत्र में हों, को जाम किया जाता है जिसका मानक निम्नानुसार है :—

(i) सीमेन्ट 0.85 बोरी (ii) बालू 4.55 क्यूबिक फुट व (iii) गिट्टी 9.10 क्यूबिक फुट।

(ii) 33 के० वी० के प्रत्येक पी० सी० सी० पोल को जाम किया जाता है जिसका मानक निम्नानुसार है :—

(i) सीमेन्ट 0.90 बोरी (ii) बालू 4.82क्यूबिक फुट व (iii) गिट्टी 9.64 क्यूबिक फुट।

जी नहीं।

गोरखपुर मण्डल में बांसी से विधरिया सोहरतगढ़ से बोहनी एवं देवरिया से उसरा तक की 33 के० वी० लाइन के खम्भों को जाम करने में उपरोक्त मानक के अनुसार सीमेन्ट बालू व गिट्टी का प्रयोग किया गया है।

सन्दर्भित पत्र विद्युत परिषद् में प्राप्त हुए नहीं प्रतीत होते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य विद्युत परिषद् के 800 के० वी० सिंगिल सर्किट आनपारा उन्नाव लाइन के टावर्स पेंटिंग पर करोड़ों रुपये की क्षति की सी० बी० आई० से जांच की मांग

188–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया तथा श्री हरदेव सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत 800 के०वी० सिंगिल सर्किट अनपरा उन्नाव लाइन के टावर्स पेन्टिंग आदि पर करोड़ों रुपये की क्षति संबंधी श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, सांसद का पत्र दिनांक 9-8-98 एवं 15-9-98 जो कि क्रमशः मुख्य मंत्री, मुख्य सचिव को सम्बोधित थे, प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ? क्या मंत्री जी इसकी सी०बी०आई० जांच करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत 800 के० वी० सिंगिल सर्किट अनपरा उन्नाव लाइन के टावर्स पेन्टिंग आदि पर करोड़ों रुपये की क्षति सम्बन्धी श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, सांसद का पत्र दिनांक 09 अगस्त, 98 जो मुख्य मंत्री तथा मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है परन्तु मा० सांसद का पत्र दिनांक 15-9-98 अभिलेखानुसार शासन में प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रश्नगत पारेषण लाइन के टावर की पेंटिंग के सम्बन्ध में आमंत्रित निविदाओं को कार्य प्रारम्भ होने के पूर्व ही निरस्त कर दिया गया है। मा० सांसद के पत्र दिनांक 9-8-98 में इसी प्रकरण का सन्दर्भ है।

जी नहीं।

चूंकि टावर्स की पेन्टिंग का कार्य नहीं हुआ अतएव जांच कराये जाने की आवश्यकता नहीं है।

राज्य विद्युत परिषद् में फर्जी परिषदीय आदेशों की जालसाजी विषयक शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

189—श्री हरदेव सिंह तथा श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत फर्जी परिषदीय आदेशों की भरमार एवं अभिलेखों में जालसाजी विषयक श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, संसद सदस्य एवं

श्री ब्रज भूषण सिंह कुशवाहा, सदस्य, विधान परिषद् का पत्र दिनांक 11-8-97 एवं 16-4-98 जो कि माननीय मुख्य मंत्री एवं अध्यक्ष, उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् को सम्बोधित थे, प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां।

संदर्भित पत्रों में उल्लिखित प्रकरण पर परिषदीय सतर्कता इकाई द्वारा जांच कराई जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य विद्युत परिषद् के लेसू लखनऊ के कम्प्यूटर फीडिंग में करोड़ों रुपये के घोटाले विषयक पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

190—श्री हरदेव सिंह तथा श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, संसद सदस्य एवं विधायकों के संयुक्त हस्ताक्षरित पत्र दिनांक 24-11-97 एवं श्री बाबू राम, मंत्री लघु उद्योग, उ० प्र० सरकार का पत्र दिनांक 25-11-97 जो कि क्रमशः मुख्य सचिव एवं मुख्य मंत्री को सम्बोधित थे तथा जो लेसू लखनऊ के कम्प्यूटर फीडिंग में करोड़ों रुपये के घोटाले विषयक थे, प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

अभिलेखानुसार प्रश्न में सन्दर्भित दोनों पत्र ऊर्जा विभाग में प्राप्त नहीं हुए हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

मुख्य अभियन्ता (लखनऊ क्षेत्र) द्वारा राज्य विद्युत परिषद् को करोड़ों रुपये की क्षति विषयक शिकायती पत्र

191—श्री कोविद कुमार, श्री महेन्द्र कुमार बाल्मीकि तथा श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता (लखनऊ क्षेत्र), लखनऊ द्वारा परिषद् को करोड़ों रुपये की क्षति संबंधी श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, सांसद का पत्र दिनांक 9-1-97 जो कि मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव (ऊर्जा) उ० प्र० शासन को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मा० सांसद का पत्र दिनांक 9-1-97 उपलब्ध नहीं हो पा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

वाराणसी शहर के दक्षिणी क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति सम्बन्धी समस्याओं के निराकरण हेतु कार्यवाही की मांग

192—श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 242—विधान सभा क्षेत्र शहर दक्षिणी वाराणसी में विद्युत आपूर्ति सुधार से सम्बन्धित एम–5/1152/वाराणसी/98, दिनांक 1-6-98 मुख्य मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या पत्र में उल्लिखित समस्याओं के निराकरण हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

प्रश्नगत पत्र दि० 1-6-98 प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है।

242—विधान सभा क्षेत्र शहर दक्षिणी वाराणसी में विद्युत आपूर्ति में सुधार लाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता ।

242—विधान सभा क्षेत्र शहर दक्षिणी वाराणसी में विद्युत आपूर्ति में सुधार लाने हेतु निम्न कार्य स्वीकृत किये गये हैं :—

(क) 12 नग नये 11/0.4 के० वी० विद्युत उपकेन्द्रों का निर्माण

(ख) 5 नग 11/0.4 के० वी० विद्युत उपकेन्द्रों की 250 के० वी० एस० 400 के० वी० ए० तथा 3 नग उपकेन्द्रों में 400 के० वी० ए० से 600 के० वी० ए० की क्षमता वृद्धि ।

(ग) विभिन्न क्षेत्रों में एल० टी० लाइनों की स्ट्रेन्थिंग ।

(घ) 33 के० वी० की लाइन शंकुलधारा से भटैनी उपकेन्द्र का निर्माण ।

(च) 11 के० वी० सदरपुर एवं चिलईपुर फीडरों को जोड़ने का कार्य ।

उपरोक्त के सापेक्ष निम्न कार्य पूर्ण हो चुके हैं :—

(क) दो नग, 11/0.4 के०वी० विद्युत उपकेन्द्रों का निर्माण ।

(ख) 3 नग, 11/0.4 के०वी० 250 के०वी०ए० विद्युत उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि 400 के०वी०ए० तथा एक नग 400 के०वी०ए० विद्युत उपकेन्द्र की क्षमता वृद्धि 630 के. वी० ए० का कार्य ।

जनपद गाजियाबाद/देवरिया एवं जौनपुर में विद्युत बिल जमा न करने वाले उपभोक्ताओं के निजी नलकूपों का स्थाई विद्युत विच्छेदन न करने/वसूली की कार्यवाही करने की मांग

193—श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत निजी नलकूप उपभोक्ताओं द्वारा लगातार दो वर्ष या इससे अधिक निर्धारित विद्युत मूल्य न जमा करने पर नलकूपों का स्थाई विद्युत विच्छेदन करने का कोई आदेश है ? यदि हां, तो उसका पालन न करने के क्या कारण हैं ? गाजियाबाद, देवरिया एवं जौनपुर में ऐसे कितने उपभोक्ता हैं जिन्होंने पिछले दो वर्षों से विद्युत बिल का भुगतान न करने के कारण उनके स्थाई विद्युत विच्छेदन अभी तक नहीं किया गया है? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इसके लिये कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं ? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ? ऐसे उपभोक्ताओं के स्थाई विद्युत विच्छेदन करके बकाये की वसूली कब तक की जायेगी ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

निजी नलकूप उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत बिल न जमा करने पर उनके संयोजनों को विच्छेदन की तिथि के बाद अस्थाई रूप से विच्छेदन कर दिये जाने का आदेश है । तत्पश्चात् छः माह तक लाइन विच्छेदित रहने पर भी उपभोक्ता द्वारा बकाया न जमा करने पर समुचित नोटिस देकर स्थाई रूप से विद्युत विच्छेदन करने के आदेश हैं ।

पालन हो रहा है ।

गाजियाबाद, देवरिया एवं जौनपुर में क्रमशः 3500, 567 एवं 12135 निजी नलकूप उपभोक्ता हैं, जिन्होंने दो वर्षों से भुगतान नहीं किया है । इनके संयोजनों को स्थाई रूप से विच्छेदित करने की प्रक्रिया जारी है ।

स्थाई विच्छेदन की प्रक्रिया जारी है अतः कोई अधिकारी दोषी नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राजस्व वसूली एक निरन्तर प्रक्रिया है । इसके लिये विद्युत विच्छेदन तथा धारा 5 के अन्तर्गत वसूली प्रमाण-पत्र के माध्यम से राजस्व वसूली की जाती है ।

चूंकि वसूली प्रमाण पत्रों के माध्यम से वसूली करने में काफी समय लग जाता है, अतः पूर्ण वसूली की समयावधि इंगित करना व्यवहारिक रूप से सम्भव नहीं है ।

राज्य विद्युत परिषद् के लेसू लखनऊ के उपभोक्ताओं का उत्पीड़न रोकने के विधायक के पत्र पर जांच कार्यवाही की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने की मांग

194–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया तथा श्री हरदेव सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत लेसू, लखनऊ के उपभोक्ताओं का उत्पीड़न तत्काल बन्द करने संबंधी श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया विधायक का पत्र दिनांक 17-11-97 एवं 20-3-98 जो कि अध्यक्ष, उ०प्र०रा०वि०प० को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी श्री एल०आर० गर्ग, अधीक्षण अभियन्ता के पत्र सं० 347/मु० अभि०/रेस्पो/जांच–15 दिनांक 24-4-1995 के द्वारा की गई जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

पत्र दिनांक 17-11-97 प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता परन्तु पत्र दिनांक 20-3-98 प्राप्त हुआ है । यह पत्र 17-11-97 के पत्र के तारतम्य में है ।

दिनांक 20-3-98 के पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं पर श्री आर० एस० प्रसाद, अधीक्षण अभियन्ता को मुख्य अभियन्ता, लेसू ने जांच के लिये नियुक्त किया । बिन्दुवार जांच आख्या निम्नवत् है :––

1––श्री यशोधर पाण्डेय, कनेक्शन सं०–आर० वाई 914/002557 का बन्द मीटर दिनांक 20-2-98 को मीटर रीडिंग 5131 पर बदला गया । दिनांक 3-4-98 को जांच अधिकारी ने जांच की और मीटर को बिना लोड के चलते पाया । इसके बाद यह मीटर बदलकर नया मीटर दिनांक 24-4-98 को लगा दिया गया ।

2––बिल 5222 रीडिंग पर बनकर आया मीटर रीडिंग के अनुसार बिल निर्गत करने के लिये निदेशित किया गया ।

3––चूंकि उपभोक्ता के ऊपर पहले से ही बकाया चला आ रहा था, अतः नियमानुसार उस पर अधिभार रु० 903.92 लगाते हुए रु० 9019.00 का बिल निर्गत किया गया, जिसे उपभोक्ता ने जमा कर दिया । चूंकि अधिभार नियमानुसार देय था, इसलिये इसे वापस करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

4––श्री हरी प्रकाश अग्रवाल, कनेक्शन संख्या 392/2112/046468 की शिकायत आंशिक रूप से सही पायी गयी । माह 3/96 से 1/98 की अवधि में मात्र 3 बार (3/97, 9/97 एवं 11/97) एन० आर० के बिल निर्गत हुए थे । जनवरी, 98 का बिल मीटर रीडिंग के आधार पर निर्गत हुआ ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

यह रिपोर्ट किस प्रकरण से संबंधित है, यह प्रश्न से स्पष्ट नहीं है । प्रश्नकर्ता द्वारा स्पष्ट सूचना दिये जाने के बाद जांच रिपोर्ट प्राप्त कर मेरे कार्यालय कक्ष में उपलब्ध करा दी जायेगी, जिसे प्रश्नकर्ता देख सकते हैं ।

जनपद पिथौरागढ़ विकास खण्ड मुख्यालय पाटी के स्वास्थ्य केन्द्र के विस्तारीकरण का प्रस्ताव

195––श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ विकास खंड मुख्यालय पाटी स्थित स्वास्थ्य केन्द्र का विस्तारीकरण का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक आरम्भ हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० रमेश पोखरियाल निशंक–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

निगमों/परिषदों में शासन के समानान्तर ''सचिवालय'' शब्द का प्रयोग न करने के आदेश निर्गत की मांग

196—श्री हरदेव सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन के समानान्तर ''सचिवालय'' शब्द का प्रयोग करने वाले निगमों/परिषद् के अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? कब तक ''सचिवालय'' शब्द का प्रयोग न करने संबंधी आदेश निर्गत कर दिये जायेंगे ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

प्रदेश के निगमों/परिषदों में ''सचिवालय'' शब्द प्रयोग करने के सम्बन्ध में जानकारी सार्वजनिक उद्यम विभाग से प्राप्त की जा रही है ।

अतारांकित प्रश्न संख्या–124 तथा प्रश्न संख्या–134 का सुसंगत उत्तर न आने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

* श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । मेरा अतारांकित प्रश्न सं० 124 है, जिसमें मैंने प्रश्न किया था कि क्या ऊर्जा मंत्री जी को जानकारी है कि टाण्डा तापीय शक्ति परियोजना विद्युत टाण्डा जनपद–अम्बेडकर नगर का ऐश बांध माह दिसम्बर, 1998 में टूट जाने से ग्राम कनौढ़ा एवं बिहार के कृषकों की बुवाई नहीं हो पायी है, यदि हां, तो क्या जल भराव से प्रभावित कृषकों को क्षतिपूर्ति राज्य विद्युत परिषद् द्वारा दिलायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? तो इसमें क्या ऐसी जानकारी थी जिसमें सूचना की जरूरत थी, इसी प्रकार से मान्यवर, मेरा दूसरा प्रश्न सं० 134 है, इसमें भी हमने यह पूछा था कि क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टान्डा तापीय शक्ति परियोजना टान्डा, जनपद अम्बेडकर नगर में राज्य विद्युत परिषद् द्वारा अधिकारी/कर्मचारी के पुत्रों को उनके तैनाती के स्थान पर ठेकेदारी करने पर रोक लगी होने के फलस्वरूप पश्चात् भी ऐसे कौन-कौन से अधिकारी/कर्मचारी हैं जिनके पुत्र/भाई उक्त परियोजना में ठेकेदारी का कार्य कर रहे हैं और क्यों ? तो इसमें कौन सी जानकारी करायेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

मैं दोनों पत्रावलियों को मंगाकर देख लूंगा ।

विधान सभा उपाध्यक्ष के निर्वाचन हेतु प्राप्त सभी नाम निर्देशन-पत्र निरस्त किये जाने का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

माननीय मुख्य मंत्री, माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य माननीय सदस्यगण जैसा कि आपको विदित ही है कि आज का दिन उपाध्यक्ष पद के निर्वाचन के लिये नियत किया गया है । नियमानुसार

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नाम निर्देशन पत्र दिनांक 11 मार्च, 1999 के मध्याह्न 12.00 बजे के पूर्व तक आ जाने चाहिए थे। उक्त अवधि के भीतर प्राप्त नामांकन पत्रों का विवरण इस प्रकार है :—

क्र०सं०	नाम निर्देशित अभ्यर्थी	प्रस्थापक	समर्थक
1	डा० अम्मार रिजवी	श्री प्रमोद कुमार	श्री कौकब हमीद
2	डा० अम्मार रिजवी	श्री राम नरेश यादव	श्री सुरेन्द्र नाथ अवस्थी
3	डा० अम्मार रिजवी	श्री राम हर्ष सिंह	श्री सुबाष श्रीवास्तव
4	श्री गौरीशंकर एडवोकेट	श्री धनीराम वर्मा	श्री अम्बिका चौधरी
5	श्री गौरीशंकर एडवोकेट	कुंवर रेवती रमण सिंह	श्री रामसिंह सैनी
6	श्री गौरीशंकर एडवोकेट	श्री राम जग	श्री विनोद मणि
7	श्री गौरीशंकर एडवोकेट	श्री समरपाल सिंह	श्री बाबू खां
8	श्री गौरीशंकर एडवोकेट	डा० अशोक बाजपेयी	श्री नरेन्द्र सिंह भाटी
9	श्री गौरीशंकर एडवोटे	श्री अवधेश प्रसाद	श्री अम्बरीष कुमार
10	श्री गौरीशंकर एडवोकेट	श्री चन्द्रनाथ सिंह	श्री श्याम किशोर यादव
11	श्री गौरीशंकर एडवोकेट	श्री सुधाकर सिंह	श्री योगेन्द्र सिंह
12	श्री स्वामी ओइम्वेश	डा० कौशल किशोर	श्री विश्वनाथ
13	श्री अजय कुमार पोइया	श्री बनवारी लाल दोहरे	श्री बाबूलाल कुरील
14	श्री अजय कुमार पोइया	मेजर जगतपाल सिंह	श्री भाई लाल

उपर्युक्त अभ्यर्थियों में से क्रम संख्या 12 पर उल्लिखित श्री स्वामी ओइम्वेश, सदस्य, विधान सभा तथा क्रम संख्या 13 और 14 पर उल्लिखित श्री अजय कुमार पोइया, सदस्य, विधान सभा ने दिनांक 12 मार्च, 1999 को उक्त निर्वाचन से अपना नाम वापस ले लिया है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 9 के उप नियम (4) में यह उपबन्धित है कि निर्वाचन के पूर्व किसी भी समय कोई अभ्यर्थी जो नाम निर्देशित हुए हैं, पीठासीन अधिकारी को इस विषय में मौखिक या लिखित रूप से सूचना देकर अपना नाम निर्वाचन से वापस ले सकते हैं। तद्नुसार उपर्युक्त अभ्यर्थियों में से कोई अभ्यर्थी चाहें तो अपना नाम वापस ले सकते हैं।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, वापस ले लें तो फिर इसकी क्या आवश्यकता पड़ेगी ?

श्री अध्यक्ष–

दो अभ्यर्थियों में से यदि कोई अपना नाम वापस लेना चाहें तो ले सकते हैं ? जहां तक मेरी जानकारी है, सामान्य परम्परा यही रही है निर्वाचन नहीं होना चाहिए लेकिन निर्वाचन हुए भी हैं अब आप इस सारे प्रकरण पर जो इस सम्मानित सदन के सामने है, विचार कर लें।

* कुंवर रेवती रमण सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन की एक परम्परा रही है कि जो सबसे बड़ा विपक्षी दल होता है उसी में से उपाध्यक्ष बनाया जाता है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस परम्परा का निर्वहन होना चाहिए और इसमें सत्तारूढ़ दल की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है जो परम्परायें आज तक रही हैं उसका निर्वहन करते हुए सबसे बड़े विपक्षी दल को उपाध्यक्ष का पद मिलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

मैंने नाम वापस लेने के लिये कोशिश की, आपके सामने बात कही है।

डा० अम्मार रिजवी–

माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन की यह परम्परा भी रही है जैसा कि आपने फरमाया कि ज्यादातर चुनाव निर्विरोध हुए हैं यह चुनाव भी निर्विरोध होना चाहिए पिछली बार भी सत्ता पक्ष ने प्रयास किया कि निर्विरोध चुनाव हो जाय। यह मामला सदन में भी उठाया गया था। यह तय हुआ था। तो इसी वजह से चुनाव स्थगित कर दिया गया था। उसके बाद सदन में माननीय प्रमोद कुमार ने प्रश्न उठाया था और एक फैसला लिया गया गया और एक पैनल बना कर दे दिया था कि उस प्रणाली में माननीय नेता सदन या संसदीय कार्य मंत्री जी तय कर दें आपस में बातचीत व मशविरा करके एक व्यक्ति को यहां पर जो जाये या इस कुर्सी या पीठ पर बैठे इसमें सबकी भागीदारी होनी चाहिए। लेकिन मान्यवर, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ उस समय जब माननीय कुंवर रेवती रमण सिंह जी जैसे विद्वान, वरिष्ठ और इस सदन में मेरे साथ पिछले 25 सालों से देख रहे व्यक्ति ने कहा कि यह सदन की प्रक्रिया रही है कि हमेशा बड़े दल का व्यक्ति चुना इस पद के लिये जाता है। मैं आपके माध्यम से माननीय कुंवर रेवती रमण सिंह जी को यदि वंह भूले नहीं होंगे, वह कभी भूलते नहीं हैं। 1969 में बी० के० डी० सबसे बड़ा दल था और चौधरी चरण सिंह लीडर आफ अपोजीशन थे, एस० एस० पी० छोटा ग्रुप था और प्रोफेसर वासुदेव सिंह जी उपाध्यक्ष चुने गये। 1975 में लोकदल प्रमुख विपक्षी पार्टी था और चौधरी चरण सिंह जी का इधर आसन हुआ करता था उस समय संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के श्री शिवनाथ सिंह कुशवाहा जी यहां उपाध्यक्ष चुने गये। 1977 में कांग्रेस मेन अपोजीशन पार्टी थीं और इनडिपेंडेंट के श्री जगन्नाथ प्रसाद रावत जी यहां के उपाध्यक्ष चुने गये। 1980 में चौधरी राजेन्द्र सिंह जी नेता विरोधी दल की कुर्सी पर विराजमान हुआ करते थे, कांग्रेस (एस) के बहुत ही योग्य व्यक्ति यादवेन्द्र सिंह जी उपाध्यक्ष चुने गये वह इतने उच्च कोटि के वक्ता थे कि उनसे पूरा उत्तर प्रदेश उनसे प्रभावित था, दुर्भाग्य है कि वह आज हमारे बीच नहीं रहे।

1992 में पूर्व रक्षा मंत्री जी नेता विरोधी दल थे और श्री राम आसरे वर्मा, उपाध्यक्ष चुने गये। यह कहना कि हमेशा उपाध्यक्ष बड़े दल का होता रहा है सही नहीं है। पिछली बार हम लोगों ने प्रयास करके समाजवादी पार्टी के सम्मानित सदस्य को चुनवाने का प्रयास किया था, हम लोगों ने भी समर्थन किया था परन्तु किसी कारण से एक मत नहीं हो सका। इस बार दुर्भाग्य से उपाध्यक्ष वाली सूची में मेरा भी नाम सम्मिलित है और मेरा भी पर्चा दाखिल है। मैं समझता था कि अकलियत का होने के नाते कम से जब अम्मार रिजवी का नाम आयेगा तो समाजवादी पार्टी द्वारा सहमति हो जायेगी। मैं सबसे कमजोर आदमी हूं। मेरा क्वालीफिकेशन एम० ए०, एल-एल० बी, बी० एड० व डी० लिट० है और 5 बार इस सम्मानित सदन का संसदीय कार्यमंत्री रहा हूं। लगता है दो विकल्प हैं या तो मैं अपना नाम बदल दूं तब मैदान में आ सकता हूं। यदि आप इस पर एक मत अगर नहीं हो सकते तो मैं माननीय नेता सदन, संसदीय कार्य मंत्री जी और नेता विरोधी दल को अधिकृत करता हूं कि दोनों नाम सामने

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रख लें और दोनों-तीनों नामों में एक नाम एनाउन्स कर दें । हम हर प्रकार का त्याग और कुर्बानी करने को तैयार हैं लेकिन सदन में एक मत हो जाना चाहिए । यह सदन भारत का सबसे बड़ा सदन है । इसमें हमारा इन्ट्रेस्ट कुछ नहीं है, हर प्रकार की कुर्बानी देने के लिये तैयार हैं । पिछली बार संसदीय कार्य मंत्री जी ने उदारता दिखायी थी और कहा था कि विरोधी दल का एक मत हो जाना चाहिए और एक बार हम लोग और प्रयास करें । मान्यवर, मैं अपने नाम के आगे अम्मार की जगह अमर कर दूं तो शायद उससे कुछ मदद मिल जाये ।

(हंसी)

मैं एक अकलियत का आदमी हूं इसके नाते एक मौका दें । मेरा यह भी निवेदन हैकि चुनाव आगे बढ़ा दें एक मौका और दे दें अगर चुनाव इसी सत्र में कराये । उपाध्यक्ष की कुर्सी खाली नहीं रहनी चाहिए यह मेरा अनुरोध है ।

श्री अध्यक्ष–

अगर आपके आगे से "र" हटा देंगे तो सारा परिदृश्य ही बदल जायेगा ।

(हंसी)

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, माननीय अम्मार रिजवी जी बहुत विद्वान और वरिष्ठ सदस्य हैं । पांच बार इस सदन के संसदीय कार्य मंत्री भी रह चुके हैं । मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि उस समय सबसे बड़ा दल जनता दल था और मैं नेता विरोधी दल था । माननीय राम आसरे वर्मा उस समय नेता विपक्ष दल थे । जो उपाध्यक्ष चुने गये ।

श्री अध्यक्ष–

जहां तक मुझे स्मरण है कि चुनाव हुआ था सुन्दर लाल जी और माननीय राम आसरे वर्मा के बीच में निर्वाचन हुआ था ।

(शोर)

श्री स्वामी ओइमूवेश–

मान्यवर, मेरी बात सुन लें, मैं भाषण नहीं दे रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष–

अब रास्ते दो ही हैं या तो सर्वसम्मति हो या निर्वाचन हो । स्वामी जी आपने तो अपना नाम वापस ले लिया ।

डा० अम्मार रिजवी–

मेरा नाम और गौरी शंकर का नाम संसदीय कार्य मंत्री के पास भेज दें वह जिसको चाहें छांट लें। मेरा यह भी निवेदन है कि चारों नाम आप उनको भेज दें ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, मेरी भी बात सुन लें ।

(शोर)

(श्री प्रमोद कुमार–के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

प्रमोद कुमार जी आप बैठ जाइये ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन में हमारे भाई अम्मार रिजवी साहब ने जिन बातों का उल्लेख किया उन बातों को काटने का कोई हमारा संस्कार नहीं है । उन्होंने उन चीजों का उल्लेख किया कि वह माइनारिटी के हैं, उनको अपनी बात कहने का हक है लेकिन शायद पूरे सदन को जानकारी है कि मेरा भी 6वां टर्म है और दलित गरीब परिवार में गरीब मां की कोख से पैदा हुआ हूं और गरीब मां की कोख से पैदा होना यदि कोई डिस्क्वालीफिकेशन हो सकती है तो वह डिस्क्वालीफिकेशन हमारी है । लेकिन जो दलित उत्थान और उनके हित की बातें करने वाले लोग हैं, उपाध्यक्ष पहले सबसे बड़े दल का होता रहा है । डा० अम्मार रिजवी कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं और कई बार, बरसों बरस तक संसदीय कार्य मंत्री की पीठ की शोभा बढ़ायी है । डिप्टी स्पीकर का पद स्टेट मिनिस्टर के दर्जे का होता है । उनके जैसा व्यक्ति, वह हमारे बड़े भाई हैं, उम्र में भी हमसे बड़े हैं उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि छोटे भाई को अवसर देना चाहिए ।

यहां पर यह परम्परा रही है कि जो विपक्ष का सबसे बड़ा दल है उपाध्यक्ष उसी दल से होता है । वह हमारे बड़े भाई हैं, बड़े भाई ने हमेशा छोटे भाई को आशीर्वाद दिया है । आज उस परम्परा का निर्वाह करें । यदि वह दलित को अपने मुकाबले बहुत ऊंचा, मजबूत मानते हैं तो हमें कुछ नहीं कहना है । इन 20-25 सालों में मेरे समस्त जीवन में किसी तरह की बात हुई हो कि मैं इस पद के लिये लायक नहीं हूं तो मुझे कुछ नहीं कहना है । मैंने शिष्टाचार और सम्मान पूरा आदर भाव मा० सदस्य के प्रति 20–25 वर्षों में दिखाया है । आज विधान सभा के सबसे बड़े दल समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में अनुरोध कर रहा हूं । मेरा भी अनुरोध पूरे सदन के सम्मानित सदस्यों से है । कृपा करके हमारी इस बात को मष्तिष्क में रखते हुए हमारे अनुरोध को स्वीकार करें । रिजवी साहब हमारे बड़े भाई हैं और आप हमारा अनुरोध स्वीकार करके एक दलित को कम से कम उस कुर्सी पर बैठने का मौका दें जिससे कि एक संदेश जाय कि यह सरकार दलित, गरीबों के लिये कुछ अवसर देती है । कांग्रेस की तरफ से भी कुछ नैतिक बात हो जाय कि देश में 40–50 साल दलित के बल पर जिसने शासन किया है, आज इस मौके पर उसने दलित को उस कुर्सी पर बैठाने का काम किया । इससे एक संदेश जायगा और गांधी जी का जो सपना था वह सही मानों में तभी पूरा होगा जब गरीब परिवार और दलित मां की कोख से पैदा हुआ कोई व्यक्ति उस पीठ पर आसीन होगा ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने तो केवल इस बात के लिये प्रयास किया था कि शायद आप लोग कोई रास्ता निकालें, इसलिये मैंने उल्लेख किया था, वरना यह जो छोटे भाई और बड़े भाई की बात है–भरत ने तो चरण पादुका लेकर प्रतीक्षा कर ली थी ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, केवल अपनी भावना को सदन में व्यक्त करना चाहता हूं । लोकतांत्रिक परम्परा में जो अब तक परम्परा रही है उसका अनुकरण किया जाता तो आज पूरा सदन स्वीकार करता। उपाध्यक्ष पद एक संवैधानिक पद है उसके आज विभिन्न दावेदार सदन में दिखायी पड़ रहे हैं । मान्यवर, कोई दलित की दुहाई दे रहा है, दलित मां का बेटा होने की दुहाई दे रहा है और कोई अल्पसंख्यक होने की दुहाई दे रहा है कि मैं अल्पसंख्यक हूं । एक दावेदार भारतीय जनता पार्टी के थे लेकिन उन्होंने नाम वापस ले लिया । भारतीय जनता पार्टी के विषय में अगर यह कहते कि वह दलित विरोधी है, अल्पसंख्यक विरोधी है तो यह तो उसके अनुरूप है लेकिन आज जो अल्पसंख्यकों की दुहाई देने वाले लोग हैं और जो दलितों की दुहाई देने वाले लोग हैं

(व्यवधान)

[× × ×]

(व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी–

यहां दूसरे प्रदेश का उदाहरण कैसे दिया जा सकता है ?

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप लोग शांति बनाये रखें । यहां दूसरे प्रदेश का उदाहरण नहीं दिया जा सकता है ।

* नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)-

मान्यवर, बहुजन समाज पार्टी ने अपने को इस प्रकरण से अलग रखा है । नैतिकता की बात तो यह थी कि उसको इस प्रकरण पर बात नहीं करनी चाहिए थी । उसके बाद भी बात करते हैं तो उनका.....

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को बिहार प्रकरण पर दलित हितों के लिये बिहार में राष्ट्रपति शासन का समर्थन करना चाहिए था । वहां पर उसके विरोध में खड़े हो गये ।

(व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी–

अगर बहुजन समाज पार्टी के लोग राजघाट से अलग होकर अफसोस कर रहे हैं तो फिर उधर जाकर उनकी गोद में बैठ जाएं ।

श्री अध्यक्ष–

सदन में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप न लगाएं ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

यह जो कह रहे हैं कि मैं दलित मां की पेट से पैदा हुआ हूं । लेकिन जब 2 जून, 1995 को बहन मायावती जी की हत्या करने का प्रयास किया गया था उस समय इनका दलित प्रेम कहां चला गया था ?

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि अल्पसंख्यक की दुहाई देने वाले लोग.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह उचित नहीं है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, दो जून का नाटक रचने वाले कौन थे । यदि दो जून की घटना पर ही चर्चा करानी है तो करा लीजिये । इस प्रसंग के परे कोई दूसरी बात आयेगी तो ठीक नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

इसमें चर्चा नहीं हो रही है । जिस तरह का वातावरण सदन में है मैं समझता हूं कि कार्यवाही का अगला चरण लिया जाय ।

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

* श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, उपाध्यक्ष का चुनाव होना है और एक कांग्रेस के उम्मीदवार हैं । वह खड़े होकर कहें और मोहम्मद शब्द का प्रयोग भी किया, यह किस तरफ इंगित हुआ । दूसरे ने कहा कि दलित मां की गोद से पैदा हुआ हूं परन्तु जब बहुजन समाज पार्टी के नेता श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी आपकी अनुमति से बोलने के लिये खड़े हुए और उन्होंने कोई असंसदीय शब्द भी नहीं प्रयोग किया, यदि किया तो उसे आप कार्यवाही से निकाल दें ।

श्री अध्यक्ष–

नहीं, कोई असंसदीय शब्द नहीं बोले ।

श्री बी० आर० वर्मा–

कोई सही बात कहने में तकलीफ होती है तो माननीय सदस्य भी जिन्हें अपनी बात कहनी है, वह आपकी अनुमति से प्रभावशाली ढ़ंग से अपनी बात कहें । इस प्रकार बीच में खड़े होकर हल्ला करना ठीक नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

कोई अवरोध नहीं होना चाहिये ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, श्री बी० आर० वर्मा जी ने एक बात कही । एक प्रसंग विशेष पर बात चल रही थी परन्तु उस विषय से परे हटकर और लोक सभा में क्या हुआ और बिहार में क्या हुआ, उसकी चर्चा यहां पर होने लगे कोई उचित बात नहीं है । कभी-कभी ऐसे विषयों पर हमें 1-1 मिनट का समय बोलने के लिये नहीं मिल पाता है । यदि दूसरे प्रश्न पर जाकर चर्चा ही करानी है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है । आप इसकी अनुमति दे दें और विस्तृत चर्चा इसी पर हो जायेगी । इस पर आप व्यवस्था दें ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने जब इस प्रक्रिया को प्रारम्भ किया, मैंने कहा कि परम्परा यह है । आम सहमति से भी हुआ है और चुनाव की भी परम्परा रही है । सर्वसम्मति से भी उपाध्यक्ष चुनकर आये हैं और कभी चुनाव भी हुआ है । मैंने तो अनुरोध किया था कि अगर सर्वसम्मति से कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा । इस पर बाद में कुंवर रेवती रमण सिंह, डा० अम्मार रिजवी तथा श्री गौरी शंकर जी ने अपने विचार रखने शुरू कर दिये । मैं यह सोच रहा था कि उसी दृष्टि से माननीय श्री मौर्या जी भी अपने दल के बारे में कुछ कहना चाहते हैं । मुझे ऐसा लगा चूंकि आपने तो किसी के नाम का भी प्रस्ताव नहीं किया है । आपके दल की तरफ से भी कोई समर्थन नहीं किया गया । मैंने सोचा आप अपने दल की स्थिति स्पष्ट कराने के लिये कह रहे हैं, इसलिये आपको अवसर दे दिया । उपाध्यक्ष के चुनाव में कोई भाषण तो होता नहीं है । आप एक दल का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिये अपनी बात स्पष्ट कर रहे हैं । कोई उत्तेजना न हो, कोई वैमनस्यता न हो, कोई द्वेष न हो । कोई ऐसा प्रकरण जिसका उल्लेख यहां नहीं किया जाता है उसका उल्लेख यहां न करें । मैं समझता हूं यह भी एक प्रयास है आम राय बनाने के लिये ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, मैं उसी के तहत कह रहा हूं अभी हमारे विधान सभा के एक सदस्य हैं वो अल्पसंख्यक की दुहाई दे रहे थे । हम उनका आदर करते हैं बड़े भाई होने के कारण लेकिन जब यह कहा कि अल्पसंख्यक के पक्षधर हैं । [× × ×]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष–

इस तरह से ठीक नहीं है। यह कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, हम इस पर भी नहीं कहेंगे।

श्री अध्यक्ष–

इस सदन में जितने भी सदस्य हैं सब निर्वाचित होकर आये हैं और इस सदन में जो बोलते हैं वह सदस्य होने के अधिकार के नाते बोलते हैं। कोई हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख या ईसाई के नाते नहीं बोलते हैं। सदन के सदस्य की हैसियत से बोलते हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

[× × ×]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

लोक सभा की कार्यवाही का संज्ञान नहीं लिया जायेगा। यहां पर किसी सदन की कार्यवाही की बात न करें। यह उचित नहीं है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

[× × ×]

(व्यवधान)

[× × ×]

(कई सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं इस चीज की अनुमति नहीं दे रहा हूं। यह ठीक नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, बी० जे० पी० के साथ मिलकर दो बार सरकार बनाई है और आज फिर उनके नजदीक जाने की पीड़ा नजर आ रही है।

श्री अध्यक्ष–

राजनीतिक काल में यह होता रहता है समय-समय पर।

(व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी–

आज यह मान्यवर, कल्याण सिंह और हुकुम सिंह जी से पूछ लें कि किस उम्मीदवार की मदद कैसे हो पायेगी और उसके लिये क्या काम करना है ?

श्री अध्यक्ष–

कौन पूछ लें ?

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, जिसको पीड़ा हो रही है । जिसको बार-बार मना करने के बाद भी बिहार का प्रकरण यहां उठा रहे हैं । या इस पर चर्चा होनी है तो चर्चा हो ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने तो यह प्रयास किया कि एक आम राय बने । अब मैं प्रयास करूंगा कि चुनाव हो ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने तो यह प्रयास किया कि एक आम राय बने । अब मैं प्रयास करूंगा कि चुनाव हो ।

श्री अम्बिका चौधरी–

आपने व्यवस्था दे दी । आपका निर्देश मिल गया ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यों से मैं कहना चाहता हूं कि यहां दूसरे प्रसंग की बात नहीं होनी चाहिए ।

(नेता प्रतिपक्ष के खड़े होने पर)

(व्यवधान)

माननीय नेता प्रतिपक्ष खड़े हैं और वह कुछ कहना चाहते हैं इसलिये आप लोग शान्त रहें और बैठ जायं।

श्री धनीराम वर्मा–

अध्यक्ष महोदय, (व्यवधान) कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर । (व्यवधान) (नेता प्रतिपक्ष व्यवधान के कारण अपने आसन पर बैठ गये)

(व्यवधान)

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं जिसे आप सुन लें । (व्यवधान)

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

(व्यवधान) माननीय सदस्य शान्त रहें और व्यवधान न उत्पन्न करें । (व्यवधान) माननीय सदस्य नहीं हो रहे हैं और अपने स्थान पर बैठ नहीं रहे हैं इसलिये मैं सदन को 1.30 बजे तक स्थगित करता हूं ।

(घोर व्यवधान के कारण श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 1 बजकर 30 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी । 1 बजकर 30 मिनट पर श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

(नेता विरोधी दल के खड़े होने पर)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी आपके आदेश से मैं.....

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता विपक्ष बोलने के लिये खड़े हुए हैं ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मैंने अनुमति ले ली है ।

श्री धनीराम वर्मा–

अब बहुत कह दिया है, बहुत समय आपको बोलने के लिये मिल गया है । फिर भी कहना चाहते हैं तो कहते रहिये ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी अच्छा होता अब तक की परम्परायें जो यहां की रही हैं उनको चलाया जाता । पिछले दिनों विधान सभा उपाध्यक्ष की बात पर एक नाम आया था बसपा ने उस समय उसको स्वीकार किया था । अबकी बार बहुजन समाज पार्टी ने कोई दावेदार नहीं दिया है मात्र स्वस्थ परम्परायें रखने के लिये । अब बात आई तो कहना पड़ा दलित, अल्पसंख्यक की बात कहनी पड़ी जब बाबरी मस्जिद गिरी थी तो तत्कालीन मुख्य मंत्री कल्याण सिंह जी जो वर्तमान में भी मुख्य मंत्री हैं, तो यह दूध के धुले नहीं हैं लेकिन केन्द्र में कांग्रेस की सरकार थी तो उसके लिये जितनी दोषी भा०ज०पा० है उतनी ही दोषी अल्पसंख्यक की दुहाई देने वालों की पार्टी कांग्रेस भी है । जो स्वस्थ परम्परायें हैं वह ध्वस्त हो रही हैं ।

मान्यवर, आज पक्ष और प्रतिपक्ष में लड़ाई की स्थिति आ गई तो सदन की गरिमा के विपरीत था अब तक की परम्परायें जो हैं उसके अनुरूप नहीं हुआ । ऐसी स्थिति में हमें सोचने के लिये मजबूर होना पड़ा कि दलितों का हितैषी इसमें कौन है हमने देखा तो सबके रूप दिखाई पड़ गये । [× × ×]

श्री अध्यक्ष–

जो बात बिहार की है इसे कार्यवाही से निकाल देंगे ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

सत्तापक्ष में बैठे लोगों को हंसी आ रही है मुझे किसी पार्टी के लिये कोई बात कहनी नहीं रह गयी है । मेरा कर्तव्य कि हम अपनी स्थिति स्पष्ट कर दें । माननीय टण्डन जी ने सुश्री मायावती जी को बहन मानकर राखी बंधाने का कार्य किया तब हमने साथ दिया लेकिन जब दलित और पिछड़े अल्पसंख्यकों के हित के लिये माननीय कल्याण सिंह जी ने मुख्य मंत्री जी की कुर्सी पर बैठकर दलित जाति के विरोध में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न निवारक अधिनियम को प्रभावित करने का आदेश पारित किया तो ऐसी परिस्थिति में बहुजन समाज पार्टी ने उनको भी माफ नहीं किया और अपने तेवर दिखा दिये । हमने अपना स्टैण्ड लिया था । इसलिये मैं निवेदन कर रहा हूं कि आज अच्छा होता स्वस्थ परम्परा पुनर्जीवित होती, आगे चलती । और आज भी उम्मीद करता हूं, चाहे सदन की तरफ से, चाहे इस पक्ष के हो या उस पक्ष के, अच्छा होता इस सदन को अखाड़ा न बनाया जाता । निश्चित रूप से आम सहमति होती जिससे जो पीठ की गरिमा है, पद की गरिमा है वह अक्षुण्ण होती ।

श्री अध्यक्ष–

जब दो नाम हैं तो निर्वाचन होगा ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, मैं यह कहना चाहूंगा कि यह भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी यह ब्राह्मण वाद, की ए० बी० सी०, टीम है । इसलिये बहुजन समाज पार्टी इस उपाध्यक्ष के चुनाव में शिरकत नहीं करेगी और जो गरिमामय काम नहीं किया जा रहा है, जो दलितों, गरीबों, शोषितों और पिछड़ों का ढोंग करने वाले लोग हैं, आज यह कैन्डीडेट बने हुए हैं उनके इस कन्डीडेचर के विरोध में यह बहुजन समाज पार्टी सदन का बहिर्गमन करती है ।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

(श्री प्रमोद कुमार के खड़े होकर बोलने पर)

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष–

डा० अम्मार रिजवी दो बार खड़े हुए थे बीच में वह शायद कुछ बोलना चाह रहे हैं।

डा० अम्मार रिजवी–

मान्यवर, प्रमोद जी खड़े हुए वह कह देंगे।

* श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैंने एक प्रस्ताव किया था और मेरे प्रस्ताव पर निर्देश दिया था कि उपाध्यक्ष का चुनाव हो। यह एक संवैधानिक गरिमामय पद है और परम्परा के अनुसार विपक्ष में जाता रहा है। विरोधी दल का कोई न कोई सदस्य उस गरिमामय पद पर पीठासीन होता रहा है। स्थिति आयी थी एक बार चुनाव हुआ। हम सभी ने एक नाम दिया था परन्तु संवादहीनता के कारण, बातचीत न होने के कारण उस समय चुनाव स्थगित करना पड़ा था क्योंकि बाद में कोई प्रत्याशी आ गया था। बाद में जब चुनाव की घोषणा हुई उस समय ऐसा था कि एक नाम पर विचार कर लेंगे, इसलिए पहला नाम डा० अम्मार रिजवी साहब का है। इनकी योग्यता में कोई कमी नहीं हो सकती है। वह निश्चित रूप से योग्यतम सदस्य हैं। संसदीय कार्य मंत्री के रूप में, मंत्री के रूप में, और पीठासीन अधिकारी के रूप में उन्होंने संचालन किया है। उसी को ध्यान में रखते हुए विपक्ष के अन्य दलों से मैं आग्रह करूंगा, अपील करूंगा, प्रार्थना करूंगा और विनती करूंगा कि उसको दल के बंधन में न बांधें और मुझे उम्मीद है कि आपका सहयोग मिलेगा। मान्यवर, सरकार की तरफ से यह प्रयास किया जाना चाहिए कि बुलाकर तय कर लेते। हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि एक नाम देना चाहिए था। एक अपरिहार्य कारण से नेता विरोधी दल को दो-तीन दिन बाहर रहना पड़ा इसलिये एक नाम पर निर्णय नहीं ले पाये। माननीय नेता विरोधी दल आ गये हैं हम सब बैठ जायेंगे। अन्य दलों के नेताओं से आग्रह कर लूंगा हम सब एक नाम पर सहमत हो जायेंगे। मैं अनुरोध ही नहीं कर रहा हूं प्रस्ताव करता हूं कि इस चुनाव को स्थगित कर दें। इसलिये स्वस्थ परम्परा कायम रहे और इस पद पर एक ऐसा योग्य व्यक्ति बैठ सके जो बात कर सके। जहां तक मान्यवर, पुराने इतिहास की बात है मैं बहुत स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने साम्प्रदायिकता के आधार पर किये गये किसी भी कार्य का विरोध किया है। 6 दिसम्बर की घटना में अब तो गृह मंत्री जी ने स्वीकार लिया है कि गलती हुई थी गलती जिसकी हुई थी उसकी सरकार थी यह आरोप-प्रत्यारोप का विषय नहीं है इस पर नहीं आना चाहिए। जो कुछ हुआ है वह दुखद है वह निश्चित रूप से घटना नहीं होनी चाहिए थी। मेरा आप से आग्रह है कि उस पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए एक मौका और दे दें जिससे हम सब बैठकर एक नाम दे सकें। जो एक नाम होगा सम्पूर्ण विपक्ष की भावना को अंकित करेगा हमारा प्रयास रहेगा कि हम इसी सत्र में मिल लें और इसी सत्र में हो जाए।

* श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, सवाल यह नहीं है कि उपाध्यक्ष मुसलमान हो या दलित वर्ग से हो। मान्यवर, यह मसला नहीं रहना चाहिए न इस तरह की बात आनी चाहिए कि किस वर्ग से उपाध्यक्ष हो जिनमें बेहतर लियाकत हो जो पूरे सदन का विश्वास प्राप्त कर सके उसी व्यक्ति को पद मिलना चाहिए। मान्यवर, इत्तफाक से माननीय नेता विरोधी दल यहां मौजूद नहीं थे होना तो यह चाहिए था कि नेता सदन प्रतिपक्ष के नेता सब मिलकर बैठक कर एक नाम चुन लेते और उस नाम पर सदन सहमत हो जाता यह तरीका बेहतर था किसी वजह से नहीं हो पाया है मैं यह चाहूंगा कि इस पर दुबारा गौर कर लिया जाए। फिलहाल इसे स्थगित कर दिया जाए और इसी सत्र में हम लोग बैठकर एक नाम दे दें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, मेरे औचित्य के एक प्रश्न पर आपने कहा था कि 12 तारीख को उपाध्यक्ष का चुनाव करा लिया जायेगा पुनः आपने व्यवस्था दी थी कि यदि चुनाव नहीं होता है तो विशेषाधिकार समिति को निष्क्रिय नहीं रखेंगे किसी मा० सदस्य सभापति के पद पर नामित कर देंगे । मान्यवर, परम्परायें दोनों रही हैं निर्वाचन से भी और आम सहमति से भी । लोग उपाध्यक्ष के पद पर आसीन हुए हैं । पिछली बार एक नाम सर्वसम्मति से सम्पूर्ण विपक्ष द्वारा सुझाया गया था लेकिन किन्हीं कारणों से सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया । आज जो निर्वाचन की परिस्थिति उत्पन्न हुई है उसका अच्छा संदेश नहीं जायगा इसलिये प्रमोद कुमार जी ने जो प्रस्ताव रखा है उस प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि आप इसी सत्र में उपाध्यक्ष का चुनाव करा दें लेकिन आज जो आपने निर्वाचन की तिथि निर्धारित की है उसको स्थगित कर दें । हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि विपक्ष की तरफ एक नाम सरकार को बता दिया जायेगा, तय कर लिया जायेगा, आज की जो तारीख नियत है, उसे स्थगित कर दें और इसी सत्र के दौरान इस चुनाव को करा लीजिये । एक बार और इस बात का प्रयास होना चाहिए कि हम मतदान को टालें और एक नाम आम सहमति से तय कर लें, यही स्वस्थ परम्परा होगी, विगत दिनों यही परम्परा भी रही है । मा० प्रमोद कुमार तथा मा० कौकब हमीद साहब ने जो प्रस्ताव रखा है, उसी के साथ अपने को सम्बद्ध करते हुए अनुरोध करना चाहता हूं कि आज इस प्रस्ताव को पारित कर, आज की तारीख को स्थगित कर दिया जाय ।

* श्री राम जग–

मान्यवर, आज उपाध्यक्ष का चुनाव होना है और इस संबंध में दो नाम आये हैं । मान्यवर, इस सदन की परम्परा रही है कि संसदीय जनवाद में विपक्ष में जो सबसे बड़ा दल होता है, उपाध्यक्ष पद उसी को मिलता है । लोक सभा में उपाध्यक्ष का पद चुनाव आया, कांग्रेस पार्टी वहां विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी थी, बहुजन समाज पार्टी ने भी इसको माना, समाजवादी पार्टी ने भी माना और सी० पी० आई०, सी० पी० एम० ने भी माना और कांग्रेस पार्टी का व्यक्ति उपाध्यक्ष के पद पर चुना गया । जहां तक यहां की बात है, आज लम्बे समय से इस बात की प्रतीक्षा हो रही तीं कि उपाध्यक्ष का चुनाव हो । पिछली बार एक नाम दिया गया था माननीय गौरीशंकर जी का और आज दो नाम सामने आ गये। सत्ता पक्ष की भी जिम्मेदारी होती है कि सत्ता पक्ष अपनी तरफ से, जो विपक्ष में सबसे बड़ा दल है, उसका सहयोग करे और सर्वसम्मति से नाम तय कराने में अपनी भूमिका का निर्वाह करे । बहुजन समाज पार्टी के मौर्य जी ने आज बहिर्गमन किया और कुछ तथ्यहीन तर्क भी रखे । उन्होंने बिहार का उदाहरण दिया ।

यह पूरा देश जानता है कि आज दलितों की हत्यायें किसने किया, भूस्वामियों ने किया और सामन्ती सेना ने किया, रणबीर सेना के भू-स्वामियों ने किया । जिस षड़यंत्र के तहत केन्द्र सरकार ने बिहार की सरकार को हटाने का काम किया, पूरे देश ने उसका विरोध किया और संविधान, न्यायपालिका के फैसले के आगे भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत भी नहीं पड़ी । मौर्य जी ने बताया कि बहन मायावती ने टंडन जी को राखी बांधी थी । क्या उनको कोई दलित भाई राखी बांधने के लिये नहीं मिला, इस तरह आपने भारतीय जनता पार्टी का सहयोग किया । [× × ×] मैं आपसे निवेदन करता हूं कि माननीय प्रमोद कुमार, यहां बैठे हैं, अम्मार साहब भी बैठे हैं, वह अत्यन्त योग्य हैं । हम लोगों ने गौरीशंकर जी का नाम दिया हुआ है, मैं अनुरोध करूंगा कि डा० अम्मार साहब अपने नाम

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

को वापस ले लें । मैं कहना चाहता हूं कि मौर्य जी आपने और आपकी पार्टी ने दलितों को सबसे ज्यादा धोखा दिया है वरना आज कल्याण सिह उस कुर्सी पर आसीन न होते । अन्त में मैं आग्रह करता हूं, सत्ता पक्ष से, नेता सदन से, संसदीय कार्य मंत्री से भी कि सदन की जो परम्परा है, विपक्ष के सबसे बड़े दल के व्यक्ति को उपाध्यक्ष होना चाहिए । माननीय प्रमोद कुमार, सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव तथा श्री कौकब हमीद जी से भी आग्रह करता हूं कि वह अम्मार साहब से निवेदन करें कि वह अपना नाम वापस ले लें ।

डा० अम्मार रिजवी–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम पुकारा गया है, मान्यवरे, इससे पहले भी हमारे छोटे भाई ने अनुरोध किया था और अभी फिर कहा गया है कि हमेशा उपाध्यक्ष बड़े दल का होता रहा है, मेरा निवेदन है कि कभी ऐसी परम्परा नहीं रही है, छोटे दल का भी सदस्य उपाध्यक्ष हुआ है, एक ही दल वाला व्यक्ति उपाध्यक्ष हुआ है । मैं कहना चाहता हूं कि जिस समय प्रमोद कुमार जी ने प्रस्ताव रखा था उस समय मा० नेता विरोधी दल बाहर गये हुये थे, और 2-3 नाम आ गये मैं यह कहना चहाता हूं कि अगर हम अपना नेता चुनने में बगैर सत्ता दल के सक्षम होते तो हम उपाध्यक्ष न चुनते, हम चुनते मुख्य मंत्री जो वहां पर बैठता । सत्ता पक्ष को हमेशा कान्फीडेन्स में लिया गया है हमने नाम दे दिया और उन्होंने नाम दे दिया उनकी ओर से फैसला हो जाय और अगर आप समझते हैं इसकी जरुरत नहीं है तो मेरा सुझाव है कि दोनों नामों को आपको दे दिया जाय और आप किसी नाम पर अपनी सहमति दे दें ।

* श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, सत्ता पक्ष की ओर से, मैं आपका ध्यान पिछलेसत्र के विषय में ध्यान दिलाना चाहता हूं। सत्ता पक्ष की ओर से विरोधी पक्ष का उपाध्यक्ष के लिये एक नाम मांगा गया था और श्री गौरी शंकर का नाम सर्वसम्मति से आया था, लेकिन सत्ता पक्ष नेकिसी रणनीति के तहत श्री गौरी शंकर का नाम नकारने का काम किया । आज आदरणीय अम्मार रिजवी का भी नाम आया, वह हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं और शासन में उनको रहने का मौका मिला है मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, इनको सत्ता पक्ष का बहुत बड़ा भरोसा है, तो मान्यवर, मैं आग्रह करना चाहता हूं जब गौरी शंकर जी का नाम आ गया था तो बहुजन समाज पार्टी के नेता ने उनका समर्थन किया था, लेकिन आज उनको न जाने क्या हो गया है कि उन्होंने चुनाव से बहिष्कार किया है और अम्मार रिजवी साहब को सत्ता पक्ष का बड़ा भरोसा हो रहा है, लेकिन जिस प्रकार से राजनीति की जा रही है, इससे जनता में गलत सन्देश जायेगा । साम्प्रदायिक कौन हैं और धर्मनिरपेक्षता की रक्षा करने वाली कौन पार्टी है ।यह प्रदेश की जनता के सामने संदेश जायेगा तो मेरा निवेदन है कि इसमें मान्यताओं का आदर करेंगे ।

श्री राम नरेश यादव–

मान्यवर, आज उपाध्यक्ष पद के चुनाव की तिथि है और उसका समय आपने निर्धारित किया था यह बात सही है कि इस पद के लिये अभी तक चुनाव नहीं हो पाया । इसी बात को ध्यान में रखकर कई बार यह प्रश्न सदन में आया था उसको ध्यान में रखते हुए आज की तिथि निर्धारित की गयी थी मैंने भी डा० अम्मार रिजवी साहब के नाम का प्रस्ताव किया था । समय-समय पर जब कभी ऐसी बात आयी तो चुनाव होते रहे हैं,चाहे वह बड़े दल के रहे हों या छोटे दल के रहे हों । लेकिन अब तक की परम्परा में एक नाम पर सहमति रही है, चाहे वह छोटे दल का हो या बड़े दल का हो, वह आम राय से उपाध्यक्ष पद पर चुने जाते रहे उपाध्यक्ष का पद बहुत गरिमामय होता है । लेकिन आज ऐसी स्थिति आ रही है कि उपाध्यक्ष के लिये दो उम्मीदवार हैं, डा० अम्मार रिजवी और गौरी शंकर जी दोनों

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मा० सदस्यों ने अपनी-अपनी बात कही है। कुछ और भी बातें चल रही हैं, जब यह स्थिति आ गयी है तो जैसा कुछ साथियों ने सुझाव दिया है कि दोनों नाम रिफर कर दिये जायं और सत्ता पक्ष के लोग उस पर विचार कर लें। मेरा मत भिन्न है–सत्ता पक्ष में जो लोग बैठे हैं उनका भी दायित्व बनता है आम सहमति से बात बने ताकि उपाध्यक्ष का चुनाव हो सके जो भी उस कुर्सी पर बैठेगा सभी को सुविधा मिलेगी, नियमों के अनुसार सदन को चलाने में अपनी बात को कहने में सबको मदद मिलेगी इसलिये मेरा अनुरोध है कि माननीय प्रमोद कुमार जी ने जो प्रस्ताव रखा है वह उचित है एक नाम या दो नाम जो भी हैं उसे रिफर करने की आवश्यकता नहीं है। सत्ता पक्ष से भी अनुरोध है कि अधिक दिन तक इसे रोकने की जरूरत नहीं है लेकिन आज उसे स्थगित कर दें। इन दो नामों में से कोई एक नाम तय कर लिया जाय यदि नहीं होगा तो फिर दूसरी स्थिति चुनाव को पैदा होगी। सत्ता पक्ष से भी अनुरोध है कि इस तरह की व्यवस्था कर लें जैसा कि प्रमोद कुमार जी ने स्थगित करने के बारे में कहा है, इस बारे में गम्भीरता से विचार करें। एक अच्छे वातावरण में मिलजुल कर बैठकर निश्चित रूप से हल निकाल सकते हैं।

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, उपाध्यक्ष जैसे गरिमामयी पद के लिये आज इस सदन में जिस तरह से चुनाव प्रचार प्रारम्भ हो गया है वह बड़े खेद की बात है जहां यह कहा जा रहा है मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। मैंने 8 मार्च को ही सभी विपक्षी माननीय नेताओं को अपने कक्ष में आमंत्रित किया था। सबसे बातचीत हुई थी और उसके बाद जो लोग वहां थे उनमें विचार-विमर्श भी हुआ था और विचार-विमर्श के बाद भी, हम किसी का नाम लिये बगैर कहते हैं उनमें से कुछ लोगों ने पर्चा दाखिल करने का काम प्रारम्भ कर दिया गया। मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी से 8 तारीख को टेलीफोन से वार्ता की और अनुरोध किया था कि उपाध्यक्ष पद का चुनाव घोषित किया जाय। मैं यह चाहता हूं कि अब की बार यह चुनाव हो जाये और यह जो हमारे सम्पूर्ण विपक्ष ने इसके पहले जब चुनाव घोषित हुए थे हमने वहां गौरीशंकर जी का नाम सर्वसम्मति से प्रस्तुत किया था। उसी नाम को हम पुनः प्रस्तुत कर रहे हैं। स्वीकार कर लिया जाये। श्रीमान नेता सदन का सम्भवतः यह पर्ज होना चाहिए था कि जब मेरी तरफ से यह प्रस्ताव उनके समक्ष आ गया था तो फिर चुनाव के पहले विचार-विमर्श अवश्य हो जाना चाहिए। श्रीमान यह कमी रही और उसके बाद जब यह हमारे दल के दो आदमी स्वामी जी और गौरी शंकर जी आ गये, हमारे विपक्ष के लोगों ने कहा कि आपके दो नाम आ गये हैं इसलिये तीसरा नाम है। मैंने कहा दो नाम नहीं हैं। स्वामी जी ने अपना नाम जरूर प्रस्तुत किया है लेकिन वह वापस ले लेंगे और हमारा एक ही नाम सर्वसम्मति से है, कोई दूसरा नाम हमारी ओर से नहीं है।

श्रीमान, भारतीय जनता पार्टी की यह हार्दिक इच्छा थी कि सर्वसम्मति से विपक्षी दलों का एक नाम न आ पाये। यदि भारतीय जनता पार्टी सर्वसम्मति से एक नाम स्वीकार कर लेती तो श्रीमान इससे पहले समता पार्टी, लोकतांत्रिक कांग्रेस, जनतांत्रिक बसपा के बहुत से नाम आ जाते जब एक नाम आया तो अनेक नाम का प्रस्ताव आ गया। तो मंशा तो साफ जाहिर है और अब बदलते समीकरण में भाजपा बसपा के नजदीक कांग्रेस के कुछ लोग लोकतांत्रिक और भाजपा की तरफ इधर-इधर जाने का मन बना रहे हैं। भाजपा भी यही चाहती है कि किसी प्रकार ऐसा नाम आ जाये जो हमारी पार्टी को सबल करे और पार्टी में भी आ जाये, बहुत से सदस्यों को लेकर भी आ जाये। और अगर ऐसी मंशा है तो श्रीमान हम इस मंशा को उजागर होने देना चाहते हैं। हम चाहते हैं इलेक्शन हो, अब टले नहीं। टलना अच्छी बात नहीं है।

(मेजों की थपथपाहट)

क्योंकि इलेक्शन टाला जाना अच्छी बात नहीं है। फिर वहां विवाद पैदा होगा। अगर विपक्ष के सभी लोग इक्ट्ठा न हुए किसी का मन किसी के लिए और किसी का मन किसी के लिए तो भाजपा के पास

एक बातें आ जायेंगी कि आय एक जुट नहीं हैं । भाजपा किसी भी विपक्ष के आदमी को उपाध्यक्ष मानना नहीं चाहती, अगर चाहती तो उसी दिन सर्व सम्पति से उसी नाम पर सहमत हो गई होती । अगर वास्तव में सही मायने में विपक्ष के किसी सदस्य को उपाध्यक्ष बनाना हो । यहीं पर हम सभी विपक्ष दलों से उनके नेताओं से यह निवेदन करना चाहेंगे, अनुरोध भी करना चाहेंगे कि जो बात एक बार तय हो गई उस पर सब लोगों को एक रहना चाहिए । मान्यवर, बार-बार विचारों को बदलना स्वस्थ परम्परा नहीं है । मान्यवर, बार-बार ऐसा करना स्वस्थ परम्परा नहीं है और न ही इससे सम्मान मिलता है इससे भाजपा और अन्य लोगों में अन्तर क्या रह जायगा । यह तो जो कहते हैं उसके विपरीत करते हैं । मेरा अनुरोध है कि पहले तो माननीय डा० अम्मार रिजवी का निर्णय था वह भी सहमत थे लेकिन हम न दलित की बात कर रहे हैं और न अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं हम केवल निर्णय की पुष्टि कर रहे हैं जो निर्णय एक बार हो गया उसी पर अटल रहें और अम्मार साहब अपना नाम वापस ले लें और सर्वसम्मति से माननीय गौरी शंकर का नाम तय हो जाय । भाजपा और उनके सहयोगी दलों को चाहिए कि एक नाम पर आये थे उस पर सहमत हो जायं और गौरीशंकर जी को सपोर्ट करें । अगर यह नहीं होता है तो फिर चुनाव हो जाय ।

डा० अम्मार रिजवी–

माननीय नेता विरोधी दल हमारे लिये आदरणीय हैं, हमारे साथी रहे हैं । बड़े दल से नेता हैं तो बड़े भाई भी हैं । हम पूरी तरह से उनसे भाई चारा रखना चाहते हैं लेकिन मुझे लग रहा है कि यह भाई तो बने रहना चाहते हैं पर हमें चारा बनाना चाहते हैं । (हंसी व शोर) मेरा आपसे अनुरोध है, माननीय नेता विरोधी दल से अनुरोध है कि अगर माननीय नेता सदन पर उनको विश्वास नहीं है वैसे मान्यवर, जो नेता सदन होता है उस पर पूरे सदन को विश्वास होता है लेकिन हम अगर कोई बात कहें तो उस पर एतराज वाले चाहे कुछ भी करें वह ठीक है ।

"हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम,
वह कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता ।"

अध्यक्ष जी, हम आप पर छोड़े दे रहे हैं जिसको चाहे बना दीजिये, आपको बनेगा आपका डिप्टी होगा, बड़े साहब तो आप ही रहेंगे । यह हमने आप पर छोड़ दिया बाकी जो कह देंगे वही आगे होगा ।

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, फिर विपक्ष की एकता की बात कहां रही पहले तो अम्मार रिजवी साहब भी सहमत थे ।

श्री अध्यक्ष–

मेरे सामने एक कठिनाई उत्पन्न हो गयी है ।

श्री गौरीशंकर एडवोकेट–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता विरोधी दल और अन्य सम्मानित नेतागण ने अपनी बात कही, मैं कोई प्रतिवाद करने के लिये नहीं खड़ा हूं और न ऐसी मेरी मंशा है । जैसा कि माननीय रिजवी साहब ने कहा कौन किसका चारा है मैं उस पर भी नहीं जाना चाहता । बड़े भाई हैं और बड़ा भाई जो कुछ भी कहता है वह सोच समझकर कहता है । मुझे इस चारे के प्रसंग पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है । इस संबंध में मैंने एक बात कही, मैंने पहले भी कहा था कि आपने स्वयं भी, रिजवी साहब ने स्वयं मेरे नाम पर दस्तखत किये थे और सम्मानित नेताओं ने भी किये थे और हस्ताक्षर होकर न केवल नामांकन पत्र पर, बल्कि उसके पूर्व अध्यक्ष जी से अनुरोध किया था कि वह हमारे नाम पर सहमत हैं और उसके बाद ही तब आपने तारीख निश्चित करने की कृपा की । इस बीच में गौरीशंकर कितने खराब हो गये । यह मैं डा० अम्मार रिजवी साहब से यहां क्यों पूछूं ? 15–20 दिन से कहां किसके रिश्ते अच्छे हो गये

और हमसे खराब हो गये । मैं इन बातों का उल्लेख यहां नहीं करता । मुझे सभी सम्मानित दल के नेताओं का आशीर्वाद मिला । मेरे नाम को माननीय सदस्यों, नेतागण ने प्रस्तुत किया है, आप कृपा करके इस पर विचार करें और पुनः डा० अम्मार रिजवी साहब से अनुरोध करता हूं कि वह अपना नाम वापस ले लें । मान्यवर, क्वालीफिकेशन की बात आयी । तो मैं मात्र इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एम०, एल० एल० बी० हूं और 25–30 साल राजनैतिक जीवन के हो गये हैं । मान्यवर, माननीय नेता विपक्ष ने जो बात कही है मैं अनुरोध करता हूं कि आप कृपा करके उस पर विचार करें और बाकायदा निर्णय लें ।

श्री लोकपति त्रिपाठी–

श्रीमन्, आज के दिन का बहुत इन्तजार था । मैंने आपसे अनुरोध भी किया था.....

श्री अध्यक्ष–

इसरार हुआ, इकरार हुआ, अब इन्तजार भी हो गया ।

(सदन के सभी माननीय सदस्यों ने ठहाके लगाये)

श्री लोकपति त्रिपाठी–

श्रीमन्, मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं कि जो ठहाका अभी सदन में लगा है वही ठहाका लगे, आज इस चुनाव को स्थगित कर दें । जैसा नेता प्रतिपक्ष ने कहा है, इसी सत्र के अन्दर उपाध्यक्ष का चुनाव करायें, आप जैसा निर्णय लें । दो प्रत्याशी हैं । आज का चुनाव स्थगित कर 24 मार्च, 1999 के अन्दर नई तिथि रखें और इसके लिये आप स्वयं और नेता सदन निर्णय लें ।

श्री अध्यक्ष–

इस सदन में कई बार माननीय सदस्यों ने विचार प्रकट किया था कि उपाध्यक्ष का निर्वाचन हो जाना चाहिए क्योंकि उसके कारण कुछ समितियों की कार्यवाही नहीं हो पा रही है, समितियां सक्रिय नहीं हो पा रही हैं । यह तो इसरार वाली स्टेज थी । मैंने कहा था कि चुनाव की तिथि की घोषणा कर देंगे और 12 तारीख की तिथि निर्धारित की थी और कहा था कि यह प्रयास भी होगा कि आम राय बनायी जाये, नहीं तो निर्वाचन करा देंगे, प्रयास यह था कि आम राय हो जाती तो अच्छा होता । दो माननीय सदस्यों ने अपने नाम वापस ले लिया मैं उनको बधाई भी देना चाहता हूं । विपक्ष में मतभेद है । कांग्रेस दल के माननीय नेता ने कहा कि चुनाव स्थगित कर दिया जाये । सबसे बड़ी विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और नेता विपक्ष ने कहा कि निर्वाचन हो जाये । माननीय मुख्य मंत्री जी या संसदीय कार्य मंत्री जी आपकी क्या राय है ?

* संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, काफी समय से इस विषय पर चर्चा चल रही है और टीका-टिप्पणी भी हुई । हमको भी नहीं बख्शा गया जबकि हम तो सुबह से चुप बैठे थे । अब आपका निर्देश हुआ है इसलिये हम अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहते हैं । क्योंकि जब परम्परा वाली बात कही जाती है तो ऐसी कोई परम्परा सदन की नहीं रही कि अमुक दल का ही कोई उपाध्यक्ष के पद पर आसीन होगा । विपक्ष का आसीन होना चाहिए यह परम्परा रही है हम उस परम्परा पर कायम हैं, आज भी कायम हैं । प्रयास हमारी तरफ से क्या होना चाहिए था हमने प्रयास यह किया आपने तारीख लगाई उस निश्चित तारीख को हम यहां बैठे हैं । अगर मतदान होता है तो उसके लिये भी तैयार हैं । लेकिन हमारी चिन्ता है, हमारा दल चिन्तित है

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कि जो महानुभाव वहां बैठे हैं वह एक ऐसे वातावरण में जाकर बैठे हैं, क्या आपस की सद्भावना आपस में बनी रहेगी अगर कटुता के वातावरण में चुनाव भी हो जायेगा उससे ज्यादा जरुरी आपस में विश्वास बना रहे।

हमें इस बात में कोई आपत्ति किसी प्रकार की नहीं है अगर प्रयास करने की आवश्यकता है, प्रयास आप करना चाहते हैं हम उसमें आड़े नहीं आना चाहते हैं। हम उसमें बीच में नहीं आना चाहते हैं। हमारी तरफ से कोई संदेश ऐसा नहीं जाना चाहिए कि विपक्ष में इन्होंने आपस में तनाव पैदा कर दिया व कोई विभाजन किया अगर यह लोग प्रयास करना चाहते हैं तो उसमें प्रयास में हम आड़े नहीं आना चाहते हैं। मौर्या जी आरोप लगाने में निपुण हैं, उन्होंने आपको भी आशीर्वाद दिया हमको तो वह आशीर्वाद देते रहते हैं। श्री राम जग ने जो यह बात कही कि मायावती जी कोई दलित भाई नहीं मिला कि उन्होंने श्री कलराज मिश्र और टंडन जी को राखी बांधी। यह इसलिए किया क्योंकि जब उनके ऊपर आक्रमण किया गया था उनकी जान लेने की कोशिश की गई थी तो इन लोगों ने जाकर भाई बनकर उनकी जान बचाकर भाई बनने का कर्तव्य निभाया था। आप साम्प्रदायिकता की बात करते हैं। अब भाजपा से इतनी आशंका पैदा हो गयी आप तो भाजपा के समर्थन से यहां बैठ चुके हैं। भाजपा ने सबसे पहले मुलायम सिंह को मुख्य मंत्री के पद पर बिठाया। तब यह साम्प्रदायिक नहीं थी। 1989 में पहली बार भाजपा के सहयोग-से मुलायम सिंह मुख्य मंत्री बने थे। लेकिन जब आप लोगों ने इस प्रदेश में जंगल राज पैदा कर दिया था, अराजकता पैदा कर दी थी तब भाजपा ने समर्थन वापस लिया था। हम उपाध्यक्ष के चुनाव में अपने को किसी प्रकार आड़े नहीं आने देना चाहते हैं। जैसा ठीक समझा जाए हमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, आज के चुनाव को स्थगित कर दिया जाए।

श्री अध्यक्ष–

जैसा यह सदन प्रस्ताव करेगा।

श्री प्रमोद कुमार–

मैं प्रस्ताव करता हूं कि उपाध्यक्ष का जो चुनाव आज 12 तारीख के लिये घोषित है उसे स्थगित कर दिया जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रस्ताव आप भिजवा दें।

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, आज ही चुनाव हो जाए। भारतीय जनता पार्टी की मंशा किसी तरह से विपक्ष में एकता कायम रखने की नहीं है। जिस तरह से इन्होंने कांग्रेस को तोड़कर लोकतांत्रिक कांग्रेस बनाई उसी तरह से कांग्रेस के लोगों को तोड़कर लोकतांत्रिक कांग्रेस में ले जाना चाहते हैं। आज ही चुनाव हो जाए सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, चुनाव हो जाने दीजिए।

सत्ता पक्ष की भूमिका स्पष्ट हो चुकी है कि जैसा विपक्ष चाहे।

* श्री अतीक अहमद–

मान्यवर, यह सदन जनहित के लिये है । डिप्टी स्पीकर का चुनाव जनहित में नहीं बल्कि सदन हित में होता है । एक उम्मीदवार श्री गौरीशंकर जी हैं तो दूसरे उम्मीदवार डा० अम्मार रिजवी जी हैं । यहां पर दर्शक दीर्घा में लोग बैठे हैं और पत्रकार बन्धु बैठे हैं । विडम्बना यह है कि दोनों प्रत्याशी उस आसन पर बैठने के लिये अपना प्रचार कर रहे हैं और जनता के बीच एक मैसेज जा रहा है । कोई अपनी जाति की बात कर रहा है तो कोई अपनी क्वालीफिकेशन की बात कर रहा है लेकिन मान्यवर, डिप्टी स्पीकर का पद निष्पक्ष माना जाता है इसलिए उस आसन पर जो भी व्यक्ति बैठेगा, जनता के बीच जो संदेश जायेगा उसका आप अवश्य ध्यान रखें ।

श्री अध्यक्ष–

आप मुझे 20 मिनट का अवसर दीजिए ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव भेज रहा हूं, लिखित रूप में प्रस्ताव भेज रहा हूं ।

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, आप सदन की कार्यवाही 3 बजे तक के लिये स्थगित कर दीजिये ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव कर रहा हूं––"मैं प्रस्ताव करता हूं कि दिनांक 12 मार्च, 1999 को उपाध्यक्ष पद हेतु होने वाले निर्वाचन एवं प्राप्त सभी नाम निर्देशन पत्र निरस्त किये जायं ।"

श्री अध्यक्ष–

अगर आवश्यक हुआ तो मैं इस प्रस्ताव पर 3.00 बजे मतदान कराऊंगा । मैं सदन को 3.00 बजे तक के लिये स्थगित करता हूं ।

(तत्पश्चात् 2 बजकर 25 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 3 बजे तक के लिये स्थगित कर दी । 3 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री अध्यक्ष–

अभी माननीय प्रमोद कुमार जी ने एक प्रस्ताव दिया था कि उपाध्यक्ष के पद पर जो निर्वाचन आज के लिये होना है वह स्थगित कर दिया जाय और सभी नाम निर्देशन पत्र भी निरस्त किये जायं । माननीय नेता प्रतिपक्ष ने भी अपने विचार व्यक्त किये और उन्होंने अनुरोध किया कि चुनाव हो जाय तो ठीक है । दो माननीय सदस्यों ने कहा कि अध्यक्ष पीठ पर इसका निर्णय छोड़ दें । मेरा प्रयास सदैव यह रहा है कि आम राय हो जाय तो बहुत अच्छा है । अगर यह सदन मुझे एक आम सहमति ऐसी दे दें तो मैं बहुत आभारी होऊंगा यदि आप यह कहें कि आज निर्वाचन हो या न हो । मैं इन सारी परिस्थितियों में आज जो यहां थोड़ा सा विचार विमर्श हुआ और जिस प्रकार के भाव व्यक्त किये गये । मैं समझता हूं कि आम राय इस सदन की यह है कि यदि सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष का चुनाव हो जाय तो बहुत अच्छा है । इसलिये आप लोगों की मन की भावनाओं का आदर करते हुए मैं आज इस चुनाव की कार्यवाही को स्थगित करता हूं और सभी नाम निर्देशन पत्र जो प्राप्त हुए हैं निरस्त किये जाते हैं । इसके लिये मैं कोई दूसरी तिथि घोषित कर दूंगा ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 12 मार्च, 1999 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम–301 के अन्तर्गत कुल 18 सूचनायें प्राप्त हुईं । प्राप्त सूचनाओ में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए सात सूचनाएं स्वीकार की गईं । पहली सूचना श्री विजय कुमार और दूसरी सूचना श्री राम वीर सिंह की पुकारे जाने पर वे सदन में उपस्थित नहीं थे ।

श्री राम विशुन आजाद, श्री दद्दू प्रसाद और श्री सुशील शाक्य की सूचना पढ़ी हुई मान ली गई । श्री प्रमोद कुमार का नाम पुकारे जाने पर वे सदन में उपस्थित नहीं थे । श्री अम्बरीष कुमार की सूचना पढ़ी हुई मान ली गयी ।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं ।)

जनपद गोण्डा के मनकापुर क्षेत्रान्तर्गत झिलाही एवं सागरपुर में विद्युत उपकेन्द्र स्थापित करने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम विशुन आजाद–

[आपको अवगत कराना है कि जनपद–गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में मोतीगंज फीडर और बगदर फीडर की दूरी अधिक होने के कारण आये दिन किसी न किसी दोष में विद्युत आपूर्ति नहीं हो पाती है जिससे विद्युत उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है लम्बी लाइन होने के कारण कई जानवरों और आदमियों की मृत्यु भी विद्युत तार के सम्पर्क से हो चुकी है । विद्युत उपभोक्ताओं की बराबर मांग रही है कि मोतीगंज फीडर बार बगदर फीडर को छोटा कर दिया जाय तो विद्युत आपूर्ति सही ढंग से उपभोक्ताओं को मिलती रहेगी । झिलाही बाजार और सागरपुर बाजार में 32 के० वी० सब स्टेशन खोलने के लिये कई बार मेरे द्वारा शासन प्रशासन का ध्यान पत्र के माध्यम से लाया गया परन्तु उस पर किसी प्रकार की कार्यवाही अभी तक नहीं हुई ।

अतः मैं इस सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि जनहित में झिलाही और सागरपुर में विद्युत उप-केन्द्र की स्थापना की जाय ।]

जनपद चित्रकूट में कलेक्ट्रेट परिसर का निर्माण असिंचित भूमि में कराये जाने की मांग के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दद्दू प्रसाद–

[महोदय, जिला चित्रकूट में कलेक्ट्रेट परिसर के निर्माण हेतु अत्यधिक उपजाऊ तथा सिंचित भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है । इस विषय को दिनांक 18 फरवरी, 1999 को उ० प्र० विधान सभा में मैंने नियम 56 के तहत शून्य काल में उठाया था शासन की तरफ से मुझसे लिखित प्रस्ताव मांगा गया था दिनांक 24 फरवरी, 1999 को मा० संसदीय कार्य मंत्री को लिखित प्रस्ताव दिया जा चुका है । सम्मानित सदन के माध्यम से प्रस्ताव है कि मौजा कसहाई, रगौली, पुरवा तरौहा तथा सपहा की असिंचित भूमि पर कलेक्ट्रेट परिसर का निर्माण कराया जाये ।

लोक महत्व के इस विषय पर शासन का ध्यानाकर्षण कराने की कृपा करें ।]

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

लखनऊ के गोमती नगर के विवेक खण्ड–2 में स्थित सामुदायिक केन्द्र के भवन का अनुरक्षण कराने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री सुशील शाक्य–

[मान्यवर, लखनऊ के गोमती नगर विवेक खण्ड–2 में स्थित सामुदायिक केन्द्र का भवन अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है । भवन की पुताई वर्षों से नहीं कराई गई है जिससे वहां पर गन्दगी का साम्राज्य है । भवन के अन्दर मकड़ी के जाले तथा दीवारों पर पान की पीकें पड़ी हुई हैं । सफाई कार्य भी ठीक से नहीं हो रहा है । टायलेट काफी गन्दे रहते हैं तथा उनमें पाट्स भी टूटे पड़े हुए हैं जिनकी मरम्मत आदि भी नहीं कराई जा रही है । पूरे भवन की विद्युत वायरिंग टूट गयी है जिससे कमरों व टायलेट में अंधेरा बना रहता है । पानी की टंकी की सफाई भी वर्षों से नहीं कराई गयी है, पानी में बदबू आती है जिससे बीमारी फैलने की आशंका बन गयी है । पानी का मोटर वर्षों से खराब पड़ा है । आवंटियों द्वारा किराये की मोटर लगाकर पानी की व्यवस्था की जा रही है । लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटियों से सामुदायिक केन्द्र का एक दिन का हजारों रुपया किराया लेकर कोई सुविधा न प्रदान किये जाने से गोमती नगर के निवासियों में घोर निराशा व्याप्त है ।

अतः इस संदर्भ में सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने एवं सामुदायिक केन्द्र के भवन का ठीक से अनुरक्षण कराने की मांग करता हूं ।]

माध्यमिक शिक्षा विभाग में कार्यरत अस्सी प्रतिशत लेखाकारों को पर्याप्त समयोपरान्त पदोन्नति न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अम्बरीष कुमार–

[माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा शासनादेश सं० 4498/15-2-93–27 (59)88 टी० सी० दिनांक 19-9-93 जारी कर 80 प्रतिशत एवं 20 प्रतिशत नियुक्ति तिथि से लेखाकार वेतन मान एवं पद नाम का लाभ दिया जाना था 80 प्रतिशत एवं 20 प्रतिशत राजाज्ञानुसार वरिष्ठता सूची तैयार कर निदेशक कोषागार को सहायक लेखाधिकारी/लेखाधिकारी के पदों पर पदोन्नति हेतु भेजी जानी थी जो नहीं भेजी गयी । माध्यमिक शिक्षा विभाग में कार्यरत 80 प्रतिशत एवं 20 प्रतिशत के लेखाकारों को उपर्युक्त राजाज्ञानुसार एक ही वेतनक्रम में कार्यरत लेखाकारों को सहायक लेखाधिकारी/लेखाधिकारी के पदों पर पदोन्नति नहीं किया है ।

माध्यमिक लेखा संगठन में कार्यरत कुल 80 प्रतिशत लेखाकारों को 12 वर्षों की सेवा पर भी पदोन्नति न दिये जाने से स्थिति गम्भीर हो गयी है ।

यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है । अतएव स्वीकार करें ।]

प्रदेश के ख्याति प्राप्त खिलाड़ी स्व० धाना सिंह के परिवार को आर्थिक सहायता दिलाने की मांग के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

(श्री प्रमोद कुमार के सदन में उपस्थित होने पर)

श्री अध्यक्ष–

श्री प्रमोद कुमार जी आपकी नियम–301 की सूचना है, पढ़ी हुई मान लेते हैं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं अपनी सूचना पढ़ना चाहता हूं।

उत्तर प्रदेश शासन ने समय-समय पर यह घोषणा की है कि जो खिलाड़ी प्रदेश का नाम देश या विश्व में रोशन करेंगे उन्हें सम्मान व पुरस्कार स्वरूप आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी। श्री धाना सिंह ने साइकिलिंग की स्पर्द्धा में देश विदेश में प्रदेश का नाम रोशन किया है। उन्होंने आर्थिक संकट से जूझते हुए दिनांक 8 मार्च, 1999 को लखनऊ में अन्तिम सांसें ली। उनके परिजनों के भरण पोषण हेतु धानाभाव है तथा ऐसे प्रसिद्ध खिलाड़ी की स्मृति को प्रेरणा स्वरूप जीवित रखने के लिये आर्थिक संकट पैदा हो गया है। अतः उत्तर प्रदेश शासन को निर्देशित किया जाय कि कम से कम 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करे जिससे उनके परिजनों के भरण पोषण की समस्या का समाधान तथा स्मृति को जीवित रखने की व्यवस्था करायी जा सके। मान्यवर, जिस व्यक्ति ने देश विदेश में भारत का नाम रोशन किया और आज वह कटोरा लेकर भीख मांग रहा हो तो मैं समझता हूं कि ऐसे ख्याति प्राप्त खिलाड़ी के लिये उत्तर प्रदेश सरकार अधिक से अधिक आर्थिक सहायता उसे दे।

श्री अध्यक्ष–

इसमें भाषण नहीं होता है।

संसदीय कार्य मंत्री जी इसमें देख लेंगे।

प्रतीक्षा सूची से मैं नाम पुकार रहा हूं।

(श्री काशी नाथ का नाम पुकारे जाने पर–माननीय सदस्य उपस्थित नहीं थे)

प्रतीक्षा सूची से दूसरी सूचना श्री कृपा शंकर सिंह की है। इनकी सूचना पढ़ी हुई मानी जाती है। शेष माननीय सदस्यों की सूचनाओं को मैं अस्वीकृत करता हूं।

(उक्त स्वीकृत सूचना पढ़ी हुई मानी गयी)

जनपद उन्नाव के बीघापुर, भगवन्त नगर एवं पुरवा में सुचारु रूप से विद्युत आपूर्ति कराने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री कृपा शंकर सिंह–

[महोदय, उन्नाव जनपद में विद्युत उपकेन्द्र बीघापुर, भगवन्तनगर एवं पुरवा की विद्युत लाइनें काफी दिनों से क्षतिग्रस्त होने के कारण तथा बीघापुर में ट्रालियां काफी दिनों से खराब होने के कारण उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति सुचारु रूप से नहीं करायी जा रही है जिससे उपभोक्ताओं में रोष व्याप्त है। विभागीय अधिकारियों द्वारा कोई ध्याननहीं दिया जा रहा है जिससे उपभोक्ताओं में गम्भीर रोष व्याप्त है छात्रों की परीक्षायें सन्निकट होने के कारण छात्रों में भी उत्तेजना व्याप्त है। उपभोक्ता बिजली का बिल नियमित जमा कर रहे हैं। किन्तु उन्हें विद्युत आपूर्ति नहीं करायी जा रही है।

अतः माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध है कि ऐसे महत्वपूर्ण विषय उपकेन्द्र बीघापुर, पुरवा एवं भगवन्तनगर में विद्युत आपूर्ति कराने हेतु सम्मानित सदन के समक्ष प्रश्न उठाने की अनुमति प्रदान की जाय।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नियम 300 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

नियम–300 में श्री मुन्ना चौहान की सूचना है कि प्रत्येक विधायक के निर्वाचन क्षेत्र के लिये 25-25 हैण्डपम्प दिये जायं ।

वर्ष 1999–2000 में प्रत्येक विधायक के निर्वाचन क्षेत्र के लिये 25-25 हैण्डपम्प की स्वीकृति उत्तराखण्ड क्षेत्र के सन्दर्भ में लागू न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री मुन्ना चौहान–

अध्यक्ष महोदय, मैं आभारी हूं कि आप बहुत ही उदार होकर मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया । मान्यवर, इसी सदन में विगत वर्ष सरकार ने घोषणा किया था और आश्वासन दिया था कि प्रत्येक विधायक के निर्वाचन क्षेत्र के लिये 25-25 हैण्डपम्प आवंटित किये जायेंगे । इस संबंध में निर्देश जारी हुए और 25-25 हैण्डपम्प आवंटित किये गये एवं प्रदेश के दूसरे हिस्सों में 25-25 हैण्डपम्प दे दिये गये । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि वर्ष 1998-99 में उत्तरांचल क्षेत्र के विधायकों को जो 25-25 हैण्डपम्प देने की घोषणा किया था उसका अभी तक क्रियान्वयन नहीं हुआ । यदि कहीं क्रियान्वयन हुआ है तो तुलनात्मक दृष्टि से देख जाय तो आपस में कोई तुलना नहीं हो सकती है । मान्यवर, हो सकता है कि सरकार की ओर से जवाब दिया जाय कि उत्तरांचल क्षेत्र में हैण्डपम्प नहीं लग सकते हैं किन्तु मैं कहना चाहता हूं कि इसमें वह भूल करते हैं चूंकि उत्तरांचल की जो भौगोलिक स्थिति है वह किस तरह की है इसे उन्हें नहीं पता है और सरकार जवाब देगी वहां हैण्डपम्प नहीं लग सकते हैं इसलिये प्रबन्ध नहीं किया गया । लेकिन सच्चाई है कि वहां तमाम जिले ऐसे है जहां हैण्डपम्प लगते हैं जैसे श्री भारत सिंह रावत के क्षेत्र में, गढ़वाल में, देहरादून में, उधमसिंह नगर में और तराई के दूसरे क्षेत्रों में हैण्डपम्प लगते हैं । इसलिये जो घोषणा किया है उसके अनुरूप और जो शासनादेश जारी हुआ उसका अतिक्रमण करते हुए हमको वंचित रखा गया ।

मान्यवर, इस वर्ष भी जब संसदीय कार्य मंत्री जी घोषणा करेंगे कि वर्ष 1999-2000 के अन्दर 25-25 इण्डिया मार्क–2 हैण्डपम्प देना है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या प्रदेश सरकार इस बात को जरूरी नहीं समझती है कि वहां की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए इस बात को सुनिश्चित किया जाना कि वहां की विषम परिस्थितियों को देखते हुए 25-25 हैण्डपम्प दिये जायं । सिंचाई विभाग के बजट पर मैं सुन रहा था यह वास्तविकता है सात लाख, आठ लाख में ट्यूबवेल लग रहे हैं । उत्तरांचल में 40-50 लाख में ट्यूबवेल लगते हैं तो यह तो भौगोलिक परिस्थिति है । क्षेत्र की जनता की परेशानी को देखते हुए सरकार को निर्देश देने चाहिए । इसको औचित्य प्रश्न में स्वीकार करते हुए देखने की कृपा करें । मान्यवर, सरकार को निर्देशित करें कि ऐसे मानक पूरे करें और 25-25 हैण्डपम्प के बदले वैकल्पिक पेयजल के लिये धनराशि देने की कृपा करें ।

उत्तरांचल विकास मंत्री (डा० रमेश पोखरियाल "निशंक")–

पर्वतीय क्षेत्र में ऊंचाई होने की भौगोलिक परिस्थिति के कारण हैण्डपम्प लगना सम्भव नहीं है । कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां हैण्डपम्प लगना सम्भव नहीं है, 25-25 हैण्डपम्प की घोषणा संसदीय कार्य मंत्री जी ने की है मैदानी क्षेत्र में एक हैण्डपम्प पर 20 हजार की लागत आती है पर्वतीय क्षेत्र में हैण्डपम्प 20–25 हजार में नहीं लग पाते हैं इसलिये प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में पांच-पांच लाख की हैण्डपम्प/पेयजल योजना तैयार करने का निर्णय लिया गया 31-3-97 को इस योजना की धनराशि भी अवमुक्त की गई । माननीय विधायकों से कहा गया है कि वह हैण्डपम्प पेयजल सम्बन्धी अपने प्रस्ताव दे दें । उसी के अनुरूप उक्त धनराशि स्वीकृत की गई ।

श्री अध्यक्ष–

यह नियम 300 में नहीं आता है इसलिए इसको निरस्त करते हैं।

श्री मुन्ना चौहान–

जहां 25-25 हैण्डपम्प दिये गये हैं.....

श्री अध्यक्ष–

आप पहले मंत्री जी से बात कर लें उसके बाद मैं बात कर लूंगा।

श्री मुन्ना चौहान–

अगर बात से कुछ हो जाता तो यहां क्यों उठाता ?

श्री अध्यक्ष–

इस प्रकार की समस्या आती है तो कैसे समाधान होता है इसकी जानकारी आपको है ?

शेष 6 सूचनायें निरस्त की जाती हैं।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैंने भी नियम–300 में सूचना दी थी।

श्री अध्यक्ष–

आप सदन के बाहर की बात कह रहे हैं।

श्री प्रमोद कुमार–

[× × ×]

श्री अध्यक्ष–

लिखा नहीं जाएगा। विधान सभा के सदन की अवमानना से यह संबंधित नहीं है मैंने देख लिया है।

श्री प्रमोद कुमार–

मैं अनुरोध कर रहा हूं और संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो कहा, वह सदन की कार्यवाही विनियमित नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष–

विनियमित कहां से हुई, वह तो विचार प्रकट किये थे।

श्री प्रमोद कुमार–

[× × ×]

श्री अध्यक्ष–

लिखा नहीं जा रहा है।

श्री प्रमोद कुमार–

[× × ×]

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अध्यक्ष–

नहीं लिखा जा रहा है नौन सौ की जो सूचनायें आई हैं शेष निरस्त हो गयी हैं।

श्री प्रमोद कुमार–

[× × ×]

श्री अध्यक्ष–

लिखा नहीं जा रहा है जो प्रकरण समाप्त हो गया कोई टिप्पणी करनी हो तो वह 300 में ले आएं यह सही नहीं है। शेष सूचनाएं निरस्त कर दी गयी हैं। मुझे नियमों के अनुसार चलने दें।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल में बजट समितियों (विभागों से सम्बद्ध स्थायी समितियों के गठन के प्रयोजनार्थ गठित उत्तर प्रदेश विधान सभा की अध्ययन समिति का प्रतिवेदन †

श्री राम नरेश यादव–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से संसद की भाँति उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल में बजट समितियों (विभागों से सम्बद्ध स्थायी समितियों) के गठन के प्रयोजनार्थ गठित उत्तर प्रदेश विधान सभा की अध्ययन समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

इसे मैं शासन के पास आज ही भिजवा दूंगा और अनुरोध करूंगा कि इस सत्र के उठने के पहले ही इस प्रतिवेदन में कार्यवाही की जाय।

श्री राम नरेश यादव–

मान्यवर, आपको अधिकार दे दिये जाय उसके आधार पर नियम बनवा दें। ताकि यह लागू हो सके। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इस अध्ययन समिति का गठन किया। समिति ने सम्यक् विचारोपरान्त और दूसरे विशेषज्ञों के परामर्श के बाद निर्णय पर पहुंचे हैं। उस निर्णय के तहत हम यह प्रतिवेदन प्रस्तुत किये हैं।

श्री अध्यक्ष–

मैं इसे शासन के पास भिजवा दूंगा।

पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय, मथुरा को पंडित दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा एवं पशुपालन विश्वविद्यालय मथुरा घोषित किये जाने विषयक श्री बदन सिंह आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ††

श्री अजय कुमार पोइया–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय मथुरा को पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा एवं पशुपालन विश्वविद्यालय, मथुरा घोषित किये जाने के संबंध में श्री बदन सिंह तथा श्री बाल किशन गंवाल व अन्य निवासीगण-जनपद मथुरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

---

† छापा नहीं गया।

†† छापी नहीं गयी।

जनपद लखनऊ की एल० डी० ए० कालोनी, कानपुर रोड योजना सेक्टर एच के अन्तर्गत स्थित एस० एस० ई०–3 के भूखण्डों में सीवर तथा पीने के पानी की व्यवस्था कराने विषयक डा० आर० एस० मिश्र द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद लखनऊ की एल० डी० ए० कालोनी, कानपुर रोड योजना सेक्टर एच के अन्तर्गत स्थित एस० एस० ई–3 के भूखण्डों में सीवर तथा पीने के पानी की व्यवस्था कराये जाने के संबंध में डा० आर० एस० मिश्रा, निवासी–जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–10. 11. 12 में कुछ नहीं है। मद संख्या–13 ली जाती है।

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय विधेयक, 1999 †

* उच्च शिक्षा एवं प्राविधिक शिक्षा मंत्री (डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर)-

मान्यवर,मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय विधेयक, 1999 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय विधेयक, 1999 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर –

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय विधेयक, 1999 को पुरःस्थापित करता हूं।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 12-3-99 को नियम–56 के अन्तर्गत कुल 21 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें चयनित की गयीं। प्रथम पांच सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है। मैं अनुरोध करूंगा कि आज चूंकि उपाध्यक्ष के चुनाव के संबंध में इस सदन का काफी समय लग चुका है इसलिए आप संक्षेप में कहेंगे तो उचित होगा। क्योंकि आज तीन महत्वपूर्ण विभाग भी लगे हुए हैं। मैं पहली सूचना ले रहा हूं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, इसी सूचना से सम्बन्धित मैंने नियम–311 में एक सूचना दी थी।

---

† दिनांक 26-3-99 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्रीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

मैंने सुबह भी अनुरोध किया था. माननीय प्रमोद कुमार जी ने प्रश्न उठाया था कि किस नियम के अन्तर्गत नियम–311 की सूचनाओं को नियम–56 में परिवर्तित किया जाता है और यह ठीक है कि नियमों में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। लेकिन माननीय सदस्यों की सुविधा की दृष्टि से इनके विचार आ जायें तो 311 में जो सूचनाएं प्राप्त होती थीं नियम–56 में परिवर्तित करके नियम 56 के अनुसार कार्यवाही होती थी। आज 311 की सूचनाओं को मैंने निरस्त कर दिया है मुझे अधिकार नहीं है तो जो सूचनायें जिस नियम में आयेंगी उसके अनुसार निस्तारण करेंगे।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य व श्री प्रमोद कुमार के खड़े होने पर)

अगर कोई बात विशेष है तो पहले नियम 56 होने दीजिए।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, इसी से संबंधित है डाला पर सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष–

वह सुन लूंगा।

श्री लोकपति त्रिपाठी–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश सीमेन्ट निगम की 3 इकाइयों डाला, चुर्क तथा चुनार काफी दिनों से बन्द होने के कारण उसमें हजारों मजदूरों और उनके आश्रित परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं। इन औद्योगिक इकाइयों को बन्द किये जाने के निर्णय के विरुद्ध समस्त मजदूर वहां विगत दिनों से आन्दोलनरत हैं। मान्यवर, आप अवगत हैं कि आन्दोलनों के दौरान अनेक मजदूरों की जानें गयी हैं उत्तर प्रदेश सरकार के इस निर्णय से मजदूरों में क्षोभ और असन्तोष है। आपसे अनुरोध है कि इस लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन की अन्य समस्त कार्यवाही को स्थगित करते हुए सदन में इस पर चर्चा करायें।

(इस समय 3 बजकर 20 मिनट पर अधिष्ठाता डा० सरजीत सिंह डंग पीठासीन हुए)

माननीय अधिष्ठाता महोदय, उत्तर प्रदेश सीमेन्ट निगम जिसकी यह तीन इकाइयां हैं यह चालू हों इसके लिये मैं शासन से विगत 5 वर्षों से अनुरोध कर रहा हूं। मान्यवर, माननीय श्री मोती लाल वोरा जी यहां गवर्नर रहे उनके जमाने में एक समझौता हुआ उसके अन्तर्गत निगम को कुछ पैसा दिया गया और कुछ छूटें दी गयीं माननीय वोरा जी के जाने के बाद जो सरकार उत्तर प्रदेश में आयी वे सब जो हुआ था उसको रोक दिया गया क्या कारण है ? मान्यवर, हमारी सीमेन्ट इकाइयां घाटे में हैं जिसका मैनेजमेंट नहीं दुरुस्त है मान्यवर, इन्हीं इकाइयों के चलते यहां सोनभद्र जनपद में 5 हजार मेगावाट की क्षमता की बिजली इकाई लगी मान्यवर, भारतवर्ष के जितने सीमेन्ट कारखाने हैं सब लाभ में चल रहे हैं। मंत्री का दायित्व होता है कि दिशा निर्देश दें और जो अधिकारी कर्मचारी होते हैं वह उस निर्देशन को जानने लगते हैं आवश्यकता पड़ने पर मंत्री अधिकारियों से राय लेता है मान्यवर, सीमेन्ट निगम–उद्योग विभाग में जितने अधिकारी हैं सब इसे बन्द कराने के चक्कर में हैं और इसके कारण वह चार हजार करोड़ रुपये की सम्पत्ति है। पहले इसे कुछ करोड़ में बेचा गया आन्दोलन हुआ मुख्य मंत्री जी ने वादा किया कि चलायेंगे हमने प्रस्ताव दिया है कि कैसे चला सकते हैं। इसमें सुधार करना है उसको आई० ए० एस० अधिकारी से बाहर करना है। मान्यवर, यह निगम भारत में क्यों आये। कितना उसमें घाटा हुआ इसका एकमात्र कारण वहां के कर्मचारी वहां के कार्य करने वाले नहीं हैं वहां का प्रशासन नहीं है। सीमेन्ट निगम का मुख्यालय लखनऊ में है वह बिड़ला टाटा की नकल करते हैं यह आई० ए० एस०। बिड़ला का बाम्बे हाउस है और इस तरीके से हिन्डालको का है। सारे अधिकारी

निगम के यहां रहते हैं तभी कारखाना घाटे में चलता है उनको बदलना होगा। दूसरी चीज, हमने प्रस्ताव किया था कि चुर्क सीमेन्ट फैक्टरी को मिनी सीमेन्ट प्लान्ट के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाय, उसके काफी मजदूर धीरे-धीरे रिटायर हो चुके हैं, अब बहुत कम लोग बचे हैं। यदि यह मिनी सीमेन्ट प्लान्ट बन जाय तो वह आपको लाभ देगा और 500 टन सीमेन्ट पैदा करेगा। चुनार को चलाया जाय और डाला से क्लिंकर इकट्ठा किया जाय।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य सुझाव न देकर केवल ग्राह्यता तक सीमित रखें, इसी के साथ माननीय अध्यक्ष जी ने एक अनुरोध किया था, उसी को दोहरा रहा हूं कि चूंकि उपाध्यक्ष के चुनाव के वजह से सदन का काफी समय व्यय हो गया है, इसलिये उन्होंने भी कहा था और मेरा भी आपसे विनम्र निवेदन है कि 5 मिनट से ऊपर आप बोल चुके हैं, कृपया समय का ध्यान रखें। अन्यथा सारे सदस्यों के साथ न्याय कर पाना कठिन होगा।

श्री लोकपति त्रिपाठी–

इस समय 3.26 बजा है, आप मुझे मात्र 3.38 तक का समय दे दें। आज इन फैक्टरियों के बन्द रहने से उत्तर प्रदेश की नाक कट रही है। तीसरी बात यह कहना चाहूंगा कि इन फैक्टरियों को चलाने के लिये 50 करोड़ की व्यवस्था हो, हम कहते हैं सरकार यह पैसा न दे। वहां पर उत्तर प्रदेश सीमेंट निगम की जो प्रापर्टी है और राबर्ट्सगंज में जिला मुख्यालय बन रहा है मिनी सीमेन्ट प्लांट की प्रापर्टी बचती है, मकानात बचते हैं, आई०टी०आई०, डिग्री कालेज आदि बचता है, सबको सरकार ले ले और उसके एवज में वायलेशन कर ले। इसके साथ ही बिजली की बकाया में कुछ छूट दे दें। छः महीने चलने के बाद हर महीने किश्त ले ले और मजदूरों को इसको चलाने की जिम्मेदारी दे और सीमेंट उद्योग से संबंधित जो अधिकारी हैं, उनको वहां का चार्ज दे। मान्यवर, एडमिनिस्ट्रेशन और कोई उद्योग चलाने में अन्तर है जो अखिल भरतीय सेवा के प्रशासनिक लोग हैं, वह रोजगार नहीं चला सकते। आज उत्तर प्रदेश के सारे निगम मात्र इसलिये बंद हो गये कि हमारी सरकार इन अधिकारियों के हाथों से बाहर नहीं निकल पाती, चाहे यह सरकार हो, चाहे वह सरकार रही हो, जिसमें मैं रहा हूं। पचास वर्षों से जो सीमेंट निगम, उत्तर प्रदेश के विकास मार्ग प्रशस्त किये था, वह आज भयंकर लाइबिलटी के रूप में खड़ा हो गया है। सदन का यह कर्तव्य है कि इस दुविधा को वह दूर करे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैनें माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। मान्यवर, 14 मई, 1998 को मैंने पत्र लिखा, लेकिन आज तक उसका कोई उत्तर नहीं मिला। हमने कहा था कि प्रशासनिक अधिकारियों को बुला लें। जब मैं विधायक नहीं था तो मैं वहां के अध्यक्षों में से एक अध्यक्ष था। मान्यवर, मैंने कम से कम 6 टेलीफोन किये कि मैं इस संदर्भ में मिलना चाहता हूं लेकिन आज तक नहीं बुलाया उसका नतीजा यह हुआ कि 50 करोड़ मजदूरों को दे रहे हैं और अगर फैक्ट्री बन्द करेंगे तो 350 करोड़ रूपया देना पड़ेगा मान्यवर, आप इन फैक्ट्री को मजदूरों के चार्ज में दें और उनको पुलिस का प्रोटेक्शन दें और उनसे कहें कि जो लाइबिल्टी है वह अदा करें तो यह फैक्टरियां चल सकती हैं और लाभ भी दे सकती हैं। इन शब्दों के साथ मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि सदन की कार्यवाही को स्थगित कर इस पर चर्चा करा दें।

श्री राम नरेश यादव–

मान्यवर, जिस प्रश्न का अभी जिक्र किया गया है, उसपर आप चर्चा करा दें। यह प्रश्न इसलिए अविलम्बनीय लोकमहत्व का है कि दो साल से ये फैक्टरियां बन्द पड़ी हुई हैं और 5000 मजदूर और उनके परिवार भुखमरी के कगार पर हैं। जब ये सदन प्रारम्भ हुआ उसी समय से वहां के मजदूर अनशन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और 13 लोग शहीद हो चुके हैं लेकिन सरकार के कान पर जूं

नहीं रेंग रही है । उत्तर प्रदेश की जो तीनों फैक्टरियां हैं यह पहले उत्तर प्रदेश के विकास में भूमिका निभाती रही हैं इसलिए मेरा निवेदन है कि मजदूरों की समस्याओं को आप दूर करें और उनसे जुड़े हुये जो लाखों परिवार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुये हैं वह भुखमरी के कगार पर हैं । मान्यवर, मेरा यह कहना है कि यह तीनों फैक्टरियां चलायी जा सकती हैं और घाटा समाप्त हो सकता है और मैंने कहा है कि यह अविलम्बनीय लोकमहत्व का प्रश्न है इसलिए सदन के कार्य का स्थगित करके इस पर चर्चा कराई जाय ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह अत्यन्त लोकमहत्व का प्रश्न है, अविलम्बनीय है और तात्कालिक भी है । यह तात्कालिक इसलिए है कि पिछले 10 महीनों से चुर्क, डाला और चुनार में कार्यरत साढ़े पांच हजार मजदूर भुखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं । आप अवगत हैं कि पिछले कई दिनों से सीमेन्ट कारखाना के समूचे मजदूर विधान सभा के सामने धरना दे रहे हैं । विगत वर्ष विधान सभा के सामने दिये गये धरना में एक मजदूर की जान भी चली गयी थी । अभी तक 3 मजदूरों की मौतें हो चुकी हैं और साढ़े पांच हजार मजदूरों उन पर आश्रित परिवारों के सामने भुखमरी का संकट पैदा हो गया है । मान्यवर, मेरा आपसे आग्रह है कि उनका जो बकाया वेतन है उसका भुगतान किया जाय और उनके सामने रोटी का संकट पैदा हो गया है उसका निवारण किया जाय । प्रदेश सरकार उन तीनों बन्द इकाइयों को पुनः चालू कराये क्योंकि इसमें बहुत बड़े जनसमूह के जीवन मरण का सवाल है ।

* श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, पिछले साल भी और इससे पहले भी इस बारे में चर्चा हो चुकी है लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगती है । सरकार बात तो करती है नई उद्योग नीति की लेकिन वह मजदूरों का शोषण कर रही है । सीमेन्ट कारपोरेशन के पास पांच हजार करोड़ की सम्पत्ति है और उसमें करीब चार हजार आदमी काम करते हैं उनको निकाल दिया गया है । वह लोग धरने पर बैठे, उनमें से कई आदमियों की मृत्यु भी हो गयी । तो मान्यवर, यह कैसी संवेदनशील सरकार है । एक तरफ तो यह कहते हैं कि हम नये उद्योग लगायेंगे और उसके लिये नये उद्योग नीति ला रहे हैं और उधर जो आपके कारपोरेशन हैं, निगम हैं जिनकी खुद की तकरीबन 5 हजार करोड़ की सम्पत्ति है उसको आप खत्म कर रहे हैं तो यह कौन सा न्याय है । आपके यहां नये उद्योग लगाने कैसे लोग आयेंगे जब आप अपने उद्योगों को ही बन्द कर रहे हैं । मान्यवर, बड़ी संख्या में लोग बेकार हो गये हैं जो मजदूर हैं उनके परिवारों की स्थिति यह हो गयी है कि वह भुखमरी के कगार पर है तो उनका क्या होगा । यह बहुत ही संवेदनशील मामला है जो यह सरकार कहती है वह करती नहीं है, इस पर मान्यवर, चर्चा करायी जाये ।

* श्री राम जग–

मान्यवर, अधिष्ठाता महोदय यह अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय है । उत्तर प्रदेश के अन्दर चुर्क, डाला और चुनाव यह तीन सीमेन्ट फैक्टरियां हैं जिनमें 5500 कर्मचारी 12 जुलाई से लगातार आन्दोलन कर रहे हैं । मान्यवर, सीमेन्ट निगम के मजदूर कहते हैं कि कारखाने को बन्द न किया जाये उसे चलाया जाये । इसमें प्रशासनिक अधिकारियों ने गलत ढंग से कार्य किया है जिसकी वजह से यह नुकसान पर है तो उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए जिनके कारण यह घाटा हो रहा है । अन्यथा यह घाटा नहीं होता । गलत ढंग से यह कारखाने बंद किये गये हैं । साढ़े पांच हजार मजदूर और कर्मचारी जो बेकार हो रहे हैं जिनके परिवार भुखमरी के कगार पर हैं । इसी दौरान तीन मजदूरों की मृत्यु हो चुकी है एक तो विधान सभा के सामने धरना देते समय ही मर गया । एक की जेल में मौत हो

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

गयी । तो इन तीनों मजदूरों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है उनको मुआवजा दिया जाय । आज भी 500 मजदूर जेलों के अन्दर बन्द हैं । मेरा कहना है कि यह सरकार इन कारखानों को दुबारा चलाये और जो मजदूर भुखमरी के कगार पर हैं, उनको वेतन दे । इसके साथ ही साथ प्रशासनिक अधिकारी जिनके कारण निगम को घाटा हुआ है और गलत ढंग से कारखाने बंद किये गये हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाये और इस विषय में चर्चा के लिये सदन की कार्यवाही को रोककर चर्चा करायी जाये ।

*श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, आज यह अति अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न यहां पर उपस्थित है । मैं इस सम्बन्ध में ग्राह्यता के सम्बन्ध में कुछ बातें कहना चाहता हूं । देश की आजादी के बात पंडित जवाहर लाल नेहरू ने एक सपना देखा था कि इस देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिये उसी की कड़ी में यह तीन कारखाने चुर्क, डाला और चुनार सीमेंट फैक्ट्री उत्तर प्रदेश में आयी थी । इसी समय पंडित नेहरू ने कहा था कि यह हमारे देश के मंदिर हैं जिस समय इन संस्थाओं का जन्म हुआ था और स्पष्ट बात थी कि सार्वजनिक उद्योग देश में स्थापित होंगे तो यह व्यापारिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि इनका उद्देश्य देश सेवा भी है । यह कोई व्यापारिक संस्थान नहीं है इन संस्थानों में 5 हजार कर्मचारी हैं । मैं चाहता हूं कि आप जरा कल्पना करें जो मजदूर या कर्मचारी पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं जिनकी उम्र 40 साल 50 साल हो गयी है यहां से हटने के बाद कहां जायेंगे । वह कहीं भी काम करने की स्थिति में नहीं होंगे उनके पीछे एक बहुत बड़ा परिवार पड़ा है उनकी आजीविका का साधन मात्र यहां मजदूरी है तो उनका भविष्य क्या होगा ? वह अन्यत्र कहीं नहीं जा सकते सिवाय इसके कि वह भुखमरी के शिकार बन जाये । आज जो यहां उत्पादन बंद हो गया है यह आपकी कमजोरी का परिणाम है उसके प्रबन्ध तंत्र की गलती है । आज भी वह सेवा में हैं, उत्तर प्रदेश सरकार का उसमें हिस्सा लगा । सरकार बताये कि नौ महीनों से जो लोग सेवा में हैं उन्हें किन परिस्थितियों में वेतन नहीं दिया जा रहा है । न्यायालय में मुकदमा चल रहा है जब तक वहां से निर्णय नहीं आयेगा या निर्णय नहीं हो जाता है तब तक जो सेवा में कर्मचारी हैं उनका वेतन सरकार कैसे रोक सकती है । ऐसी परिस्थिति कांग्रेस सरकार के जमाने में भी आयी थी तो कांग्रेस सरकार ने एक पैकेज चलाया था । आज की यह सरकार एक कारखाना, एक उद्योग तो दे नहीं सकती जिससे लोगों को रोजगार तक नहीं मिल पाता है । कांग्रेस ने जो काम किया उसे जो पैकेज चलाया उसे बन्द करने का काम सरकार कर रही है । मैं संसदीय कार्य मंत्री जी की बात से सहमत हूं जो उन्होंने इससे पहले कही, एक दिन में तो किसी संस्थान में घाटा नहीं हुआ । लेकिन इसमें कर्मचारी का क्या दोष है । उसे क्यों सताया जा रहा है । जो पूंजीपति दोषी हैं । उन्हें सरकार जेल के अन्दर करती है लेकिन सरकार बाहर क्यों बैठी हुई है । मैं माननीय लोक पति त्रिपाठी जी की बात का पूरी तरह से समर्थन करते हुए यह बताना चाहता हूं कि इससे ज्यादा अविलम्बनीय लोक महत्व की बात और क्या हो सकती है । निरन्तर लोगों को तनख्वाह नहीं मिल रही है, इससे ज्यादा गम्भीर बात और क्या हो सकती है । मैं चाहता हूं कि इस सदन की कार्यवाही रोक कर पहले इस विषय पर चर्चा कराई जाये । यह किसी एक प्रदेश का नहीं बल्कि पूरे देश का प्रश्न है । एक आर्थिक पैकेज तैयार करे और जैसे कि माननीय लोकपति जी ने सुझाव दिया है कम पैसे में अर्थात 50 करोड़ से संस्थानों को चलाया जाय ।

* श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, राज्य सीमेन्ट निगम के बन्द होने से उनमें कार्यरत करीब साढ़े पांच हजार कर्मचारियों को बेरोजगार होना पड़ा है । उन्हें करीब 9–10 महीने से वेतन नहीं मिला है । वेतन न मिलने से उनके

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

खुद के व उनके परिवारजन के भूख से मरने से जो स्थिति उत्पन्न हो रही है उसके संबंध में मैं कुछ बिन्दु माननीय अध्यक्ष महोदय के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। जो सरकार वेल फेयर स्टेट होती है वह वीकर सेक्शन के प्रति संवेदनशील होती है। साढ़े पांच हजार कर्मचारी भुखमरी की कगार पर हैं। अभी हाल में ही सदन में यह सवाल आया था। लगभग 20 बड़े पूंजीपतियों के पास 117 करोड़ रुपये से ज्यादा बकाया है। और भी बहुत से ऐसे उदाहरण सामने आ जायेंगे जहां सरकार का पूंजीपतियों पर करोड़ों रुपया बकाया है, पर फिर भी यह सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है इस ओर। सरकार स्वयं भी फिजूल खर्ची कर रही है, सरकारी खजाने का दुरुपयोग कर रही है। पिछले सत्र में इस सरकार का एक करोड़ रुपये का खर्चा आया था चाय नाश्ते पर। पूंजीपतियों पर सरकार का 117 करोड़ रुपये से ज्यादा रुपया बकाया है। वहीं पर अनेकों गरीब मजदूर भूखों पर रहे हैं। सरकार का यह पहला फर्ज है कि वह आम जनता को सबसे पहले रोटी कपड़ा और मकान दे। मान्यवर, एक मानवीय समस्या या पक्ष भी होता है लेकिन इस सरकार के पास मानवीय पक्ष भी नहीं है। यह लाखों लोगों के जीवन का सवाल है। लोग शहीद हुए हैं, मारे गये हैं और लोग बराबर आन्दोलन कर रहे हैं। उनकी पूंजी आन्दोलन में समाप्त हो गयी है। इस बेदर्द सरकार से उम्मीद नहीं है फिर भी क्लाइमेक्स पर आ चुकी समस्या के प्रति मैं इस सरकार से कहना चाहता हूं कि सरकार मानवीय पक्ष को देखे। उन लोगों के बच्चे मर रहे हैं, उनकी रोटी और कपड़े का इंतजाम नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर चर्चा कराने की मांग करता हूं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के सामने सरकार से यह कहना चाहता हूं कि डाला, चुर्क, चुनार, इन फैक्टरियों के साढ़े पांच हजार मजदूरों को पिछले 10 महीनों से वेतन नहीं मिल रहा है। उनके सामने भीषण संकट पैदा हो गया है। उन पर आश्रित लगभग 50 हजार लोग हैं। जिनके सामने रोजी रोटी की समस्या आ गयी है। वह भुखमरी के कगार पर हैं। वह मजदूर निरन्तर यहां पर धरना दे रहे हैं और यहां तक होली जैसे त्योहार पर भी वह इसी विधान सभा के सामने आन्दोलन कर रहे थे। उनके बच्चों के लिये उनके पास स्कूल की फीस नहीं है इसलिये उनके बच्चे आज स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। तनख्वाह न मिलने के कारण उनके बच्चे जो गांवों में हैं उनके बीमार होने पर बच्चों की दवा नहीं हो पा रही है और बच्चे मर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि 1991 में तत्कालीन मुख्य मंत्री ने इसको औने-पौने दाम में कुछ पूंजीपतियों को बेचने की व्यवस्था की थी। हजारों करोड़ की सम्पत्ति मात्र 30 करोड़ रुपये में सौदा कर दिया गया और जब वहां के मजदूर आन्दोलन करने के लिये खड़े हुए तो तत्कालीन निर्दयी मुख्य मंत्री ने उनके ऊपर गोली चलवाकर 11 लोगों को मरवा दिया। मान्यवर, जो सीमेंट 105 रुपये पर बिक रही थी उसको 140 रुपया कर दिया गया और पूरे उत्तर प्रदेश में हजारों करोड़ रुपये पूंजीपतियों के हाथों में चले गये। जब इन मिलों का सौदा बीजेपी की सरकार में रिवोक हुई तो 1994 तक स्थिति ठीक रही लेकिन उसके बाद स्थिति खराब होती चली गयी और मजदूरों की उपेक्षा होने लगी। सुश्री मायावती जब मुख्य मंत्री थीं तो उन्होंने मिलों के संचालन की व्यवस्था की और मजदूरों के लिये रोजी-रोटी मुहैय्या की। उसके बाद सत्ता परिवर्तन हुआ और बीजेपी की सरकार आयी तो उम्मीद की जा रही थी कि वहां के मजदूरों को राहत मिलेगी। पिछले दिनों जबसे सत्र चल रहा है तो यही धरना करने वाले लोग यहां पर अपनी रोजी-रोटी की समस्या को ले करके, हजारों-हजार की तादाद में धरना दे रहे थे। मजदूर मर गया, यहां पर काफी बात भी हुई, आपकी पीठ का भी संरक्षण मिला। सरकार ने भी उस आन्दोलन से प्रभावित लोगों की मांग को देखते हुए उनके अवशेष वेतन के भुगतान की बात की थी। आंशिक रूप से वेतन का भुगतान तो किया गया। ढाई महीने के वेतन को रोक दिया गया और फिर तालाबन्दी कर दी गयी। मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि इसके बन्द करने के क्या परिणाम होता है। वह सीमेन्ट जो 95 रुपये में मिलता था, पुनः

इसके तालाबन्दी से 135 रुपये में बिकनी लगी, प्रति बोरी 40 रुपये एकाएक बढ़ गया क्योंकि सरकार की अदूरदर्शिता से यह हुआ । अगर सरकार 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था कर देती तो डाला, चुर्क, चुनार की फैक्ट्रियां चलने लगती । 40 रुपये प्रति बोरी महंगी सीमेन्ट होने से आज उत्तर-प्रदेश के किसानों की गाढ़ी कमाई का करोड़ों करोड़ रुपया पूंजीपतियों के जेबों में जा रहा है । इसलिये मैं आपकी पीठ से संरक्षण चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

आज हजारों-हजार की तादाद में मजदूर हैं और उन पर निर्भर करने वाले लाखों मजदूरों के परिवार हैं, उनके शेष वेतन भुगतान को सुनिश्चित किया जाये जिससे कि उनके रोजी-रोटी का संकट दूर हो सके । इनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो सके ।

श्री अधिष्ठाता–

मौर्या जी, अब लिखा नहीं जा रहा है ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

[× × ×]

श्री अधिष्ठाता–

मुझे खेद है कि दल के नेता का यह व्यवहार होगा तो सामान्य लोगों से हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं । समय का अनुपालन सभी माननीय सदस्यों ने किया । मैं आपसे बार-बार आग्रह कर रहा हूं, मैंने निर्देश कर दिया कि अंकित नहीं किया जा रहा है । कम से कम आप इस बात का ध्यान रखें कि आप एक दल के नेता हैं ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

[× × ×]

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

माननीय अधिष्ठाता जी, कई तथ्य रखे गये । मैं कोई बात छिपाना नहीं चाहता । जहां तक श्रमिकों और मजदूरों का मामला है उसके लिये दुखी होना, दर्द का एहसास होना स्वाभाविक है । लेकिन मान्यवर, सोचना यह पड़ेगा कि यह बीमारी पैदा कहां से हुई है । कुछ माननीय सदस्यगण ने जिक्र भी किया है कि इस बीच में एक ऐसी भी सरकार आयी थी जिसमें कितनी ही सम्पत्तियां थीं उनको सस्ता बेचकर पूंजीपतियों को बेचकर धन अर्जित करने का काम किया है । मौर्य जी ने कहा कि हजारों करोड़ की सम्पत्ति को कुछ करोड़ में बेचकर इतिश्री कर दी । दूसरी सरकार संयोग से आ गयी जिसने पूंजीपतियों की जेब से सम्पत्ति को निकाला । उसके बाद कुछ राजनैतिक अस्थिरता आयी बीच में राष्ट्रपति शासन भी रहा और जो बीमारी शुरू हुई थी वह इतनी बढ़ती गई कि लाइलाज होती गयी । लाइलाज होकर यह केस बी० आई० एफ० आर० में गया यह केस वहां तब जाता है जब उद्योग चलाने लायक नहीं होता है । वहां पर उद्योग में पैसा सरकार का नहीं है यह विभिन्न फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का है । बी० आई० एफ० आर० में दिखाया जाता है कि कैसे लिक्वीडेशन की कार्यवाही हो । दुबारा

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

जब यह सरकार सत्ता में आयी तो सरकार ने उस फैसले के विरुद्ध अदालत जाने का निर्णय लिया और कोशिश की कि इसको वापस ले लें। लेकिन अदालत ने 6-2-98 द्वारा इसे रिजेक्ट कर दिया है। अदालत में खारिज होने के बाद एक आधार रह जाता है बी० आई० एफ० आर० के लिक्वीडेशन में चला जाए तो एक ही रास्ता है। उच्च न्यायालय में स्वतः ही वह केस रिफर हो जाता है। अब यह सरकार के लिये संवैधानिक रूप से सम्भव नहीं है कि उन इकाइयों को चलाए। उन इकाइयों पर सरकार का नियंत्रण नहीं है। सारा का सारा मामला उच्च न्यायालय में लम्बित है। वहां पर भी 6-1-99 को दोनों पक्षों की बहस हो चुकी है। निर्णय सुरक्षित है। आप तो विद्वान सदस्य हैं बार-बार यह कहना तो आसान है कि सरकार इस उद्योग को चलाती नहीं लेकिन इस पर हमारा नियंत्रण तो है ही नहीं। हम इसे संवैधानिक रूप से चला नहीं सकते हैं। यह सरकार का मानवता का दृष्टिकोण ही था कि उसके ऊपर किसी प्रकार की जिम्मेदारी न होते हुए भी इन मजदूरों के ९ महीने का वेतन 17-1/2 करोड़ का भुगतान सरकार ने किया। उसके बाद भी पौने दो महीने का वेतन 2 करोड़ 7 लाख को देने का निर्देश दे दिये हैं। जितना भी हमारे लिये सम्भव था हमने प्रयास किया। आज इन निगम की इकाइयां लिक्वीडेशन में हैं। उच्च न्यायालय का आदेश सुरक्षित है। प्रदेश सरकार के लिये इन इकाइयों को चलाना संवैधानिक रूप से सम्भव नहीं है यह नियम 56 में आता नहीं, इस पर पहले भी चर्चा हो चुकी है इसलिए इसको अग्राह्य करने की कृपा करें।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आज की तारीख में उन मजदूरों की लीगल स्टेटस क्या है, उनकी जिम्मेदारी किसकी है। आज की तारीख तक उनकी सेवा समाप्त नहीं हुई है, वह निगम के कर्मचारी हैं, उन इकाइयों का अगर पुनर्जीवन सम्भव नहीं है तो वे मजदूर ऐसी अवस्था में अब कहां जायेंगे उनके भरण पोषण का क्या इन्तजाम होगा। मा० सँसदीय कार्य मंत्री बतायें।

श्री प्रमोद कुमार–

मेरा प्रश्न भी इससे मिलता-जुलता है। आज की तारीख तक कानूनी स्थिति यह है कि उस निगम को भंग नहीं किया गया है और हाईकोर्ट की जजमेन्ट की प्रतीक्षा की जा रही है। जो भी निर्णय आयेगा वह मानना पड़ेगा और जो उससे प्रभावित होगा वह सुप्रीम कोर्ट जायेगा या नहीं जायेगा यह उसकी इच्छा पर है। आपने कृपा पूर्वक कुछ दिनों का वेतन दे दिया मगर इधर नौ महीने का जो वेतन बकाया है अगर आप उसे पूरा न दे सकें तो तीन महीने का या छः महीने का उनको दे दें ताकि उनकी जीविका चल सके। उसके बाद जो निर्णय आयेगा उसके अनुरूप कार्य किया जायेगा।

श्री राम जग–

मेरा प्रश्न भी इन्हीं से मिलता-जुलता है। तीन लोग मारे गये जो इसी सीमेन्ट कारपोरेशन के कर्मचारी थे परन्तु मरने के बाद आज तक उन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया गया। ये लोग सीमेन्ट निगम के कर्मचारी हैं, मामला हाईकोर्ट में लम्बित है, फैसला होने वाला है अभी तो सरकार की ही लाइवेल्टी है।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, वैसे तो मैंने मूल उत्तर में ही जिक्र कर दिया था माननीय प्रमोद कुमार जी ने कहा। मैं कहना चाहता हूं कि बी० आई० एफ० आर० में जाने के बाद कई अन्य अप्रोसेस की शुरुआत हो जाती है हाईकोर्ट में तो केवल लिक्वीडेशन की बात है। जहां तक लीगल स्थिति का सवाल है आज की तारीख में उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर कोई भी उत्तरदायित्व किसी भी प्रकार से वेतन देने की नहीं है यह कानूनी बात है। जब कोई फर्म बी० आई० एफ० आर० में चला जाता है तो उसे कोई पैकेज

देकर दुबारा पुनर्जीवित किया जा सकता है या नहीं उसका परीक्षण होता है। बी० आई० एफ० आर० ने अपना निर्णय दिया है कि इसको पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता।

श्री प्रमोद कुमार–

उन कर्मचारियों की लीगल पोजीशन क्या है इसे आप बता दें, वह जिन्दा हैं या मर गये हैं। अभी तो निर्णय आया नहीं। तकनीकी रूप से अभी वह आपके कर्मचारी हैं इसलिये कुछ न कुछ तो आप उन्हें भुगतान करें। कहीं न कहीं तो उन कर्मचारियों को आपको समायोजित करना पड़ेगा इस जिम्मेदारी से आप बच नहीं सकते।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, कानूनी स्थिति तो मैंने बता दी। वाइंड अप की प्रोसेस बी० आई० एफ० आर० में होती है और लिक्वीडेशन की हाईकोर्ट में होती है। इसके बाद तो हमारे पास कोई कानूनी बात बचती नहीं जहां तक मानवीय आधार की बात है अगर हमारी यह स्थिति होती और वित्तीय संसाधन उपलब्ध होते तो यह नौबत ही न आती। इसलिए इस वक्त कोई भी गुंजाइश नहीं है।

श्री अधिष्ठाता–

तीन मजदूरों का जो निधन हुआ है उनके बारे में बता दें।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, जहां तक तीन मजदूरों के निधन का सवाल है एक मजदूर को तो अनुग्रह धनराशि उपलब्ध करा दी गयी थी। बाकी दो के बारे में मुझे जानकारी नहीं है।

श्री अधिष्ठाता–

श्री प्रमोद कुमार, श्री राम नरेश यादव, श्री कौकब हमीद, श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव, श्री रामजग तथा माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् इस सूचना को अग्राह्य पाते हुए निरस्त करता हूं।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, यह इस संस्थान के कर्मचारी हैं, उनके जीवन के बारे में सोचना होगा। कोई भी सरकार आती है तो फैक्ट्री लगाती है लेकिन यह ऐसी सरकार है जो लगी हुई फैक्ट्रियों को बन्द कर रही है। मान्यवर, इस तरह से नहीं चलेगा। मान्यवर, 5 हजार कर्मचारियों की बात है उनके विषय में सोचना होगा। यह सरकार अपना मंत्रिमण्डल बढ़ा ले, फिजूलखर्ची कितनी कर ले लेकिन इन गरीब कर्मचारियों मजदूरों की दशा नहीं देख रही है। मैं सरकार के इस रवैये के विरोध में सदन का त्याग करता हूं।

(श्री प्रमोद कुमार सदन त्याग कर चले गये)

(श्री रामजग के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं।

* श्री राम नक्षत्र–

मान्यवर, यह सरकार सीमेन्ट फैक्ट्री के मजदूरों के साथ अन्याय कर रही है। ब्यूरोक्रेसी द्वारा घपला किया जा रहा है। विदेशी पूंजीपतियों के हाथ में यह फैक्ट्री को मिट्टी के दाम में दे रही है। यह सरकार मजदूर विरोधी है, मैं सरकार की इस नीति के विरोध में सदन का बहिष्कार करता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

(श्री राम नक्षत्र सदन त्यागकर चले गये)

श्री कौकब हमीद–

सरकार कहती तो यह है कि हम संवेदनशील हैं। साढ़े पांच हजार आदमी बेकार हो गये हैं आज वो भुखमरी की कगार पर आ गये हैं और इस सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही। मंत्री जी की तरफ से सही जवाब न आये। मैं इसके विरोध में बहिर्गमन करता हूं।

(श्री कौकब हमीद सदन त्यागकर चले गये)

श्री रामजग–

आज साढ़े पांच हजार आदमी बेकार हो गया है और सरकार के पास कोई मानवीय दृष्टिकोण नहीं है न कोई इच्छा शक्ति है। यह सरकार मजदूर विरोधी है और मालिक परस्त है। ऐसी हालत में मैं और मेरे दल के सदस्य सदन का बहिष्कार करते हैं।

(श्री रामजग अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

माननीय मंत्री जी के बयान से स्पष्ट प्रतीत होता है कि न तो बन्द इकाइयों को पुनर्जीवित करने में इनकी रुचि नहीं है। यह सरकार मजदूर विरोधी है। उनके आश्रित परिवारों का कल्याण यह सरकार नहीं चाहती है। सरकार का यह रुख जन विरोधी है। मैं इसके विरोध में सदन का त्याग करता हूं।

(श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव सदन त्यागकर चले गये)

*श्री तौफीक अहमद–

आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिये मैं आपका शुक्रगुजार हूं। बाढ़ से पूरा प्रदेश तबाह हुआ और आज भी उसकी परेशानियां और बर्बादियां झेल रहे हैं। सिद्धार्थनगर में तीन महीने तक जिला मुख्यालय तक आने जाने का रास्ता कटा रहा। तमाम बांध कट गये और गांव जलमग्न हो गये। तमाम परेशनियां आई, लोगों की जान गई, जानवर मवेशी मरे फसलें बर्बाद हो गयी। सरकार ने इस सदन में और सदन के बाहर भी घोषणा की। गरीब और मजदूर परिवारों के लिये 25 हजार रुपये सहायता देने की बात कही। जिसके मकान गिर गये थे उन्हें इन्दिरा आवास और मकान देने की बात कही। जिनकी फसलें बर्बाद हो गयी थीं उनको खाद और बीज देने की बात कही। जिनके लोग मर गये थे उनको मुआवजा देने की बात कही। मैं अर्ज करना चाहता हूं आपके माध्यम से इस सरकार से कि आप जितने वायदे करते हैं उनको पूरा करिये। बाढ़ में कितनी तबाही हुई कितने बांध टूटे, गांव बह गये। डुमरियागंज विधान सभा क्षेत्र है मेरा मैंने पिछली बार जब सत्र चल रहा था तो सवाल उठाया था टिगरा, नौगढ़, बेतनार, सोरख, इतवा लेकिन तमाम फर्जी रिपोर्ट अधिकारियों ने भेज दिया और कहा कि बन्धा नहीं टूटा है। मान्यवर, जब बंधा टूटा नहीं, तो काम हुआ, और काम हुआ तो अपनी मरजी से उन्होंने काम कराये और उसमें विधायकों से कोई राय नहीं ली गयी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह महत्वपूर्ण और अविलम्बनीय प्रश्न है इसलिये इसमें सदन में चर्चा कराई जाय।

मान्यवर, फतेहपुर में कुछ बंधे टूट गये थे जिन्हें बनवाया गया और कुछ में नाबार्ड के धन से भरवा दिया गया। मैं चाहता हूं कि इसमें जो धन का दुरुपयोग हुआ है उसकी जांच कराई जाय और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाय।

मान्यवर, सरकार ने घोषणा किया था कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के किसानों को बीज, और मकान में सहायता दी जायेगी। लेकिन मैं सदन को बताना चाहता हूं कि हमारे निर्वाचन क्षेत्र डुमरियागंज में किसानों को न तो बीज दिया गया है और न खाद ही दी गयी है। सरकार ने जो घोषणा किया था कि 1500 रुपये की पीड़ित किसानों को आर्थिक सहायता दी जायेगी जिसमें 500 रुपया नकद और 1000

रुपये का सामान दिया जायेगा, लेकिन आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि इसमें भी कुछ नहीं दिया गया है । मान्यवर, हमारे पड़ोस के जिले बलरामपुर में बांसी, नौगढ़, डुमरियागंज में मजदूरों और किसानों को जो बाढ़ से ग्रस्त थे उन्हें कोई सहायता नहीं दी गयी है और न कोई राहत ही पहुंचाई गयी है । इसलिए मान्यवर, आपसे मैं चाहता हूं कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर यहां सदन में चर्चा कराई जाय ।

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री धनराज यादव)–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी-अभी सिद्धार्थनगर के माननीय सदस्य ने नियम 56 के अन्तर्गत कुछ बातें कही हैं । उसमें कुछ तो बाढ़ के समय पीड़ित लोगों को सहायता देने से सम्बन्धित है जिसका विषय यहां नहीं उठाना चाहिए था । मान्यवर, जिस तरह की सहायता इस बार बाढ़ की तबाही के समय बांटी गयी है, वैसी सहायता इसके पहले नहीं बांटी गयी थी । मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि बाढ़ के समय प्रधान मंत्री, श्री अटल बिहारी बाजपेयी जी और श्री कल्याण सिंह जी भी वहां गये थे । इन लोगों ने वहां बाढ़ की विभीषिका को देखा था और जिन बंधों की बात कही है और उन्होंने जो बताया है कि बंधे टूटे हैं तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि बंधे बने भी हैं । मान्यवर, यह मिसाल है कि पहली बार बन्धा टूट गया और दूसरी बार जो भयंकर बाढ़ आयी जिससे गोवर्धनपुर बांध को विभाग वालों ने किसी तरह बचा लिया लेकिन दूसरी बार जब उससे ज्यादा बाढ़ आयी तो भी वह बंधा बचा रहा और सम्बन्धित क्षेत्र सुरक्षित रहा । फिर एक महीने पहले उसको पूरा कर दिया । सात-आठ बंधे टूटे हैं भवरी, मझौली, गायघाट बंधे नहीं टूटे हैं माननीय सदस्य को किसी ने जो बता दिया है वह इन्होंने लिख लिया है । काम बहुत बढ़िया चल रहा है नमूने का काम है । 15 अप्रैल के पहले सारे बंधे पूरे हो जायेंगे सारा काम नियमतः हो रहा है यह तात्कालिक और लोक महत्व का नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता–

तौफीक साहब और माननीय राज्य सिंचाई मंत्री जी को प्रस्तुत सूचना को सुनने के बाद इसको अग्राह्य करता हूं ।

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, प्रदेश के गन्ना उत्पादक जो हैं, वर्तमान सरकार से बहुत ही परेशान हैं । मान्यवर, जब से यह प्रदेश सरकार आयी है यह सरकार गन्ना किसानों का हर स्तर पर शोषण कर रही है पूरे उत्तर प्रदेश में शुगर मिल तो लगभग बन्द हो चुकी हैं और कुछ बन्द होने की कगार पर हैं । मान्यवर, देवरिया, कुशीनगर, पडरौना में शुगर मिल बन्द हो गयी हैं । मेरे जनपद गोण्डा क्षेत्र गोण्डा में नवाबगंज शुगर मिल ब्रिटिश काल में 1932 में स्थापित हुई थी वहां गन्ना उत्पादकों का क्षेत्र होने के नाते वहां के किसान अधिक से अधिक गन्ना उत्पादन करते थे । मान्यवर, 1977 से लेकर आज तक उस शुगर मिल नवाबगंज पर करोड़ों रुपया गन्ना किसानों का बकाया था परन्तु अभी तक गन्ना किसानों को एक नये पैसे का भी भुगतान नहीं किया । इस भा०ज०पा० सरकार की कुरीतियों के कारण इस सरकार ने 1998-99 में नवाबगंज शुगर मिल को बन्द कर दिया । किसानों के साथ धोखा किया वहां के कर्मचारी भुखमरी के कगार पर हैं । गन्ना किसान का इस सरकार ने बड़े पैमाने पर शोषण किया है । इस सरकार ने गन्ना किसानों को भुखमरी के कगार पर पहुंचा दिया । यह सरकार कहती है कि हम गरीबों, मजदूरों और किसानों के प्रति हमदर्द हैं तो यह प्रयास करती गन्ना किसानों के हित के लिये । मान्यवर, नवाबगंज शुगर मिल को चलाया जाए । नवाबगंज शुगर मिल को बन्द कर दिया गया है चीनी उद्योगपतियों के दबाव में इस सरकार ने ऐसा काम किया है किसानों के साथ जानबूझकर धोखा किया है किसान भुखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं आज तक गन्ना किसानों को वहां पर भुगतान नहीं किया गया है, मैं सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि नवाबगंज शुगर मिल को तत्काल चलाया जाये । यह

अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है मैं इस पर चर्चा की मांग करता हूं। माननीय मंत्री जी से और सरकार से चाहूंगा कि नवाबगंज शुगर मिल चलाई जाए।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैंने माननीय सदस्य के भाषण को इस विषय पर काफी गौर से सुना। कल गन्ना के बजट पर विस्तार से चर्चा हुई यही नहीं प्रदेश की सभी चीनी मिलों के बारे में चर्चा हुई इस विषय को उस समय शामिल करना चाहिए था।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय गन्ना मंत्री जी ने सब स्पष्ट कर दिया माननीय रामविशुन आजाद जी और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं और इसको निरस्त करता हूं।

श्री रामविशुन आजाद–

मान्यवर, मैं आपसे मांग करता हूं के नवाबगंज शुगर मिल को किसानों के हित में चलाया जाए।

श्री अधिष्ठाता–

सूचना को अग्राह्य कर दिया है।

श्री रामविशुन आजाद–

नवाबगंज शुगर मिल को चालू किया जाए गन्ना किसान भुखमरी के कगार पर हैं बजट में मेरा नाम नहीं था इसलिये बोलने का समय नहीं मिला, मैं अपने क्षेत्र की समस्या के बारे में कहता हूं तो सरकार कुछ नहीं करती अब नियम–56 के माध्यम से दिया हजारों मजदूर भुखमरी के कगार पर हैं। किसान परेशान हैं इसलिये मैं चाहता हूं किसानों के हित में इसे चलाया जाय।

* श्री भीम प्रसाद सोनकर–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे नियम–56 के अन्तर्गत बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में अपने बांदा जिले के डिग्गी चौराहे पर स्थित कार्यालय के सामने सड़क पटरी पर स्थानीय विधायक एवं पर्यटन राज्य मंत्री अपने नाना के नाम से मूर्ति स्थापित करना चाहते हैं। जबकि वहां सरकारी शासनादेश है अतिक्रमण हटाओ के नाम पर। सड़क पतली है लेकिन पर्यटन मंत्री मूर्ति स्थापित करना चाहते हैं। वहां पर अल्पसंख्यकों का स्कूल है। बच्चे स्कूल से आते जाते हैं। रोड सकरी हो जाने से आवागमन बाधित होता है और आये दिन वहां पर दुर्घटनाएं होती हैं। इसलिये मैं मांग करता हूं कि वहां पर मूर्ति स्थापित न की जाय। साथ ही साथ सैय्यद अली अनवर उस मूर्ति को लगाने के लिये विरोध करते हैं और उनकी मांग जायज है। लेकिन उनको तथा उनके परिवार को हत्या के लिये धमकाया जा रहा है। [× × ×] वह मारा-मारा फिर रहा है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि यह अति लोक महत्व का प्रश्न है। इसलिए इस पर चर्चा करायी जाय। वहां पर मूर्ति न लगायी जाय। साथ ही यह आश्वासन दें कि वहां पर मूर्ति न लगे।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, हमने जानकारी प्राप्त की। जो माननीय सदस्य ने चिन्ता व्यक्त की है उसके बारे में प्रयास किया। मूर्ति ऐसे नहीं लगती है। बाकायदा नगर विकास से अनुमति लेनी पड़ती है। न अनुमति

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

है और न ही मूर्ति लगायी जा रही है। हमने जिलाधिकारी से जानकारी प्राप्त की। ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं चलाया जा रहा है।

श्री भीम प्रसाद सोनकर–

मान्यवर, वहां का चेयरमैन भाजपा का है। अल्पसंख्यक विरोध कर रहा है इसलिये मूर्ति लगायी जा रही है। वह अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र है। मान्यवर, हमें आश्वासन दिला दें कि मूर्ति नहीं लगायी जायेगी।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मूर्ति लगाने की एक प्रक्रिया है अगर उस प्रक्रिया में आयेगी तो लगेगी नहीं तो नहीं लगेगी।

श्री अधिष्ठाता–

श्री भीम प्रसाद सोनकर तथा माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह सूचना नियम–56 के अन्तर्गत नहीं आती है इसलिए इस सूचना को निरस्त करता हूं। अब मैं अगली सूचना जो कि मुन्ना चौहान जी की है, को ले रहा हूं।

श्री मुन्ना चौहान–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान एक ऐसे विषय की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं जोमण्डी विभाग से मण्डी परिषद् से, उसके अन्दर न केवल भ्रष्टाचार है बल्कि पूरे प्रदेश की गाढ़ी खून पसीने की कमाई, जो मण्डी शुल्क, मण्डी समितियों द्वारा वसूल किया जाता है उस मण्डी शुल्क का पैसा जिलों के अन्दर खर्च करने का प्राविधान है। लेकिन विगत कुछ वर्षों से यह सारे का सारा शुल्क लखनऊ में निदेशालय द्वारा एक जगह पर मंगा लिया जाता है। उसके बाद वह सैकड़ों करोड़ों रुपये की राशि कुछ लोगों के स्वार्थ के लिये, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आरोप लगा रहा हूं, यह झूठ नहीं है, पूर्व में भी कितने बड़े-बड़े घपले हुए हैं। उसकी मान्यवर, सबसे बड़ी वजह यह है कि पूरे प्रदेश का पैसा मंडी समिति के मुख्यालय पर मंगा लिया जाता है और वहां पर से उसको सेन्ट्रलाइज तरीके से खर्च किया जाता है। जिससे यह विसंगति पैदा हुई। मान्यवर, जो सोच थी वह यह थी कि जिस क्षेत्र से पैसा आयेगा वह पैसा उन्हीं क्षेत्रों में वहां के विकास के लिये खर्च किया जायेगा। लेकिन विगत कई वर्षों से ऐसा नहीं हो रहा है और राजनीतिक दबाओ के आगे वह विशेष आधारों पर पैसा खर्च होता है। मान्यवर, मंडी ऐक्ट में प्राविधान भी है कि उस क्षेत्र में खर्च हो यदि आप जिलावार नहीं बांट सकते हैं तो जोन बनाकर बांटे सेक्टर में बांटे। इसमें ध्यान देना होगा।

मान्यवर, जो विभागीय मंत्री हैं मेरी राय में वह एक बहुत ही साफ-सुथरी छवि के व्यक्ति है मंडी समिति में भ्रष्टाचार का जो आलम है उसी को देखते हुए जिम्मेदारी के साथ आरोप लगा रहा हूं। मान्यवर, पैसे के सही बंटवारे से जो भ्रष्टाचार है वह बन्द हो जायेगा मान्यवर, मेरे यहां जो मंडी समिति है उसमें तीन साल से तीन रुपया भी नहीं खर्च हो पाया।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप बैठें। आगे अंकित नहीं किया जायेगा।

श्री मुन्ना चौहान–

इसमें चर्चा कराने की कृपा करें।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मंडी समिति का पैसा खर्च करने का प्राविधान है और इस संबंध में माननीय न्यायालय के निर्देश भी हैं। जिस मंडी समिति में जो पैसा आयेगा न्यूनतम 2/3 खर्च करना होगा वहीं। जो

भ्रष्टाचार की बात कही मैं सहमत हूं अगर भ्रष्टाचार नहीं रहा होता तो आज कहां हैं कुछ लोग जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है वे कहां की सैर कर रहे हैं इसी सरकार ने उनको भिजवाया । एक उच्च अधिकारी को निलम्बित किया गया उनके स्थान पर खुद चेरयमैन बन गये इस सदन के सदस्य रह चुके हैं ।

मान्यवर, जो आज मंडी समिति में अधिकारी हैं स्वच्छ छवि के हैं अथक प्रयास करके मंडी समिति को नई शक्ल देने का प्रयास कर रहे हैं । डाइरेक्टर के पद पर जो अधिकारी आज वहां विराजमान हैं, वह एक ईमानदार अधिकारी हैं और ईमानदारी की छाप बन रही है, लेकिन थोड़ा समय लगेगा । जो लोगों ने मण्डी को चरागाह बनाया हुआ था, भ्रष्टाचार का तंत्र बनाया हुआ था, उसको संभालने में समय लगेगा, हमीं उसको संभाल सकते हैं और कोई नहीं संभाल पायेगा ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मुन्ना चौहान और संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् इस सूचना को अग्राह्य पाते हुए निरस्त कर रहा हूं ।

माननीय अध्यक्ष जी जिन 5 सूचनाओं को सुनने की अनुमति दे गये थे, उनको सुना गया अन्य जो 5 सूचनायें हैं, इसमें अपवाद स्वरूप 2-2 मिनट के लिये प्रत्येक सदस्य से आग्रह करूंगा कि वह दो मिनट से ज्यादा समय न लें ।

* कुंवर रेवती रमण सिंह–

जो मेरी सूचना नं० 10 पर लगी है, वह इस सदन के भूतपूर्व माननीय सदस्य के बारे में है, वह इस सदन के दो बार सदस्य रह चुके हैं । मेरा आपसे अनुरोध है कि चूंकि आज पी०डब्लू०डी० का बजट है, अतः आज मेरी सूचना को न लें और सोमवार के लिये मेरी सूचना को लगवा दें।

श्री अधिष्ठाता–

यह तो शलाका पर निर्भर करेगा ।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, अध्यक्ष जी ने कहा था कि 311 की ग्राह्यता पर सुन लूंगा ।

श्री अधिष्ठाता–

ऐसी नहीं है, मैं सदन में उस समय उपस्थित था ।

श्री सुधाकर सिंह अनुपस्थित हैं । अगली सूचना श्री ददू प्रसाद की है ।

श्री ददू प्रसाद–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आज एक महत्वपूर्ण विषय की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं । यह विषय प्रदेश के 10 करोड़ मजदूरों के हितों से जुड़ा हुआ है । वर्ष 1997 में न्यूनतम मजदूरी का रेट 47/- रु० निर्धारित किया गया था और उसके बाद से 2 साल का लम्बा समय हो गया है । महंगाई बढ़कर दोगुनी हो गई है, हर चीज का दाम बराबर बढ़ रहा है, कृषि उपज के दाम बढ़ गये हैं, पेट्रोल, डीजल के दाम बढ़ गये हैं, कपड़ा महंगा हो गया और सारे कर्मचारियों की तनख्वाहें बढ़ गई हैं, परन्तु जो मजदूर है, जिस मजदूर के बल पर देश के, प्रदेश के सारे विकास के कार्य होते हैं, जो खेत खलिहान पर काम करता है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें, दो मिनट का समय हो गया ।

श्री दद्दू प्रसाद–

अभी दो मिनट नहीं हुये हैं, मैं भी अपनी घड़ी देख रहा हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

आपकी घड़ी गड़बड़ है, मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

श्री दद्दू प्रसाद–

मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि इन मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर कम से कम 90 रुपया निर्धारित की जाय । आज इतने लम्बे समय से उनकी मजदूरी नहीं बढ़ रही है, मैं इस पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं, इससे ज्यादा लोक महत्व का, अविलम्बनीय और तात्कालिक विषय और कोई हो नहीं सकता ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, यह तो जनरल बात है, इस पर मैं क्या कहूं ।

श्री अधिष्ठाता–

श्री दद्दू प्रसाद और संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात इस सूचना को अग्राह्य पाते हुये, निरस्त कर रहा हूं ।

(कुछ अन्य सदस्यों के खड़े होने पर)

मैने जो अनुमति दी थी, वह सदाशयता पर विश्वास करते हुये दी थी । अगली सूचना श्री आर० के० चौधरी, श्री राम ललित चौधरी व श्री स्वामी प्रसाद मौर्य की है, पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं । अगली सूचना श्री इकबाल महमूद की, उस पर भी शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं । कुं० रेवती रमण सिंह की जो सूचना है, उस पर इनका अनुरोध पहले ही आ चुका है । जिन माननीय सदस्यों की सूचनायें चयनित नहीं की गयीं, अतः अस्वीकृत हुई, उनके नाम इस प्रकार हैं, श्री अफजाल अहमद, श्री अवधेश मिश्र, श्री विजय पाल सिंह, श्री बनारसी दास चान्दना, श्री विश्वनाथ, श्री राम नक्षत्र, श्री चन्द्रनाथ सिंह, श्री रामतेज यादव एडवोकेट, श्री प्रभु नारायण सिंह यादव, श्री सत्य प्रकाश सोनकर और डा० अशोक बाजपेयी ।

(व्यवधान)

श्री इकबाल महमूद–

मान्यवर, मुझे दो मिनट का समय दे दें ।

[समाजवादी पार्टी के कई सदस्य सदन के बेल में आ गये, जिससे सदन में व्यवधान उत्पन्न हो गया]

वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय व्ययक में अनुदानों के लिए मागों पर चर्चा एवं मतदान अनुदान सं० 44-पर्यटन विभाग, अनुदान संख्या 54-लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) अनुदान संख्या 55-लोक निर्माण विभाग (भवन), अनुदान संख्या 58-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन) अनुदान संख्या 59-लोक निर्माण विभाग राज्य सम्पत्ति निदेशालय पर अनुदान संख्या 86-सूचना विभाग

* लोक निर्माण, पर्यटन मंत्री (श्री कलराज मिश्र)–

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 44-पर्यटन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 96,05,85,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 54-लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 3,98,93,35,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–55 लोक निर्माण विभाग (भवन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 43,67,06,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृति की जाये ।

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–58 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 13,56,04,10,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृति की जाये ।

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 59–लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 35,02,09,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृति की जाये ।

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–86 सूचना विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 30,56,48,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृति की जाये ।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (क्रमागत)

* श्री इकबाल महमूद–

हमें भी जनता ने चुन कर भेजा है, हमें भी अपनी बात कहनी है । (श्री इकबाल महमूद सदन के फ्लोर में आ गये)

श्री अधिष्ठाता–

इस प्रकार में कोई बात सुनने के लिये तैयार नहीं हूं । अपने स्थान पर जांय और वहां पर जाकर अपनी बात कहें ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, आपकी आज्ञा एक मिनट अपनी बात वह कह लें ।

श्री अधिष्ठाता–

जब तक माननीय सदस्य बेल में खड़े हैं मैं कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं हूं । इस तरह आप बाध्य न करें । (व्यवधान) माननीय सदस्यगण मैंने नियमानुसार जो 5 सूचनाएं शलाका के आधार पर चयनित हुई थीं उनको ग्राह्यता पर सुना और माननीय संसदीय कार्य मंत्री को भी सुना और इस पीठ से जो निर्णय दे दिया उसके बात भी आप मेरी सदाशयता पर बात कहें यह उचित नहीं मैंने माननीय सदस्यों से अनुरोध किया कि दो-दो मिनट अपनी बात कह दें इसके बाद उसका पालन न करते हुए अपनी बात कहते रहे और कहा कि मैंने भी घड़ी देखी है । मेरी सदाशयता पर आप गलंत बात उठा रहे हैं । मैंने अपवाद स्वरूप ग्राह्यता के माध्यम से आपको अनुमति दे दी । अगर सदाशयता का गलत लाभ

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

उठायेंगे तो सदन कैसे चलेगा जिन माननीय सदस्यों की सूचना थी उसके सन्दर्भ में शासन का ध्यान भी आकर्षित किया गया, बात पूरी हो गयी इसलिए अब निवेदन करूंगा कि पुनः विषय न उठायें। लोक निर्माण मंत्री जी ने अपनी बजट प्रस्तुत कर दिया है। अब उसे चलने दें और अब जो बात आ गयी है उसे अब बैक गियर पर नहीं जाने दें।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर आपकी आज्ञा शिरोधार्य है लेकिन एक मिनट मा० सदस्य को कृपापूर्वक सुन लें।

श्री अधिष्ठाता–

अब कार्यवाही पीछे नहीं जायेगी। माननीय मंत्री जी बजट पर अपने विचार रखेगें।

(व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी–

दो मिनट माननीय सदस्य को सुन लें।

श्री इकबाल महमूद–

मान्यवर, इसमें मेरे द्वारा क्या गलती हुई ? मैं कह रहा था कि जिस प्रकार आपने एक सूचना को सोमवार के लिये लिया है उसी तरह इसको भी ले लें। मैं यह कह रहा था।

श्री अधिष्ठाता–

आप लिखकर दे दें। शलाका में आयेगा तो ले लेंगे।

श्री इकबाल महमूद–

मेरा अनुरोध सुन लीजिए अगर आपने सुन लिया होता तो यह नौबत न आती। मैं कोई ऐसा काम नहीं करता जिससे सदन में अव्यवस्था उपस्थित हो जाये।

श्री अधिष्ठाता–

मैं शासन को निर्देश दे चुका हूं। शासन का ध्यान आकर्षित कर चुका हूं अब बात समाप्त हो चुकी है।

(व्यवधान)

सोमवार को पुनः आप लिखकर दे दें। शलाका में स्वीकार होगी तो आ जायेगी। लिखकर देने का आपको अधिकार है। मैनें शासन का ध्यान आकृष्ट कर दिया है।

वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर चर्चा एवं मतदान-अनुदान संख्या–44 पर्यटन विभाग, अनुदान संख्या–54 लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान), अनुदान संख्या–55 लोक निर्माण विभाग (भवन), अनुदान संख्या–58 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन), अनुदान संख्या–59 लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय), अनुदान संख्या–86 सूचना विभाग

(क्रमागत)

लोक निर्माण पर्यटन मंत्री (श्री कलराज मिश्र)–

मान्यवर, गत वर्ष भी मुझे यह सौभाग्य मिला था पर्यटन विभाग का यह बजट प्रस्तुत करने का अवसर मिला और इस वर्ष भी मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मुझे गत वर्ष एक सौभाग्य प्राप्त हुआ था निरीक्षण करने का कि जो पिछली बार हमने पर्यटन से सम्बन्धित बजट प्रस्तुत किया था उसके अनुरूप जो हमने कार्य योजना बनाई थी प्रदेश में कार्य हुआ, वर्क हुआ, इसका भी एक आत्मनिरीक्षण करने का अवसर उपलब्ध हुआ। मान्यवर, पर्यटन के आय-व्यय के सम्बन्ध में हम देखते हैं कि बजट तो बहुत कम होता है लेकिन पर्यटन का कार्य ज्यादा होता है क्योंकि उसमें सभी की सहभागिता रहती है। इसी को अधिकाधिक विस्तृत किया जाना चाहिए ताकि आम आदमी और विभिन्न सरकारी विभाग, निजी क्षेत्र के लोग अधिक से अधिक यह अनुभव कर सकें कि पर्यटन सचमुच उनका कार्य है। इसका विकास करना उनका दायित्व है और इसी आधार पर जिस क्षेत्र में इस प्रकार का विकास होगा निश्चित रूप से सभी स्तर के चाहे अपने देश के चाहे विदेश के पर्यटक अत्यधिक मात्रा में आयेंगे। इसी को अत्यधिक बढ़ावा देने के लिये गत वर्ष में कार्य किया गया। इसका सुपरिणाम हुआ है कि वर्ष 1997-98 में पर्यटन विभाग से उत्तर प्रदेश में आयी हुई मान्यवर, 76.50 करोड़ थी और देश में विदेशी पर्यटकों से जो धन प्राप्त हुआ वह 2450 करोड़ और देश के पर्यटकों से जो प्राप्त हुई आय है वह 3300 करोड़ है

और मान्यवर, लगातार उसमें बढ़ोत्तरी होती जा रही है और इतना ही नहीं यह जानकर आपको प्रसन्नता होगी कि गत वर्ष के लगातार और निरन्तर पर्यटन क्षेत्र को लोगों के सामने उजागर करने की दृष्टि से जो कार्य किया गया उसका सुपरिणाम यह हुआ कि पूरे भारत वर्ष जो विदेशी पर्यटकों के आने में 0.5 प्रतिशत की कमी हुई वहीं उत्तर प्रदेश में, जैसा आंकड़े बताते हैं कि गत वर्ष सात लाख बारह हजार विदेशी पर्यटक आये थे और इस वर्ष मान्यवर, सात लाख तिरासी हजार विदेशी पर्यटक आये। अर्थात् 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई। उसका कारण है उत्तर प्रदेश के अन्दर उत्तर प्रदेश की भौगोलिक, स्थिति उत्तर प्रदेश का पर्यावरण, उत्तर प्रदेश की असीम सम्पदा, इन्हें विभिन्न क्षेत्रों में जिस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए था जो कि पहले प्रस्तुत नहीं किया गया था जिसके कारण पर्यटन विभाग से जो अपेक्षा की गई वह पूरी नहीं हुई। मान्यवर, साल भर और डेढ़ साल से काम करने के कारण लोगों को इस बात का अनुभव हो गया कि उत्तर प्रदेश में पर्यटन विभाग नाम की कोई चीज है। उत्तर प्रदेश में सतत् पर्यटन कार्यक्रम की दृष्टि से हिन्दुस्तान और विदेशों में रहने वाले लोगों ने महसूस किया उत्तर प्रदेश में पर्यटन की सुविधायें हैं। अभी तक उत्तर प्रदेश में सिर्फ ताज महल और वाराणसी को उत्तरांचल को ही पर्यटन की दृष्टि से स्थान मिलता था और लोग समझते थे कि यही पर्यटन क्षेत्र हैं। लेकिन अब लोगों को ज्ञात हुआ है कि प्रदेश में और भी क्षेत्र हैं जहां पर जाना चाहिए। जो टुअर्स आपरेटर्स हैं उनको भी प्रदेश के पर्यटन स्थलों की पूर्ण जानकारी नहीं थी। जो पर्यटकों के आवास की व्यवस्था करते थे उन होटलियर्स को भी उत्तर प्रदेश के बारे में पूरी जानकारी नहीं थी।

हमारे विभाग ने इस बात का प्रयास किया कि उत्तर प्रदेश के बारे में देश और विदेश के लोगों को यह जानकारी हो जाय कि उत्तर प्रदेश में पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल हैं। हमने स्लाइड के माध्यम से देश और विदेश के लोगों में यहां के पर्यटन स्थलों की चित्रों के माध्यम से जानकारी देने का प्रयास किया। जो ट्रेवल एण्ड टुअर्स के लोग हैं, जो होटल के व्यवसाय के लोग हैं उनको भी जानकारी नहीं थी इसीलिये यहां आने में संकोच करते थे और ऐसे लोगों के साथ बैठकर उनको जानकारी दी गयी कि अमुक-अमुक स्थान पर्यटन स्थल हैं, हमने उनसे वार्ता की और उनको एक-एक चीज के बारे में जानकारी दी गयी। उत्तर प्रदेश को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिये 10 परिपथों में बांटा गया है और एक कंपरेहेंसिव पर्यटन नीति बनायी गयी है। इसमें विशेष रूप से धार्मिक जो यात्री आते हैं चाहे वह दक्षिण पूर्व एशिया के बौद्ध धर्म के अनुयायी हों या देश के बौद्ध धर्म के अनुयायी हों, उनके लिये सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये लगातार काम किया है और बौद्ध परिपथ के रूप में सारनाथ, कुशीनगर, कौशाम्बी, श्रावस्ती, संकिसा, बौध गया जो बिहार में पड़ती है, यह सब स्थान मिलाकर एक बौद्ध परिपथ बनाया गया है ताकि ज्यादा से लोग आयें और आपकी जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि हमने अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव पहली बार मनाया जिसमें दक्षिण पूर्व एशिया जर्मनी, कनाडा, अमेरिका से लोग आये। इसमें 12 देशों के 2 हजार से ज्यादा लोग आये और अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठी हुई जिसका विषय था बौद्ध ट्रीटी एण्ड नेशनल यूनिटी। यह पहला प्रयास किया गया अर्थात् बुद्धं शरणं गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि और धम्मं शरणं गच्छामि। इसके माध्यम से राष्ट्रीय एकता स्थापित हो सकती है। इस विषय पर गोष्ठी भी हुई। बौद्ध परिपथ के विकास के लिये काम किया और नई कार्ययोजना के आधार पर "नई बौद्ध परिक्रमा ट्रेन" भी चलायी। हावड़ा से वाराणसी होते हुए गोरखपुर तक जायेगी। जो भी पर्यटक आयेंगे आई० टी० डी० सी० के कोचेज के माध्यम से सारे क्षेत्रों में घुमाने की व्यवस्था भी की गयी। सारनाथ के विकास के लिये 60 लाख रुपया दिया, जिसमें प्रकाश, सड़क तथा सारनाथ स्तूप मन्दिर है उसके व्यवस्था को ठीक करेंगे। इसी तरह से कुशीनगर में 50 लाख रुपये के माध्यम से प्रकाश, सड़क तथा लैण्डस्केपिंग की व्यवस्था को ठीक कर रहे हैं। इस तरह से हमने पिपरहवा के लिये भी किया है। पर्यटन विकास की दृष्टि से 5 करोड़ रुपया उन क्षेत्रों की विकास के लिये दिया है। "आगरा और ब्रज परिपथ" में आगरा, मथुरा, वृन्दावन आते हैं। आगरा को ताज ट्रपेजियम के रूप में विकसित कर रहे हैं। 4 करोड़ 32 लाख रुपया हमने ताज हैरिटेज के रूप में फंडिग किया है और विभिन्न विभागों से किया। जो हमने टोल टैक्स या विभिन्न कार्यक्रम करके किया है इससे जो आमदनी हुई उनके माध्यम से हैरिटेज की व्यवस्था की। मथुरा और वृन्दावन लोगों की निगाहों में आये उसके लिये मैंने घाटों, सड़कों और चौरासी कोसी परिक्रमा को व्यवस्थित करने के लिये 11 करोड़ रुपया दिया है। यह स्थान ऐसे हैं जो स्वाभाविक रूप से लोगों की निगाह में आ सके इस तरह से प्रचारित करने की कोशिश की।

बुन्देलखण्ड हमेशा उपेक्षित रहा है । मैंने अनुभव किया कि उसको उपेक्षित नहीं रहने देना चाहिए और हमने बुन्देलखण्ड परिपथ के विकास के लिये एक साल के लिये फर्ग्यूसन कन्सलटेंसी को लगाया उसने पूरे क्षेत्र का अध्ययन किया और पूरे क्षेत्र का अध्ययन करते हुए कि कैसे विकास हो सकता है, विकास सम्बन्धी रिपोर्ट भी प्रस्तुत की । उसके वीडियो कैसिट्स भी है और इस दिशा में बुन्देलखण्ड के विकास के लिये 20 करोड़ रुपये देने का सुझाव दिया था । मान्यवर, इतना तो नहीं लेकिन कुछ धन लगा रहे हैं और इसी में चित्रकूट, कालिंजर फोर्ट, महोबा का सूर्य मन्दिर, बरुआ सागर आदि स्थल आते हैं । चित्रकूट के लिये 60 लाख रुपये की व्यवस्था की है और तेजी से काम हो रहा है, महोबा, बरुआ सागर के लिये भी हमने प्रयास किया है, वहां पर भी काम हो रहा है । कालिन्जर फोर्ट को हम विकसित करना चाहते हैं जिसका एक ऐतिहासिक महत्व है । वहीं कालिंजर में किले से पैराग्लाइडिंग अच्छी हो सकती है वहां प्रकृति की छटा देखते बनती है । कालिंजर फोर्ट में आवास गृह बनाने के लिये पर्यटन विभाग तरफ से धन आवंटित किया गया है । इसी तरह से अवध परिपथ विकसित हो इसी दृष्टि से जो लखनऊ में पुराने भवन हैं, मुगलकाल के हैं यह पूर्व के भवन हैं जो कलाकारी के हैं वह सुरक्षित रह सकें इसके लिये चिन्ता की है । इसके लिये कहना चाहूंगा कि कैसरबाग हैरिटेज बनाई है जिसको एक करोड़ रुपये दिये गये हैं । इसी तरह से रेजीडेंसी में प्रकाश की व्यवस्था हो, लाइट एण्ड साउंड की व्यवस्था का प्रयास किया है । इसके साथ ही मैं ताज के बारे में बताना चाहूंगा ताज के लिये वहां पर आगरा किले में लाइट एण्ड साउंड सिस्टम की व्यवस्था की है । साथ ही साथ रात्रि को खुला रहे ताकि अधिक से अधिक पर्यटक वहां आ सकें इसके लिये भारत सरकार से वार्ता की है । आगामी एक माह के अन्दर ताज रात को भी खुलना शुरू हो जायेगा । ताकि अधिक से अधिक विदेशी पर्यटक रात्रि निवास करें ।

हमारी तरफ से यह व्यवस्था की गई है पैकेज टूर बनाकर एक डेढ़ सप्ताह में लोग अधिक से अधिक पर्यटक स्थल जा सकें इसकी व्यवस्था की है । आगरा में अच्छा होटल देने के लिये जे० पी० ग्रुप से ज्वाइंट कन्वेंशन हाल बन गया है । इसी के साथ साथ कोशिश यह की गई है कि पांचवां परिपथ लखनऊ और अवध के आस पास तैयार हो । इसी के अन्दर अयोध्या आता है । अयोध्या पूरे हिन्दुस्तान और पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है । वह अलग बात है कि कई मामलों में विवाद होता है । वह ऐसा केन्द्र है जो पूरी दुनिया का स्वाभाविक रूप से ध्यान आकर्षित करता है । इसलिए अयोध्या के विकास के लिये एक पैकेज बनाया है । और इसके लिये 11 करोड़ की व्यवस्था की है । उसमें बहुत काम हुए हैं । गुप्तार घाट का सौन्दर्यीकरण किया है । राम कथा पार्क बनाया है । वहां की अवस्थापना सुविधाओं का विकास कर रहे हैं । ताकि पर्यटक वहां का आनन्द ले सकें । देवा शरीफ जो बाराबंकी में पड़ता है उसके सुन्दरीकरण की व्यवस्था की है । वहां की अवस्थापना सुविधाएं ठीक की हैं । वहां पर विभिन्न पंथ मानने वाले लोग आयेंगे और वहां का आनन्द ले सकेंगे । इसी प्रकार विन्ध्य परिपथ नया परिपथ बनाया है । यह इसलिए बनाया है कि विन्ध्याचल मिर्जापुर, चुनार, विजयगढ़, सोनभद्र यह इलाका प्राकृतिक रूप से रमणीय है । वहां पर राजदरी फाल, और दूसरे फाल हैं इसके अलावा वहां अनेक गुफायें हैं और लोगों को एक अनुभव अध्यात्मिक आनन्द की प्राप्ति होगी । इस परिपथ का सही तरह से विकास हो सके और अधिक से अधिक लोग आयें, हमने विन्ध्य महोत्सव भी शुरू कर दिया है। सातवां परिपथ कुमायूं है । कुमायूं क्षेत्र में नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, उधमसिंह नगर आते हैं । इसमें अनेक स्थान बर्फीले हैं और बहुत सुन्दर स्थान यहां पर हैं । रानीखेत और बागेश्वर के पुराने मन्दिर इस परिपथ में हैं । आठवां परिपथ गढ़वाल क्षेत्र में आता है, जिसे हम यात्राधाम परिपथ कहते हैं। गंगोत्री, यमनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ में सर्वाधिक मात्रा में लोग आते हैं । अभी हमने इलाहाबाद से वाराणसी तक वाटर रैली करवाई थी । इसमें विदेशों से भी लोग आये थे ।

(इस समय 5 बजकर 5 मिनट पर अधिष्ठाता श्री बाल चन्द्र मिश्र पीठासीन हुए)

7 तो ब्रिटिशर्स थे और अर्जेन्टाइना के राजदूत थे और केरल की लड़कियां और लड़के थे। साथ ही स्थानीय आधार पर जो मल्लाह थे, उन्होंने भी इस प्रतिस्पर्धा में भाग लिया और हमने पुरस्कार वितरित किये। इसी तरह से दसवां परिपथ एडवेन्चर का है। इसमें आयुर्वेद से लेकर वाइल्ड लाइफ तक है, स्कीइंग हैं। विशेषकर यह पर्वतीय क्षेत्र में है। पर्यटन की दृष्टि से हमने हर क्षेत्र में सर्वाधिक ध्यान दिया है और उन स्थानों को उजागर करने का प्रयास भी किया है और हमने हर सरकिट में फण्ड की व्यवस्था की है ताकि स्वाभाविक रूप से अधिक से अधिक पर्यटक केवल डोमेस्टिक ही नहीं विदेशी पर्यटक हमारे प्रदेश में आ सकें। हम पर्यटन को केवल घूमने वाला नहीं मानते। बल्कि हमने इसे उद्योग का दर्जा दिया है, जिसमें कम लागत में अधिक रोजगार मिल सके। अवस्थापना सुविधायें अधिक से अधिक विकसति हो सकें, इस बात की ओर ज्यादा ध्यान दिया गया है। रेल मार्ग, सड़क मार्ग और वायु मार्ग, इन सबके विकसित करने की कोशिश की गई है। जितने भी हमारे प्रमुख पर्यटक स्थल हैं, वहां पर सड़कों का निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा और पर्यटन विभाग द्वारा कराया गया है। माननीय सदस्य जो सदाशयता दिखा रहे हैं, मुझे विश्वास है कि वह बिना कटौती का प्रस्ताव रखते ही इसे पास कर देंगे। पर्यटन नीति की कापी हमने आप लोगों को भेज दी थी और इस बार भी आपको मिल गया हो। इसके माध्यम से हमने आगामी कार्य योजना प्रस्तुत किया है। इस समय हमारे यहां जो पर्यटकों के आने की संख्या है और जो हमारा पूंजी निवेश है 350 करोड़ का है। आगे की कार्य योजना के आधार पर 10 वर्षों के अन्दर हम इसको 10 हजार की पूंजी निवेश ले जायेंगे। प्रति व्यक्ति जो विदेशी पर्यटक हैं उसका खर्चा 34 हजार है वह आगे बढ़कर 45 हजार रुपये हो जाय और यह भी है कि आगे इसमें 10 लाख लोगों को परोक्ष रूप से आमदनी मिलेगी। जो एक हिसाब लगाया है 10 लाख लोगों को परोक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। और 5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होगा। आगामी कार्य योजना के द्वारा अत्यधिक लोगों को समायोजित कर सकें। अवस्थापना सुविधाओं के निर्माण के लिये निजी क्षेत्र के लोगों को बुलाया है। हम एन० आर० आई० को बुला रहे हैं कि वे आकर अवस्थापना सुविधाओं को विकसित करें। पर्यटन विभाग को अत्याधुनिक इनफारेमेशन टेक्नोलोजी से सुसज्जित कर रहे हैं। हमने इन्टरनेट व्यवसाय की व्यवस्था की है अपने देश में रहने का कहीं दूसरे देश के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके।

इस वर्ष भारत में एक नारा माना जा रहा है। एक नारा देकर पर्यटकों को अधिकाधिक यहां ला सकें "विटि इंडिया यर" करके इस वर्ष को माना गया है। जहां भारत सरकार ने "विजिट इंडिया' का नाम दिया है, "भारत दर्शन" का नाम दिया है। हमने उत्तर प्रदेश के अन्दर लोगों को आकर्षित करने का प्रयास किया है। "उत्तर प्रदेश आइये, भारत का अनुभव कीजिये"। "उत्तर प्रदेश भारत का तत्व है, उत्तर प्रदेश इस द इसेंस आफ इंडिया।" "उत्तर प्रदेश भारत की आत्मा है," उत्तर प्रदेश इस द सोल आफ इंडिया। विदेशों में भी यह दिखाने का प्रयास किया है कि उत्तर प्रदेश भारत की आत्मा है। यह सब इस बात के आधार पर किया कि कार्य योजना बन रही है और अधिक से अधिक लोग आकर्षित होंगे और यहां आयेंगे। इसके लिये बजट के अन्दर प्राविधान किया है। हमने जो बजट का आय-व्ययक रखा है उसमें हमने जो जापानी सहयोग है उसका भी उल्लेख किया है। हमने तय किया है कि बाहर का जो सहयोग प्राप्त हो रहा है उसको लें और उसका समुचित रूप से सदुपयोग भी कर सकें। इस दृष्टि से रखा है। बजट अधिक नहीं है लेकिन जितना भी है उसका समुचित तौर से प्रयोग कर सकें यह हमारी कोशिश है। इसलिये जिला स्तर पर भी जो जिले हैं प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं, चाहे किसी पंथ से संबंधित हों, ऐसे स्थल जो मनोरम हैं, वाटर स्पोर्ट की दृष्टि से विभिन्न स्थानों को लिया है। इलाहाबाद में वाटर स्पोर्ट को लिया है। नरोरा में भी इसी दृष्टि से चुनार से लेकर वाराणसी तक व्यवस्था की है ताकि जो लोग इस तरह की रुचि रखते हों उत्तर प्रदेश के अन्दर अपनी रुचि के अनुसार सुविधा पा सकें। इस हिसाब से हम लोगों को आकर्षित कर सकें इसके लिये मान्यवर, हमने महोत्सवों

की झड़ी लगा दी । एक नया ट्रेंड देने की कोशिश की है । इन महोत्सवों के माध्यम से घरेलू और विदेशी पर्यटकों को अधिक मात्रा में आकर्षित कर रहे हैं और उनकी संख्या ज्यादा बढ़ रही है । सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को आकर्षित कर रहे हैं । स्थानीय आधार पर कुटीर उद्योग धन्धों के द्वारा उत्पादित माल को उत्सव के माध्यम से लोगों के बीच में पौपुलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं । ताकि आर्थिक दृष्टि से क्षेत्रीय लोग लाभान्वित हो सकें । मान्यवर, जो ताज महोत्सव मनाया गया था जिसमें पूरे देश के लोग विशिष्ट उत्पादों के माध्यम से वहां दुकानें लगाये थे, तो मैं सदन को बताना चाहता हूं कि वहां बहुत से पर्यटकों ने सामान क्रय करने के लिये आर्डर दे दियें थे । मान्यवर, इसके अतिरिक्त स्थानीय प्रतिभाओं को भी महोत्सवों के माध्यम से हमने उजागर करने का प्रयास किया है । मान्यवर, इन महोत्सवों के माध्यम से अधिक से अधिक पर्यटक आकर्षित हो सकें इसलिए व्यापक योजनाओं पर पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु काम किया जा रहा है जिससे एक सौहार्द्रपूर्ण वातावरण हम स्थापित कर सकें ।

मान्यवर, यह भी कोशिश कर रहे हैं कि जो लोगों के अन्दर संकीर्णता का माहौल है उसको समाप्त कर सके इसलिए इन महोत्सवों के माध्यम से हम इस दिशा में काम कर रहे हैं ।

मान्यवर, पर्यटकों को शिकायत रहती है कि यहां उनकी सुरक्षा नहीं रहती है इसलिये सुरक्षा की दृष्टि से हमने पर्यटन पुलिस की व्यवस्था किया है । मान्यवर, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि पर्यटन पुलिस की भर्ती शुरू हो गयी है और उन्हें प्रशिक्षण देने की व्यवस्था जल्दी ही की जा रही है । मान्यवर, इसी तरह से हमने बैंक की भी व्यवस्था किया है ।

मान्यवर, आगामी समय में अन्तर्राष्ट्रीय बुद्ध महोत्सव नवम्बर में होने जा रहा है जो 24 अक्टूबर से 9 नवम्बर के बीच में, जैसे कि पिछले वर्ष हुआ था उसी प्रकार, इस बार भी महोत्सव का आयोजन किया जायेगा और हम उसकी तैयारी अभी से कर रहे हैं । मान्यवर, मैं यह भी सदन को बताना चाहता हूं कि स्थानीय लोगों द्वारा यह महोत्सव मनाया जाय, इसकी हम कोशिश कर रहे हैं । इसलिए हर दृष्टि से पर्यटन की तरफ लोगों को की रुचि जगाकर आर्थिक विकास की व्यवस्था कर सकते हैं । मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस ओर हमारी इच्छा शक्ति प्रबल होनी चाहिए किन्तु इच्छा शक्ति के अभाव के कारण उत्तर प्रदेश को दुनिया और देश के सामने पर्यटन के मामले में जिस रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए था वह नहीं किया गया । इसलिये पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु नियोजित आधार पर योजना बनाने की हमने कोशिश किया है । मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि फिल्म के लोगों से हमने आग्रह किया है कि हमारे उत्तर प्रदेश में वे लोग आयें और यहां आकर सूटिंग करें, तो फिल्मी लोगों से आश्वासन मिला है कि वे लोग यहां आयेंगे । मान्यवर, इन सारे माध्यमों के जरिये हम चाहते हैं कि दुनिया के सामने उत्तर प्रदेश को पर्यटन के मामले में अन्य देशों की भांति प्रस्तुत किया जा सके यह हमारी तरफ से प्रयत्न है । मान्यवर, मैं एक प्रसन्नता की बात आप लोगों को बताना चाहता हूं जिससे आप प्रसन्न होंगे सारी चीजों को देखकर उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग को भारत सरकार ने 25 जनवरी को, भारत के प्रधान मंत्री जी ने सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया ।

(सत्तापक्ष के माननीय सदस्यों ने मेजें थपथपाई)

मान्यवर, हर वर्ष होता है मानक निर्धारित रहता है पूरे देश में प्रथम स्थान पर्यटन ने प्राप्त किया । सारे प्रयत्नों के कारण ऐसा हुआ है । मैं इस बजट को पास करने के लिये सदाशयता से इसको सुना उसी सदाशयता से इसको पास कर दें ।

मान्यवर, अब मैं लोक निर्माण विभाग के बारे में कहना चाहूंगा वही वाक्य मैं आपके बीच में फिर से कहूंगा । पिछले वर्ष भी लोक निर्माण विभाग का बजट प्रस्तुत करने का अवसर मिला था उसके पहले भी कुछ महीने पूर्व बजट प्रस्तुत करने का प्राप्त हुआ था कुछ महीने पूर्व इसलिए कहा क्योंकि

कुछ महीने के बाद दूसरा बजट प्रस्तुत करना पड़ा । उत्तर प्रदेश सरकार ने जो किया कार्य स्वीकृतियां इस तरह की बनीं उत्तर प्रदेश सरकार ने एक दिसम्बर के बाद सीधे फरवरी मार्च में उत्तर प्रदेश का बजट प्रस्तुत किया इसके लिये सबको बधाई देनी चाहिए भले ही और मामलों में विद्रोह हो लेकिन इसमें बधाई देनी चाहिए । मान्यवर, इसी संदर्भ में लोक निर्माण विभाग का आपके सामने बजट प्रस्तुत कर रहा हूं । मान्यवर, सड़कें किसी भी देश के लिये अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं सड़क का उसी तरह से महत्व है जिस तरह से शरीर के अन्दर शिरायें काम कर रही हैं और उनके माध्यम से रक्त का संचार होता है उसी तरह से सड़क न रहें तो कोई भी चीज, कोई भी व्यवस्था अविकसित होगी, विपन्न होगी, बदत्तर होगी । सड़कों के माध्यम से विकास की प्रक्रिया को बड़ी तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं सड़कों के माध्यम से ही स्वास्थ्य हो सकता है, हम विकसित हो सकते हैं । सड़कों के माध्यम से ही सारा विपणन का काम हो सकता है । सड़कों के माध्यम से पूंजी निवेश का कार्य, विभिन्न चीजों का आयात होता है अवस्थापन सुविधा के लिये मार्ग आधार स्तम्भ हैं इसका वर्णन इसलिए किया क्योंकि सड़क का महत्व विकास की प्रक्रिया में सर्वाधिक है इसको देखते हुए आजादी के बाद 15.113 किलोमीटर सड़कें उस समय थीं आज पचास वर्ष हो गये 51वां वर्ष पूरा हुआ लेकिन जिस गति से लम्बाई में विस्तार होना चाहिए वह नहीं हुआ है केवल एक लाख 17 हजार 546 किलोमीटर सड़कें बन पाई हैं सब विभागों की मिला लें तो एक लाख 45 हजार 647 किलोमीटर हैं । बहुत कम हैं लखनऊ प्लान में अपेक्षा की गई कि 2000 तक कितनी लम्बाई की सड़कें हो जायेंगी तो यह हुआ कि 3.5 लाख किलोमीटर उत्तर प्रदेश के अन्दर सड़कें हो जायेंगी लेकिन मान्यवर, खेद पूर्वक कहना पड़ रहा है कि एक लाख 45 हजार 647 किलोमीटर सड़कें ही हो पाई इसलिए इसका जिक्र किया । नियोजित तौर पर योजना बनाकर ढंग से पूरे प्रदेश के सामने रख दी है उसके अनुरूप कार्य किया गया होता तो यह स्थिति न होती । और इसका नतीजा उत्तर प्रदेश में एक लाख 12 हजार 803 गांव थे और दो वर्ष पहले 56 हजार गांव प्रमुख मार्गों से जुड़े थे । दो वर्ष के अन्दर 6 हजार गांवों को जोड़ा गया है इस प्रकार से 62 हजार गांव प्रमुख मार्गों से जुड़ गये हैं । गांव पें सम्पर्क मार्ग कम नहीं हुए हैं । जो प्रमुख मार्ग हैं जिन्हें रेडक्रास के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया और उस वर्गीकरण के अन्तर्गत नेशनल हाई वे, स्टेट हाई वे, एम० डी० आर० ओ० डी० आर० इन चार भागों में विभक्त हो गये । मान्यवर, उत्तर प्रदेश इतना विशाल प्रदेश है, दो वर्ष पहले नेशनल हाई वे की लम्बाई 2 हजार 866 किलोमीटर थी और स्टेट हाई वे की लम्बाई 8 हजार 843 किलोमीटर थी, एम० डी० आर० की लम्बाई 9 हजार 847 किलोमीटर थी तथा ओ० डी० आर० की लम्बाई 27 हजार किलोमीटर थी । इस तरीके से लम्बाई और बढ़नी चाहिए थी लेकिन नहीं बढ़ी । हमने आप लोगों के सहयोग से जब विभाग सम्भाला तो हमने विचार किया था कि उत्तर प्रदेश में इतने अधिक गांव हैं अगर प्रमुख मार्ग के साथ नहीं जुड़ेंगे तो गांव का विकास नहीं हो पायेगा । आज गांव के विकास की सबसे ज्यादा आवश्यकता है । यह तय कर लिया कि जो प्रमुख मार्ग थे उनकी लम्बाई बढ़नी चाहिए । उनकी जो दुर्दशा हो रही थी उसको ठीक करना चाहिए, आवागमन के साधन, परिवहन का स्वरूप अच्छा होना चाहिए ।

हमने यह तय किया कि जो प्रमुख मार्ग हैं नेशनल हाई वे, स्टेट हाई वे और एम० डी० आर० ओ० डी० आर० यह सहयोगी मार्ग विलेज रोड सहयोगी मार्ग हैं, इसको गड्ढा मुक्त करेंगे और इसी के तहत हमने 98 प्रतिशत सड़कों को गड्ढा मुक्त किया । मानयवर, सड़कों की लम्बाई बढ़ायी जा सके, सड़कों का सुधार हो, परिवहन की व्यवस्था अच्छी होगी, यातायात की व्यवस्था समुचित तरीके से हो इसके लिये हमने एक काम्परीहेन्सिव रोड पालिसी बनायी और इसके माध्यम से कुछ चीजें तय की । जो नेशनल हाई वे जिसकी लम्बाई 2 हजार 866 किलोमीटर है, भारत सरकार को लिखकर भेजा और आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि साल भर के अन्दर नेशनल हाई वे की लम्बाई 1 हजार

507 किलोमीटर बढ़ी । हमने इसे 2 हजार 866 से बढ़ाकर 4 हजार 442 किलोमीटर कर दिया । जो 50 वर्षों में नहीं हुआ उसे अपने साल भर के अन्दर करके दिखा दिया । उसी के अनुरूप हम इसके अनुश्रवण की व्यवस्था कर रहे हैं, इसके लिये हमने गड्ढामुक्त अभियान चलाया, सुदृढ़ीकरण प्रक्रिया प्रारम्भ की, चौड़ीकरण की प्रक्रिया प्रारम्भ की । अब तक 9 हजार किमी० से ज्यादा नवीनीकरण हो चुका है, आंकड़े हैं, दर्शाये जा सकते हैं लेकिन मान्यवर, संसाधनों की कमी है, राज्य सरकार के सामने आर्थिक विपन्नता है, इसलिये हमने मार्ग विकास नीति के तहत एक रोड फण्ड स्थापित किया और इसके माध्यम से पेट्रोल, डीजल पर जो टैक्सेस हैं और जो रोड से संबंधित हैं, उनको रोड फण्ड के अन्दर लिया । हमने 180 करोड़ का लक्ष्य माना था, यद्यपि इस बजट के अन्दर 100 करोड़ ही मिला है । साथ ही साथ बजट के अन्दर 220 करोड़ प्राविधानित है, इसमें से 120 करोड़ अधिष्ठान में चला जाता है, 100 करोड़ बचता है । हमने सड़कों के लिये कुछ विशेष योजनायें भी बनाई, नया निर्माण भी हो, इसके लिये एक योजना आर० आर० जी० एस० के सहयोग से बनाई जो नाबार्ड से प्राप्त होता है, इस योजना का नाम है पंडित दीन दयाल उपाध्याय सम्पर्क मार्ग योजना, इसकी जानकारी सभी माननीय सदस्यों को है । वर्ष 97-98 में दीन दयाल उपाध्याय सम्पर्क मार्ग योजना के तहत हमने 1020 गांवों को जोड़ा और सड़कें लेपन स्तर तक बनाई । हमने सभी सम्मानित विधायकों से गांवों के नाम मांगे, हमें 2226 नाम प्राप्त हुए, चूंकि यह नाबार्ड द्वारा पोषित योजना है, इस लिये नाबार्ड ने यह माना कि पूरे हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश में लोक निर्माण विभाग ने अपने प्रोजेक्ट्स को सही तौर पर बनाकर भेजा है और उन्होंने बड़ी सदाशयता के साथ 2226 में से 1295 की स्वीकृति प्रदान की है । मुझे पूरा विश्वास है कि अभी अन्तिम बैठक होने को है, शेष पर भी स्वीकृति प्राप्त हो जायेगी । इस योजना के माध्यम से हमने कोशिश की है कि एक हजार और उसके ऊपर की आबादी वाले गांव 2005 तक जुड़ जायें । इसी प्रकार से बाकी के जो गांव हैं, वह 2010 तक जुड़ जायें ।

मान्यवर, कुछ मिनिमम बेसिक प्रोग्राम्स हैं, उसके द्वारा भी काफी काम करने की कोशिश की है, इसके अन्तर्गत भी 2100 गांव जोड़े हैं और उसके आधार पर जो हमने टाइम टेबिल बनाया है, उसके हिसाब से 2010 तक एक हजार के ऊपर की आबादी वाले गांव जुड़ जायं, यह कोशिश की है ।

मान्यवर, एक योजना नहर पटरी मार्ग की है, इसके माध्यम से भी हम गांवों को जोड़ रहे हैं । वर्ष 1997-98 में 1023 किमी० नहर पटरियों में से 850 किमी० लोक निर्माण विभाग के माध्यम से जोड़ा गया है और यह लेपन स्तर तक तैयार हो गया है । 802 किलोमीटर लम्बाई की सड़कें हैं, इस पर काम तेजी से चल रहा है, चौथी योजना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगरीय सुधार योजना है । मान्यवर, नगरों की हालत बहुत बुरी है और इस महापुरुष के नाम पर इस योजना का नाम रखा है, जिसने सदैव निर्माण का कार्य किया है । इस के लिये 15 करोड़ 7 लाख और 54 हजार रुपया दिया गया है । इस बार 5 करोड़ दिया गया है, इस प्रकार से लगभग 20 करोड़ रुपये प्रावधानित किये गये हैं । मान्यवर, 14 नगरों में काम शुरू भी हो गया है । श्रीमन्, 31 नगरों को और लिया गया है । मान्यवर, 6 राज्य मार्गों को राष्ट्रीय मार्गों में परिवर्तित करने का अनुमोदन किया गया है । इन सभी मार्गों की लम्बाई 1047 कि०मी० है, ये मार्ग हैं—

1—अम्बाला से हरिद्वार राष्ट्रीय मार्ग, मार्ग सं०–72
2—रुड़की पचकोला राष्ट्रीय मार्ग, मार्ग सं०–73
3—हरिद्वार से बरेली, मार्ग सं०–74
4—ग्वालियर से रींवा, मार्ग सं०–75
5—शिवपुरी–मिर्जापुर राष्ट्रीय मार्ग, मार्ग सं०–76
6—लखनऊ के चारों ओर रिंग रोड ।

मान्यवर, एक और नई योजना बनाई है। प्रदेश के जो मुख्य मार्ग हैं उन पर जो बड़े-बड़े नगर हैं वहां पर बाई पास बनाने की योजना है। इसके लिये जैसे ही संसाधन प्राप्त हो जायेंगे इसको पूरा करा दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त एक लेन वाले जो राजमार्ग हैं उनको भी चौड़ा करने की योजना है जो प्रमुख जिला मार्ग हैं उनको चौड़ा किया जायेगा। इस पर मुख्य मंत्री जी की भी सहमति प्राप्त हो गयी है। मान्यवर, सड़कों के दोनों तरफ खड़ंजा लगाने की भी योजना है जिससे सड़कें चौड़ी हो सकेंगी। इसके लिये 10 करोड़ रुपया रखा गया है। इसी तरह से 6 राज मार्गों के चौड़ा करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। यह राजमार्ग हैं—

1—लम्बिनी–दुग्धी मार्ग, संख्या–5

2—गढ़मुक्तेश्वर–सोनपत मार्ग, संख्या–14

3—पलवल–टप्पल–अलीगढ़ मार्ग, संख्या–22–ए

4—कानपुर–हमीरपुर–कबरई मार्ग, संख्या–17

5—लखनऊ–बलिया मार्ग, संख्या–34

6—इलाहाबाद–गोरखपुर मार्ग, संख्या–7

मान्यवर, इसी प्रकार से जिला सेक्टर के माध्यम से हमने कोशिश की है जो भी गांव प्रमुख राजमार्गों से नहीं जुड़े हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर जोड़ा जाय। इस प्रकार से 1998-99 में 300.08 करोड़ रुपया प्राविधानित किया गया है और 1999–2000 में 304.21 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। मान्यवर, 1998-99 में जो अम्बेडकर गांव थे उन्हें सम्पर्क मार्गों से जोड़ा गया है। मान्यवर, 1998-99 में 19392 गांवों को अम्बेडकर गांवों के रूप में चयन किया जा चुका है और मार्ग, 98 तक 9129 ग्रामों को सड़कों से जोड़ा जा चुका है। मान्यवर, लखनऊ प्रदेश की राजधानी है और यह प्रधान मंत्री का संसदीय क्षेत्र भी है इसमें सम्पर्क मार्गों के सुधार और चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है और उसके लिये 49 करोड़ 50 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है और काम भी तेजी से चल रहा है। काम भी इस संबंध में तेजी से चल रहा है जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उस पर भी बाई पास बने हैं उसमें सीतापुर बाई पास तैयार हो गया है, थोड़ा रह गया है वह भी जून तक तैयार हो जायेगा, शाहजहांपुर बाई पास एक दो महीने में तैयार हो जायेगा। फैजाबाद बाई पास भी तैयार हो गया है, हापुड़ बाई पास भी शुरू हो जायेगा। मुरादाबाद बाई पास की प्रक्रिया शुरू हो गयी है। बस्ती बाई पास की शिकायत आयी थी कि उसकी स्वीकृति नहीं मिल रही है। तो भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं हो रही थी उसको भी भारत सरकार ने अप्रूवल प्राप्त हो गयी है तो वहां पर भी कार्य प्रारम्भ हो जायेगा जहां सड़कों की दृष्टि से मैंने यहां बात रखी वहीं पुलों की दृष्टि से भी काम महत्वपूर्ण है पुल के लिये भी हमारे सम्मानित मित्र टाण्डा पुल के बारे में कहेंगे तो मैं बताना चाहता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश का नक्शा पुलों के संबंध में हमने सामने रखा है। बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जहां मार्ग तो बने हुए हैं लेकिन बीच में नदी पड़ने के कारण वह मार्ग जुड़ नहीं सके हैं तो जिलों को जोड़ने का काम भी हमने किया है पुल बन कर लोगों को दिलों को जोड़ने का प्रयास हम कर रहे हैं।

बहुत सारे पुलों का निर्माण करेंगे, सम्मानित विधायकों से भी अनुरोध है कि 50 करोड़ से नीचे के लागत के जो पुल हैं उन्हें अपनी संस्तुति हमें दें उनकी नाबार्ड के जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने हम से कहा है कि जितने प्रोजेक्ट आप बतायेंगे नाबार्ड के माध्यम से स्वीकार करने का प्रयास करेंगे। हमने गांवों को भी सेतु से जोड़ने का काम किया है। हमने 155 सेतु बनाने का प्रोजेक्ट बनाकर नाबार्ड को भेजा है। प्रसन्नता की बात है कि 78 सेतु स्वीकार हो गये हैं। मुझे विश्वास है कि बाकी भी स्वीकृत हो जायेंगे। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी जो हमारा सेतु निगम है उसने 75 करोड़ के निविदा कार्य पूरे किये

हैं । इस वर्ष हमारा रिकार्ड है 135 पुल बनाकर सेतु निगम ने देने की बात नहीं है । सेतु निगम ने 100–104 सेतु बनाने की क्षमता अपनी बतायी है तो जितने सेतु हैं वह निश्चित रूप से बनकर तैयार होंगे । जो हमारे सेतु निर्माण होंगे उनमें राष्ट्रीय मार्ग 24 के कि०मी० 60 में काली नदी पर, दूसरा राष्ट्रीय मार्ग 24 के कि०मी० 24 के कि०मी० 327 शाहजहांपुर बाईपास में गर्रा नदी पर सेतु तैयार हो जायेगा । हमने दिल्ली आगरा के हरियाणा उत्तर प्रदेश बार्डर से मथुरा प्रभाग को 4 लेन चौड़ा किये जाने कार्य रुपये 78.62 करोड़ की लागत से पूर्ण किया जा चुका है । दिल्ली आगरा के मथुरा से आगरा 51.33 कि०मी० भाग को 4 लेन चौड़ा करने का कार्य प्रगति पर है जिसकी प्रगति 62 प्रतिशत हो चुकी है तथा दिसम्बर, 99 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है । इसकी लागत 125.75 करोड़ है । मान्यवर, इलाहाबाद में राष्ट्रीय मार्ग सं० 27 पर नैनी के समीप यमुना नदी पर सेतु निर्माण प्रगति पर है । इस सेतु की लम्बाई 11.20 मीटर है तथा इसकी प्रक्रिया प्रारम्भ हो गयी है । दिल्ली बरेली लखनऊ राष्ट्रीय मार्ग सं० 24 के गाजियाबाद से हापुड़ 21 कि०मी० के भाग को 4 लेन चौड़ा करने की योजना तैयार हो गयी है । मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि ऐशियन विकास बैंक द्वारा वर्ष 1991 में स्वीकृत वाराणसी शक्ति नगर मार्ग की कुल लम्बाई 183 किलोमीटर में से दिसम्बर 1998 तक सुधरीकरण एवं चौड़ीकरण का कार्य किया जा चुका है । इसी तरह से रिहन्द नदी पर वृहत् सेतु का निर्माण जून, 1999 तक पूरा किया जाने का लक्ष्य रखा है । विश्व बैंकी की मदद से स्टेट रोड प्रोजेक्ट–2 के अन्तर्गत एक हजार किलोमीटर मार्ग के उच्चीकरण एवं दो हजार पांच सौ किलोमीटर लम्बाई के मार्ग का रख-रखाव करने हेतु 2650 करोड़ रुपये की लागत से ऋण लेने की कार्यवाही की जा रही है । विश्व बैंक से स्वीकृत मिल चुकी है कंसल्टेन्सी की दृष्टि से जो फर्में हैं उनके मानक के अनुसार काम कर रहे हैं । और निरीक्षण करना शुरू कर दिया गया है । मान्यवर, प्रदेश के बहुत बड़े भूभाग में ऊसर को सुधार कर कृषि योग्य भूमि बनाने हेतु सतत् कार्यवाही चल रही है जिसके अन्तर्गत हमारा विभाग मार्गों का निर्माण कर रहा है । सोडिक लैण्ड फेज–2 एक हजार से ऊपर आबादी वाले गांव जिनमें सोडिक लैण्ड की कंडीशन है पक्के मार्ग से जिनगांव की दूरी दो किलोमीटर से अधिक है इन गांव को विश्व बैंक की सहायता से सम्पर्क मार्गों से जोड़ा जा रहा है । 9 जनपदों को ऊसर सुधार के लिये चयन किया गया है जिसमें 700 किमी० सड़कें बनाई जायेंगी मान्यवर, इसी तरह से यू०पी०डी०एस०पी० फेज एक योजना में 10 जनपदों को लिया गया है जिनमें 850 किमी० लम्बाई के मार्ग 104 करोड़ रुपये की लागत से बनाये जायेंगे । इसी तरह से यू० पी० डी० ए० एस० पी० फेज दो में 11 जनपदों को लिया गया है जिनमें 750 किमी० सड़कें बनाने का लक्ष्य रखा गया है । इससे मार्गों का चयन किया जा रहा है और इस वर्ष 100 किमी० सड़कें बनाने का लक्ष्य रखा गया है । औद्योगिक क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधायें का विस्तार किया जा रहा है इसके अन्तर्गत औरैया में गैस अथारिटी आफ इंडिया का कार्य, जनपद बुलन्दशहर में अगौता सुगर एण्ड केमिकल्स का कार्य और मथुरा में मेसर्स विजय केमिकल्स इंडिया लि० तथा ए टी वी पेट्रोकेमिकल्स लि० पोशी कला का कार्य तथा जनपद मुरादाबाद में नेशनल न्यूज पेपर मिल कार्य किया जा रहा है । लखनऊ में चिनहट में स्थित टेल्को से चिनहट की ओर पांच किमी० मार्ग तथा सुल्तानपुर में गौरीगंज अमेठी रोड पर दो किमी० मार्ग का विस्तार एवं चौड़ीकरण के कार्यों को स्वीकृति प्रदान की है । मान्यवर, इसी तरह से ताज ट्रेपिजियम योजना को ताजमहल प्रदूषण से बचाने के लिये चलाया गया है । जिससे राष्ट्रीय मार्ग संख्या 2 व 3 के मध्य एक बाई पास बनाया जायेगा । झांसी सेक्शन से क्रासिंग सं० 461 सी तथा आगरा से दिल्ली सेक्सन से क्रासिंग सं० 509/सी तथा आगरा से अचनेरा सेक्सन में क्रासिंग संख्या 11 सी पर 72.14 करोड़ लागत से बाई पास शुरू हो गया है । मान्यवर, जिस ढंग की गुणवत्ता होनी चाहिए उसकी व्यवस्था की गयी है, जैसा कि एक माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया था गुणवत्ता पर, मान्यवर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, इंजीनियर इन चीफ और चीफ इंजीनियर के ऊपर मानीटरिंग की व्यवस्था डाली गयी है यदि गुणवत्ता में कमी होगी तो अधीक्षण अभियन्ता और मुख्य अभियन्ता की जिम्मेदारी होगी । मान्यवर, निर्माण कार्यों में गुणवत्ता के वही मानक होंगे जो इंडियन रोड कांग्रेस एवं

भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित किये होंगे । हमारा काम ठीक से हो रहा है, हमारे कामों में पारदर्शिता है इसको दिखाने की कोशिश की है जो हम निर्माण कार्य, नवीनीकरण का कार्य और सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का कार्य कर रहे हैं उसके लिये सड़कों के किनारे बोर्ड लगाकर उसमें लिखवा रहे हैं कि अमुक किलोमीटर से अमुक किलोमीटर सड़क को गड्ढा मुक्त किया गया है और निर्माण या नवीनीकरण किया गया है । इन कामों को जनप्रतिनिधि और जनता जब बोर्ड पर अंकित देखेगी और अगर कोई शिकायत है तो वह शिकायत करेगी जिससे कार्य में सुधार होगा । मान्यवर, हमारा सेतु निगम बहुत अच्छा काम कर रहा है । इसकी विश्वसनीयता है, इसने देश, प्रदेश व दूसरे देशों में कार्य किया है । उड़ीसा, जम्मू काश्मीर, बम्बई, दिल्ली में कार्य किये हैं और लाभ अर्जित किया जा रहा है । इसी तरह से हमारा निर्माण निगम भी अच्छा काम कर रहा है और बाहर के प्रदेशों में भी काम कर रहा है । नेपाल में धरास में यह कार्य कर रहा है और इसकी भी विश्वसनीयता स्थापित है । सेतु निगम तथा निर्माण निगम ने हमारे विभाग का गौरव बढ़ाया है । इनमें जहां पर कोई कमी की शिकायत पायी जाती है तो जांच करके कार्यवाही की जाती है । आज लोक निर्माण विभाग द्वारा जो कार्य किये जा रहे हैं आमतौर पर लोगों में उससे विश्वसनीयता बनी है अगर कहीं कोई गड़बड़ी है तो उसकी जानकारी होने पर ठीक कर देंगे । हम लोगों में काम करने की मानसिकता बढ़ा रहे हैं उसके लिये जो हमारे इंजीनियर और अन्य कर्मचारी हैं उनमें स्टोनेंसी को खत्म करने की कोशिश की गई है और उनको समय से प्रोन्नत की व्यवस्था की गयी है ताकि उनमें काम करने में लगाव हो सके । मान्यवर, मैं अपने विभाग में जो सुधार हो सकता है उसको करने का प्रयत्न करूंगा इसलिए यह सारी चीजें प्रस्तुत करते हुए मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि जो मुख्य काम किये गये हैं उनका मैंने वर्णन किया है । मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि इसको विनम्रतापूर्वक स्वीकृति प्रदान करें और जो सुझाव आप देंगे उनको आपके सहयोग से पूरा करूंगा। इस अपेक्षा के साथ मैं लोक निर्माण विभाग का बजट यथावत् प्रस्तुत करता हूं ।

* श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–44 पर्यटन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–54 लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–55 लोक निर्माण विभाग (भवन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–58 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

---

* वक्ता ने भाषण का पनवीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–59 लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–86 सूचना विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने पर्यटन और लोक निर्माण विभाग का बजट प्रस्तुत करते हुए विस्तार से चर्चा करने का प्रयास किया । मंत्री जी ने अपने विद्वतापूर्ण भाषण में यह प्रयास किया है कि पर्यटन विभाग इस प्रदेश में बहुत कुछ कर रहा है । वास्तव में हमारे प्रदेश के विकास के लिये पर्यटन का विकास एक आवश्यक अंग है । यदि हम पर्यटन विभाग को विकसित करके इस कार्य में सफल हो जाते हैं कि हम विदेशी और देशी पर्यटकों को उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा संख्या में ला सकें तो निश्चित रूप से जो वित्तीय संसाधन की तमाम कमियां नजर आती हैं, उसको पूरा करके इस प्रदेश के विकास को भी आगे ले जा सकते हैं । दुनिया में बहुत से देश ऐसे हैं जिनकी आय का स्रोत मात्र पर्यटन है और वह पर्यटन के माध्यम से ही सारी आय अर्जित करके सारी सुख-सुविधायें अर्जित करने का काम करते हैं। माननीय मंत्री जी ने अपने सम्बोधन के दौरान जिक्र किया जम्मू काश्मीर का । जम्मू काश्मीर एक ऐसा राज्य है, कुछ दिनों से ऐसी परिस्थितियां नहीं रही लेकिन इसके पहले जम्मू काश्मीर को पर्यटन के माध्यम से काफी आगे ले जाने का काम किया । माननीय मंत्री जी ने पर्यटन विभाग का जो बजट रखा है उसमें उन्होंने जो पैसा रखने का काम किया उस पर चर्चा करना चाहता हूं । पर्यटन विभाग का वर्ष 1999–2000 का कुल बजट करीब 96 करोड़ रुपये का है । मान्यवर, केवल इतने बजट के माध्यम से निश्चित रूप से मेरा यह मानना है कि पर्यटन का विकास केवल धन से नहीं हो सकता । पर्यटन का विकास पर्यटन की संस्कृति पैदा करने से होगा । हम विभिन्न ऐतिहासिक और धार्मिक दर्शनीय स्थलों का विकास करके और लोगों को जानकारी देकर पर्यटन की संस्कृति पैदा करें जिससे विदेशी और देशी जो पर्यटक हैं वह आकर्षित होकर हमारे प्रदेश में आ सकें । इस दिशा में जो हमारे प्रदेश की सबसे ज्यादा आय का स्रोत हो सकता है जिससे विदेशी पर्यटक सबसे ज्यादा सम्मोहित हैं वह है बौद्ध धर्मस्थली । सारनाथ, कपिलवस्तु, कुशीनगर, श्रावस्ती आदि जो धार्मिक स्थान हैं उसका जनक उत्तर प्रदेश है । अगर हम इन स्थलों का विकास करेंगे तो निश्चित रूप से जापान, थाइलैंड, चीन और श्रीलंका के जो यात्री हैं, वह हमारे देश में आयेंगे । इससे सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा अर्जित हो सके । इस बात से कष्ट जरूर है कि जो मायावती जी के जमाने में पर्यटन स्थलों का निर्माण कार्य शुरू किया गया था विशेष रूप से कपिलवस्तु की तरफ मैं ले जाना चाहता हूं कपिलवस्तु के निर्माण के लिये जितनी भी योजनाएं शुरू की गई थीं आज सारी की सारी ठप्प हो गयी हैं । इसी तरह से श्रावस्ती, कुशीनगर, कौशाम्बी के विकास के लिये जो योजनाएं शुरू की गयी थीं, वह बन्द कर दी गयी । निश्चित रूप से बौद्ध सम्मेलन कराने का काम जरूर किया है । लेकिन जो विकास योजना इन जगहों के लिये की गई थीं उनको विकसित नहीं किया जाएगा तो पर्यटक यहां आकर्षित नहीं हो सकेंगे । उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अम्बेडकर पार्क बनाया गया था इसको मंत्री जी ने 1997-98 का बजट जब प्रस्तुत किया था तो उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया था कि हम अम्बेडकर पार्क को बनाकर पर्यटन की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम उठाने जा रहे हैं ।

इससे यहां पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी । यह नजरिया मंत्री जी का 1997-98 के इनके भाषण में था आश्चर्य है अब वह नजरिया बदल गया है उन्होंने जो अम्बेडकर पार्क को दर्शनीय बनाने का आश्वासन दिया था ताकि जो पर्यटक लखनऊ में आयें उनको यहां के दर्शनीय दृश्य देखने को मिले । क्योंकि सारनाथ, कपिल वस्तु, श्रावस्ती, कुशीनगर आदि जगहों पर पर्यटक जब जाते थे वह

राजधानी लखनऊ आते थे लेकिन अम्बेडकर पार्क को अब बाहर से देखने से ऐसा लगता है कि इस देश में कोई अच्छा स्थान है लेकिन इमारतें वहां जो बन रही थी वह ठप्प हैं, इससे संकेत जाता है कि हम पर्यटन को राजनीति की दृष्टि से देखते हैं। अगर अम्बेडकर के नाम पर बनने वाला पार्क यह बन जाएगा तो इससे बहुजन समाज पार्टी को कोई लाभ न हो जाए इसलिए उस कार्य को ठप करने का काम किया गया है। इसी प्रकार हमारा दूसरा आकर्षण का केन्द्र ताज है जो दुनिया का आश्चर्य माना जाता है। जहां विदेशी पर्यटक बहुत आते हैं, लेकिन वहां पर हमने पर्यटन संस्कृति डेवलप नहीं की है जिसके कारण विदेशी पर्यटक दिल्ली से लक्जरी बस में आता है वहां पर ताज को देखने के बाद वह दिल्ली लौट जाता है आगरा में रात को नहीं रुकते हैं हम आगरा में इस तरह की व्यवस्था करें कि पर्यटक रात को रुकें। पर्यटन के विकास में कानूनी व्यवस्था महत्वपूर्ण स्थान रखती है। मंत्री जी ने जो पर्यटन पुलिस के गठन की बात की है यह स्वागत यीग्य कदम है। कोई भी पर्यटक चाहे वह विदेशी हो या हमारे देश का स्वच्छन्द घूमना चाहते हैं, वह चाहते हैं कि वहां सुरक्षा हो, वह अपनी सुरक्षा के लिये परेशान रहते हैं। हम अगर बद्रीनाथ, केदार नाथ, बनारस या जितने भी दर्शनीय स्थल हैं वहां जाते हैं तो वहां ऐसे लोग लग जाते हैं जो हमें ठगना चाहते हैं इसलिये इस बात की आवश्यकता है कि हमारे यात्रियों को ठगा न जाय। पर्यटक पुलिस या इस तरह की कोई व्यवस्था होनी चाहिए जो यात्रियों को सुरक्षा के साथ ही साथ गाइड भी करे। माननीय मंत्री जी ने बताया कि हमें 5 हजार 700 करोड़ रुपया का लाभ होगा, मैं तो कहता हूं कि यदि इस दिशा में सही कदम उठाये गये तो यह लाभ 1 लाख करोड़ तक हो सकता है। मेरा एक सुझाव है कि पर्यटन को राजनीति का विषय न बनाया जाय। इस प्रदेश की बहबूदी तथा खुशहाली के लिये निष्पक्ष भाव से आगे बढ़ना चाहिए। माननीय मंत्री जी ने 10 परिपथों के गठन की बात कही। लोक निर्माण विभाग और पर्यटन विभाग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पर्यटक सड़क द्वारा आता है परन्तु आज सड़कों की क्या हालत है। जिस प्रकार समुद्र में लहरें आती हैं, उसी प्रकार जब यात्री कार, जीप तथा बस से सड़क द्वारा आता है तो वह लहर खाते हुए आता है और उसे परेशानी होती है। केवल 10 परिपथों को अभिसूचित कर देने मात्र से कुछ होने वाला नहीं है, इनके बारे में आप कुछ करें। तभी इससे लाभ होने वाला है। पर्यटन की दृष्टि से आपने विन्ध्य परिपथ बनाया। विन्ध्य परिपथ तथा लुम्बनी को जोड़ने वाले परिपथ की तरफ आपका ध्यान नहीं गया। जहां एक ओर विन्ध्य परिपथ हमारी संस्कृति का केन्द्र बिन्दु है, वहीं दूसरी तरफ लुम्बनी महात्मा भगवान बुद्ध जी की जन्मस्थली है। क्या इसको जोड़ने वाले परिपथ के सुधार के बारे में आपने कोई कदम उठाया। जहां आपने 10 परिपथों को अभिसूचित किया है, उसमें इस परिपथ को भी सम्मिलित कर दिया जाय और उसी दृष्टि से उसका विकास किया जाय। अगर कोई व्यक्ति विन्ध्य जाता है तो वह वहां आयेगा, अगर वह लुम्बनी जाना चाहता है तो वह वहां जायेगा, श्रावस्ती जायेगा। निश्चित रूप से इस परिपथ से जाने में यात्रियों कों काफी सुविधा होगी और पर्यटन का विकास होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूं कि हमें पर्यटक स्थलों का विकास करना चाहिए, इससे प्रदेश का भी विकास होगा।

मान्यवर, अब मैं लोक निर्माण विभाग के बारे में अपनी बात कहना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने तमाम बहुआयामी योजनाओं का जिक्र किया। आज किसी भी प्रदेश के विकास की दिशा में सड़कों का अस्तित्व का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। आज हमारे सड़कों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। जब तक सड़कों की स्थिति ठीक नहीं होगी तब तक औद्योगिक विकास नहीं हो सकता है। जो उद्यमी पूंजी निवेश करेंगे वह तभी प्रदेश की तरफ आकर्षित होंगे जब मार्गों की अच्छी सुविधा होगी। 1951 में जब हमें आजादी मिली तो उस समय प्रदेश में 3 लाख वाहन थे और आज लगभग 300 लाख वाहन हो गये हैं। आजादी के समय सड़क 15113 कि०मी० की थी और आज वह 1 लाख 17 हजार 546 कि०मी० हो गई हैं। इन सब सड़कों को जोड़ दिया जाय तो 1 लाख 46 हजार कि०मी० की सड़कें हमारे प्रदेश में है। जहां वाहनों की संख्या में 100 गुने की वृद्धि हुई वहीं सड़कों की संख्या में

8 गुना वृद्धि हुई । यह इस बात का परिचायक है कि हमने बहुत अधिक तरक्की नहीं की । दूसरी तरफ जब हम भारत की तुलना में अपने को देखने क़ा काम करते हैं । भारत में प्रति लाख जन पर जोऔसत सड़क है 284.10 कि०मी० है जब कि उत्तर प्रदेश में वह औसत केवल 170.80 किमी० है । हम जब दूसरे प्रान्तों की तुलना में अपनी तुलना करते हैं तो उत्तर प्रदेश में 1,17,586 किमी० पक्की सड़कें हैं । मध्य प्रदेश में 1,27,308 किमी०, तमिलनाडु में 1,38,472 किमी० और महाराष्ट्र में 1,66,324 किमी० है । ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क की स्थिति के बारे में यह है । मान्यवर, हमारे प्रदेश में 1,12,803 आबाद गांव हैं । इन आबाद गांवों में पुरवा को छोड़ दें एक आध गांव ऐसे हैं जिसमें 10–12 पुरवे भी हैं । इस तरह से हमारे प्रदेश में जो अभी तक 58,565 गांव सड़कों के माध्यम से जुड़े हैं । उसमें से कुछ ऐसे हैं कि अगर सड़क गांव के किसी भी छोर पर पहुंच गई तो उसे सड़क से जुड़ा हुआ मान लेते हैं । गांव के बड़े सेबड़े पुरवे सड़कों से नहीं जुड़े हैं । अगर इनकी संख्या को जोड़ लें तो हमारे प्रदेश की एक चौथाई गांव भी पूरी तरह सड़कों से नहीं जुड़े हैं । हरियाणा, पंजाब ऐसे प्रान्त हैं जहां कोई भी एक ऐसा गांव नहीं है जो सड़कों से न जुड़ा हो । पक्की और लेपन की स्थिति की सड़कों से न जुड़ा हो । मंत्री जी का बड़ा सौभाग्य रहा है कि वह तीसरी बार यह बजट प्रस्तुत कर रहे हैं । बहुत दिनों के बाद किसी भी मंत्री के द्वारा लगातार तीसरा बजट प्रस्तुत करने का 1989 के बाद यह पहला अवसर है । 1989 के बाद से जब यह तीसरा बजट प्रस्तुत कर रहे हैं तब भी पिछले सालों का ही रोना रो रहे हैं । कोई तरक्की नहीं की है इन तीन सालों के बीच । सड़क नीति की बात कहकर क्या योगदान साबित करना चाहते हैं । किसी चीज की नीति बना देने मात्र से समस्या का समाधान हो जाय तो हम सब बैठकर नीतियां ही बनाया करें । उस नीति से कोई समाधान नहीं होगा । नीति के साथ नीयत की भी आवश्यकता हैं । हम किस तरह से प्रदेश को आगे ले जाना चाहते हैं । मान्यवर, आप कुछ देख रहे हैं । कितना समय आप और देंगे बोलने के लिये ? मान्यबर, मैं जिक्र कर रहा था कि हमारी नीति के साथ-साथ नीयत भी होनी चाहिए। 85 में माननीय मंत्री जी कह रहे थे भारतीय सड़क नीति लखनऊ प्लान नाम से 20 वर्षीय महत्वाकांक्षी योजना बनी थी । जिस तरह से माननीय मंत्री जी सड़क नीति की घोषणा कर रहे हैं उसी तरह से लखनऊ प्लान से योजना बनाई गई थी जिसमें निर्णय लिया था कि 2001 तक सड़कों का जाल बिछाना है । उसमें निर्णय लिया गया था कि 5,888 किमी० राष्ट्रीय मार्ग बनना है और उसके सापेक्ष 31-3-98 तक 3 हजार राष्ट्रीय मार्ग थे । इस समय बताया कि 4 हजार पर पहुंच गये हैं । उसी तरह से राज्य मार्गों के बारे में कल्पना थी 35,300 किमी० तक आज 9,494 किमी० राज्य मार्ग हैं । इस दिशा में एक इन्च भी बढ़ने का काम 3 वर्षों के बाद भी नहीं हुआ । प्रमुख जिला मार्ग 59,300 किमी० और उसके सापेक्ष 8,876 किमी० और ग्रामीण मार्ग 25,04,662 किमी० का लक्ष्य था उसके सापेक्ष 68,636 किमी० इस तरह से कुल योग 3,55,160 किमी० का था । 1,17,584 किमी० हम उसका पूरा कर पाये हैं । इस तरह से मैंने बताया कि लखनऊ प्लान का जो लक्ष्य था उसके सापेक्ष हमारी स्थिति कहां पहुंची है । इसी तरह से माननीय मंत्री जी ने एक सड़क नीति बनाई है । यह सड़क नीति हमारे सामने है उसमें बड़ी अच्छी-अच्छी बातें लिखी गई हैं । हम किस तरह से प्रदेश में सड़कों का जाल बिछायेंगे । इसके संबंध में मंत्री जी ने बजट भाषण में कहा कि प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाने का काम हम कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले नहर की पटरियों को पक्का किया जाना बताया है और कहा है कि एक हजार किमी० नहर की पटरी को पक्का किया जायेगा । मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि बजट साहित्य में मैंने पढ़ा तो पाया कि इसके लिये केवल 9 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है । मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि एक किमी० बनाने में 7 लाख से 8 लाख 35 हजार रुपये तक खर्च होता है तो जो धन की व्यवस्था 9 करोड़ रुपये की गयी है उससे एक हजार किमी० नहर की पटरी को कैसे पक्का किया जा सकेगा । मान्यवर, एक हजार किमी० नहर की पटरी को पक्का किये जाने में इस तरह से 70 करोड़ की जरूरत थी जबकि 9 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है इसलिये इसमें यह काम पूरा नहीं हो सकेगा ।

मान्यवर, इसी तरह से जिला सेक्टर में 15 सौ गांवों को जोड़ने की बात बजट में कही गयी है। मान्यवर, बजट साहित्य को मैंने पढ़ा तो पाया कि नई मदों में जो दिया गया है उसमें जिला सेक्टर में दो बार और एक बार विभिन्न जनपदों में जिला योजनाओं के संबंध में धनराशि की व्यवस्था 30 करोड़ रुपये की गयी है। मान्यवर, बजट साहित्य में देखें तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग में पूंजीगत व्यय के लिये 30 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है और दूसरी तरफ जिला सेक्टर में निर्माण हेतु 30 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। इस तरह से मात्र 60 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है तो इससे 15 सौ गांवों को जोड़ने का जो लक्ष्य निर्धारित किया है मैं नहीं समझता हूं कि यह काम कैसे होगा ? मान्यवर, पिछली बार इस संबंध में 236 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी थी किन्तु इस बार उसे घटाकर केवल 20 करोड़ रुपया किया गया है। इस प्रकार हमारा लक्ष्य पिछले साल से भी घट गया है।

मान्यवर, आप देखें तो सड़क निधि में यदि हम सौ करोड़ रुपये मान लें तो जो 20 करोड़ रुपये की बजट में व्यवस्था किया है उसे गिलाकर कुल 120 करोड़ रुपया होता है तो इससे कैसे काम चलेगा।

मान्यवर, इसी तरह से हमने देखा है कि 6 सड़कों को सरकार ने सिंगिल लेन से डबुल लेन बनाने का काम किया जा रहा है इसमें कुल 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है जबकि इन 6 सड़कों में 452 कि०मी० की तो एक सड़क है और यदि इन सभी सड़कों को मिला लें तो दो-तीन हजार कि०मी० की लम्बाई से कम नहीं होगी जिन्हें डबुल लेन बनाने में 10 करोड़ रुपये की जो व्यवस्था की गयी है उससे काम चलने वाला नहीं है।

मान्यवर, इस तरह से सड़कों के लिये धन की व्यवस्था की दृष्टि से जो बताया गया है और जो सड़क निधि के संबंध में कहा गया है उससे प्रदेश में जो व्यवस्था सड़क की इस बजट में की गयी है उसमें कुल 1798 करोड़ रुपये का व्यय रखा गया है जो कुल परिव्यय का 4.07 प्रतिशत होता है। इसमें इतने बड़े विस्तार में पहले प्रदेश की सड़कों को आप अच्छी बनाना चाहते हैं लेकिन सड़कों की जो हालत है उसे ठीक करने में सौ करोड़ रुपये तो सड़क निधि से प्राप्त होगा और उससे आप सड़कों के अनुरक्षण का काम करेंगे। आप जौनपुर लुम्बनी की तरफ चलें राष्ट्रीय मार्ग को छोड़कर लखनऊ इलाहाबाद के मार्ग को छोड़कर प्रदेश की किसी सड़क पर चलिये तो मैं इस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता हूं लेकिन गर्भवती महिला को कार पर बैठाकर ले जाएं या नहीं इस पर विचार करना पड़ता है। इस तरह से सड़कों की स्थिति सुधर रही है। 100 करोड़ रुपये में जो गड्ढा मुक्त करने का जो प्लान बनाया है आप सारी सड़कों पर जावें माननीय मंत्री जी प्रतापगढ़ से इलाहाबाद के बीच में.....

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें।

श्री लालजी वर्मा–

कितना समय आप देंगे ? माननीय मंत्री जी ने करीब डेढ़ दो घंटा भाषण दिया। मैंने 6 बजे से बोलना शुरू किया है और अब 6.20 हुआ है।

श्री अधिष्ठाता–

5.48 से बोल रहे हैं।

श्री लालजी वर्मा–

मैं अनुशासित सिपाही हूं जब आपको लगे अनर्गल बात कर रहा हूं तो मैं बैठ जाऊंगा।

मान्यवर, यह गड्ढामुक्त सड़कों की बात करते हैं वह गड्ढामुक्त नहीं हो पा रही है मंत्री जी की नीयत है, अच्छा बोलते हैं, यह सड़क को ठीक कराना चाहते हैं तो जैसा मैंने जिक्र किया सबसे महत्वपूर्ण सड़कों का जिक्र किया सुल्तानपुर इलाहाबाद के मार्ग को ले लें 4 जून, 1997 को मया से टांडा मार्ग जो है इसके संबंध में मंत्री जी ने हाउस में कहा था कि इसको चौड़ा करायेंगे, लेकिन चौड़ा नहीं कराया गया इस पर आये दिन एक्सीडेंट होते हैं इस मार्ग की चौड़ाई कम है। इलाहाबाद, सुल्तानपुर से प्रतापगढ़ जाइये तो पता नहीं लगता गड्ढे में चल रहे हैं या सड़क पर चल रहे हैं। जौनपुर जाइए अकबरपुर में इनकी रिश्तेदारी है मेरे जिले में माननीय मंत्री जी का संबंध है अकबरपुर से जौनपुर की तरफ चलते हैं तो आप बता दें आपकी गाड़ी की स्पीड क्या होती है ? आपको गाड़ी की स्पीड कितनी रखनी पड़ती है सड़क पर जैसे हिलोरे आते हैं जिस तरह से समुद्र में लहरों के हिलोरे आते हैं उसी तरह से सड़क पर चलने से गड्ढों की वजह से हिलोरे आते हैं तो इसको सुधारने के लिये क्या कदम उठाए हैं। यह बजट साहित्य में नहीं मिला। गड्ढा मुक्त के लिये प्रयास किया गया लेकिन सारे सड़क निर्माण के संबंध में, सड़क नीति में यह निर्णय ले रहे हैं कि सारे सड़कों के काम आर० ई० एस० से करायेंगे। इतना बड़ा लोड, दबाव तमाम कर्मचारियों वर्कचार्ज, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं उसमें यह निर्णय लिया जा रहा है कि सारे काम इसी तरह हों। हमारे जिले में जिला योजना के अन्तर्गत 1991 में दो मार्ग स्वीकृत हुए केदारनगर और बरुआ, जिला टांडा में, आठ साल के अन्दर वह मार्ग पूरा नहीं हुआ है लोक निर्माण की स्थिति यह है पैसा देते हैं पैसे के बल पर सड़क बनाते हैं आपके पास इतना दबाव है उसके कारण कार्य नहीं हो पाते हैं। पैसे की आवश्यकता बढ़ जाती है आप कहते हैं सारे कार्य आर० ई० एस० और पी० डब्लू० डी० से करायेंगे। जो पूर्वांचल योजना, जवाहर योजना आदि सड़कें बन रही हैं वह प्रभावित होंगी नाबार्ड से लोन लेने का काम करें नाबार्ड से वित्त पोषित योजनायें बनाई जा रही है 825 करोड़ स्वीकार हो गया है। 1493.35 सड़कें थीं और इसमें 104.31 करोड़ रुपया स्वीकृत हुआ। इसके सापेक्ष 41.32 करोड़ रुपया आवंटित किया गया। इतना बड़ा वर्क लोड बढ़ रहा है तो निश्चित रूप से देखना पड़ेगा, जो आपका स्टाफ है कैसे काम कर पायेंगे और सारी योजनाओं को इसमें परिवर्तित कर रहे हैं। दूसरा आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। आज सबसे ज्यादा आवश्यकता है भ्रष्टाचार पर चोट करने की। आप स्वयं भिज्ञ है कि जो सौ करोड़ रूपया दे रहे हैं सड़क के लिए, 50 करोड़ उसमें खर्च होता है। बाकी का 50 करोड़ कांट्रेक्ट प्राफिट के कमीशन और उसके इर्द-गिर्द खर्च होता है। इस तरह से 50 करोड़ रुपया अगर चला गया तो प्रदेश का विकास कैसे संभव हो पायेगा। इसलिए सबसे ज्यादा इसमें चोट देने की आवश्यकता है। आज माननीय मंत्री जी यदि पूर्णकालिक मंत्री होते, उनके पास पर्यटन विभाग भी है, तो इस पर अंकुश लगा सकते थे। मान्यवर, आज लोक निर्माण में 35 प्रतिशत कमीशन में जा रहा है। तो यह पक्ष और विपक्ष की भावना से ऊपर उठकर सबसे ज्यादा इस बात की आवश्यकता है कि हम लोग जो पैसा देते हैं, मान्यवर, पूर्वांचल विकास निधि नहीं है, इनका विभाग सेन्टेज चार्ज लेता है, लिखित में काट लिया जाता है उसके बाद कमीशन में चला जाता है तो यह चिन्ता की बात है। विशेष रूप से लोक निर्माण विभाग अवस्थापना मद के लिए काम कर रहा है अगर यह कमीशन को सुनिश्चित कर दें कि 5 प्रतिशत, 10 प्रतिशत रहेगा तो इससे प्रदेश को लाभ होगा। इसके लिए पूर्णकालिक मंत्री की आवश्यकता है जो पूरी तरह से विभाग को देखें। मान्यवर, गड्ढा मुक्त में 62 करोड़ रुपया उसमें 30 करोड़ से कहां हो पायेगा। कुछ हद तक राष्ट्रीय मार्ग, राज मार्ग तथा प्रमुख जिला मार्ग पर दिखायी देता है कि यह गड्ढा मुक्त है। लेकिन ग्रामीण मार्ग पर क्या हुआ ? जो दो साल से, तीन साल से, चार साल से, पांच साल से बन गये हैं और एक कोट लेपन हुआ है, दो कोट होना चाहिए वह नहीं हुआ है उसको देखने वाला कोई नहीं है। उसकी सारी गिट्टियां उखड़ चुकी हैं। तो इस दिशा में पहल करनी होगी। वित्तीय अनियमितता को बचाने के लिए इस बात का जिक्र नहीं है कि हम प्रदेश को हाट मिक्स या सीमेन्ट की सड़कों में परिवर्तित करेंगे जिससे आना-जाना संभव हो सके। जो हमारे प्रमुख मार्ग हैं, मैं उदाहरण दूंगा। लुम्बनी

से दुद्धी मार्ग जो 452 किलोमीटर लम्बा है और जो मध्य प्रदेश से नैपाल को जोड़ता है, पर घाघरा नदी पर पुल का निर्माण होना था। 1986 में जब तत्कालीन सरकार थी उस समय 13 करोड़ रुपया स्वीकृत किया गया था। तत्कालीन मुख्य मंत्री वीर बहादुर सिंह जी ने शिलान्यास किया था उसके बाद 1991 में आपने निरस्त कर दिया। एक तरफ तो आप बौद्ध परिपथ की बात करते है दूसरी तरफ घाघरा नदी पर सड़क चौड़ा करने की बात कही जा रही है। आप घाघरा पर बनने वाले पुल की घोषणा करें। मान्यवर 1989-90 में फैजाबाद से इलाहाबाद मार्ग को विश्व बैंक पोषित योजना के अंतर्गत निर्माण कराया गया। मान्यवर फैजाबाद से सुल्तानपुर तक तो वह मार्ग बन गया है इलाहाबाद तक उसका विस्तार होना है। मान्यवर, हमारे यहां जलालपुर में अम्बेडकर ग्राम सेतु पर एक पुल है उस पर 1989 में टोल टैक्स माफ करने की घोषणा की गयी शासनादेश भी हुआ लेकिन अब फिर वह टोल टैक्स वसूला जा रहा है। मान्यवर, हम चाहते हैं कि मार्गों के निर्माण का स्थाई समाधान हो ताकि जनता की आने जाने में सुविधा हो सके। इस साहित्य में कहीं मुझे ऐसा नहीं दिखाई दिया कि आपने स्थायी समाधान का प्राविधान किया हो। मान्यवर, आप नाबार्ड से ऋण लेते जा रहे हैं उस ऋण के बकाये का कहां से आप भुगतान करेंगे इसका बजट में कहीं प्राविधान नहीं किया है। यह भी कहा जाता है कि प्रदेश पर पहले से ही 55 हजार करोड़ का ऋण लदा है। क्या आप प्रदेश को दिवालिया करना चाहते हैं। मान्यवर, पिछले बजट भाषण में यह घोषणा हुई थी कि माननीय विधायक 4 सड़कें 2-2 कि०मी० की देंगे आप उन्हें नाबार्ड से स्वीकृत कराने का काम करेंगे। हमने वह मार्ग के प्रस्ताव दे दिये। यह जो इसमें स्वीकृतियां आयी हैं इसमें 825 सड़कें आयी हैं तमाम क्षेत्र इसमें छूट गये हैं आपने 104.31 करोड़ रु० का प्राविधान किया है। मान्यवर, क्या आप विधायकों को क्षेत्र में पिटवाना चाहते हैं, वह अपने-अपने क्षेत्रों में घोषणा कर चुके हैं। मार्च में यह आखिरी महीना है आपने 25 फरवरी, 1999 को स्वीकृति भेजी है। 7 महीने पूर्व हमने प्रस्ताव दिये। अगर वित्तीय अनुशासन आपका इसी तरह का है तो आप इस प्रदेश की सड़कों के विकास कार्यक्रम को आगे ले जाने की दिशा में काम नहीं कर सकते हैं। बल्कि इसको और अच्छा बनवाने का काम करेंगे। अंत में एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि जो लुम्बनी–दुद्धी मार्ग है, 492 किमी० का, घाघरा वाले उसके पुल का विचार कर लें, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और अपने कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री राम ललित चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी ने अभी सड़कों का महत्व बताया। यह सही है कि चाहे उद्योग हो, कृषि हो, गांव हो, शहर हो, सबको सड़क चाहिए। मार्ग का महत्व सर्वोपरि है और जितना महत्व मंत्री जी बता रहे थे, उससे भी ज्यादा मैं बता रहा हूं। लेकिन खेद की बात है कि आज चाहे इधर के विधायक हों या उधर के विधायक हों सभी का यह मानना है कि जितने पुल-पुलिया की जरूरत है, जितकी सड़कों की जरूरत है, उसको देखते हुए जितना धन का बजट में प्राविधान किया गया है, वह इस प्रदेश की विशालता, इसके क्षेत्रफल को देखते हुए नहीं के बराबर है बल्कि ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। मैं कहना चाहता हूं कि जितना धन बजट में रखा गया है, उससे इतने बड़े प्रदेश के विकास की कल्पना करना, दावा करना अपने मुंह से अपनी तारीफ खुद करने के समान है।

आप देखें तो जिला प्लान में जो धन दिया गया है, उसके अनुसार हम 425 विधान सभाओं को ले लें तो एक विधान सभा क्षेत्र में मात्र 8 किमी० से ज्यादा सड़क नहीं आयेगी और 8 किमी० पक्की सड़क एक विधान सभा क्षेत्र में कुछ भी नहीं है। इस कछुए की चाल से चलकर गांवों को जोड़ने का काम यदि मंत्री जी करेंगे तो आने वाले 50 सालों में भी उत्तर प्रदेश के गांव नहीं जुड़ पायेंगे। राज्य सेक्टर में जो धन होता है, चाहे पूर्वांचल का हो या सामान्य योजना का हो, प्रदेश में सड़कों का संतुलन बनाये रखने के लिये होता है। जो सड़क जिला प्लान के पैसे से नहीं बनती है, वह सड़क राज्य सेक्टर के पैसे से बनायी जाती है। मान्यवर, यह राज्य सेक्टर का पैसा होता क्या है ? यह पैसा, चाहे

मुख्य मंत्री का क्षेत्र हो, चाहे मंत्रियों का क्षेत्र हो, भेज जाता है, इससे असंतुलन पैदा होता है । सड़क के मामले में हमारा प्रदेश अन्य प्रदेशों से बहुत पीछे हैं । माननीय लालजी वर्मा ने 4-5 प्रदेशों का नाम गिनाया, उसमें हमारा नं० चौथे स्थान पर आता है । 75 पुल गिनाये हैं, उसके हिसाब से भी हम बहुत पीछे हैं और जहां तक सड़कों की क्वालिटी की बात है, उसके संबंध में एक उदाहरण देना चाहता हूं । जिला प्लान की सड़कों की मोटाई अभी तक 25 सेमी० हुआ करती थी, बिना किसी टेक्निकल एडवाइस लिये उसको 17 सेमी० करने का काम किया गया । मेरा दावा है कि पूरे प्रदेश में कहीं भी चलकर मंत्री जी देख लें यह 17 सेमी० की मोटाई 12 सेमी० से ज्यादा नहीं मिलेगी, बल्कि कहां-कहीं तो यह 10 और 8 सेमी० मिलेगी । मान्यवर, इण्डियन रोड कांग्रेस फार इंजीनियर्स ने यह कहा है कि कोई भी सड़क जो बनेगी, वह 25 सेमी० से कम मोटी नहीं होना चाहिए, तभी वाहन चलने पर वह मजबूत रहेगी। माननीय लालजी वर्मा ने जिक्र किया कि वाहनों की संख्या 8 गुना बढ़ गयी है, इस हिसाब से तो इन 17 सेमी० वाली सड़कों की जान ही निकल जायेगी ।

मान्यवर, नहर पटरियों की बात आई, इसको लोक निर्माण विभाग नहीं बनायेगा, बल्कि सिंचाई विभाग बनायेगा लेकिन सिंचाई विभाग में, माननीय मंत्री जी पता लगा लें, 25 सेंटीमीटर मोटाई की सड़कें बनायी जाती हैं और सार्वजनिक निर्माण विभाग में 17 सेंटीमीटर की सड़कें बनायी जाती हैं । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सिंचाई विभाग की सड़कें मोटी और आपकी सड़कें कम मोटी क्यों बनायी जाती हैं । यही कारण है सिंचाई विभाग की सड़कों पर गाड़ियां अधिक चलती और आपके विभाग द्वारा बनायी गयी सड़कों पर कम चलेंगी ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आपका सेतु निगम है, यह जो पुलों की रेलिंग बनाता है वह बहुत कमजोर होती हैं और बड़ी जल्दी टूट जाती हैं । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि सेतु निगम द्वारा बनवाये गये पुलों पर से वाहनों के गिरने की संख्या बहुत अधिक है । मान्यवर, मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि निर्माण निगम विभाग द्वारा जो भवन बनाये जाते हैं उनकी कुर्सी बहुत कम होती है और इसका नतीजा यह होता है कि बरसात में पानी उन भवनों में भर जाता है । मान्यवर, मार्गों में बहुत ही दुर्घटनायें हो रही हैं, लेकिन दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को उठाने के लिये कोई प्रबन्ध नहीं है, नतीजा यह होता है कि वह वाहन कई-कई दिनों तक पड़े रहते हैं और आवागमन में असुविधा होती है । इस ओर माननीय मंत्री जी को विशेष ध्यान देना चाहिए और कारगर उपाय करना चाहिए ।

मान्यवर, बजट में 13 अरब 56 करोड़ रुपया दिया गया है और 3 अरब 98 करोड़ रुपया अधिष्ठान पर दिया गया है, अगर इसमें से कमीशन काट दें तो 3 अरब निकल जायेगा और वह पैसा अधिष्ठान की मद में चला जायेगा, तो लगभग 7 अरब रुपया अधिष्ठान की मद में चला जायेगा, तो इससे आप कैसे विकास कर लेंगे । मैं ज्यादा बात न कहकर इतना और कहना चाहता हूं कि जो स्पेशल कम्पोनेंट प्लान का रुपया है, उसको डाइवर्ट करके सामान्य योजनाओं में दे दिया जाता है । सड़कों के नाम पर खानापूरी करने का काम किया जा रहा है ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

* श्री राजधारी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया । मान्यवर, उत्तर प्रदेश महापुरुषों की नगरी रही है, यहां पर राम, कृष्ण, कबीर आदि बड़े-बड़े महापुरुष पैदा हुए हैं, उनकी यह कर्म स्थली रही है, और इसी कारण इसका बहुत

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

महत्व है । जो हमारी पर्यटक नीति थी उसको व्यापक बनाया गया है और इसी कारण जो पिछले वर्ष 7 लाख 13 हजार विदेशी पर्यटक आये थे और इस वर्ष 7 लाख 83 हजार पर्यटक हो गये हैं । मान्यवर, पर्यटन हमारे प्रदेश के विकास के लिये हमारे संसाधन बढ़ाने के लिये एक महत्वपूर्ण आय का स्रोत है, हमें प्रसन्नता है कि हम विदेशी पूंजी से देश और प्रदेश की अधिक से अधिक मात्रा में आय बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं इसके लिये पहली बार पर्यटन नीति बनाने का काम हमारे माननीय मंत्री जी ने किया है और उससे पर्यटन को बढ़ावा देने का काम किया है ।

सड़कों के बारे में पक्ष और विपक्ष के लोगों ने भी प्रशंसा की है । सड़क हमारे समाज के लिये देश और प्रदेश के लिये और हर इंसान की तरक्की के लिये महत्वपूर्ण है हमारी आबादी का 70 प्रतिशत क्षेत्र गांव में रहता है जब हम सड़कों के विकास की बात करते हैं तो गांव के विकास और किसानों के विकास की बात उसमें आती है और पूरे प्रदेश का विकास उसमें सन्निहित है । जैसा कि आंकड़े बताते हैं वाहनों की संख्या 3 लाख थी और 2000 तक वह तीन सौ लाख हो जायेगी जो सड़कों पर चलने की स्थिति में हैं । 1951 में सड़कों पर माल यातायात 6 बिलियन टन प्रति कि०मी० था और 2001 में वह 5 हजार बिलियन टन प्रति कि०मी० हो जायेगा । वही हालत आदमियों की है हमारे प्रदेश की कुल आबादी की 20 प्रतिशत जनसंख्या रोज आवागमन के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है चाहे वह नौकरी के लिये हो, चाहे विद्यार्थी हों या दूसरे कार्यों के लिये जाते हों, उनका दबाव सड़कों पर ही पड़ता है । एक लाख 12 हजार 308 गांव हमारे प्रदेश के जो हैं अभी भी विकास के बावजूद 18 हजार 565 गांव भी सड़कों से जुड़ पाये हैं । हमारी सरकार ने इसकी गम्भीरता को समझा है और उसको देखते हुए ही सड़क नीति बनाई है और प्राथमिकता के आधार पर उनको पक्के रास्तों से जोड़ने का फैसला किया है और एक हजार से अधिक आबादी वाले गांवों को सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य रखा है इस वर्ष करीब एक हजार तक के गांव मुख्य सड़कों से जोड़े जायेंगे ।

इसी तरह नहर पटरी योजना के माध्यम से भी स्थिति में सुधार आयेगा अभी तक नहरों की पटरियां बहुत खराब स्थिति में थीं अब प्रति वर्ष एक हजार कि०मी० सड़कें बनाकर बड़े पैमाने पर गांव को जोड़ने का काम सरकार ने किया है । एक बड़ा काम हमारी सरकार ने और किया है, गड्ढा मुक्त सड़कें बनाकर बहुत अच्छा काम किया है अभी हमारे लालजी भाई कह रहे थे गड्ढायुक्त सड़कों में मरीज और लड़कों को पढ़ने जाने में बड़ी कठिनाई होती थी और इन गड्ढों के कारण ही 50 प्रतिशत लाइफ वाहनों की कम हो जाती थी । लोक निर्माण विभाग ने यह बड़ा अच्छा काम किया है और सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने का फैसला किया है एक अभियान के रूप में यह कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चलाया है । हमारे जो नेशनल हाई-वे या स्टेट हाई-वे आदि हैं उनको गड्ढामुक्त करने का फैसला किया है । यह एक नया कार्यक्रम आम जनता की भलाई के लिये सरकार ने किया है इससे बहुत बड़ी सुविधा आवागमन में होगी । मान्यवर, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य आपका समय पूरा हो गया है कृपया बैठ जायें ।

श्री राजधारी–

मान्यवर, मैं आपसे दो मिनट लेना चाहता हूं । हमारे प्रदेश में एक विभाग है आदर्श विभाग वह है लोक निर्माण विभाग पिछले लम्बे अर्से से अपनी लोक निर्माण की कार्यवाही को बरकरार रखने में कामयाब हुआ है । मंत्री जी को इस विभाग के अन्दर संकल्प शक्ति पैदा करनी होगी । आज पी० डब्लू० डी० के अन्तर्गत सूचारु रूप से कामकाज हो रहा है । नहीं तो हम लोग जब मौके पर जाते थे तो जो मैटीरियल काम के लिये लाया जाता था वह ऐसे के ऐसे ही पड़ा रहता था, बर्बाद हो जाता था । कभी कभी तो मैटीरियल नियत जगह पर पहुंचता ही नहीं था । कार्य की गति धीमी होने से वह

निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाता । मैं बलिया से आता हूं मैं अपने क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूं हमारे जनपद को बिहार से जोड़ते हुये एक घाघरा नदी पर माझी पुल पिछले 15 साल से बन रहा है वह आज भी आधा अधुरा पड़ा है । हाल में बलिया व देवरिया में भागलपुर बांध 20 साल से बन रहा है वह अपूर्णता की स्थिति में है । एक और सुझाव देना चाहता हूं कि बलिया से सोनौली मार्ग नेशनल हाई-वे रूप में स्वीकृत है । इसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि यह बनाने का कार्य प्रारम्भ होने से पहले ही खटाई में पड़ गया है । मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि बलिया से सोनौली मार्ग को प्राथमिकता के आधार पर बनवाने की कृपा करें । गाजीपुर से चितपुर तक की सड़क का निर्माण भी नहीं कराया गया है जिनके लिए मैं अनुरोध करता हूं कि इसे जल्द से जल्द बनवाने की कृपा करें ।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया अब आप बैठ जाये । इस विषय पर विचार व्यक्त करने के लिए अन्य लोगों के नाम आये हैं । चूंकि समय कम है अतः गागर में सागर वाली कहावत के अनुसार आप लोग अपनी बात कहें ।

श्री सीताराम निषाद–

मान्यवर, मैं श्री लालजी वर्मा द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है, पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, मंत्री जी ने अपना विद्वतापूर्ण भाषण काफी देर तक दिया । जितने भी क्रियाक्लाप हैं काफी विस्तार से उन्होंने वर्णन किया है । मान्यवर, लोक निर्माण विभाग में जितना काम हो रहा है जो बजट दिया जा रहा है जैसा कि माननीय लाल जी वर्मा ने आरोप लगाया 50 प्रतिशत से अधिक धन निर्माण कार्य में खर्च नहीं हो रहा है तो 50 प्रतिशत जो धन है जिसका दुरूपयोग हो रहा है जो कमीशन में और भ्रष्टाचार में जा रहा है उस पर अंकुश लगाने की जरूरत है । माननीय मंत्री जी की मंसा है कि अच्छी सड़कें बनाई जाये लेकिन जब तक आप भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगायेंगे तब तक जैसा आप चाहते हैं वैसा काम नहीं पा सकेंगे या करवा सकेंगे । भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए आपने कुछ नहीं किया । इस लोक निर्माण विभाग में जो भ्रष्ट अधिकारी हैं जो करोड़ों रुपये हड़प रहे हैं इनमें से कितने अधिकारियों को आपने दण्डित किया कृपया बताने का कष्ट करें । जो कि आपने अपने अभिभाषण में नहीं बताया । इससे लगता है कि लोक निर्माण विभाग में भ्रष्ट अधिकारी हैं लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई है । उदाहरण के लिए मैं आपसे बताना चाहता हूं कि फैजाबाद जिले में एक अधिशासी अभियंता प्रान्तीय खण्ड है उनका इतिहास यह है कि वह जिस-जिस जिले में रहे वहां पर उन्होंने भ्रष्टाचार किया । वह हर जगह निलंबित हुये थे और उनके खिलाफ लोक सेवा आयोग ने पदावनति करने का अनुमोदन किया था लेकिन यह फाइल शासन में दबी है । इस तरह से भ्रष्टाचार को दबाने का प्रयत्न किया जायगा तो जो करोड़ों, अरबों रुपये खर्च किये जा रहे हैं उसका लाभ प्रदेश को नहीं पहुंचेगा । सारा धन हड़प लिया जायगा । श्री आर० बी० सिंह, अधिशासी अभियंता फैजाबाद में जबसे गये हैं 4-5 लाख का टी०एन०पी० खरीद लिया जबकि खरीदने की अनुमति मुख्य अभियंता तथा अधीक्षण अभियंता ने नहीं दी थी । इन्होंने 15 लाख रुपया ऐसा भुगतान कर दिया जिसके संबंध में राज्य सरकार ने स्थगन आदेश लिया था, यह फर्जी भुगतान करके लाखों रुपये उन्होंने हड़प लिया । हवाई अड्डे तक फर्जी सड़क के किनारे जंगल सफाई दिखाकर लाखों रुपये निकाल लिये ।

यह जब सिद्धार्थ नगर में थे तो इन्होंने भ्रष्टाचार किया था उसकी रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गयी है लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गयी है । गोरखपुर में 1985 से पहले थे और इन्होंने वहीं भ्रष्टाचार किया, इनके निलंबन की सिफारिश मुख्य अभियंता ने की लेकिन उस पर कार्यवाही नहीं की गयी । यह वाराणसी में निलंबित हुये लेकिन मामला दबा दिया गया और बहराइच में इन्होंने भ्रष्टाचार किया, जांच हुयी और लोक सेवा आयोग ने पदावनति करने की संस्तुति की लेकिन कोई कार्यवाही नहीं

की गयी । मान्यवर, मंत्री जी ने गड्ढा मुक्त सड़कों के बारे में कहा है इस मद में जो धन दिया गया है उसका 40 फीसदी से ज्यादा खर्च नहीं किया गया है और प्राक्कलन बहुत ज्यादा के बनाये गये इसीलिये सड़कें बहुत खराब हो गयी हैं । माफिया ठेकेदारों पर नियंत्रण करने के लिये कोई चर्चा नहीं की गयी है इस ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिये । मान्यवर, नहर की पटरियों को पक्का करने का जो काम किया गया है अच्छा काम है । जहां पर राजकीय ट्यूबवेल लगे हैं वहां पर सर्विस रोड कच्ची हैं इनको भी पक्की किया गया ।

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठें, अब नहीं लिखा जा रहा है ।

श्री सीताराम निषाद–

[x x x]

श्री अधिष्ठाता–

जो आप बोल रहे हैं वह बेकार जा रहा है मैंने व्यवस्था दे दी है, नहीं लिखा जा रहा है ।

श्री सीताराम निषाद–

इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

* श्री भरत सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, लोक निर्माण एवं पर्यटन विभाग के बजट पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । माननीय कलराज मिश्र द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, मैं यह दावे के साथ कहना चाहता हूं कि आज तक उत्तर प्रदेश के अन्दर पिछले 50 वर्षों के अन्दर बहुत सी सरकारें आयीं और गयीं । जो उत्तर प्रदेश में लोक निर्माण मंत्री या मुख्यमंत्री हुआ करता था, सारी सड़कों का विकास उसके जिले और विधान सभा क्षेत्र के इर्द-गिर्द हुआ करती थीं । यह पहली सरकार है, मैं माननीय लोक निर्माण मंत्री कलराज मिश्र जी का आभार व्यक्त करूंगा, धन्यवाद दूंगा कि आज उनकी अगुवाई में, सत्ता पक्ष और विपक्ष का ध्यान दिये बिना हर विधान सभा क्षेत्र के अन्दर दीन दयाल उपाध्याय सम्पर्क मार्गों का निर्माण हुआ है । 1020 गांवों को दीन दयाल सम्पर्क मार्गों से जोड़ा गया है और 1600 से अधिक गांवों को इस योजना से जोड़ना है । अभी हमारे मित्र लालजी वर्मा जी कह रहे थे कि सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं हुई हर जगह गड्ढा दिखाई दे रहा है, मुझे तरस आ रहा है कि वह कैसे देखते हैं, आप जाईये यहां से इलाहाबाद, सुल्तानपुर होकर बनारस जाइये, हर जगह इतना बढ़िया सड़कें बनी हैं । यह सारे कार्य साल-डेढ़ साल के अन्दर हुये हैं ।

पर्यटन की दृष्टि से भी उत्तर प्रदेश में तरक्की हो रही है । अभी वर्मा जी कह रहे थे अम्बेडकर उद्यान के बारे में, मैं कहना चाहता हूं कि क्या अम्बेडकर उद्यान बन जायेगा तो पर्यटन का विकास हो जायेगा । हम मानते हैं कि अम्बेडकर उद्यान बनना चाहिए । अम्बेडकर उद्यान में करोड़ों रुपये की धांधली किसने करायी । उस समय के मुख्य मंत्री जी के हाथ में सारी व्यवस्था थी । उस समय के मुख्य मंत्री ने अम्बेडकर उद्यान के नाम पर धांधली मचा दी । 100 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च हो गया । पिछले एक वर्ष के अन्दर उत्तर प्रदेश के अन्दर 23 पुल बने । बलिया का एक्जाम्पुल देना चाहता हूं ।

[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, राजधारी जी के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरपुर में पिछले साल एक पुल का शिलान्यास किया गया था, वह बनकर तैयार हो गया । जितनी तेजी से और सही ढंग से लोक निर्माण विभाग के अन्दर काम हो रहा है उसका सभी माननीय सदस्यों द्वारा स्वागत किया जाना चाहिए क्योंकि बिना भेदभाव किये सड़कों का कार्य हो रहा है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री भरत सिंह–

माननीय वर्मा जी ने कहा कि धन का कम आवंटन हुआ है, हम मानते हैं कि कम हुआ होगा, आज उत्तर प्रदेश में वित्तीय संकट है, इस संकट के बावजूद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय कल्याण सिंह जी जो इस सरकार के मुखिया हैं और लोक निर्माण मंत्री कलराज मिश्र जी को बधाई देना चाहता हूं कि वित्तीय संकट के बावजूद हर विधान सभा क्षेत्र में जितना विकास हुआ है पिछले 50 वर्षों में कभी नहीं हुआ ।

श्री अधिष्ठाता–

भरत सिंह जी अब आप समाप्त करें । अब जो आप बोलेंगें वह लिखा नहीं जायेगा ।

श्री भरत सिंह–

[x x x]

श्री अधिष्ठाता–

अब आप अपनी बात समाप्त करें ।

श्री भरत सिंह–

[x x x]

श्री राम जग–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे श्री वर्मा जी के कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । यह सच है कि मंत्री जी ने बहुत बारीकी ढंग से अपनी बात रखी । उन्होंने लच्छेदार भाषा में सड़क नीति की घोषणा की आपने बताया कि पूरे प्रदेश में सड़कों का बेहतर ढंग से इन्तजाम किया गया है । मैं अपने जनपद आजमगढ़ के बारे में बताना चाहता हूं । 1998-99 में जिला योजना से एक भी सड़क नहीं बनी । 1997-98 में जिला योजना से जो सड़कें पास हुई थी वह आज तक शुरू नहीं हुयी और 1998-99 में जो सड़कें स्वीकृति हुई थीं वह कैंसिल हो गई हैं । जो दो सड़कें बनीं वह एक तरफ बनी दूसरी तरफ उखड़ती जा रही हैं । हमारे विधान सभा क्षेत्र में जिला केन्द्र पर जाने वाली सड़कों पर काफी गड्ढे हैं उसमें कोई कंकड़-पत्थर, ईंट नहीं डाली गई । उनकी मरम्मत नहीं हो रही है । जिला योजना से सड़कें बन नहीं पा रही हैं । बड़ी-बड़ी सड़कें तो गड्ढा मुक्त हुई हैं लेकिन जिला केन्द्र को जाने वाली सड़कों की स्थिति खराब है रोज दुर्घटनाएं हो रही हैं । राहुल सांकृत्यायन जो कनैला के निवासी थे अभी तिब्बत से बुद्धिस्ट वहां आये थे डीहा बाजार है वहां से राहुल सांकृत्यायन के गांव का रास्ता है । बीच में मगई नदी है जब नदी के पास वह गये तो उनको यह ताज्जुब हुआ कि राहुल सांकृत्यायन के गांव जाने वाला यह मुख्य मार्ग है और नदी पर पुल नहीं है ।

[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

राहुल सांकृत्यायन का दुनिया में नाम है जिनका नाम प्रदेश की सम्मान की बात है। दो वर्षों से हम इस मांग को उठा रहे हैं परन्तु पूर्वांचल के इस प्रमुख स्थान पर वह पुल नहीं बना। पुल कहां बनाये गये जहां भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। राज्य सेक्टर से भी वहीं बनाये गये जहां पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और विपक्ष के एक वोट नहीं मिली। इस प्रकार का भेद-भाव आप कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री कैलाश सिंह राजपूत–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। पर्यटन एवं लोक निर्माण विभाग के प्रस्तुत बजट के पक्ष में बोलने के लिये खड़ा हुआ है। माननीय पर्यटन मंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री जी ने विस्तार से बताया कि किस तरह से हम पर्यटन का विकास करेंगे और किस तरह से हम सड़कों का जाल बिछायेंगे और उनकी मरम्मत करेंगे। मैं अपने को माननीय मंत्री जी से सम्बद्ध करता हूं। पर्यटन नीति को घोषित करके एक सराहनीय कार्य किया है। इससे प्रदेश आगे बढ़ेगा और पर्यटक इस प्रदेश की तरफ आकर्षित होंगे और साथ ही प्रदेश की तरक्की भी होगी। तमाम तरीके के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया। माननीय मंत्री जी ने बताया कि बौद्ध अन्तर्राष्ट्रीय आयोजन कराने की योजना है, इसके लिये वह बधाई के पात्र हैं। पर्यटन के बारे में मैं अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे कन्नौज में एक पुरातत्व का विशाल संग्रहालय है जहां पर करोड़ों रुपये की प्राचीनतम मूर्तियां हैं। अभी जब विश्व प्रतियोगिता हुई थी तो दो मूर्तियों को हवाई जहाज से अमेरिका ले जाया गया, जिनकी कीमत 5-5 लाख रुपये का बीमा कराया गया था। विश्व प्रतियोगिता में उनका प्रथम स्थान आया। माननीय मंत्री जी उस संग्रहालय को देख लें और उसकी समृद्धि में अपना योगदान दें तथा इसे पर्यटन मानचित्र में अंकित करने का कार्य करें।

मान्यवर, लोक निर्माण विभाग के बारे में माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखें। आज नेशनल हाई वे, स्टेट हाई वे और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स पूर्णरूप से गड्ढा मुक्त हो गई हैं। जो माननीय सदस्य इसे गलत बता रहे हैं वह बिल्कुल [xxx] हैं। हाँ, जो ग्रामीण रोड हैं, उनके बारे में माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जिन रोडों पर बसों का संचालन होता है, और मेरे ही विधान सभा क्षेत्र उमरदा में जी०टी० रोड के पैरलल सकरव, सोरेख इन्दरगढ़ तिर्वाठटिया सुरसी मार्ग हैं, हम चाहते हैं कि इसे जिला रोड घोषित कर दिया जाय, जिससे इसका रख-रखाव भी ठीक हो जायेगा। इसका आप सर्वे करा लें। हमारे क्षेत्र में नहर निकली है, जिसके कारण जलभराव रहता है, सड़के टूट गयी हैं इसलिए आपसे निवेदन है कि इनकी मरम्मत हेतु समुचित व्यवस्था करने की कृपा करें। जहां तक पुलों की बात हैं मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि हमारे विधान सभा क्षेत्र में जल भराव से सड़कें टूट जाती थीं परन्तु माननीय मंत्री जी ने पाण्डु नदी औसेर पर पुल व ईंगल नदी पर धोबी घाट का पुल स्वीकृत किया और आज उनकी कृपा से उस पुल पर निर्माण कार्य प्रगति पर है मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की जनता की तरफ से उन्हें बधाई देना चाहता हूं। उसी ईशन नदी पर धोबीघाट का पुल माननीय मंत्री जी ने स्वीकृत किया। मैं बताना चाहता हूं कि उसका निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसी तरह से पाण्डु नदी औसेर घाट का पुल का निर्माण कार्य प्रगति पर है मैं मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें।

[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री कैलाश सिंह राजपूत–

मान्यवर, (ईशन नदी पर मेरा घाट के पुल) 2 करोड़ 40 लाख का प्लान नावार्ड को भेजा है। इसी तरह से काली नदी पर तहसी घाट पर माननीय मंत्री जी ने पुल बनाने के लिये कहा था। हमारे संज्ञान में है कि वह पुल भी शीघ्र बनने की स्थिति में है। इसके साथ ही मैं माननीय मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

श्री राम सिंह सैनी–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। माननीय वर्मा जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है मैं उस पर बल देने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, किसी भी देश, प्रदेश और क्षेत्र के लिये आवागमन के साधनों का विकसित होना अत्यन्त आवश्यक है। उद्योगों का विकास तब ही होगा जब आवागमन के साधन हों। ग्रामीण अंचलों का विकास भी तब ही हो सकेगा जब आवागमन के साधन विकसित हों। सबसे पहले हमारे हिन्दुस्तान में शेरशाह सूरी ने जी० टी० रोड बनाई थी और उसके बाद जो विकास का कार्य हुआ है मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आवश्यकता के अनुसार हमारी सड़कें नहीं बनी हैं। मान्यवर, मैं आज मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने अपने कार्य काल में जितने दूसरे मंत्रालय हैं उनकी अपेक्षाकृत इस विभाग में अच्छा कार्य हुआ है। लेकिन इतना होने के बाद भी जितनी हमारी आवश्यकता है या उत्तर प्रदेश जितना विशाल प्रदेश है उसके अनुरूप धन आवंटन नहीं हो रहा है। उस तरह की प्रगति नहीं हो पा रही है। जहां तक गड्ढा मुक्त सड़कों की बात है कुछ सड़कें गड्ढा मुक्त हुई हैं लेकिन बहुत सी सड़कें अभी भी बहुत बुरी हालत में पड़ी हैं, उनके ऊपर भी ध्यान रखा जाय। सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रीय मार्ग है उनके लिये प्राविधान है कि 3 साल के बाद उन पर लेपन का कार्य होना चाहिए। जो हमारे स्टेट मार्ग हैं उन पर 5 साल के बाद लेपन का कार्य होना चाहिए, जो डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं उन पर 6 साल के बाद लेपन का कार्य होना चाहिए इसके साथ ही साथ ग्रामीण अंचल की जो राड्स हैं उन पर 8 साल के बाद लेपन का कार्य होना चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वे स्वयं सर्वेक्षण करवाकर देखें कि कितने मार्गों पर पुनःलेपन का कार्य हुआ। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो सड़कें आप हॉट मिक्स प्लान्ट से बनवाते हैं इनके बराबर में जो ईंटों का खडंजा होता था यह अब नहीं है। गाड़ियां तेजी से चलती हैं और किनारे से लुढ़क जाती हैं। मान्यवर, समय कम है इसलिये अब मैं अपने क्षेत्र की समस्या माननीय मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं। हमारे यहां एक पुल का शिलान्यास माननीय मंत्री जी ने तीन महीने पहले किया था और घोषणा की थी कि इस महीने के अंत तक कार्य शुरू हो जायेगा और सन् 2000 तक वह पूरा हो जायेगा। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि अभी तक उस पुल पर कोई कार्य शुरू नहीं हुआ है। अगर काम शुरू नहीं करेंगे तो जो घोषणा आप वहां इतने लोगों के बीच में करके आये थे कि सन् 2000 तक पूरा हो जायेगा वह कैसे पूरी होगी।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें। समय हो गया है। जो माननीय सदस्य को मैं बुला रहा हूं। दो-दो मिनट में कृपया अपनी बात कहें।

श्री राम सिंह सैनी–

इसके साथ-साथ में माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि नियम-56 के अन्तर्गत मैने सदन का ध्यान आकृष्ट किया था पचास गांव पड़ते हैं घनौरी से सड़क कोटा मुरादनगर के लिये जाती है वहां पर पुल बनने की आवश्यकता है 1 करोड़ 17 लाख रुपये उस पर खर्च होगा। यह जनहित की

आवश्यकता है । इतने बड़े स्टेट के लिये इतनी धनराशि कोई बड़ी चीज नहीं है । कांवरियों के आने-जाने से मार्ग अस्तव्यस्त हो जाता है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब मैं दूसरे सदस्य को बुला रहा हूं । आप समाप्त करिये । जो इम्पोर्टेंट हो इसको पहले पहना चाहिए था ।

श्री राम सिंह सैनी–

इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री हरपाल सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने लोक निर्माण विभाग पर मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने का मुझे अवसर प्रदान किया । मान्यवर, मैं प्रस्तुत बजट का मुक्तकंठ से समर्थन करता हूं । मान्यवर, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करते हुये कहना चाहता हूं कि प्रत्येक विधायक यह चाहता है कि उसके क्षेत्र में अधिक से अधिक सड़कों का निर्माण हो लेकिन मनन और चिंतन आप करें तो मैं 3 बिन्दुओं–विस्तारीकरण सुदृढ़ीकरण और नवीनीकरण के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा ।

मान्यवर, विस्तारीकरण के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि केन्द्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वहां प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी बाजपेयी जी और श्री लालकृष्ण आडवाणी जी हैं और उत्तर प्रदेश, यहां मुख्यमंत्री, श्री कल्याण सिंह जी और लोक निर्माण विभाग मंत्री जी श्री कलराज मिश्र जी हैं । इस प्रकार स्वर और व्यंजन मिल रहे हैं । मान्यवर, केन्द्र में एक-एक माननीय सांसद को दो करोड़ रुपया अपने क्षेत्र में विकास के लिये मिलता है । प्रत्येक सांसद के क्षेत्र में चार-पांच विधान सभा क्षेत्र होते हैं । इसी प्रकार एक-एक विधान सभा क्षेत्र में विकास के लिए जिला योजना द्वारा पी० डब्लू० डी० से प्रत्येक जनप्रतिनिधि को 40-50 लाख रुपया सड़कों के निर्माण के लिए मिल जाता है । यदि माननीय सांसद अपने शेयर को चार-पांच विधान सभा क्षेत्रों में बांटे तो 8-10 लाख रुपया एक विधान सभा क्षेत्र को सड़कों के लिए मिल जाता है जिससे वहां सड़क निर्माण के कार्य कराये जा सकते हैं । मान्यवर, कुछ शेयर डी० आर० डी० ए०, एस० आर० वाई० एस० से भी धन मिलता है, इस प्रकार एक मा० सांसद 40-50 लाख रुपया से हर विधान सभा क्षेत्र में विकास कराने के लिए वह सक्षम है । मान्यवर, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि यह केन्द्र सरकार की देन है जबकि पहले कुछ नहीं मिलता था । कितनी सरकारें आयीं और कितनी चली गयीं लेकिन ऐसा नहीं हुआ था । कहने का तात्पर्य है प्रत्येक सांसद को दो करोड़ रुपया केन्द्र सरकार से क्षेत्र में विकास कार्य कराने के लिए मिलता है । मान्यवर, हमारी सरकार प्रत्येक विधायक को 25-25 लाख रुपया विकास कार्यों के लिए देती हैं । इसके अतिरिक्त प्रत्येक विधायक को मा० लोक निर्माण मंत्री ने किसी को दो कि० मी०, किसी को चार कि० मी० पं० दीन दयाल के नाम से सड़कें बनवाने के लिए पैसा दे दिया है, तो एक कि० मी० सड़क बनाने में लगभग 7.5 लाख रुपया खर्च आता है तो इस प्रकार किसी को 15 लाख रुपये और किसी को 30 लाख रुपये पी०डब्लू०डी० मंत्री जी से मिल जाता है । इन सब को जोड़कर देखा जाय तो 50 से 55 लाख रुपया प्रत्येक विधायक को अपने क्षेत्र में विकास के कार्य (सड़क) कराने हेतु धन उपलब्ध हो जाता है । मान्यवर, ऐसा पहली बार हुआ है । कहने का तात्पर्य है–देखा है पहली बार बी० जे० पी० की आंखों में प्यार । जब कि पहले कुछ नहीं मिलता था ।

मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र में जाता हूं तो लोगों से कहता हूं कि जहां सड़कें न हों वहां बतायें तो हम सड़क बनवाने का सरकार से प्रयास करेंगे । इस सम्बन्ध में मैं मा० मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि

हमारे यहां ऐसे कुल 6 ही गांव हैं जो सड़क विहीन हैं । अब मैंने यह निश्चिय कर रखा है कि पहले खाली जिसका तात्पर्य है खाली गांव को सड़क से जोड़ा जायेगा, उसके बाद लाली, कहने का तात्पर्य गांव को खड़ंजे से जोड़ा जायेगा, लाली के बाद अधिक पैसा मिलने पर काली कहने का तात्पर्य सड़क को पक्का किया जायेगा, काली भी खण्डित हो जाय तो महाकाली जिसका तात्पर्य है सड़क को पुनः बनवा दिया जायेगा ।

(इस समय 7 बजकर 25 मिनट पर अधिष्ठाता डा० अशोक बाजपेयी पीठासीन हुए ।)

इस प्रकार इतना पैसा मिलता है एक-एक विधान सभा क्षेत्र में एक करोड़ रुपया सड़कों में लगा रहे हैं विस्तार तेजी के साथ हो रहा है यह बात तो मैंने बताई विस्तारीकरण के बारे में । अब सुदृढ़ीकरण की बात ले लें शहर के साथ-साथ अब गांव में भी सड़कों का खूब विस्तार हो रहा है । इस बार भयंकर वर्षा हुई है और वर्षा ने तबाही कर दी । हमारी परीक्षा तो ईश्वर भी ले रहे हैं इसमें भी हम सफल हो गये हैं यह सरकार पूरी चलेगी और अपना कार्यकाल पूरा करेगी, कोई गांव बिना सड़क के बिना बिजली के, बिना सिंचाई के, बिना पेयजल व बिना पंचायत घर व स्कूल कार्य के नहीं होगा यह मैं बताना चाहता हूं हमारी सरकार सुदृढ़ीकरण पर ध्यान भी दे रही है ।

(मेजें थपथपाई गई)

अब मैं नवीनीकरण के बारे में भी अपनी बात रखना चाहूंगा नवीनीकरण पर भी ध्यान देना बहुत आवश्यक है । जहां-जहां सड़कें टूटी हैं वहां ठीक कराने के लिए तत्पर हैं । मंत्री जी ने बजट जो पेश किया है वह उनका चिन्तन है शक्ति है, पराक्रम है, अल्प समय में जो इन्होंने कर दिखाया है वह आप नहीं कर सकते थे धन्यवाद ।

श्री दद्दू प्रसाद–

मान्यवर, आपने मुझे लोक निर्माण विभाग के कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का नाम लेकर यह सरकार सत्ता में आयी थी मैं रामवन पथ गमन की तरफ इनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । मान्यवर, एक पुल राजापुर में जमुना नदी पक्का बने इसके लिए लम्बे अरसे से मांग की जा रही है मैं समझता हूं मंत्री जी के समय में वह बन जायेगा मंत्री जी उसको बनवाने का कष्ट करें । मान्यवर, उरई से हमीरपुर, जसपुर, बांदा, राजापुर, मऊ जिला सड़कें हैं बुन्देलखंड की महत्वपूर्ण सड़क है इसको प्रान्तीय राज्य मार्ग घोषित करने की कोशिश मंत्री जी करेंगे । मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि झांसी मिर्जापुर मार्ग, राष्ट्रीय ध्वज मार्ग बन गया है, 301 में मैंने सूचना लगाई थी मंत्री जी ने उसका चौड़ीकरण कराके धनराशि स्वीकृत की है कार्य चल रहा है । सड़कों के सम्बन्ध में मैंने मा० मंत्री जी को लिखित पत्र दे दिया इसका संज्ञान लेकर कार्यवाही करेंगे । निर्माण के बाद अब मैं पर्यटन के बारे में कहना चाहूंगा । राजापुर, मऊ और चित्रकूट में मेरा निर्वाचन क्षेत्र है इसको पर्यटन स्थल बनाएं तथा एक-एक पर्यटन आवास गृह बनाये । मान्यवर, मैं इस सदन के माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि चित्रकुट का जो मूल इतिहास है इससे खिलवाड़ न किया जाये । चित्रकूट में आदिवासी बसें हैं यह आदिवासियों का जिला है । यहां मर्यादा पुरुषोत्तम राम शरणार्थी बनकर आये थे यह उनकी कर्मभूमि नहीं है उनकी शरण स्थली है, लाखों लोग अमावस्या के दिन चित्रकूट में परिक्रमा लगाते है और श्रद्धा का गान कामतानाथ जी का करते हैं वहां परिक्रमा करते समय कामतानाथ जी की जय बोली जाती है, कामतानाथ महराज आदिवासी सन्त थे । विदेशी पर्यटक तेल चित्र, भित्तीय चित्र जो वहां हैं उसको देखते हैं बहुत पुरानी आदिवासियों की संस्कृति है गुफाओं और कन्दराओं को भी मंत्री जी प्रकाश में लाने की कृपा करें ।

मान्यवर, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। एक बात और कहना चाहता हूं लोक निर्माण विभाग के बारे में। लोक निर्माण विभाग में कान्ट्रेक्ट पर काम होता है। ठेकेदार के पास काम चला गया तो जो अधिकारी है वह न्यूनतम मजदूरी से हाथ खींच लेते हैं और कहते हैं कि ठेकेदारी का काम है इससे हमें क्या मतलब। तो यह धोखा है। आपको देखना पड़ेगा कि ठेकेदारी द्वारा जो काम कराया जाता है उसमें न्यूनतम मजदूरी मिले अर्थात 47 रुपया मजदूरी मिले। मान्यवर, पाठा में 25-30 रुपये मजदूरी मिल रही है और लोक निर्माण विभाग के अधिकारी कहते हैं कि हम क्या करे ठेकेदारी में काम करवा रहे हैं। इसमें स्पेशल शासनादेश जारी कर न्यूनतम मजदूरी कड़ाई से लागू करने की कृपा करेंगे। सम्पर्क मार्गों के बाबत जो मैंने कहा है उसको पूरा करायेंगे इसी के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री गंगा सिंह चौहान–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, मेरा मत है कि किसी भी प्रदेश का विकास सड़कों और पुलों पर निर्भर करता है। मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस दृष्टि से बहुत ही क्रांतिकारी कदम उठाये हैं चाहे पंडित दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण सम्पर्क मार्ग, चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर विकास मार्ग और चाहे नगर सेवा के मार्ग को पक्का करने की योजना है इन सभी योजनाओं से गांव सड़क से जोड़ेंगे। यह प्रयास किया गया है इसके लिए मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। मान्यवर, गांव कैसे जुड़ेंगे इसके लिए नीति बनायी गई है। मार्ग विकास नीति के तहत सन् 2005 तक एक हजार से अधिक की आबादी वाले गांव को जोड़ दिया जायेगा और 2010 तक एक हजार के कम वाले सभी गांवों को जोड़कर पक्का कर दिया जायेगा। मान्यवर, जितनी भी सरकारें थीं उन सरकारों ने सड़कों का निर्माण तो कर दिया उनके रख-रखाव और अनुरक्षण के लिए ऐसा कोई प्राविधान नहीं किया जिससे बहुत दिनों तक पुरानी सड़कें सही बनी रहती। इस दिशा में, भी माननीय मंत्री जी ने ठोस कदम उठाया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोत्तरी करके जो आय होगी उससे एक सड़क निधि कायम की गयी। जो भी सड़क का निर्माण होगा उनका अनुरक्षण होता रहेगा, चौड़ीकरण होता रहेगा और सुदृढ़ीकरण होता रहेगा। मान्यवर, अब मैं अपने विधान सभा क्षेत्र कट्टी–90 विलग्राम की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। अभी बाढ़ आयी थी उसमें हमारे क्षेत्र के 95 प्रतिशत गांव बह गये थे। मान्यवर, बिलग्राम सान्डी-अल्लापुर मार्ग पर सांड़ी गांव में सेतु निर्माण निगम का एक पुल बना हुआ है उसका खम्भा खिसक गया है। इस मार्ग पर हरदोई, दिल्ली और फरूखाबाद-आगरा आदि के लिए बसें चलती थीं वह नहीं चल पा रही हैं। तो जो खम्भा खिसक गया है उसकी मरम्मत करा दी जाय। मान्यवर, हमारे विधान सभा क्षेत्र इतना पिछड़ा हुआ क्षेत्र है वहां पर 6 नदियां हैं लेकिन पुल का अभाव है। राम गंगा नदी पर बेड़ीजोर गांव में फ्लाटून के पुल की आवश्यकता है। मान्यवर, जो बहुत पुराने मार्ग पांच-छः वर्ष से स्वीकृत पड़े हैं उनमें किसी में आधा किलोमीटर और कहीं पर एक किलामीटर कार्य हुआ है।

मान्यवर, मैं तो यह चाहता हूं कि पूर्व के स्वीकृत मार्गों पर पहले धन आवंटित किया जाये ताकि वे शीघ्र पूर्ण हो सके। मान्यवर, हमारे यहां गांव मतनी में हैं, नीलम नदी में पुल की बहुत बड़ी आवश्यकता है।

(व्यवधान होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य कृपया शांति बनाये रखें।

श्री गंगा सिंह चौहान–

इसी प्रकार मान्यवर, नोनखाश में भी नीलम नदी पर पुल की आवश्यकता है। मान्यवर, मालवा अखवेल पुर में सुखेता नाला पर पुल है वह पुल इतना नीचा है कि बाढ़ में उसके ऊपर इतना पानी भर जाता है कि पुल नहीं दिखता और कम से कम 10 मौतें हो चुकी हैं अतः उस पुल का भी उच्चीकरण कराया जाये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

श्री दिलीप कुमार–

मान्यवर, मैं लोक निर्माण विभाग के बजट पर प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, बहराइच-महसी क्षेत्र की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, मंत्री जी काफी बार गये हैं। मान्यवर, जिले में जो 1 हजार से अधिक आबादी के गांवों को जोड़ने का जो कार्यक्रम चल रहा है अधिकारीगण कहते हैं कि रोड से केवल 2 कि०मी० सम्पर्क मार्ग ही का निर्माण कर सकते हैं आप निर्देश दें कि कि०मी० की बंदिश न रहे। मान्यवर, मुलायम सिंह यादव जी के शासनकाल में महसी तहसील का निर्माण हुआ था महसी से बहराइच की दूरी 28 कि०मी० है। मान्यवर, अगर बसहां घाट व उमरपुर घाट पर पुल का निर्माण हो जाये तो यह दूरी 16 कि०मी० रह जायेगी। मान्यवर, इसी तरीके से सिकन्दरपुर रहुवा मंसूर मार्ग जो है इन पर 3500 से अधिक आबादी है इनको पक्के मार्ग से जोड़ने का काम हो। सरयू नदी में बौड़ी घाटों पर पुल का निर्माण किया जाये। इसी तरह से गढ़ी घाट पर पुल हो। इसी तरह से मान्यवर सिलेटनगंज चीनी मिल मार्ग से जोलाहन पुरवा पंकज मार्ग पर लेपन कार्य व नाले पर पुलिया का निर्माण कराने का कष्ट करें। इसी तरह से उमरपुर घाट से बाजपेई पुरवा तक लेपन का कार्य कराया जाय। इन्हीं शब्दों के साथ कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री जय प्रकाश निषाद–

मान्यवर; हम आजादी की इक्यानवां मना रहे हैं। माननीय मंत्री जी द्वारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, ग्रामीण क्षेत्रों में इतना ज्यादा विकास हुआ है, सड़कों का जाल बिछ गया है, इतना कार्य आज तक कभी नहीं हुआ है। मान्यवर, अगर पहले की सरकारों में नीति बना कर योजनाबद्ध तरीके से विकास कार्य किया गया होता तो सड़कों को नया बनाने हेतु खोजना पड़ता। मान्यवर, आज जिस गति से विकास के कार्य चल रहे हैं 2-3 साल के बाद हमें लगता है कि लगभग सभी सम्पर्क मार्ग बन जायेंगे और ग्रामों को मुख्य मार्गों से जोड़ने का काम हो जायेगा। मान्यवर, पहले की सरकारों में पर्यटन विभाग को बड़े हल्के ढंग से लिया जाता था। पहली बार सुधार हुआ है और अब विदेशी पर्यटक इस समय उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, उनके आने से इस प्रदेश का राजस्व बढ़ा है और हमारे प्रदेश का नाम भी ऊपर उठ रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में पर्यटन नीति के तहत इस समय विदेशी पर्यटकों को उनके परिवहन, आवास, भोजन की अच्छी व्यवस्था करके तथा देश की पुरानी संस्कृति को अच्छे तरीके से सामने लाने की व्यवस्था की गई है, इसके लिये माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, यदि पिछली सरकारों के समय पर्यटन नीति को सही ढंग से लिया गया होता तो उत्तर प्रदेश का विकास इसी के माध्यम से हो गया होता।

मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र रूद्रपुर में दुग्धेश्वर नाथ भूतवावन महाकालेश्वर नामक स्थान है, माननीय मंत्री जी वहां गये हैं और उन्होंने देखा भी है। वहां पर राजा शकुन देव का कोट, भीला टोला सहित पुराने भवनों का खण्डहर हजारों एकड़ जमीन है। अक्सर वहां पर निराई-गुड़ाई करते समय अनेकों मूर्तियां मिलती हैं, अभी कुछ दिन पूर्व अर्धनारीश्वर महाराज की 7 फुट से बड़ी मूर्ति मिली थी, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने वहां पर एक मंदिर भी बनवाया है, इसके अलावा 5 कोस की परिक्रमा भी विकसित हुई है। हजारों वर्ष पूर्व चीनी यात्री ह्वेनसांग जब कुशीनगर बुद्ध भगवान के स्थली से चला था तो रूद्रपुर का जो मंदिर है, जो दूसरी काशी के नाम से जाना जाता है, वहां एक रात के लिये

विश्राम किया था, इसका जिला गजेटियार में भी उल्लेख है, लेकिन इसको आज तक पर्यटन सूची में दर्ज नहीं किया गया है। मेरा निवेदन है कि रूद्रपुर का जो शिवलिंग है, यह देश के 12 महान शिवलिंगों में से एक स्थान रखता है, वहां एक बार लोगों ने असलियत को देखना चाहा तो बहुत नीचे तक खोदने पर उसका और विशाल स्वरूप मिला, उसका इतिहास अलग है, इसको पर्यटन सूची में अवश्य दर्ज कराया जाय तथा उसका और विकास किया जाय।

मान्यवर, नगर पंचायत रूद्रपुर मेरे विधान सभा में राप्ती, गोराकर्ना मझने कठने सहित अनेक नदी नाले हैं, इस बार बरसात के समय भीषण बाढ़ आई तो उससे वहां के अनेक मार्ग टूट गये और लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ी लेकिन मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि काफी तेजी से मार्गों का निर्माण हुआ है और बराबर सुधार हो रहा है, लेकिन जो काम बाकी है, बरसात से पहले उसको पूरा करने के लिये पैसे की स्वीकृति देकर पूरा करा दिया जाय, नहीं तो इस बार फिर बाढ़ आयेगी और फिर दिक्कत होगी। नगर पंचायत रूद्रपुर में दो महीने तक पानी भरा रहा। नये बस स्टेशन से पुराने बस स्टेशन होते हुये बाईपास तक एक कि०मी० की सड़क टूट जाने के कारण यातायात में बहुत असुविधा हो रही है, सड़क चलने लायक नहीं है, इसका अभी निर्माण नहीं हो रहा है, इसका अतिशीघ्र निर्माण कार्य पूरा कराया जाय। इसी प्रकार सिडरा तारकोल मार्ग, नरायनपुर नंगवा मार्ग, रुद्रपुर नकइल मार्ग का निर्माण कराया जाय, इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

पर्यटन लोक निर्माण तथा सूचना विभाग के प्रस्तुत अनुदान की मांगों पर चर्चा हेतु समय बढ़ाने की मांग

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, आज उपाध्यक्ष के चुनाव के सिलसिले में 3-4 घन्टे का समय चला गया जिस कारण बजट पर चर्चा काफी देर से शुरू हो पाई। लोक निर्माण विभाग के बजट पर काफी सदस्य अपने विचार रखना चाहेंगे, इसलिये मेरी प्रार्थना है कि घड़ी की ओर न देखकर, विलम्ब पर ध्यान न देते हुये, समाजवादी पार्टी के जितने भी सदस्य अपने विचार व्यक्त करना चाहें, उनको आप अवश्य मौका दे दें, चाहे रूलिंग पार्टी तथा अन्य सदस्यों के विचार आप लिखित में ले लें, इसके लिये आपकी तरफ से व्यवस्था हो जायेगी, यही मैं चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

जब तक विचार देना चाहेंगे, सबके विचार सुन लिये जायेंगे।

वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय व्यय के अनुदानों के लिए मांगों पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या–44 पर्यटन विभाग, अनुदान संख्या–54 लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान), अनुदान संख्या–55 लोक निर्माण विभाग (भवन), अनुदान संख्या–58 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन) अनुदान संख्या–59, लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय), अनुदान संख्या–86 सूचना विभाग (छापाखाना)

श्री वसीम अहमद–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, जो लोक निर्माण विभाग का कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, मैं उस पर बल देता हूं। मैं आजमगढ़ से आता हूं और मा० मंत्री जी का आजमगढ़ से बहुत लगाव है, वह आजमगढ़ के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मेरा गोपालपुर विधान सभा क्षेत्र बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, उसके बारे में माननीय मंत्री जी को अच्छी जानकारी है। वहां पर हर वर्ष घाघरा में भंयकर बाढ़ आती है और जो सड़कें होती हैं वह टूट जाती हैं। फसलें नष्ट हो जाती हैं सब कुछ बह जाता है। मान्यवर, मैं ज्यादा न कहकर कुछ सुझाव अपने क्षेत्र के लिए देना चाहता हूं। मान्यवर, महुला गढ़वल बांध का छूटा हुआ जो

भाग है लेपन कराया जाये, परशुरामपुर महराजगंज मार्ग से बैदरा भटनी होते हुये चेतवा तक लेपन का कार्य कराया जाये, जयरामपुर भलुवई होते हुये परशुरामपुर मार्ग का लेपन का कार्य किया जाये, सेयरहा से लंगड़पुर होते हुये आजमगढ़ गोरखपुर मार्ग से जोड़ा जाये, सैरैया से बनकट मार्ग का लेपन किया जाये, सरदहा भीमवर मार्ग से सिंहवारा होते हुये महाजी सिंहवारा तक लेपन का कार्य कराया जाये, महाजी सिंहवारा का पुल बनवाया जाये, कप्तानगंज महराजगंज से चेंवला नहर की पटरी का लेपन का कार्य बिन्दवल मार्ग तक किया जाये, डिप्टी की छावनी मार्ग का लेपन का कार्य किया जाये और सरदहा मार्ग से जोड़ा जाये, गोरिया मार्ग को सरदहा भीमवर मार्ग का लेपन कार्य किया जाये, मालताड़ी से बरसड़ा मझौवा होते हुये बिजयापारा तक लेपन का कार्य किया जाये। सेहदा आजमपुर मार्ग का लेपन। मान्यवर, कप्तान गंज में एक डिग्री कालेज है और दो-दो इन्टर कालेज हैं लेकिन वहां पर सड़क ठीक नहीं है जिससे लड़के लड़कियां पढ़ने के लिये नहीं जा पाते हैं। मान्यवर, दीन दयाल उपाध्याय योजना के अन्तर्गत 2 किलोमीटर तक के गावों को जोड़ने की योजना है, अगर यह दूरी 3 किलोमीटर कर दी जाये तो बहुत से गांव सड़कों से जुड़ जायेगें। मान्यवर, अब मैं सड़कों की गुणवत्ता के बारे में कहना चाहता हूं। इन सड़कों की गुणवत्ता सही नहीं होती है और अधिकारी कमीशन खा जाते हैं, अगर इस पर अंकुश लगा दिया जाये तो बहुत अच्छा होगा और इसी से दो किलोमीटर के स्थान पर तीन किलोमीटर की सड़कें बन जायेगी। मान्यवर, मैं एक बात कहकर अपनी बात को समाप्त करता हूं, जो पुरानी सड़कें हैं, वह टूट गयी हैं उनको ठीक कराया जाये। बलिया कल्याणपुर मार्ग, बनकट असरफपुर मार्ग कन्धरा पुर चेवता मार्ग, कन्धरापुर, जोल्हापुर मार्ग परशपुर शंकरपुर मार्ग महराज गंज, सहदेव गंज मार्ग की सड़कें टूट गयी हैं, इनकी मरम्मत कराने की कृपा करें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री प्रेम स्वरूप पाठक–

मान्यवर, माननीय लोक निर्माण विभाग के बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मुझे एक गीत याद आता है। "तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुझे बनाया" तो यह वास्तविकता है। माननीय मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है वह सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय है। मैं इसका हार्दिक समर्थन करता हूं। वास्तव में यह ऐतिहासिक बजट है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय प्रदेश की सड़कों की लम्बाई 15,113 कि०मी० थी जो अब बढ़ कर एक लाख 17 हजार 584 कि० मी० हो गयी है। प्रदेश के बहुमुखी विकास के लिए सड़कों का विकास, ग्रामीण संपर्क मार्गों का विकास पुल-पुलियों का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनकी उपयोगिता को देखते हुए ही सरकार ने सड़क विकास निधि की घोषणा की है। राष्ट्रीय राजमार्ग तथा राजकीय राजमार्गों को गड्ढामुक्त करके आपने बहुत प्रशंसा अर्जित की है। सड़कों के समुचित अनुरक्षण और नवीन मार्गों का निर्माण और ग्रामीण क्षेत्रों को सड़कों से जोड़ना और मार्गों का सुदृढ़ीकरण करना यह सरकार ने बहुत प्रशंसनीय काम किया है और उसके लिए सड़क निधि स्थापित की है। कमजोर और सकरे पुलों का निर्माण करने की योजना है। रेलवे क्रासिंग पर उपरगामी और अधोगामी पुलों का निर्माण करना भी प्रशंसनीय कार्य है सन् 1994 में राष्ट्रीय राज मार्गों की संख्या 11 थी जिनकी लम्बाई 2749 कि० मी० थी जो 1998-99 में बढ़कर 19 हो गयी है उसकी लम्बाई 4422 कि० मी० हो गयी है जो 493 राष्ट्रीय राज मार्ग हैं उनके नवीनीकरण की भी बात की गयी है यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस बजट की जितनी प्रशंसा की जाय वह कम है। मान्यवर, जो बजट आपने प्रस्तुत किया है उसके माध्यम से मैं कुछ थोड़ा सुझाव रखना चाहता हूं।

बदायूं नगर की बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण वाहनों के आने-जाने में अत्याधिक असुविधा हो रही है। दो-दो घन्टे जाम लग जाते हैं मेरी मांग है कि जनहित में कुछ आवश्यक कार्यों का इस बजट में

समावेश करने की कृपा करें। बदायूं, बरेली, कासगंज के लिए एक बाईपास बनाया जाय। बदायूं नगर के मध्य निकलने वाली रेलवे लाइन पर ओवर ब्रिज बनाया जाय। बदायूं में एक छोटी जियारत है उसमें बड़ी संख्या में पास के लोग वहां आते हैं वहां पर पास में एक सोत नदी है उसमें रपटा पुल बनाने की कृपा करें। इसी तरह विभिन्न सम्पर्क मार्गों पर पुलिया न बनने से आवागमन में अवरोध होता है और वह मार्ग अधूरे पड़े हैं ऐसे सम्पर्क मार्ग लगभग 15 हैं जिन पर पुलियों का निर्माण होना है। इसलिए उसको भी उसमें समावेश करने की कृपा करें। एक ग्राम पंचायत बरामयखेड़ा है वहां पर रहने वाले एवं उसके पास रहने वाले किसानों की उनकी उपज का सही मूल्य नहीं मिल पाता है उनको काफी दूर से आना जाना पड़ता है यह तीन पांच कि०मी० का रोड है, इसको डामर करने की कृपा करें तो निश्चित रूप से किसान की उसकी उपज का सही मूल्य मिल सकेगा।

बदायूं नगर के अंदर हाटमिक्स रोडें बनवाई जाये। बरेली से कछला तक हाटमिक्स रोड की आवश्यकता है। जहां तक बरेली जिले की सीमा है वहां तक हाटमिक्स रोड है। परन्तु बदायूं जनपद की सीमा शुरू होते ही जो सड़क है वह चौड़ी तो है पर वह बहुत ऊंची नीची रोड है। इसको हाट मिक्स रोड बनाया जांय।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया आप अपनी बात जल्दी समाप्त करें।

श्री प्रेम स्वरूप पाठक–

बस एक मिनट में मैं अपनी बात खत्म करता हूं। नगर पंचायत कछला है जहां पर गंगा नदी पर रेलवे का एक पुल है उस रेलवे के पुल से ही जो भी सड़क वाहन है उन्हें उसी पुल से आना-जाना पड़ता है क्योंकि वहां कोई और पुल है ही नहीं। रेलवे ने यह अल्टीमेटम दिया है कि इस पर केवल रेल मार्ग ही चलेगा इस पर अन्य यातायात बन्द कर दिया जायेगा। मान्यवर यहां पर पुल बनाने की अत्यन्त आवश्यकता है। इस पुल के निर्माण के कई वर्ष लगेंगे। परन्तु तब तक गंगा नदी पर पेन्ट्रन ब्रिज शीघ्र बनवा दें, आपने इसकी स्वीकृत तो प्रदान कर दी है इसमें लगने वाले धन को अवमुक्त करने की कृपा करें। माननीय मंत्री महोदय आप 17 अप्रैल को बदायूं जिले में दो पुलों का शिलायान्स करने के लिए आ रहे हैं। मै आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि जब आप बदायूं आयें तो उन दो पुलो के साथ इस पुल का भी शिलान्यास कर दें जिससे कि आम जनता को इन समस्याओं का सामना न करना पड़े। अब मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उदय राज यादव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे लाल जी वर्मा जी द्वारा रखे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। उत्तर प्रदेश में सड़कों के विकास के लिए तमाम घोषणायें की गई। पहली योजना मा० मंत्री जी द्वारा घोषणा नहर पटरी मार्ग को पक्का करने की की गई। इस घोषणा में जो कि वर्ष 97-98 में की गई थी। मान्यवर, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मा० मंत्री जी द्वारा वास्तव में प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाने का काम बदले की भावना से किया जा रहा है। मान्यवर, जिन-जिन क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी के विधायक हैं वहां-वहां पर कोई भी विकास का कार्य नहीं किया जा रहा है। यह सब बदले की भावना से किया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर वर्ष 97–98 में मंत्री जी द्वारा 1023 कि०मी० नदी पटरी पक्की किये जाने की घोषणा की थी। 1023 किलोमीटर नहर पटरी पक्की करने की घोषणा थी वर्ष 1998-99 में 802 किमी० नहर पटरी पक्की करने का काम किया गया। मैं माननीय मंत्री जी से पूंछना चाहता हूं कि जिस समय प्रस्ताव मांगे गये थे उस समय मेरे द्वारा भी प्रस्ताव दिया गया था। उन्नाव जनपद में 28 किलोमीटर नहर पटरी पक्की कराने का आदेश मा० मंत्री जी द्वारा दिया गया। मेरे द्वारा वर्ष 98-99

में विधान सभा पुरवा के अन्तर्गत नहर की पटरी पक्की कराने का प्रस्ताव दिया गया था जिसके परिप्रेक्ष्य में मात्र एक किलोमीटर 600 मीटर की पटरी पक्की करने का काम ही मेरे क्षेत्र में किया गया है। वर्ष 1997-98 में भी एक भी काम नहीं किया गया जबकि मेरे द्वारा प्रस्ताव बराबर भेजा जाता रहा। पंडित दीन दयाल उपाध्याय मार्ग योजना के अंतर्गत भी इस सरकार ने कोई कार्य नहीं किया जबकि योजनायें तो बहुत सी चलायी थीं। मुझे प्रस्ताव देने के लिये कहा गया था लेकिन एक भी प्रस्ताव माननीय मंत्री जी द्वारा नहीं माना गया। मैने देखा कि एक हजार से अधिक आबादी वाले गांवों में 107 कार्य प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकार किये गये हैं। वर्ष 98-99 में 707 ग्राम की सड़क को पक्का करने की योजना बनी है और काम हो रहा है।

लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज से 3 महीने पूर्व मंत्री जी ने मेरे क्षेत्र में जाकर जिन सड़कों के शिलान्यास का काम किया था उस सड़क पर एक पैसे का काम नहीं हुआ है। अगर इसी तरह से विकास की बात करेंगे तो विकास नहीं हो सकेगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत एक भी किलोमीटर सड़क पक्की नहीं की गयी है। आपने जो घोषणायें की हैं उन सड़कों पर कोई काम नहीं किया गया है। इस तरह से फर्जी वाहवाही आपने लूटने का काम किया है। मैं कहना चाहता हूं कि जिला सेक्टर में मेरे जिले उन्नाव में जिलाधिकारी द्वारा पुरवा विधान सभा क्षेत्र में एक भी सड़क स्वीकार नहीं की है। मान्यवर, इतना ही नहीं जिससे बजट सत्र में मंत्री जी द्वारा घोषणा की गयी थी कि पहले उन सड़कों का काम पूरा किया जायगा जिन पर 75 प्रतिशत से ज्यादा काम हो चुका है। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि मैंने पिछले वर्ष भी कहा था और 1-2 सड़कों का जिक्र भी किया था। उन सड़कों पर 80-90 प्रतिशत काम हो चुका है केवल 10-15 प्रतिशत काम बाकी है जिससे लोगों को आने-जाने में असुविधा होती है। मैंने कहा था कि मोहनलाल गंज-जुनाव गंज रोड से होते हुये एक मार्ग बेपड़ोरा चौलाई तक जाती है। लगभग 16 किलोमीटर लम्बी सड़क है जिसमें 13-14 किलोमीटर 10 वर्ष पूर्व बन चुकी है केवल 1300 मीटर सड़क पर गिट्टी पड़ी है इसका डामरीकरण होना चाहिये। लेकिन आज तक नहीं हुआ दूसरी सड़क है जिसके बारे में मैंने पिछली बार भी कहा था और नियम 51 में सूचना भी दी थी कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में पुरवा, उन्नाव मार्ग से पुरावा मिलकिलां-बनी मार्ग है जो बनी पर निकलता है। उसको बने 20 वर्ष हो गये हैं। यह लगभग 22 कि० मी० लम्बी सड़क है जिसमें 3 कि० मी० ऐसी सड़क है जिस पर गिट्टी पड़ी हुयी है। लेकिन उसको पक्का नहीं किया गया है, उसका डामरीकरण होना चाहिये। मान्यवर, आज मंत्री जी विकास की बात कर रहे हैं और सत्ता पक्ष में बैठे हुये लोग बड़ी वाहवाही कर रहे हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर सड़कों का विकास हो रहा है लेकिन बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि चाहे गड्ढा मुक्त सड़कों की बात हो या नयी सड़कों के निर्माण की बात हो आज से 20 वर्ष पहले जो सड़कें बनी थीं उनकी गिट्टी उखड़ गयी है, उनका कोई पुरसा हाल नहीं है। मैंने एक चिट्ठी लिखी थी मौरावां गुलरिहा मार्ग के बारे में, इस मार्ग की हालत बहुत खराब है यह सड़क 25-30 वर्ष पूर्व बनी थी आज उसकी हालत यह हो गयी है कि उस पर चलना मुश्किल हो गया है। मेरा अनुरोध है कि बदले की भावना के साथ दूसरे दल के लोगों के क्षेत्रों में सड़कें आदि के बनाने के कार्य में जो सौतेला व्यवहार किया जा रहा है और इस तरह से भेदभाव के साथ विकास कार्य किया जा रहा है, इसको छोड़कर सभी दलों के माननीय सदस्यों को समानता का अवसर देकर उनके क्षेत्रा में विकास पर ध्यान दें इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

* श्री पूर्णमासी पंकज–

मान्यवर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे लोक निर्माण मंत्री जी द्वारा जो महत्वपूर्ण बजट रखा गया है उस पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आभारी हूं। अभी हमारे विपक्ष के

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

भाई हमारी सरकार के बारे में कह रहे थे, कि आपने इतनी बड़ी बड़ी योजनायें बना लीं आपके पास पैसा कहां से आयेगा जो हमारी नीति पर और नीयत पर शंका नहीं होनी चाहिये।

पैसा तो सारा आप पहले ही झपट गये,
करके खजाना खाली आप खुद ही हट गये,
लेकिन अब हम अभाव खटकने नहीं देंगे,
जनता को सुविधा देने को हम भी हैं डट गये ॥

जनता में मेरे विश्वास का तो बड़ा ग्राफ है,
सिर्फ आप ही का लगता दिमाग हाफ है,
हमने जो कहा कर दिया और कर भी रहे हैं,
हमारी नीति और नीयत दोनों साफ है ॥

खुद कुछ किये नहीं, प्रदेश थे लूट, जो रहे,
सरकारों का यहां क्यों रोना रो रहे,
जनता सराहती, विकास खूब हो रहा,
इनको दिखाई पड़ता नहीं, शायद हैं सो रहे ॥

गयी आदत नहीं इनकी सदा लड़ने वाली,
अपनी गलती दूसरों के शीश पर मढ़ने वाली,
अपनी करतूतों पर अब कितना ही परदा डालो,
काठ की हॉडी अब दुबारा नहीं चढ़ने वाली ॥

सड़कें सभी हमारी गड्ढामुक्त हो रही,
चकरोडें भी पक्की सड़कों से संयुक्त हो रही,
कलराज जी ने ऐसी व्यवस्था दी इस समय,
दो हजार तक सड़कें सभी दुरुस्त हो रही ॥
भदोही में इतनी भीड़ है, चलना दुश्वार है,
फाटक जो हुआ बन्द, रस्ते में मरता बीमार है,
स्कूल छूट जाता, बच्चे जा नहीं पाते,
ओवरब्रिज एक बनवा दें वहां, हम लाचार हैं ॥

उत्तर प्रदेश विधान सभा

भदोही को बावतपुर से आपने जोड़ दिया है,
बनना शुरू हो गया, आपने छः करोड़ दिया है,
विकास धुआंधार चारों ओर हो रहा,
पिछली सरकारों को काफी पीछे छोड़ दिया है ।.

भाजपा ने आज तक जो कुछ समाज में किया है,
ऐसा न काम आज तक कोई जाबांज ने किया है,
आवागमन हमारा अब निर्विघ्न चलेगा,
डेढ़ करोड़ का पुल हमें भी कलराज ने दिया है ।.

पुल देकर शूल जनता का आपने दूर कर दिया,
काम के जरिये नाम अपना मशहूर कर दिया,
कलराज था श्री कलराज का कल राज रहेगा,
सारी जनता को साथ रहने पर मजबूर कर दिया ।.

कुछ छोटे पुल भी चाहिये, किसान के लिए,
खेती नहीं कर पा रहे, सन्तान के लिए,
नजरे इनायत थोड़ा, सा कर दे इधर श्रीमन्,
हम भी हैं परेशान, अपनी पहचान के लिए ।.

इन शब्दों के साथ माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री सुभाष चन्द्र श्रीवास्तव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आभारी हूं कि आपने लोक निर्माण विभाग के बजट पर माननीय लाल जी वर्मा द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया । मैं कुछ कहने के पहले माननीय वर्मा जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं । श्रीमन् आपकी अनुमति से यह कहना चाहता हूं कि माननीय लोक निर्माण मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया, उस पुस्तिका को आयोपांत बहुत निकट से निहारने और पढ़ने का प्रयास किया । कि इसमें जिन कार्यों के लिए माननीय मंत्री जी ने बचन दिया था उन्हें कार्यरूप दिया गया या नहीं । बहुत परिश्रम और मशक्कत करने के बाद भी मुझे पुस्तिका में उन कार्यों के उल्लेख नहीं मिले जिनको कराने की घोषणा मा० मंत्री जी ने बाहर की थी । माननीय लोक निर्माण मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आज से कुछ दिन पहले लोक निर्माण विभाग में दो खण्ड अलग-अलग हुआ करते थे, भवन और रोड । दोनों को अब एक में मिला दिया गया । लोक निर्माण विभाग में जो सिविल अभियन्ता हैं उनकी रुचि भवन निर्माण में नहीं है । वह सब के सब मार्ग निर्माण में जाना चाहते हैं । दोनों डिवीजनों के मर्जर के बाद यह जानकारी है कि उत्तर प्रदेश सरकार 80 साल पुराना आर्कीटेक्ट संवर्ग को मृत घोषित करने की तैयारी प्रदेश सरकार कर रही है । विधान भवन का नक्शा, दारुल शफा का नक्शा, योजना भवन का नक्शा उनका बनाया

हुआ है । उच्च न्यायालय का भवन उनके मानचित्र पर बना है । उनकी गुणवत्ता सर्वविदित है । लेकिन एक सुनियोजित षड़यन्त्र के तहत उस पुराने कैडर को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है । अभी इस कैडर के कुछ लोगों को जबरदस्ती बिना उनकी सहमति के राजकीय निर्माण निगम में प्रतिनियुक्ति पर भेज दिया गया । मैं माननीय मंत्री जी के समक्ष कुछ बातें रखना चाहता हूं । इस कैडर को मृत घोषित करने का निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार के लिए सुखदाई और अच्छा परिणाम देने वाला नहीं होगा । मैं कहना चाहता हूं आज उस संवर्ग पर कोई भी अतिरिक्त शासकीय व्यय नहीं है । विगत 3 वर्षों में इस संवर्ग के लोग 150 करोड़ रुपये के भवनों के मानचित्र बनाए जिसमें से केवल 1.4 प्रतिशत अधिष्ठान व्यय आया । आज की तारीख में भी भवन और मार्ग दोनों के मर्जर के बाद भी आपके विभाग में इतना स्कोप है कि इस संवर्ग को विभाग में खपाया जा सकता है । इन्हें राजकीय निर्माण निगम में न भेजा जाये । अभी लोक निर्माण विभाग का निरीक्षण भवन मक्का खास, सहारनपुर में बनना है जिसकी मा० मुख्यमंत्री जी की जानकारी है । जिसमें पी०डब्लू०डी० में लागत खर्च 66 लाख बताई और राजकीय निर्माण निगम ने 99 लाख रु० बताई ।

अगर यह वास्तुविद संवर्ग मृत घोषित कर दिया जाता है तो क्या होगा प्रदेश के पांच इंस्टीट्यूट से निकलने वाले प्रतिवर्ष 200 आर्किटेक्ट विभिन्न पालीटेक्निक से 140 आर्किटेक्ट डिप्लोमा धारियों की जो विभाग के इस संवर्ग से रोजी रोटी पाते हैं । इससे उनके सामने बेरोजगारी का संकट उत्पन्न हो जायेगा । मैं मा० मंत्री जी को इस सम्बन्ध में दो तीन सुझाव देना चाहता हूं । जब आपके सिविल इंजीनियर आजकल रुचि नहीं ले रहे हैं । भवन निर्माण में तो आपने रोड और बिल्डिंग डिवीजन को मर्जर कर दिया लेकिन अभी भी यह सम्भव है कि मार्ग और भवन को वर्टिकली डिवाइड कर दिया जाये क्योंकि अब सिविल अभियन्ता भवन निर्माण का काम नहीं करना चाहते इसलिये इस पुरानी कैडर से ही भवन निर्माण का काम लिया जाय तथा वर्तमान व्यवस्था में ही सिविल अभियन्ता मार्ग के निर्माण काम करें । वास्तुविद भवन निर्माण का काम करें । उन्हें मृत संवर्ग न घोषित किया जाय । चाहे दीन दयाल योजना हो या श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना हो मंत्री जी आपसे मेरे बहुत पुराने संबंध हैं मैं आपसे विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि कल 1997-98 तथा 1998-99 की जिला योजना की सड़कें हमारी जानकारी में सम्पूर्ण पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं बनी । आपने प्रशासकीय स्वीकृति उन सड़कों की जारी कर दी उसके बाद जब फाइनेंशियल एप्रूवल की बात आई तो तीन प्रमुख सचिवों प्रमुख सचिव वित्त, प्रमुख सचिव नियोजन, प्रमुख सचिव पी०डब्लू०डी० ने वित्तीय स्वीकृत निर्गत करते हुए एक शासनादेश जारी कर दिया कि जो स्वीकृत सड़कें हैं वह एक कि०मी० 4 लाख 97 हजार 60 में ही बनाएं । यदि इससे ज्यादा लागत खर्च आता है तो अलग-अलग परियोजनाओं के बेस पर भेजकर शासन से पुनः अनुमति प्राप्त करने के बाद ही निर्माण कार्य कराये जांय । इस बजट पुस्तिका में जो परफारमेंस दिखाई गयी है वह सत्य से परे है । सम्पूर्ण पूर्वान्चल में एक भी सड़क लेपन स्तर तक नहीं बनी है । मेरा विधान सभा क्षेत्र इसका साक्षी है । चार लाख 97 हजार रुपये के प्रतिबन्ध सम्बन्धित शासनादेश के कारण ऐसा हुआ है । पूर्वान्चल में आप गिट्टी मिर्जापुर से मंगायेंगे । मिर्जापुर से माडा तहसील 3 कि०मी० है वहां के लिए भी 4 लाख 97 हजार रुपया और वहां से देवरिया 300 कि०मी० दूर हैं उसके लिये भी 4 लाख 97 हजार रुपया इसलिए इस शासनादेश के चलते कारण प्रतिपूर्ति के तौर पर सरकार को जो नुकसान उठाना पड़ेगा वह तकरीबन 5-6 करोड़ रुपया का होगा । माननीय मुख्यमंत्री जी देवरिया नगर का एक सबसे बड़ा संकट है वहां पर एक रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण होना है परन्तु आज तक राज्य का जो अंशदान नहीं मिल पाने के कारण अब तक उस उपरिगामी सेतु का निर्माण नहीं हो सका । सन् 1999-2000 के वित्तीय वर्ष के विभागीय बजट इस पुस्तिका में कहीं इसका जिक्र नहीं है । छोटी गण्डक पर गोरियाघाट की प्रशासनिक स्वीकृति 1991 में मिल गयी थी परन्तु वित्तीय स्वीकृति आज तक नहीं मिली अब सूचना मिली है कि नाबार्ड से पुनः इसकी प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हुई है ।

लोक निर्माण एवं पर्यटन मंत्री (श्री कलराज मिश्र)–

जब किसी योजना को छः वर्ष हो जाते हैं तो वह स्वतः निरस्त हो जाती है इसलिए हमने इसको दोबारा भेजा है।

श्री सुभाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मैं इन परियोजनाओं को माननीय मंत्री जी को सुपुर्द करता हूं। आपात काल के दौरान देवरिया जेल में हम एक साथ रहे हैं। यह जो पुस्तिका दी गयी है इसे अफसरशाही ने अपनी तरह से तैयार किया है इसलिए मान्यवर मैंने जो बातें यहां पर रखी है उस पर आप विशेष ध्यान देंगे इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री बालचन्द्र मिश्र–

मान्यवर, प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिए आपने मुझे अनुमति दी इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। माननीय लोक निर्माण मंत्री जी बहुत अनुभवी और बुद्धिमान है और काफी महत्वाकांक्षी योजनाएं उन्होंने बनाई हैं। जो सड़क नीति बनाई है मैं बल देकर उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। इस विषय पर नीति बनाते समय एक-दो महत्वपूर्ण बिन्दुओं से सम्भवतः उनका ध्यान हट गया था। सामाजिक दृष्टि से समाज में जो पिछड़े हैं कुचले हैं, निर्धन हैं और सामाजिक दृष्टि से वे बहुत पीछे छूट गये हैं उन्हें समाज की अग्रिम पंक्ति में लाने हेतु आरक्षण नीति का जो तर्क है उसी आधार पर उसी प्रकार मार्ग नीति बनाते समय इस उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में जहां विकास पिछड़ा हुआ है, जो बिल्कुल ड्राई एरिया है, अगर उनके लिए कुछ आरक्षण की तरह से आप विशेष वरीयता दें तो इस मार्ग नीति की सफलता ज्यादा समीचीन होती। विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण अंचलों में गांवों को आपस में जोड़ना है परन्तु एक बड़ा दुखद पहलू यह है कि नगर निगम के क्षेत्राधिकार में बहुत से ग्राम आते हैं। नगर निगम में जब ज्यादा धन आता था तब वे गांव ग्रामीण अंचल में थे और अब जब ज्यादा धन ग्रामीण अंचलों में जाने लगा है तो वह गांव नगर निगम के अन्तर्गत आ गये हैं अब ऐसे गांवों की दशा त्रिशंकु की तरह हो गयी है। इन गांवों में विकास कार्य न तो नगर निगम करता है और न ही प्राधिकरण। इसलिए मेरा निवेदन है आपने जो सड़क नीति बनाई है उसमें इस पर भी ध्यान देते। इसके अलावा भी कोई प्राविधान करें कि जो चार निगम क्षेत्राधिकार में ग्रामीण अंचल हैं उनको किसी तरह से सर्म्पक मार्ग से जोड़ा जा सके और उनको शहरों से जोड़ा जा सके। एक बात सुझाव के रूप में माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि नगरीय क्षेत्रों में जो सड़कें हैं उनमें से कुछ लो०नि०विभाग की हैं जो हजारों साल पुराने नक्शे के आधार पर हैं उनके अनुसार उनकी प्लैनिंग थी। उन पर आज तक शोध नहीं हुआ आपके यहां एक से एक अनुभवी और योग्य अभियन्ता हैं लेकिन नगरों की प्रकृति को देखते हुए सड़कों के निर्माण व मेन्टीनेंस के लिये नया नक्शा नहीं बनाया इसके लिये मेरा सुझाव है कि इन समस्याओं के समाधान के लिये नक्शे में परिवर्तन की आवश्यकता होगी। अभी तक सौ मीटर चौड़ी सड़क बनने में 10 मीटर बीच में बना दी गई और 45-45 मी० चौड़ी दोनों तरफ अतिक्रमण के लिये छूट जाती है। इसमें तकनीकी परिवर्तन किया जाय आपके यहां योग्य अभियन्ता हैं। 10 मीटर बीच में बनाने के बजाय बिल्डिंग लाइन के दोनों तरफ 5-5 मीटर बना दें और 90 मीटर बीच में आ जाय तो अतिक्रमण होने की प्रक्रिया रुक जायेगी। 90 मीटर चौड़ी और दो किलोमीटर लम्बी सड़क का कितना एकड़ एरिया हुआ वह गणना करने के बाद समझ में आयेगा। इतना अगर फूलों की खेती कर देंगे तो उससे जो धन आयेगा वह सड़कों के खाते में जमा करवा देंगें तो सड़क के पुर्ननिर्माण के लिये अलग से प्राविधान नहीं करना पड़ेगा। प्रदूषण जो आज महानगरों की समस्या है, इस बागवानी से प्रदूषण की समस्या का समाधान भी होगा और बेरोजगारों को सतत् कार्य मिलता रहेगा। फलदार वृक्षों को भी

बीच-बीच में लगायें और जब सड़कों को चौड़ा करना हो तो किनारे से बीच की तरफ चौड़ा करने की प्रक्रिया करें समय कम है इसलिये मैं जल्दी ही अपनी बात समाप्त करूंगा।

अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि पुलों की झाड़ियां लग गई हैं। सूची बहुत लम्बी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कानपुर नगर के दक्षिणी क्षेत्र की आबादी ज्यादा है रेलवे लाइन से बीच में वह विभाजित है उस पर दस उपरिगामी सेतु का आंकलन बनाकर आपके विभाग में आया हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि जब वे अपना उत्तर भाषण दें तो इस सम्बन्ध में भी जरूर कुछ कहें। इसी तरह से मुद्रिका मार्ग का आंकलन कराकर भेजा गया है। 10 उपरिगामी सेतु और आउटर रिंग रोड का आगणन सवा पांच सौ करोड़ का आपके विभाग में आया है। इसको किसी न किसी वित्तीय संस्था से करवायें। अपने बजट भाषण के उत्तर में कृपापूर्वक कोई संकेत, या आश्वासन आपकी तरफ से आ जाए, कुछ जानकारी मिल जाय। एक और निवेदन करना चाहता हूं कि आपका जो निर्माण निगम है उसमें बड़े ही योग्य अभियन्तागण हैं। बहुखण्डी इमारतें बन रही हैं उसमें इतनी त्रुटि है कि उसकी जो डक्ट है वह खराब है। बहुखण्डीव मंत्री आवास में दो-तीन महीने से पानी चू रहा है मेरे कमरे में वह रिपेयर नहीं हो पा रहा है नक्शे की त्रुटि के कारण। एक महीने से मेरे कमरे में पानी नहीं आया है। नक्शे की त्रुटि है, सीवर की जो लाइन है वह जो विन्डो बनी है उसके आगे है और पानी की सप्लाई लाइन पीछे की तरफ है। मान्यवर, कलकत्ता के गेस्ट हाऊस को आप देखे तो वहां हर फ्लैट के लिए अलग से कनैक्शन है। यदि रिपेयर की बात होती है तो मरम्मत का कार्य बाहर से कर लिया जाता है। इसी तरह इन बहुखण्डी इमारतों का निर्माण होना चाहिए।

मान्यवर, अन्त में एक और निवेदन है कि दो विषय हैं एक तो, अन्य कार्यों को लेकर जब मैंने आपको पत्र भेजा तो सूचना आयी कि विभागीय अधिकारियों को उसे भेज दिया गया है लेकिन एक भी काम नहीं हुआ न विभागों से अब तक कोई सूचना ही आई और जो हमने पत्र में लिखा था कि बाईपास पर रामादेवी चौराहे के पुल को चौड़ा कर दिया जाय तो उसमें ईंट की सोलिंग तक अभी तक नहीं हुई है। इसी तरह भदमेया नौबस्ता के टीले के सम्बन्ध में पहले का सर्वे है उसमें भी कोई काम अभी तक नहीं हुआ है। मान्यवर, प्रान्तीय खण्ड देवरिया में एक अधिशासी अभियन्ता हैं, जानकारी मिली है, आप के संज्ञान में भी है, मुख्यमंत्री को वहां के लोगों ने भी लिखा है कि देवरिया में कराये गये कार्यों की टी०ए०सी० से जांच करायी जाय। मेरी भी मांग है कि इसके कार्यों की आप टी०ए०सी० से जांच करवा दें तो आपकी अच्छी छवि बनेगी। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

* श्री उबैदुर्रहमान–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से मैं लोक निर्माण विभाग का जो बजट प्रस्तुत किया गया है और उसमें जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है मैं उस पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूं।

मान्यवर, मैं अपने विधान सभा क्षेत्र के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि गोण्डा जनपद में उतरौला क्षेत्र में पिपरा घाट पर सन् 1979 में नाव के डूब जाने से 72 आदमी मर गये थे। इस घटना के बाद वहां पुल बनाने के लिए सरकार से कहा था और जिसके लिए वर्ष 1989 में 1.59 करोड़ रुपये स्वीकृत भी कर दिया गया था कि वहां पुल बना दिया जाय लेकिन वह धन दूसरी जगह खर्च कर लिया गया। इसलिए मेरा सुझाव है कि उतरौला में पिपराघाट पर एक पुल यथाशीघ्र बनाया जाय।

मान्यवर, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि उतरौला मार्ग से गोण्डा को जाने वाली सड़क पर 1997-98 में गुमड़ी का पुल टूट गया था जिसको अभी तक नहीं बनाया गया है। मंत्री जी से मेरा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

सुझाव है कि बरसात आने के पहले इस पुल को बना दिया जाय तो अच्छा होगा जिससे आने-जाने वालों की समस्या दूर होगी और उतरौला विधान सभा क्षेत्र के लोगों को सादुल्लानगर, मसुकन्वा, मनकापुर में लोगों को आने-जाने में सुविधा हो सके।

मान्यवर, मेरा तीसरा सुझाव है कि मेरे यहां कुसमौरा घाट पर पुल बना दिया जाय तो अच्छा होगा जिससे कुसमौरा, मनकापुर और उतरौला के लोगों को आने-जाने में सुविधा होगी। इसके साथ ही छितरपारा ग्राम सभा है जो आसाम रोड पीलीभीत से गडास्र ब्लाक को जोड़ने के लिए मैं चाहता हूं कि स्वाव नदी पर एक पुल बना दिया जाय तो अच्छा होगा जिससे 40-50 ग्राम सभाओं की जनता को आने-जाने में सुविधा होगी।

मान्यवर, बड़े दुःख की बात है कि वर्ष 1995-96 से 1998-99 तक लोक निर्माण विभाग को जो कार्य कराने के लिए धन दिया गया है उससे वे कार्य नहीं किये गये हैं और सारे कार्य अधूरे पड़े हैं तथा केवल मिट्टी का कार्य कराकर छोड़ दिया गया है जिसके सम्बन्ध में मैंने शासन को पत्र लिखा जिसमें टी०ए०सी० से जांच के आदेश हुये लेकिन टी०ए०सी० के लोग मुझसे सम्पर्क नहीं किया और न मुझे कोई सूचना ही इस सम्बन्ध में दिया था और उसके बाद इसमें कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

(इस समय 8 बजकर 28 मिनट पर अधिष्ठाता श्री बाल चन्द्र मिश्र पीठासीन हुए)

मान्यवर, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि हमारे यहां विधान सभा क्षेत्र में दो-चार सड़कें ऐसी हैं जहां गिट्टी पड़ गयी है किन्तु उसे डामरीकृत नहीं किया गया है इसलिए मैं चाहता हूं कि महली से हुसैनाबाद मार्ग को इटई-रामपुर से जोड़ दिया जाय जिससे कई गांवों के लोगों को आने जाने में सुविधा होगी। इसी तरह हाटम रोड से सिंगारघाट तक जाने वाली सड़क का डामरीकरण करने की ओर मंत्री जी ध्यान दें। इसी तरह श्रीगंज बाजार से गुमड़ी बाजार तक मार्ग को डामरीकरण करा दिया जाय तो अच्छा होगा। मान्यवर, हमारे विधान सभा क्षेत्र की किसी भी सड़क की जांच करा ली जाय तो गुणवत्ता और मानक दोनों ही 50 प्रतिशत से ऊपर कार्य नहीं मिलेगा।

इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, पर्यटन मंत्री जी ने पर्यटन के महत्व को समझते हुए जो प्रगतिशील बजट रखने का प्रयास किया है, उत्तर प्रदेश में शासन ने इस तथ्य को समझा है कि उत्तर प्रदेश कृषि के आधार पर नहीं, उद्योग के आधार पर नहीं, प्रदेश की मजबूत आर्थिक आधार शिला का पत्थर पर्यटन भी हो सकता है। इसके लिए मैं मंत्री जी को साधूवाद देना चाहूंगा। पर्यटन का प्रकाशन मैंने देखा जिस प्रकार माननीय मंत्री जी ने 10 प्रकार के परिसव्यों का वर्णन किया है यह सम्पूर्ण नीति पहली बार इस प्रदेश में उभरकर पर्यटन के सन्दर्भ में आई है। राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन को प्रोत्साहन हेतु मील का पत्थर साबित होगी। मान्यवर, मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सोनभद्र धोरावल के पास शिव की मूर्ति अद्भुत है। विजयगढ़ का किला चुनार का किला मेरे ख्याल से जो किले बने हैं यह आज के बने नहीं है उसे राजा विक्रमादित्य ने बनवाया यह इतिहास जे जुड़ा है महाराज भतृहरि से जुड़ा है परिपथ इस विन्ध परिपथ का नाम देकर बहुत बड़ा काम किया है। साढ़े चार करोड़ की राशि पिछले वर्ष विन्ध क्षेत्र के लिए दी गई थी। विन्ध्याचल के ठीक बगल में अजमेर के ख्वाजा के भान्जे हजरत इस्माइल चिश्ती की ऐसी मजार है जिसे कतित शरीफ कहते हैं। यहां वर्ष में दो बार उर्स लगता है बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के सारे लोग, दर्शनार्थी वहां आते हैं खेद का विषय है यहां यात्रियों के लिए कोई प्रबन्ध नहीं किया है शौचालय, पेयजल का कोई प्रबन्ध नहीं है। छोटे से हैण्ड पम्प का प्रबन्ध। मैंने कहा है 50 लाख रुपया इसको दे दें। यात्री निवास, शौचालय और पेयजल का प्रबन्ध यहां कर दिया जाए तो अच्छा होगा। यह सरकार जाति मजहब से ऊपर उठकर प्रत्येक वर्ग के लिए विचार करती है 'सर्वजन'

सुखाय । सर्वजन हिताय" चरितार्थ करने के लिए कार्य करने के लिए तत्पर है । हिन्दुओं के पर्यटन स्थल के अतिरिक्त अल्पसंख्यक के धार्मिक पर्यटन स्थल जो हैं उस पर सरकार विचार कर रही है । मान्यवर, साहसिक पर्यटन के बारे में पहली बार उत्तर प्रदेश में विचार किया गया । पर्यटन संबंधी जो समस्यायें हैं माननीय मंत्री जी ने उन्हें अपनी सोच से अपनी कल्पना शीलता से करके यह सिद्ध किया है कि वह पर्यटन को वास्तव से विकसित करना चाहते हैं ।

पर्यटन को विकसित करने के लिए शासन की ओर से एक प्रयास किया गया कि जहां-जहां प्राइवेट लोग रोप वे बनाना चाहते हैं उसकी परमीशन दी जायेगी । जो प्राइवेट संस्थान इसको बनायेंगे बाद में उसका खर्चा ले लेंगे और फिर वह उत्तर प्रदेश सरकार की पर्यटन निधि बन जायगा ।

मान्यवर, इतना बड़ा काम है इतना बड़ा कदम उठाया है पर्यटन विभाग ने कि जितनी बधाई दी जाय वह कम है । मान्यवर, ब्रिज एकेडेन्सी के बारे में जो कहा गया है वह भाषण मात्र न रह जाय । यह ऐतिहासिक चीज है और इसका इतिहास में अपना एक अलग महत्व है । 1957 का स्वतंत्रता संग्राम आन्दोलन इससे जुड़ा हुआ है । इसमें मान्यवर, एक चीज और जोड़ दें । इस वर्ष खालसात्रि शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है । लखनऊ में याहिया गंज गुरूद्वारा है । खालसा पंथ है दशम् गुरू गुरू गोविन्द सिंह जी महाराज ने यहां पर दो माह का प्रवास किया था और इस स्थान को पूरे हिन्दु समाज के लिए पूरे देश के लिए इसको जोड़ा जा सके । 22 मार्च को इस उपलक्ष्य में एक यात्रा जो पटना साहब से शुरू हो रही है कीरत पुर तक जायेगी, यहां से होकर जा रही है । मुझे बड़ी प्रसन्नता है और आपको भी होगी कि माननीय मुख्य मंत्री उसका स्वागत करने के लिए उपस्थित रहेंगे । गुरू गोविन्द सिंह जी ने किसी जाति, धर्म मजहब पर विश्वास नहीं किया । गुरू वाणी में कहा गया है । कि:–

"अवा अलुशाह नूर उपाया,
कुदरत के सब बंदे,
एक नूर तो तब जग उपजा,
कौन भले कौन मंदे ।"

उसी संदेश के बारे में यह यात्रा निकल रही है । इसमें पर्यटन मंत्री जी के श्रीमुख से कुछ घोषणा हो जाय तो इसका असर पड़ेगा । मान्यवर, हस्तिनापुर में पंच प्यारे बनाये गये थे । उसमें एक गोहकम चन्द्र जी हस्तिनापुर के रहने वाले थे । मैं चाहूंगा कि उसको पर्यटन स्थान बनाया जाय । यहां पर लोग पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से दर्शन करने के लिए आ सकते हैं और आते हैं । खालसा पन्थ का, इन पंच प्यारे का तत्कालीन परिस्थितियों में समाज में समरसता लाने के लिए क्या रोल था यह संदेश जायेगा । इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बजट का भूरि-भूरि स्वागत करता हूं । लोक निर्माण विभाग के बारे में एक बात कह दूं । लोक निर्माण विभाग अब लोक निर्माण के लिए कार्य कर रहा है इनके लिए मैं बाधाई देना चाहता हूं ।

* डा० अशोक बाजपेयी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे यह कहने में गुरेज नहीं है कि माननीय मंत्री जी ने प्रदेश की सड़कों के निर्माण में जो प्राथमिकता दिखायी है वह सराहनीय कार्य है । एक वर्ष में सड़कों के निर्माण कार्य में गति आयी है । मैं दो तीन बातें सुझाव के रूप में कहना चाहूंगा । प्रदेश का मास्टर प्लान पूरे जनपद का बनाया जाय जिससे लोक निर्माण विभाग को यह मालूम हो सके कि कौन सी सड़क का

---

* वक्ता ने वाक्य का पुनरीक्षण नहीं किया ।

निर्माण हुआ है, किस पैसे से किया गया है, एस०आर०वाई०, के पैसे से किया गया है, पी०डब्ल्यू०डी० के पैसे से किया गया है, या फिर आर०ई०एस० के पैसे से किया गया है इसका एक एकाउन्ट हो। जिस तरह से बैंक में एकाउन्ट होता है उसी तरह से रोड का भी लेजर बनाया जाय। होता यह है कि एक ही सड़क कभी आर०ई०एस० के पैसे से बनायी जा रही है, कभी पी०डब्ल्यू०डी० के पैसे से बनायी जा रही है तो इससे पता चल जायेगा। पुलों के संबंध में चाहे इस पक्ष के हो या उस पक्ष के हो, आज पुलों की आवश्यकता है। उसका भी सर्वे कराया जाय और अध्ययन कराया जाय ताकि पुलों की आवश्यकता राजनीतिक आधार पर न होकर जहां आवश्यकता हो वहां बनाया जाय।

मान्यवर, पुलों के संबंध में हमारा एक मास्टर प्लान हो। एक नदी को लगातार बाधित करना भी ठीक नहीं है। पूरा सर्वे कराकर मास्टर प्लान बने। प्राथमिकता पुलों की रहे, जब कभी भी धन आये उस अनुरूप कार्य हो। राज्य योजना में सड़कें कई वर्ष पहले स्वीकृत हुई थी आज उनकी लागत बढ़ गयी है 8 कि०मी० की स्वीकृत सड़क में 4 कि०मी० ही बन पा रहा है किसी दूसरी योजना से भी धन लिया जा सकता है। आप इस में रुचि लेकर, एक सर्वेक्षण कराकर अतिरिक्त धन स्वीकृत करने का कष्ट करें ताकि पूरी लम्बाई की सड़क बन सकें। मान्यवर, आज गुणवत्ता पर भी ध्यान देने की जरूरत है। आपके जो डिवीजन बने हुए हैं उन पर कार्य भार बहुत बढ़ गया है। जल्दबाजी में आज गुणवत्ता प्रभावित हो रही है मिट्टी भरकर काम हो रहा है। जो आपकी टी०ए०सी० है उसमें 3-4 साल अधिकारी रहते हैं जिलों के निर्माण खंडों से उनके रिश्ते बन जाते हैं। अब जैसा आपका डिजाइन सेल है अन्य सेल हैं जिनके द्वारा आप गुणवता चेक करा सकते हैं। इस संबंध में कोई ठोस नीति बनाने का कष्ट करें। मान्यवर, टेंडर्स में जिला स्तर पर मैनेज करके टेंडर पूल करके काम देने का काम किया जाता है उसके अनियमितता उपजती है। एक न्यूनतम मूल्य भी निर्धारित किया जाये। और, उसके बीच खुले टेंडर की प्रतियोगिता हो।

मान्यवर, अगर वर्टिकल टेंडर हों तो जिम्मेदरी बनेगी किस अधिशासी अभियंता ने सड़क बनवायी कौन ठेकेदार था एक वर्ष तक सड़क की जिम्मेदारी बनी रहनी चाहिए। उसमें दायित्व निर्धारित हो जायेगा और गुणवत्ता में सुधार हो जायेगा। मान्यवर, पिछली बार 1 हजार कि०मी० नहरों पर सड़कें बनायी गयी इस बार भी एक हजार कि०मी० बनाने का निर्णय है। यह लेकिन वहीं बनें जहां नहर पर कोई दूसरा मार्ग न बना हो। इस तरह से समानान्तर मार्ग न बनें। मान्यवर, जो जिले के मार्ग है उनका स्पष्ट वर्गीकरण नहीं है। जिलों में आपके पास राष्ट्रीय महापथ हैं, राजपथ आदि है, इनको डिमार्क कर दें इन सड़कों की मेंटीनेंस के ऊपर किस-किस तरीके से मानक निर्धारित होंगे। इन सड़कों की प्राथमिकता निर्धारित रहे और इनके मेंटिनेंस के लिए न्यूनतम काम होता रहे। इसलिये इनकी सड़कों का वर्गीकरण करें। लोक निर्माण विभाग की सड़कों का मास्टर प्लान बनाकर बजट करा दें, ताकि लोगों को मालूम रहे कि यह लोक निर्माण विभाग की सड़क है। इसके अलावा प्रत्येक सड़क का अलग एकाउन्ट मेन्टेन कराने का काम करें, इन्हीं शब्दों के साथ कटौती प्रस्तव का समर्थन करते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव–

अधिष्ठाता महोदय; उत्तर प्रदेश सरकार के लोकप्रिय, लोक निर्माण एवं पर्यटन मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत पर्यटन विभाग के बजट पर चर्चा में भाग लेने के लिये आपने अवसर दिया, इसने लिये मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। मान्यवर, मैं केवल अपने को लखनऊ की सीमा में बांधकर रखना चाहता हूं। मैं बाधाई देना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी को, कि उन्होनें चन्द्रिका देवी मन्दिर का सौन्दर्यीकरण, डालीगंज मनकामेश्वर मन्दिर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण, चिनहट पिकनिक स्पाट का निर्माण, काकोरी शहीद स्थल का सौन्दर्यीकरण, आलमबाग से बुद्धेश्वर मंदिर तक पहुंच मार्ग का निर्माण, अशोक मार्ग से

सप्रू मार्ग होते हुये शाहनजफ इमामबाड़े तक सौन्दर्यीकरण किया है । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि प्राचीन काल से पर्यटन का बड़ा महत्व है । पहले एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने की सुविधायें नहीं थीं, उस समय भी पर्यटन के माध्यम से, लोगों के रहन-सहन, तौर-तरीके, उनकी संस्कृति, भाषा एवं खानपान का प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता था । संत तुलसीदास, संत कबीर ने कहीं किसी विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, केवल देशाटन, पर्यटन के द्वारा इतना ज्ञान अर्जित किया कि उनके द्वारा लिखे साहित्य पर आज शोध हो रहे हैं । जगदगुरू शंकराचार्य ने भी घूम-घूम कर सांस्कृति सौहार्द स्थापित किया था ।

मान्यवर, लखनऊ को भगवान श्रीराम के अनुज वीरवर लक्ष्मण ने बसाया था । लखनऊ एक ऐतिहासिक स्थल है जहां अनेक दर्शनीय स्थल हैं, चाहे बड़ा इमामबाड़ा हो, या छोटा इमामबाड़ा, शाहनजफ, हजरत महल पार्क, अजायब घर, राजा टिकैतराय के नाम से बना टिकैतराय तालाब, शीतला देवी मन्दिर, बुद्धेश्वर मंदिर, चन्द्रिका देवी मन्दिर वहीं पर हैं । इसके अलावा याहियागंज का ऐतिहासिक गुरूद्वारा भी मेरे ही विधान सभा क्षेत्र में है ।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में राजा टिकैतराय के नाम से जो ऐतिहासिक तालाब था, वह अब सूख गया है । वहां पर एक म्यूजिकल फाउन्टेन बनवाया गया, वह प्रधानमंत्री जी की सांसद निधि से बन तो गया किन्तु उस क्षेत्र में सौन्दर्यीकरण की अत्यन्त आवश्यकता है । मेरी आपसे मांग है कि उसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाय । मान्यवर, मेरे क्षेत्र में बुद्धेश्वर मन्दिर है, जो एक ऐतिहासिक स्थान है, मैं चाहता हूं कि जो मोहान रोड से होकर रास्ता आलमनगर को जाता है, वह नहीं बना है, उसको बनवाया जाय । और एक बात मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा जो लखनऊ से संबंधित है । मेरे विधान सभा क्षेत्र में मोतीझील के सौन्दर्यीकरण की योजना कई बार बनी, किन्तु अभी तक इसका काम प्रारम्भ नहीं हुआ, इसे भी पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की मैं मांग करता हूं ।

मान्यवर, मैं कुछ सुझाव लोक निर्माण विभाग के बारे में भी देना चाहूंगा । मेरे मध्य विधान सभा क्षेत्र में सड़कों की हालत काफी खराब है, उनका निर्माण कराया जाय, इसमें प्रमुख रूप से मेडिकल कालेज से शिक्षा भवन होते हुये रिफाए-आम क्लब तक, नाका हिन्डोला से पाण्डेगंज होते हुये मेडिकल कालेज तक का मार्ग बनवाया जाय । इसके अतिरिक्त तुलसी दास मार्ग का चौड़ीकरण एवं सौन्दर्यीकरण किया जाय । इसके अलावा महिला विद्यालय से लेकर नक्खास तक सड़क का सुधारीकरण कराया जाय । अंत मैं एक सुझाव देकर अपनी बात समाप्त करूंगा । विभाग द्वारा सड़कें बनाई जाती है लेकिन उनके दोनों ओर नाली बनवाने की व्यवस्था नहीं है मैं चाहता हूं कि जहां सड़कें बनाई उसके दोनों ओर नाली का प्राविधान अवश्य किया जाय । अंत मैं इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर लोक निर्माण विभाग की जो सड़कें हैं, उन पर ध्यान दिया जाय क्योंकि यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र भी है, यहीं से संदेश बाहर जाता है, इसलिये इस पर विशेष ध्यान दिया जाय ।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, माननीय अशोक बाजपेयी जी ने पर्यटन तथा लोक निर्माण विभाग के बजट पर जो कटौती प्रस्ताव रखा है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, माननीय मंत्री जी इसलिये बधाई के पात्र हैं कि जितना काम लोक निर्माण विभाग के माध्यम से हुआ है, उसकी प्रशंसा अवश्य की जानी चाहिये, लेकिन इस आशा के साथ कि सुधार की हमेशा गुंजाइश रहती है, मैं अपनी कुछ बातें आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी तक पहुंचाना चाहता हूं । माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण के प्रारम्भ में कहा कि सड़कें हमारे निकास का प्रतीक हैं और यह हमारी इस स्थिति को भी

दर्शाती हैं कि हम कितना विकसित हुये हैं । मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि सड़कें और पर्यटन स्थल आमोद प्रमोद का साधन ही नहीं हैं, अगर हम देखें तो शंकराचार्य जी ने चार मठों को स्थापित किया था, उन मठों की स्थापना के पीछे एक उद्देश्य था और सड़कों को अगर उसी श्रेणी में लाते हैं तो हम देखते हैं कि सड़कें विभिन्न सभ्यताओं का मिलने का साधन बिन्दु थीं । श्रीमन् आप देखें कि मार्गों के माध्यम से विभिन्न सभ्यतायें मिलकर वह सभ्यता बनी है जिसके हम उत्तराधिकारी हैं, उसमें मार्गों का एक विशेष महत्व रहा है । मान्यवर, जो स्थानीय महत्व के पर्यटन स्थल हैं, वह उत्तर प्रदेश के एक कोने से दूसरे कोने तक लोगों के बीच भावनात्मक एकता पैदा करने का काम करते हैं, इसलिये यह काम बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस सरकार ने इस महत्वपूर्ण कार्य को एक ऐसे योग्य मंत्री को सौंपा है, जिन्होंने साहस के साथ इसका संचालन किया है और उसका दायित्व अपने ऊपर लिया है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी का हरिद्वार से बड़ा लगाव है, और जिस पार्टी से माननीय मंत्री जी हैं वह पार्टी धार्मिक आस्थाओं की पार्टी है, तमाम महोत्सव होते हैं, बुन्देलखण्ड महोत्सव होता है और बहुत से महोत्सव होते हैं, उनका प्रबन्ध शासन द्वारा किया जाता है, लेकिन हरिद्वार महोत्सव का प्रबन्ध शासन द्वारा नहीं किया जाता है । उसको शासन द्वारा मान्यता नहीं मिली है और गजट नोटीफिकेशन नही हुआ है, इसलिये मेरी माननीय मंत्री जी से प्रार्थना है कि हरिद्वार महोत्सव को मान्यता दी जाये और गजट नोटीफिकेशन किया जाये । वहां पर गंगा सप्तमी का पर्व होता है और बहुत बड़ा मेला लगता है, क्योंकि वहां गंगा अवतरण का दिन है, उस समय माननीय मंत्री जी महोत्सव की व्यवस्था कराने की कृपा करें । इससे न केवल हरिद्वार के लोग बल्कि देश विदेश से आने वाले पर्यटन भी कृत कृत्य होगें और आपका आभार महसूस करेगें । मान्यवर, वहां पर राजा जी नेशनल पार्क बन गया है जिससे वहां पर पर्यटन की संभावनायें बहुत बढ़ गयी हैं, अगर वहां पर जिला मुख्यालय के निकट निजी संस्थाओं के माध्यम से रिपोर्ट जाये तो पर्यटकों को बहुत सुविधा होगी और जो पर्यटक यहां पर वन्य जीवन का आनंद लेने आवेगें उनको बहुत सुविधा होगी । इससे मान्यवर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और प्रदेश की आय में वृद्धि भी होगी । दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हरिद्वार में पहले एक बस हरिद्वार दर्शन चलती थी, जो सारे दर्शनीय स्थलों का भ्रमण कराकर एक बिन्दु पर पर्यटकों को छोड़ देती थी, इससे उनको बहुत सुविधा होती थी और कम पैसे में वह सारे दर्शनीय स्थलों का भ्रमण कर लेते थे, परन्तु इस बस को बन्द कर दिया गया है, मेरा आग्रह है कि इसको पुनः चलाया जाय ।

मान्यवर, अब मैं लोक निर्माण विभाग के बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूं । आपका जो यह सेतु निगम है, वह जब कोई सेतु बनाता है तो सेतु के बनने के बाद उस पर टोल टैक्स लगाया जाता है और यह टैक्स तब तक लगता है जब तक कि उसका पैसा वसूल नहीं होता है तब उसकी एक निश्चित अवधि तय कर दी जाती है, इससे मान्यवर दो कठिनाइयां होती हैं, एक तो इसका जो ठेका होता है वह असामाजिक तत्वों के हाथ में चला जाता है और आने और जाने वाले लोगों को परेशान किया जाता है और दूसरे जहां पर आवागमन कम होता है, वहां पर पुल नहीं बन पाता है, क्योंकि वहां पर पैसा वसूल करने के अवसर कम होते हैं, तो मान्यवर, इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि आप इन्डाइरेक्ट टैक्स लें और अपनी आय को बढ़ायें, लेकिन टोल टैक्स को समाप्त कर दें, जिससे पिछड़े क्षेत्रों में भी पुल बन सकें । दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी सड़कों को चौड़ा कर रहे हैं और वे यातायात है उसको घनत्व के अनुपात में कर रहे हैं । मान्यवर, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं पिछले बजट के दौरान भी निवेदन किया था । रोड सेंसेस कराने के बारे में कि सड़कों पर कितना वाहन है उनका किस हिसाब से सुदृढ़ीकरण किया जाये । विशेष तौर पर इस बात को निश्चित कर ले तो इससे बहुत बड़ी सहायता मिलेगी और विभाग की कार्य प्रणाली में सुधार होगा । आपके यहां अनुवेषण विभाग है उसमें एक रफोमीटर होता है जो सड़कों की जानकारी के काम आता है वह खाली पड़ा हुआ है जो यह बताता है कि कहां पर कितना गड्ढा है तो उसका उपयोग नहीं हो रहा है । इसको भी प्रयोग में

लाने की कृपा करें इससे काम बहुत प्रभावित होगा । आपकी जो मार्ग विकास नीति है इसमें आपने छठी योजना का परिव्यय प्रतिशत 9.2 का और अब 7.9 8वीं योजना में रह गया है । यह पीछे जाने का काम किया है छठीं में 9.2 था तो उसको बढ़कर 10 या उससे अधिक होना चाहिये था, इसके अलावा आपने जो पृष्ठ–3 और 2 में कहा है राष्ट्रीय और राज्य मार्गों के या दूसरे मार्गों के बारे में कितने दिनों में उनका पुनर्निर्माण होगा कितनी उनकी लाइफ होगी इसके लिये एक पंजिका बना दें कि इतने वर्ष पहले यह बना था इससे यह अन्दाजा लगाने में आसानी होगी कि इसका पुनर्निर्माण कब कराया जायेगा । कहीं पर तो ऐसा होता है कि साल में दो बार मरम्मत हो जाती है और कुछ मरम्मत से रह जाते हैं ।

दूसरा निवेदन एक और कहना चाहता हूं कि यह जो आपने कहा है कि मण्डी परिषद् गन्ना विकास विभाग, या दूसरे विभाग जो सड़कें बनाते हैं उनका काम एक ही एंजेंसी से होगा और वह काम पी०डब्लू०डी० ही करेगी लेकिन मेरी जिज्ञासा है कि आपके पास टैक्निकल स्टाफ की कमी है जब सारा काम आपके विभाग को ही करना पड़ेगा तो जो टैक्निकल स्टाफ है उसका समायोजन आपके विभाग में होगा या किस प्रकार वह काम करेंगे तथा जो दूसरे कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाह आपके यहां से मिलेगी अथवा वही विभाग देगे जहां से वह आये हैं तो यह बात भी साफ होनी चाहिये ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री अम्बरीष कुमार–

दूसरी बात एक और निवेदन करना चाहता हूं कि भारत सरकार के पैटर्न पर जैसे नेशनल हाइवे आथारिटी है उनका आधार जो बना है उसके आधार पर आपके यहां भी स्टेट हाइवे आधारित बनना चाहिये और आप उसके लिये स्वतंत्र अधिकार उनको दें ताकि यह प्रभावी ढंग से काम कर सकें । जितना योजना के अर्न्तगत जो आपके मानक हैं जिस जिले में वह पड़ते हैं उसी के अनुसार उनको दिया जाये और उसी के अनुसार उनमें बदलाव हो । इसके साथ ही एक निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी व माननीय मुख्य मंत्री जी से कि बजट भाषण में जो आपने कहा है उसका क्या औचित्य रह गया है इस पर आप प्रकाश डालने की कृपा करें । मै कहना चाहता हूं कि मार्ग विकास निधि का उपयोग करके आप सड़कों का निर्माण करे और ऐसी सड़के बनाये जो गुणवत्ता के अनुसार बने यदि आपने ऐसा किया तो आपका बड़ा उपकार होगा । इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर यह विशिष्ट अवसर है जब पर्यटन विभाग और लोक निर्माण विभाग का बजट आपने साथ-साथ प्रस्तुत किया । मैं यह मान कर चलता हूं कि पर्यटन विभाग की दृष्टि से जो आपका रोड कनेक्टिंग वर्क है वह अपने आप में बड़ा फैक्टर है । अपने कम्प्रहेसिव पॉलिसी को इनीशियेट किया है । मान्यवर हमारे प्रदेश का पर्यटन उ० प्र० की इनकम का मेजर सोर्स है । जो पर्यटन के इलाके है वह उत्तरांचल के एरिया ही है जिसके अंदर चार धाम है वहां पर उसके अलावा सिक्ख बन्धुओं का हेमकुण्ड साहब हैं । नानक मत्था है और दूसरे धर्मों के महत्व के पर्यटन स्थल भी है । वहां के पर्यटन की संभावनाओं के साथेप आपके पास इतने रिसोरसेज नहीं है कि आप टूरिज्म का पूर्ण विकास कर सके । आपके पास पारस पत्थर नहीं है कि आप रातोंरात पर्यटन का विकास वहां कर सके । क्योंकि रिसोरसेज मोविलाइज करना कोई आसान काम नहीं है । आप नाबार्ड और वर्ड बैंक से लोन ले सकते हैं परन्तु हमारा देश वैसे डैप्ट ट्रेप में है । इसलिए मै कहना चाहता हूं कि आपकी चुश्त निगाह में होना चाहिए और आपकी निगाह से सेंस्टिविटी होनी चाहिए और मैं आपको एलर्ट कर रहा हं कि पर्यटन के नाम पर

पहाड़ों की रानी मंसूरी को कंकरीट के जंगल में तब्दील करने का काम किया मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि मध्य हिमालय का जो यह क्षेत्र है जिसे आप उत्तरांचल के नाम से भी जानते हैं यह बहुत सेंस्टिव क्षेत्र है यहां की इकोलोजी को मेन्टेन करना चाहिए । यहां पर ऐसे माउन्टेन है, इसे स्ट्रेटिंग पार्ट ऑफ दा अर्थ कहें यह ऐसा क्षेत्र है जो भूकम्प स्ट्रेटिंग पार्ट है इसलिए यहां पर जो पर्यटन की योजनायें बनाई जाये उनका रिदम ऐसा होना चाहिए जिससे वहां की इकानोजी डिस्टर्ब न हो । लेकिन दूसरी तरफ जब मैं यह देखता हूं कि इनका नौजवान बेकार रहता है कि रूयलेस होके तो मुझे दुःख होता है । अगर वहां पर बेतरकीब तरीके से डेबलेप्प की इजाजत दे दी जाय तो हमारा पर्यटन का कान्ट्रेक्ट बरबाद हो जायेगा । आप वहां ज्यादा नये इंतजाम मत करिये कि किसी को ज्यादा वहां रुकना पड़े ।

मैं कह रहा था कि यदि आप वहां पर इस बात की कोशिश करेगें कि वहां पर जो आपने इको टूरिज्म की बात कही है उसके लिहाज से वहां पर कुछ एहतियाती कदम आपको उठाने पड़ेगें । मैं बार-बार कहता हूं कि आप से पहले ही दिन से पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिये कुछ सख्त कदम उठाने पड़ेगें और सख्त कानून बनाने पड़ेगें । वहां पर पालीथीन, प्लास्टिक एलाऊ न करें । दूसरे आपसे मैं कहना चाहता हूं कि पर्यटन की दृष्टि से पर्वतीय जंगलात विभाग का बड़ा भारी नेट वर्क है । वहां पर दर्जनों ऐसे रमणीक और मनोरम स्थान हैं जहां पर जंगलात विभाग के डाक बंगले हैं जहां पर जंगलों को देखने के लिये लोग तरसते हैं । लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि मैने वन विभाग के अधिकारियों से बात की है । आप इन डाक बंगलों को जंगलात विभाग से लेकर वहां पर पर्यटन बढ़ाने की कोशिश करें लेकिन साथ ही साथ आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि आज के हिसाब से यदि आपने पर्यटन को एलाऊ कर दिया तो वहां के पर्यावरण के लिये खतरा हो जायगा । जंगल खतरे में पड़ जायेगें । एक पट्टीकुलर टाइप के जो पर्यटक हैं उन्हीं को आप वहां के लिये एलाऊ करें और इको टूरिज्म के माध्यम से वहां के डाक बंगलों में पर्यटकों के ठहरने का इंतजाम करें । लेकिन यह शर्त लगा दें कि वहां पर बीड़ी सिगरेट और माचिस पालीधीन नहीं जायगी । यदि आप ऐसी व्यवस्था वहां कर सके तो आप जो कंपरहेंसिव टूरिज्म की बात करते हैं उसमें आप एक रेवोल्यूशन ला सकते हैं । पर्यटन की जब हम बात करते हैं तो उसके साथ आपने जो रोड कान्स्ट्रक्सन की बात कही है वह अच्छी बात है । आप जैसे सुयोग्य व्यक्ति की अपनी क्षमता और काबलियत और सम्मान के बारे में कोई शक नहीं लेकिन दूसरी तरफ मेरे मन में क्रोध और कुण्ठा भी आपके विभाग के प्रति है । मुझे बहुत क्रोध आता है जब मैं यह देखता हूं कि आपके विभाग से सारा काम धन्धा ठेकेदारों पर छोड़ दिया गया है और ठेकेदार एक्सपर्ट बन गये है और अधिकारियों ने विजिट करना बन्द कर दिया ।

युवा कल्याण राज्यमंत्री (श्री अमर मणि त्रिपाठी)–

मान्यवर, आप समय देख लें । आपसे अनुरोध है कि समय का ध्यान रखें । आपमें काबिलियत है इसमें कोई शक नहीं है ।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, मंत्री जी मेरी बात सुनना चाहते हैं , मैं आपको अपनी बात नहीं सुनाना चाहता हूं ।

माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं यह सुझाव दे रहा हूं जिसमें आपका एक पैसा भी नहीं लगने वाला । रोड्स की पेंटिंग के लिए मैक्सिमम टेम्परेचर कंडीशन चाहिए लेकिन जनवरी और दिसम्बर में सड़कों को पक्का करने का काम करते हैं तो सरकार के धन को बर्बाद करने का काम करते हैं । श्रीमन् मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, आपने कभी एक्सीडेंट साइड का विजिट किया होगा । मामूली सी चीज होती है सुपर एलीवेशन बोलते हैं, ज्यादातर देखेगें इन्जीनियर साइट पर खड़े होकर सड़क नहीं बनवाते और सुपर एलीवेशन न होने की वजह से दिल्ली और मुम्बई से आने वाला पर्यटक उसको इस बात का अंदाजा नहीं होता कि यहां टर्न है और वह गाड़ी लेकर खाई में गिर जाता है इसलिए इसकी व्यवस्था

बहुत आवश्यक हैं । पर्वतीय क्षेत्र में ज्यादातर सड़कें सिंचाई विभाग बनाता है, मैं उनके टेक्निकल एक्सपरटाईजेशन पर सवाल नहीं उठाता हूं । पी०डब्लू०डी० के मुकाबले उनका एक्सपरटाईजेशन कम है, सड़कें ठीक से नहीं बन पाती हैं । तीसरी चीज जिसमें आपका कोई पैसा नहीं लगना है । पैराफिट बनाना बड़ा मुश्किल काम है, कम से कम रोड लेंथ पर पत्थर डालकर सफेद चूना लगा दें जिससे आगाह किया जा सके कि यहां पर रोड़े सकरी हैं ।

पर्यटन की दृष्टि से एक बात और कहना चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, बत्ती न जलायें अब मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं । बुद्धिस्ट में आपने बहुत अच्छा काम किया है इसमें कोई दो राय नहीं है । लेकिन जो चारों धाम हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री एवं यमुनोत्री इनके लिए आपने कुछ नहीं किया । ऋषिकेश से बद्रीनाथ तक का जो रूट है उसके आसपास जो म्युनिसपैलटीज है उनको विशेष अनुदान देना प्रारम्भ किया है । देहरादून कालसी से नौगांव होकर जो रोड जाता है उस पर गंगोत्री, यमुनोत्री के लिए तथा मंसूरी के लिए जो यात्री रूट गया है उस पर आपने कोई व्यवस्था नहीं की है । जिससे यात्री सीजन में हम यात्रियों को नागरिक सुविधायें नहीं उपलब्ध करा पाते, शौचालय आदि की व्यवस्था कर दें तो लोगों को सुविधा हो जाये । इसको करवाने की कृपा करेगें । श्रीमन् आपने आदेश किया मैं नहीं चाहूंगा कि आपके आदेशों की अवहेलना करूं । सिर्फ एक बात कहकर समाप्त करूंगा । देहरादून के अन्दर जो लो-लाईन एरियाज हैं वहां मैक्सकोल के रोड़ नहीं चल पाते इसलिए सी०सी० रोड बनवाने की कृपा करें । आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद । मैं माननीय लालजी वर्मा द्वारा रखे गये कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय वर्मा जी, आप उत्तर भाषण करें ।

श्री इकबाल महमूद–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपकी पीठ से यह निर्देश हुआ था कि जितने विधायक बैठे हैं, सबको सुना जायेगा ।

श्री अधिष्ठाता–

यह निर्देश नहीं हुआ था ।

(विपक्ष के कई माननीय सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर व्यवधान/शोर)

श्री अधिष्ठाता–

मेरी बात सुन लें । आज सभी माननीय सदस्यों को अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जाना है । इसलिए लालजी वर्मा जी को मैंने बुला लिया है ताकि कार्यसूची के कार्य जल्दी निपट सके ।

* श्री राम तेज यादव (एडवोकेट)–

मान्यवर, केवल 4-5 लोग हैं उनको आप सुन सकते हैं। दो-दो मिनट का समय लेंगे। मेरे दल के केवल दो माननीय सदस्य रह गये हैं जिनको बोलना है।

श्री अधिष्ठाता–

मैने लाल जी वर्मा को बुला लिया है। अब आप लोग आसन ग्रहण करें।

श्री राम तेज यादव (एडवोकेट)–

हमारे केवल दो माननीय सदस्य अपनी बात रखना चाहते हैं। इनको दो-दो मिनट सुन लें।

श्री अधिष्ठाता–

अब मैने लाल जी वर्मा को बुला लिया है। सभी सदस्यों को अपने अपने क्षेत्र में जाना है। समय अधिक हो गया है।

श्री राम तेज यादव (एडवोकेट)–

आप हमारी पार्टी के सदस्यों को बोलने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। इसलिए मैं और मेरा दल सदन का बहिर्गमन करते हैं।

(श्री राम तेज यादव एडवोकेट अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये।)

श्री लाल जी वर्मा–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जिन लोगों ने मेरे कटौती के प्रस्ताव पर हिस्सा लिया है मैं उन सभी का आभारी हूं। पक्ष और विपक्ष के लगभग 24 सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया है। उन सभी माननीय सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मैं ज्यादा समय न लेकर दो-तीन बातें कहना चाहता हूं। पर्यटन की दृष्टि से अम्बेदकर नगर जनपद में किछौछा शरीफ स्थान है यहां पूरे देश के पर्यटक आते हैं लेकिन उनके रुकने की व्यवस्था नहीं है। मैं मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि किछौछा शरीफ का महत्व अधिक है उसके विकास की दृष्टि से पर्यटक आवास वगैरह बनाकर वहां का विकास करने की कृपा करें। वहां की सड़कें जर्जर अवस्था है उनका निर्माण कराया जाये। लखनऊ में अम्बेदकर पार्क है, सारे पर्यटक पहले यहां आये और फिर यहां से विभिन्न स्थानों पर जायें तो इससे लखनऊ का भी अधिक विकास होगा। प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र भी है इसलिये धन की भी कमी नहीं पड़ेगी। माननीय मंत्री जी ने जिक्र किया कि बहुत धांधली हुई है, यदि ऐसा हुआ है तो आप माइक्रोस्कोपिक से जांच [illegible] अम्बेदकर पार्क के विकास के कार्य को अवरूद्ध न करें।

[illegible] क्षेत्रों में सड़कें बनती हैं, भारतीय रोड कांग्रेस के [illegible] परन्तु लोक निर्माण विभाग ने कोई मुआवजा [illegible] का निर्णय नहीं लिया है तो फिर [illegible] स्थिति में आपको गांवों में कहां पर साढ़े सात मीटर जमीन [illegible] अनुरोध है कि [illegible] साढ़े सात मीटर की शर्त को कम करके 6 मीटर निर्धारित कर दें। होता भी यही है, इस्टीमेट तो साढ़े सात मीटर का बनता है परन्तु बनती 6 मीटर है इससे धन का दुरुपयोग भी होता है।

टौल टैक्स की वसूली हो रही है। जिन सड़कों की पूर्ति हो गई है, वहां से इसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए। सड़कों के लिये [illegible] अलग से होता है

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

और लेबर का टेण्डर अलग से होता है, जिसके कारण लाइबेलिटी निर्धारित नहीं हो पाती है, इसलिये वर्टिकल टेण्डर होना चाहिये । इसके लिये समय सीमा भी निर्धारित की जानी चाहियें कि स्वीकृति से लेकर इस दिन तक इस सड़क का निर्माण हो जाना चाहिये, इससे वित्तीय हानि भी नहीं होगी ।

मान्यवर, बाढ़ से जो क्षेत्र प्रभावित हैं और वहां पर सड़कों का निर्माण नहीं हो पा रहा है, इसलिये उनकी स्वीकृतियां जारी की जांय और निर्माण कार्य तुरन्त कराया जाय । अम्बेदकर गांवों के विकास के लिये 10-10 गांवों का विकास यदि सुनियोजित तरीके से कराया जाता तो सड़कों का जाल बिछाया जा सकता था और स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत आपने जो मात्रीकरण की बात कही गई है, उसकी भी पूर्ति हो सकती थी । इसलिये अम्बेदकर गांवों के विकास की दिशा में काम होना चाहिये । मान्यवर, रेलवे ब्रिज की बात है । मेरे यहां अम्बेदकर नगर में रेलवे फाटक पर घण्टों रुका रहना पड़ता है । इसलिये वहां पर एक ओवर-ब्रिज बनाया जाय । राष्ट्रीय मार्गों और राज्य मार्गों के किनारे लोग घर बना लेते हैं । घर ऊंचा बना लेते हैं और सड़क नीची हो जाती है । चाहे यह बस्ती में हो या बाजार में हो और चाहे टाऊन एरियाज में हो । इसके कारण सड़कों में पानी भर जाता है और सड़कें टूट जाती हैं । इसलिये मेरा निवेदन है कि राष्ट्रीय मार्गों और राज मार्गों के किनारे चाहे वह गांवों में हो या बाजार में हो, तब तक मकान बनाने की अनुमति न दी जाय जाब तक कि नाली न बना ले और नक्शा न बनावा ले ।

मान्यवर, राज्य सम्पत्ति विभाग के बारे में किसी ने चर्चा नहीं की । मैं ओ०सी०आर० में रहता हूं । वहां पर पूरा गन्दगी का साम्राज्य है । जिन्हें विधायक निवास घोषित किया गया है, उसमें विधायक ही रहें, जिसमें अगर जरूरत से ज्यादा हैं तो दो अधिकारियों के लिये दे दें । इसलिये इस ओर ध्यान देने की कृपा करें । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए एक सुझाव और देना चाहता हूं । यहां पर मैं जैसा कि सीताराम निषाद जी ने कहा था एक एक्स० मैन है लोक सेवा आयोग में.....

श्री कलराज मिश्र–

यह लिखकर दे चुके हैं ।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, दो एक सुझाव देना चाहता हूं रह गये थे । सड़क का मानक पूरे प्रदेश के लिये एक रखा गया है । जैसे इलाहाबाद में, वहां गिट्टी मिल जायेगी, झांसी है वहां गिट्टी मिल जायेगी वहां पर सड़क बनाने में कम पैसा लगेगा । इसलिये मेरा कहना है कि आवश्यकता को देखते हुए मानक में थोड़ा परिवर्तन करना पड़े तो करना चाहिए । दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि सड़कों को मोटाई और चौड़ीकरण के बारे में । चौड़ीकरण की बात तो बहुत की जाती है लेकिन उसकी मोटाई नहीं देखते हैं । पहले उसकी मोटाई 25 सेमी० होती थी लेकिन बिना किसी टेक्नीकल एडवाइज के क्या कोई टेक्नीकल एडवाइज ली गई थी सड़क की मोटाई 25 से०मी० से घटाकर 17 सेमी० कर दी गई । जब सड़कों की मोटाई कम कर दी गई तो उन पर गड्ढे नहीं होगें तो कहां होगें । अगर आप सड़कों को गड्ढामुक्त करना चाहते हैं तो सड़कों की थिकनैस पर भी आपको ध्यान देना होगा । दूसरा एक सुझाव है कि खड़ंजा को सड़कों के उसके लिये निर्देश जारी हैं कि लेपन स्तर तक कराया जाय । 15 सेमी० रखी जाय । खड़जा 10-15 फिट की दूरी तक बहुत जगह टूटे मिलेगें, वहां पर गड्ढे हो गये हैं तो उसमें गिट्टी घुस जायेगी । अतः इस पर और गिट्टी की व्यवस्था करें । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को

समाप्त करते हुए माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि जब वे अपना उत्तर भाषण दें तो इसको भी ध्यान में रखें।

श्री कलराज मिश्र–

श्री लाल जी वर्मा जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है पर्यटन और लोक निर्माण की दृष्टि से। मैं समझता हूं कि वे अन्दर से अनुभव कर रहे होगें कि पूरे प्रदेश स्तर पर जिस तरीके से लोक निर्माण और पर्यटन की दृष्टि से काम हुए मैं ऐसे तो कभी नहीं हुए। यह अनुभव भी करते हैं और कहते भी हैं लेकिन यहां अपने धर्म का पालन कर रहे थे इसलिये इस बात को भी ठीक से कह सकने में संकोच किया है। आपने कहा है कि बौद्धपरिपथ में जिस तरीके से विकास होना चाहिए था नहीं हुआ है। मैंने अपने भाषण में भी कहा था और अब भी बताना चाहता हूं कि सारनाथ में 114.52 लाख हमने खर्च किया है। कपिलवस्तु में जो अभी स्वामी प्रसाद जी ने कहा और वर्मा जी ने भी कहा हमने 5 करोड़ 28 लाख रुपये भूमि अधिग्रहण के सम्बन्ध में और इसके साथ-साथ 57.50 लाख रुपये सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से कुशीनगर में रात्रि निवास के लिये 7 लाख रुपये खर्च किये हैं। सारनाथ में मैडीटेशन सेन्टर की योजना के लिये प्रसस्ती के लिये 1 करोड़ रुपये का प्राविधान रखा है और वह उसमें लगाने जा रहे हैं। इन राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सवों में हमको केन्द्र के द्वारा भी सहायता मिली और 40 लाख केन्द्र के द्वारा और बाकी पूरा किया था। बौद्ध परियोजना के लिये 1 हजार 20 करोड़ का किया है अभी यह प्राप्त नहीं हो रहा है हमारे तरफ से प्रधानमंत्री जी को पत्र भी गया है और हमारे मुख्यमंत्री जी भी इसमें काफी रुचि ले रहे हैं और उनसे कहा भी है ताकि जल्दी से जल्दी पैसा आ जाय। इसी तरह से बौद्ध परिक्रमा प्लान जो हमने प्रारम्भ कर दिया है। मान्यवर, अप्रैल के महीने में जो बौद्ध महोत्सव बुद्ध पूर्णिमा के दिन होता था हमने बुद्ध स्मृति पर्व का नाम दिया है। इसका आयोजन अप्रैल माह में हम कुशीनगर में करेंगे। इसी तरह से कौशाम्बी और श्रावस्ती के लिये योजनाएं बनाई गई हैं बौद्ध परिपथ का समुचित विकास हो सके इसके लिये हम और भी कार्य कर रहे हैं। मान्यवर, आपने अम्बेडकर पार्क के बारे में कहा तो मैं बताना चाहता हूं कि यह हमारे विभाग का विषय नहीं है लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि इसके जो अतिथि गृह हैं पर्यटन विभाग उन्हें ले रहा है। मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो सुझाव देते हुए कहा कि जांच होनी चाहिए तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि सचमुच में इसमें घपला किया गया है, इसलिए मुख्यमंत्री जी ने आदेश कर दिये हैं और मैं इसमें जोर दूंगा कि जांच होनी चाहिए।

मान्यवर, अम्बेडकर उद्यानों के सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में जो कहा गया है तो मैं भी इनके सौन्दर्यीकरण के पक्ष में हूं।

मान्यवर, श्री लालजी वर्मा जी ने लोक निर्माण विभाग के बारे में कहा है कि परिव्यय का आकार का चार प्रतिशत, तो मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है, वर्ष 1999-2000 के लिए समस्त योजनाओं के लिए कुल 11500 करोड़ रुपये का परिव्यय है और लोक निर्माण विभाग का परिव्यय 1250 करोड़ रुपये है, जो प्रदेश के कुल परिव्यय का लगभग 11 प्रतिशत है। लोक निर्माण विभाग की विभिन्न योजनाओं के लिये अधिष्ठान रहित बजट 916.46 करोड़ रुपये प्रस्तावित है। मान्यवर, वर्मा जी ने कहा है कि जिला योजना में कोई काम नहीं हुये हैं लेकिन ऐसा नहीं है जैसा कि मैंने अपने भाषण में कहा था। मान्यवर श्री वर्मा जी के क्षेत्र में पं० दीनदयाल उपाध्याय योजना के अन्तर्गत सड़कें बनाई गयी हैं और वर्मा जी चाहें तो मैं उनके नम्बर और सड़क का नाम दे सकता हूं।

मान्यवर, जिला योजना के अन्तर्गत 60 करोड़ रुपये एस०एन०डी० (नये कार्यों हेतु) का है, उससे अनुरक्षण का कोई मतलब नही है और रुपये 244.21 करोड़ रुपये बालू कार्यों के लिए है। सड़क निर्माण के लिए निश्चित अवधि होती है और उनका पालन करना होता है। इसलिए हम इस ओर सजग और जागरूक हैं। मान्यवर, कुल धनराशि 304.21 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है इससे वर्ष

1999-2000 तक निर्धारित 3100 ग्रामों को जोड़ा जा सकेगा । मान्यवर, इस सम्बन्ध में मैं बताना चाहता हूं कि अक्टूबर, नवम्बर, 1998 तक वित्त विभाग की तरफ से मांगें में सम्पर्क बनाने हेतु एक प्रस्ताव नाबार्ड को भेजा गया था जिसमें वहां से स्वीकृति आ गयी है । इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि समय के अन्दर इसमें सड़के बन जायेंगी ।

मान्यवर, श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव जी ने जिला योजना के अन्तर्गत ग्रामीण मार्गों को सम्पर्क मार्गों से जोड़ने के सम्बन्ध में जो कहा है कि दो साल में कोई काम नहीं हुआ है, तो मैं कुछ बताना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है । मान्यवर, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि वर्ष 1998-99 में विभिन्न चार श्रेणियों के ग्रामीण सम्पर्क मार्गों की निर्माण लागत निर्धारित कर बेस पेपर जारी कर दिया है । निर्माण कार्य करने में बेस पेपर के कारण कोई रुकावट नहीं है । मान्यवर, बेस पेपर के अन्तर्गत निर्माण कार्य की लागत प्रति कि०मी० के निर्धारण कराने के उपरान्त कार्य आरम्भ करने की शर्त रखी गयी थी ताकि निर्माण कार्य की लागत में एकरूपता रखी जा सके । कार्य की दृष्टि से चार श्रेणियों में हमने कार्य को बांट दिया है । श्रेणी–1 शून्य से लेपन स्तर तक 25 जनपदों में प्रति कि०मी० सड़क बनाने की लागत 8.38 लाख रुपये आती है । श्रेणी–2. में मिट्टी स्तर से लेपन स्तर तक प्रति कि०मी० लागत 7.58 लाख रुपये, श्रेणी–3. में ईंट खड़ंजे से लेपन स्तर तक 5.97 लाख रुपये प्रति कि०मी० और श्रेणी–4. में पत्थर सोलिंग से लेपन स्तर तक 25 जनपदों में 5.17 लाख रुपये प्रति कि०मी० लागत आती है । 46 जनपद में 4.65 लाख बाकी का अलग मानक रहा है इस तरह से निर्माण कार्य के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग में जिस तरह की पारदर्शिता में कमी है उसको देखते हुए हम गुणवत्ता को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम दंभ नहीं करते हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

मा० मंत्री जी संक्षिप्त करें ।

श्री कलराज मिश्र–

मान्यवर, निषाद जी ने बात कही उसमें द्रुत निश्चित कार्यवाही होगी मान्यवर, मैं कुछ घोषणायें करना चाहता हूं:–

वर्ष 1999-2000 में 3100 ग्रामों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ा जायेगा । वर्ष 1999-2000 में प्रदेश के अन्य जिला मार्गों के रख-रखाव की समुचित व्यवस्था की जायेगी । प्रदेश के प्रमुख जिला मार्गों के लगभग 500 कि०मी० लम्बे एवं एक लेन चौड़े मार्गों के दोनों ओर ईंट का खडंजा लगाकर यातायात को सुविधा प्रदान की जायेगी राज्य मार्गों के एक लेन चौड़े मार्गों जहां यातायात का घनत्व अधिक है, दो लेन चौड़ा किया जायेगा । मान्यवर इसी तरह से हमने लखनऊ नगर में रैदास मन्दिर एवं इन्जीनियरिंग कालेज के निकट स्थित सम्पारों के स्थान पर रेल उपरिगामी सेतुओं का निर्माण प्रारम्भ किया जायगा । इसी तरह से लखनऊ इलाहाबाद राजमार्ग को बी०ओ०टी० के अन्तर्गत सुधार हेतु फिजिविलिटी स्टडी कराई जायगी । राज मार्गों पर बाई-पास रेलवे उपरिगामी सेतुओं एवं नदियों पर सेतुओं का निर्माण बी०ओ०टी० के आधार पर कराये जाने के लिए फिजिविलिटी स्टडी उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड के माध्यम से कराई जायेगी ।

प्रदेश में बढ़ते बेरोजगार डिप्लोमा एवं डिग्रीधारी अभियन्ताओं को रोजगार उपलब्ध कराये जाने की दृष्टि से डिप्लोमाधारी अभियन्ताओं को रुपये 2.00 लाख तक की लागत के तथा डिग्रीधारी अभियन्ताओं को रु० 5.00 लाख तक के सिविल कार्यों को ठेकेदार के रूप में करने के लिए उनको पंजीकरण हेतु पंजीकरण शुल्क देना आवश्यक नहीं होगा ।

(माननीय सदस्यों ने मेजें थपथपाई)

मान्यवर, टाण्डा में पुल बनाने के लिए ली-एसोसिएट ने नकार दिया राइट के द्वारा अब यह शुरू हो रहा है। देवगौड़ा जी ने घोषित किया, केन्द्र सरकार ने कहा कि सड़क निधि कम से पैसा नहीं देंगे।

श्री अधिष्ठाता–

खत्म करें।

श्री कलराज मिश्र–

इसमें अध्ययन के लिए लगे हुए हैं।

श्री अधिष्ठाता–

कटौती के प्रस्ताव को श्री लाल जी वर्मा जी वापस ले रहे हैं ?

श्री लालजी वर्मा–

मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

श्री राम ललित चौधरी जी क्या कटौती के प्रस्ताव को वापस ले रहे है ?

श्री राम ललित चौधरी--

इनके पास मेरी एक बात का जबाब नहीं है इसलिए मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल दे रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता–

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–44 पर्यटन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–44 पर्यटन विभाग के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 96,05,85,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–54 लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–54 लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 3,98,93,35,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृति की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 55 लोक निर्माण विभाग (भवन) के अर्न्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–55 लोक निर्माण विभाग (भवन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 43,67,06,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृति की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–58 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–58 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 13,56,04,10,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–59 लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–59 लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 35,02,89,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–86 सूचना विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–86 सूचना विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 30,56,48,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृति की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृति हुआ)

वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक में अनुदान के लिए मांग पर मतदान-अनुदान संख्या–38

नागरिक उड्डयन विभाग

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी 16 (7) प्रस्तुत कर दें ।

(व्यवधान)

लोक निर्माण, पर्यटन मंत्री (श्री कलराज मिश्र)–

मान्यवर, प्रस्तुत कर रहा हूं ।

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–38 नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत होने वाले

परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनारशि की पूर्ति के लिए 13.10.31.000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–38 नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 13.10.31.000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मुख्तार अंसारी सदस्य, विधान सभा की रिहाई एवं गिरफ्तारी की सूचना

श्री अधिष्ठाता–

सदन को सूचना देनी है । जिला मजिस्ट्रेट, गाजीपुर ने अपने रेडियोग्राम दिनांक 9/10 मार्च, 1999, जो इस सचिवालय में दिनांक 11 मार्च, 1999 को प्राप्त हुआ, में सूचित किया कि श्री मुख्तार अंसारी, सदस्य विधान सभा (मऊ) की राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत निरुद्धि आदेश को निरस्त किये जाने के फलस्वरूप उन्हें दिनांक 7 मार्च, 1999 को अवमुक्त कर दिया गया है, परन्तु उनके विरुद्ध अन्य लम्बित मामलों में वे केन्द्रीय कारागार आगरा में निरुद्ध किये गये हैं ।

उक्त माननीय सदस्य की राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत निरूद्धि विषयक सूचना इस सचिवालय की बुलेटिन संख्या 67 दिनांक 28 जनवरी, 1999 द्वारा प्रसारित की जा चुकी है ।

उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) अध्यादेश 1999 के अनुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर संशोधन विधेयक 1999

श्री राम औतार शाक्य--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) अध्यादेश, 1999 का अननुमोदन करता है ।

मान्यवर, यह अध्यादेश 13 फरवरी को लाया गया, 9 फरवरी से यह सदन चला और इसका नोटिफिकेशन हो गया इसमें यह लिखा है कि ऐसी परिस्थितियों में यह अध्यादेश लाना बहुत आवश्यक था और सदन चल नहीं रहा था तो मान्यवर यह असंसदीय परम्परायें पड़ती जा रही हैं ।

(सत्ता पक्ष की ओर से माननीय सदस्यों द्वारा टोकाटाकी किये जाने पर व्यवधान)

मान्यवर 6 दिन आप इन्तजार नहीं कर सकते थे । यह सरकार बड़ी दुहाई देती है कि हम संवैधानिक व्यवस्थाओं में विश्वास रखते हैं, नैतिक मूल्यों में विश्वास रखते हैं, भारतीय सभ्यता, संस्कृति की रक्षा करना चाहते हैं, तभी यह इसको 3 फरवरी को ले आये ।

(सत्ता पक्ष की ओर से पुनः टोकाटाकी किये जाने पर व्यवधान)

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । आपके आदेशानुसार सदन चलता है । इस सदन के मुखिया आप हैं, जो आप निर्देश देते हैं, उसी के अनुसार कोई माननीय सदस्य बोलता है, जब आप मना कर देते हैं तो माननीय सदस्य बोलना बंद कर देते हैं लेकिन सत्ता पक्ष से माननीय सदस्य और मंत्रीगण

ही अव्यवस्था पैदा करें, किसी सदस्य की [xxx] करें तो यह बहुत शर्म और लज्जा की बात है। मैं यह चाहता हूं कि विषय को आप हल्केपन से न लें और इस पर अपनी कोई व्यवस्था दें।

आबकारी मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)–

नियम 311.56 पर 4-4 घन्टे सुना, अभी आप घर चल देगें।

श्री अधिष्ठाता–

शाक्य जी, आप समाप्त करें।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मैं 10 बजे तक बोलूंगा, चाहे यह जितना चिल्लायें या हमारी बात सुनें। मुझे 10 मिनट का समय एलाट किया गया है। इस सरकार के पास इस बात का कोई जबाव नहीं है कि 3 फरवरी को यह अध्यादेश क्यों लाया गया जबकि 9 फरवरी से सदन आहूत था। यह अध्यादेश ब्लैकमार्केटिंग करने के लिये, कमीशनखोरी बढ़ाने के लिये, कोई अधिकारी किसी से व्यक्तिगत रंजिश रखता हो या कोई मामला फंस गया हो, या किसी पूंजीपति को आर्थिक लाभ पहुंचाना हो, या भारी रकम की हेराफेरी का मामला रहा हो, इसी की वजह से यह इन्तजार नहीं कर सके और 9 फरवरी की जगह 3 फरवरी को ही इसे ले आये और इसमें यह लिख दिया कि इसकी बहुत जरूरत थी। इसमें कर आयुक्त को कर को माफ करने का, कर में छूट देने का अधिकार दिया गया है।

(सत्ता पक्ष की ओर से टोकाटाकी किये जाने पर व्यवधान)

इसमें नं० 2 का जो धन है, उसको एक दिशा देने के लिये और पूंजीपतियों से धन निकालने के लिये एमेण्डमेंट किया गया है, इसमें जरूर आपकी नीयत गड़बड़ है। इसीलिये हमने अननुमोदन का संकल्प रखा है, मैं उस पर बल देता हूं।

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (हुकुम सिंह)–

मान्यवर, आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1999 पर, विचार किया जाय। मान्यवर, मैं संक्षेप में बता दूं, जो आशंका हो रही थी।

मान्यवर, यह छोटा सा विधेयक है, अभी तक कुछ कठिनाई होती थी, उसका सरलीकरण किया गया है, इस विधेयक के द्वारा कर के नियमित भुगतान के बदले सम्मत भुगतान की व्यवस्था को, जो एक लाख से अनधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में लागू थी, सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में लागू की गयी है और दूसरे मान्यवर, वास्तविक रूप में देय धनराशि से अधिक जमा किये गये कर की वापसी की स्वीकृति के लिये जिला मजिस्ट्रेट के स्थान पर यथास्थिति सहायक आयुक्त या मनोरंजन कर अधिकारी को रख दिया गया है, अभी तक यह अधिकार केवल जिलाधिकारी में निहित था, तीसरा यह प्राविधान किया गया है कि अगर सिनेमा मिल मालिक गलत रिटर्न भरता था, तो उस जुर्माने की एक सीमा थी, तो इसको बढ़ा दिया गया है। तो यह छोटा सा विधेयक है, जो आपके सामने हैं।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1999 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बहुत होशियारी के साथ अपनी बात कह दी है लेकिन उन्होने यह नहीं बताया है कि जब सत्र चलने वाला था तो उसके ठीक कुछ दिन पहले ही इस अध्यादेश को क्यों ला दिया, उनको इस सत्र में लाना चाहिये था, इससे लगता है कि आप की नीयत ठीक नहीं है। आपने छोटा विधेयक जरूर बनाया है, लेकिन इससे ब्लेक मारकेटिंग का धन्धा बहुत बड़ा है, इसलिये मैं प्रस्ताव करता हूं कि इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाय। उसकी रिपोर्ट आ जाये और उस विचार हो जाये।

श्री हुकुम सिंह–

सरकार को जो काम करना था, उसको कर दिया है और आज आपके सामने आ गये हैं।

श्री अधिष्ठाता–

शाक्य जी क्या अपना संशोधन का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं।

श्री राम औतार शाक्य–

जी नहीं।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) अध्यादेश, 1999 का अनुमोदन करता है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1999 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन के प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1999 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2–खण्ड–14 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1999

उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के पचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) अधिनियम, 1999 कहा जायगा।

(2) यह 3 फरवरी, 1999 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 1979 की धारा 3 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 3 में, परन्तुक में शब्द "किसी स्थानीय क्षेत्र में जिसकी जनसंख्या एक लाख से अधिक न हो", निकाल दिये जायेंगे ।

धारा 9 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 9 में शब्द "जिला मजिस्ट्रेट" जहां कहीं भी आये हों, के स्थान पर शब्द "यथास्थिति, सहायक आयुक्त, या मनोरंजन कर अधिकारी" रख दिये जायेंगे ।

धारा 11 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 11 में,–

(क) उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात् :–

"(4) जहां किसी आमोद का सम्पूर्ण सकल आगम, आमोद के व्यय के मद्दे किसी प्रकार की कोई कटौती किये बिना लोकोपयोगी, धार्मिक या पूर्व प्रयोजनों के लिये अर्पित कर दिया जायगा वहां जिला मजिस्ट्रेट :–

(क) ऐसे मामले में जिससे आमोद का सम्पूर्ण सकल आगम बीस हजार रुपये से अधिक न हो, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के अधीन रहते हुये ऐसे आमोद को, ऐसी शर्तों और निबन्धनों पर जैसी वह अविरोपित करना उचित समझें, इस अधिनियम के अधीन कर का भुगतान करने से मुक्त कर सकता है।

(ख) ऐसे मामले में, जिसमें आमोद का सम्पूर्ण सकल आगम बीस हजार रुपये से अधिक हो, अपनी संस्तुति और अन्य सुसंगत अभिलेखों सहित मामले को आमोद और पणकर आयुक्त को निर्दिष्ट करेगा और आयुक्त, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के अधीन रहते हुये, ऐसे आमोद को ऐसी शर्तों और निबन्धनों पर जैसी वह अधिरोपित करना उचित समझें, इस अधिनियम के अधीन कर का भुगतान करने से मुक्त कर सकता है ।"

(ख) उपधारा (5) और (6) में शब्द "जिला मजिस्ट्रेट" जहां कहीं भी आये हों, के स्थान पर शब्द "यथास्थिति, जिला मजिस्ट्रेट या आमोद और पणकर आयुक्त" रख दिये जायंगे ।

धारा 12 का संशोधन

5—मूल अधिनयिम की धारा 12 में शब्द "दस हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "बीस हजार रुपये" रख दिये जायंगे ।

धारा 24 का संशोधन

6—मूल अधिनियम की धारा 24 में शब्द " दो हजार रुपये" के स्थान पर शब्द " पांच हजार रुपये" रख दिये जायंगे ।

धारा 25 का संशोधन — 7—मूल अधिनियम की धारा 25 में शब्द " एक हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "पांच हजार रुपये" रख दिये जायंगे ।

धारा 26 का संशोधन — 8—मूल अधिनियम की धारा 26 में शब्द "एक हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "पांच हजार रुपये" रख दिये जायंगे ।

धारा 27 का संशोधन — 9—मूल अधिनियम की धारा 27 में शब्द "पांच हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "दस हजार रुपये" रख दिये जायंगे ।

धारा 28 का संशोधन — 10—मूल अधिनियम की धारा 28 में शब्द " एक हजार रुपये" जहां कहीं भी आये हों, के स्थान पर शब्द "पांच हजार रुपये" रख दिये जायंगे ।

धारा 29 का संशोधन — 11—मूल अधिनियम की धारा 29 में शब्द " तीन हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "छः हजार रुपये" रख दिये जायंगे ।

धारा 29-क का संशोधन — 12—मूल अधिनियम की धारा 29-क में शब्द " पांच हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "दस हजार रुपये" रख दिये जायंगे ।

धारा 30 का संशोधन — 13—मूल अधिनियम की धारा 30 में शब्द " दो हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "पांच हजार रुपये" रख दिये जायंगे ।

निरसन और अपवाद — 14—(1) उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) अध्यादेश, 1999 एतदद्वारा निरसित किया जाता है । उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 7 सन् 1999

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी, मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे ।

श्री अध्यक्षता—

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड 14 तक, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जांय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

संसदीय कार्य मंत्री, श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1999 पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्षता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन विधेयक 1999 पारित किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम 51 अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 12.3.99 को नियम 51 के अंतर्गत कुल 24 सूचनायें प्राप्त हुई । जो इस प्रकार है –

एक डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेई को प्रदेश में शत-प्रतिशत विकलांगों को राजकीय परिवहन निगम की बसों में सहवर्ती के साथ अनुमन्य यात्रा सुविधा को लागू किये जाने के सम्बन्ध में है । वक्तव्य हेतु स्वीकृत ।

श्री अजय कुमार पोइया को जनपद मथुरा के मुख्य विकास अधिकारी द्वारा कथित रूप से की जा रही अनियमितितायें एवं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत ।

श्री रामपाल सिंह की जनपद गोण्डा के श्री गांधी विद्या मंदिर इण्टर कालेज को श्री सुरेन्द्र दत्त राम पाण्डेय, उपनियंत्रक की देख रेख में मूल्यांकन केन्द्र बनाकर मूल्यांकन का कार्य सम्पादित कराये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत ।

डा० राम बाबू हरित की जनपद आगरा के थाना जगदीशपुरा अंतर्गत सुभाषनगर निवासी श्री राजेन्द्र की कथित रूप से पुलिस द्वारा दी गई यातनाओं के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मृत्यु से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत ।

श्री चौधरी बाबू लाल की जनपद आगरा के अंतर्गत फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में किरावली में निर्माणाधीन स्टेडियम के निर्माण कार्य को पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत ।

श्री विजय पाल सिंह की जनपद आगरा, की नगर पंचायत फतेहाबाद में पेयजल समस्या के निदान हेतु पानी की टंकी तथा दो नलकूपों का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत ।

श्री अजय भट्ट की वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रभावी होने के कारण सम्पूर्ण उत्तराखण्ड के विकास कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण, हेतु स्वीकृत ।

श्री राम विशुन आजाद की जनपद बहराइच के राजकीय बालिका इण्टर कालेज की प्रधानाचार्य के विरुद्ध गम्भीर शिकायतों के फलस्वरूप हुए उनके स्थनान्तरण के आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में है, केवल ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत ।

श्री कृपा शंकर सिंह की जनपद उन्नाव की तहसील बीघापुर में नहरों में पानी न आने से किसानों की फसलों को हो रही क्षति के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत ।

श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद की जनपद बांदा के विकास खण्ड जसपुरा व तिंदवारी में बनरोजो द्वारा किसानों की फसलों की हो रही क्षति तथा बनरोजो को मारने हेतु अनुमति एवं बन्दूकों का लाइसेंस दिये जाने के सम्बन्ध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत ।

श्री राम औतार शाक्य की देवनागरी इन्टरमीडिएट कालेज कुरावली जनपद मैनपुरी में फर्जी प्रमाणपत्रों के आधार पर संस्कृत के प्रवक्ता के पद पर समायोजन किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत ।

श्री अम्बरीष कुमार की विधायक निवासों में कार्य करने वाले समूह "घ" के कर्मचारियों को स्थाई किये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत ।

श्री भीम प्रसाद सोनकर की जनपद अम्बेदकर नगर के जहांगीर क्षेत्रान्तर्गत थाना आलापुर के ग्राम शिवतारा में एक निषाद परिवार को उत्पीड़ित किये जाने तथा पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत ।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकृत हुई–श्रीमती माया प्रसाद, श्री राम जग, श्री उदयराज यादव, श्री तेजभान सिंह, श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री शिशुपाल सिंह, श्री धर्मज्ञ मिश्र, श्री पूर्णमासी पंकज, श्री श्याम किशोर यादव, श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा व श्री भीम प्रसाद सोनकर ।

प्रदेश में परिवहन निगम के बस स्टेशनों पर खाद्य पदार्थों की बिक्री में यात्रियों को हो रही असुविधाओं तथा शासकीय क्षति के संबंध में नियम 51 के अंतर्गत श्री अकबर हुसैन द्वारा दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[दिनांक 30-10-98 को परिवहन विभाग के कार्यकलापों की समीक्षा माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा की गयी थी । समीक्षा बैठक के दौरान यह पाया गया कि फल, मिठाई तथा चाय की दुकानों के नाते एक ओर गन्दगी अधिक होती है, वहीं दूसरी ओर बसों के संचालन में तथा यात्रियों के आवागमन में असुविधा होती है । अतः परिवहन निगम के बस स्टेशन के प्रांगण के निजी क्षेत्र की दुकानों तथा कैन्टीन को हटा देना चाहिए ।

उपरोक्त निर्णय के अनुरूप परिवहन निगम द्वारा दिनांक 31-12-98 को समाप्त हो रहे कैण्टीन, पान एवं फल के ठेकों की नीलामी स्थगित करने के आदेश निगम के क्षेत्रीय अधिकारियों को दिनांक 6-11-98 को निर्गत किये गये । फलस्वरूप खान-पान से सम्बन्धित 98 कैण्टीन आदि, 66 पान स्टाल तथा 56 फल स्टाल के कुल 220 ठेके, जिनके अनुबन्ध की अवधि 31-12-98 को समाप्त हो रही थी, बन्द कर दिये गये । जिन ठेकों के अनुबन्ध की अवधि अभी शेष है, वह विधिक पहलुओं को देखते हुये अभी संचालित हैं, जैसे-जैसे अनुबन्ध की अवधि समाप्त होती जायगी, खान-पान के यह चल रहे ठेके भी बन्द हो जायेंगे । खानपान से सम्बधित कैण्टीन, फल स्टाल एवं पान स्टाल को पुनः नीलाम न किये जाने का निर्णय लिया गया है । जनरल मर्चेन्ट स्टाल, बुक स्टाल, नाई स्टाल, मोची स्टाल, पराग दूध, हिमांचल जूस, स्थान की उपलब्धता पर साइकिल स्टैण्ड तथा स्थानीय प्रसिद्धि की वस्तु जैसे रेवड़ी, गजक, पेठा (सील्ड पैकेट में), कांच अथवा स्पोर्ट के सामान के ठेके अनुमन्य किये गये हैं ।

वर्ष 1998-99 में निगम को बस स्टेशनों पर संचालित विभिन्न प्रकार के 400 ठेकों से लगभग रु० 1.60 करोड़ की वार्षिक आय हो रही थी, इनमें से कैण्टीन, फल स्टाल एवं पान स्टाल आदि खान-पान के 220 स्टालों से लगभग रु० 1.29 करोड़ की आय प्राप्त हो रही थी ।

खान-पान के ठेकों के बन्द होने से यात्रियों को होने वाली असुविधा, निगम को होने वाली लगभग 2.00 करोड़ की वार्षिक राजस्व की क्षति तथा बस स्टेशनों के बाहर अनधिकृत वेण्डरों की वृद्धि की सम्भावना को दृष्टिगत रखते हुए परिवहन निगम द्वारा ठेकों पर लगाये गये प्रतिबन्ध के आदेश पर पुनर्विचार करने के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । इस प्रस्ताव का परीक्षण कर अंतिम निर्णय लिया जा रहा है]

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद बलिया के कतिपय ग्रामों की सुरक्षा हेतु बने रिंग बांधों की मरम्मत सिंचाई विभाग के अधीन कराने के लिये श्री राजधारी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[मा० विधायक द्वारा इंगित ग्राम हल्दीरामपुर, डूहा बिसरा, लिलकर, सीसोदार, सुल्तानपुर एवं मनियर आदि, तुर्तीपार बांध तथा घाघरा नदी के मध्य असुरक्षित क्षेत्र में स्थित हैं । इन ग्रामों की सुरक्षा हेतु जमींदारी के समय में जमींदारों द्वारा बहुत से रिंग बांध बनवाये गये जो तकनीकी मानकों एवं विशिष्टियों के अनुसार नहीं बने हैं और नदी के अत्यन्त निकट, फ्लड प्लेन में बने हैं ।

2—इन जमींदारी रिंग बांधों के पीछे सिंचाई विभाग के हाहा नाला बांध तथा तुर्तीपार श्रीनगर तटबंध बने हुये हैं जिनकी लंबाई लगभग 35.8 कि०मी० है और इनसे 42534 हैक्टेयर भूमि की सुरक्षा की जाती है । जमींदारी रिंग बांधों के रख-रखाव एवं मरम्मत का दायित्व सिंचाई विभाग का नहीं है । वर्तमान में इन रिंग बांधों का रख-रखाव जिला ग्राम्य विकास अभिकरण से प्राप्त धनराशि से समय-समय पर जिलाधिकारी द्वारा इंगित कार्यवाही संस्था द्वारा किया जाता है । ये बांध फ्लड प्लेन में बने हैं, जबकि तकनीकी दृष्टि से फ्लड प्लेन के बाहर तटबंध बनाये जाते हैं । अगर इन बांधों को बरकरार रखना है तो इनके सेक्शन को पुनरीक्षित कर इन्हें सुदृढ़ करना होगा तथा भारी मात्रा में कटान निरोधक कार्यों का भी निर्माण करना होगा । इन कार्यों की लागत अत्यधिक होगी । अतः तकनीकी दृष्टिकोण से एवं उपलब्ध अति सीमित वित्तीय संसाधनों के परिपेक्ष्य में इन ग्रामों की सुरक्षित क्षेत्र में पुनर्वासित करना उचित होगा ।]

जनपद भदोही संत रविदास नगर की कालीन नगरी भदोही में डिग्री कालेज न होने से छात्रों के समक्ष उत्पन्न गंभीर स्थिति के संबंध में श्री पूर्णमासी पंकज द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[भदोही-संत रविदास नगर में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना के संबंध में शासनादेश संख्या–3402/सत्तर–5-97-98 (20)/92 दिनांक 22-9-97 द्वारा क्लीयरेन्स प्रदान की गई तथा कुल सचिव, पूर्वान्चल विश्वविद्यालय से यह अपेक्षा की गई कि वह महाविद्यालय का निरीक्षण करने हेतु व्यवस्था करें ।

महाविद्यालय की स्थापना हेतु दिनांक 30-9-97 को अस्थायी सम्बद्धता हेतु निरीक्षण किया गया और निरीक्षण दल द्वारा अपनी अख्या/संस्तुति सहित कुल सचिव, पूर्वान्चल विश्वविद्यालय को प्रस्तुत की गयी ।

महाविद्यालय हेतु भूमि की उपलब्धता के संबंध में निदेशालय से डा० एस० बी० सिंह, संयुक्त निदेशक तथा सहायक निदेशक डा० राधेश्याम शुक्ल द्वारा दिनांक 24-8-98 को निरीक्षण किया गया

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

और उनके द्वारा जनपद संत रविदास नगर की तहसील व परगना भदोही में गांव रामरायपुर की गाटा संख्या 268 में क्षेत्रफल 10 एकड़ भूमि को उपयुक्त पाया गया ।

महाविद्यालय में पद सृजन किये जाने हेतु विधायी स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही शिक्षण कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा । ।

महिला कल्याण बाल विकास विभाग में जिला कार्यक्रम अधिकारी के स्वीकृत पदों पर भर्ती सेवा नियमावली के अनुसार पदोन्नति न दिये जाने के सम्बन्ध में आचार्य रामदेव वैश्य, द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[मा० विधायक द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत इस बिन्दु पर वक्तव्य की मांग की गयी है कि महिला कल्याण, बाल विकास विभाग में जिला कार्यक्रम अधिकारी के स्वीकृत पदों पर सेवा नियमावली के अनुसार पदोन्नति न देकर मनमानी की जा रही है । इस सम्बन्ध में स्थिति इस प्रकार है कि उत्तर प्रदेश बाल विकास एवं पुष्टाहार (समूह ''क'' और समूह ''ख'') सेवा नियमावली, 1996 के भाग-तीन नियम–5 (ग) (2) के अनुसार जिला कार्यक्रम अधिकारी के रिक्त पदों के 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा लोक सेवा आयोग के माध्यम से तथा 50 प्रतिशत पद ऐसे मौलिक रूप से नियुक्त बाल विकास परियोजना अधिकारियों की पदोन्नति से जिन्होने भर्ती के वर्ष के, प्रथम दिवस को 10 वर्ष की सेवा उस रूप में पूरी कर ली हो, भरे जाने की व्यवस्था है । इसके अतिरिक्त जिला कार्यक्रम अधिकारी के 50 पदों में से एक पद मौलिक रूप से नियुक्त प्रतिवेदकों/पोषणविदों में से प्रोन्नति द्वारा भरे जाने की व्यवस्था है जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को उस रूप में 12 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो ।

वर्तमान में विभाग में कुल 51 जिला कार्यक्रम अधिकारी के पद सृजित हैं । इसके समक्ष सीधी भर्ती से 25 पद तथा पदोन्नति से 26 पद नियमावली के प्राविधानों के अनुसार भरे जाने हैं । सीधी भर्ती के 25 पदों के समक्ष 15 पदों पर नियुक्तियां पहले ही कर दी गई हैं शेष 10 पदों पर नियुक्ति हेतु लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त हो चुकी है जिनकी नियुक्ति की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है । पदोन्नति के 26 पद इसलिए नहीं भरे जा रहे हैं क्योंकि विभाग में तदर्थ रूप से नियुक्त एवं प्रोन्नत बाल विकास परियोजना अधिकारियों का विनियमितीकरण सेवा अभिलेखों के अभाव में नहीं हो सका था । भरसक प्रयासों के उपरान्त निदेशक, बाल विकास पुष्टाहार द्वारा सेवा अभिलेखों को पूर्ण करा कर 68 बाल विकास परियोजना अधिकारियों की सेवायें जुलाई/सितम्बर, 1998 में विनियमित करके वरिष्ठता सूची भी दिसम्बर, 1998 में जारी कर दी गई है । वरिष्ठता सूची के विरूद्ध कई अधिकारियों द्वारा प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये गये हैं जिनके निस्तारण की कार्यवाही की जा रही है । प्रत्यावेदनों के निस्तारण के उपरान्त प्रोन्नति के रिक्त पदों पर संगत सेवा नियमावली में की गई व्यवस्था के अनुसार प्रोन्नति की कार्यवाही की जायेगी । इस प्रकार 26 प्रोन्नति के पद पूर्णतया रिक्त एवं प्रोन्नति हेतु आरक्षित हैं । इन पर न तो कोई सीधी भर्ती की गयी है और न ही प्रस्तावित है । अतः यह कहना उचित नहीं है कि सीधी भर्ती की प्रक्रिया अपनाये जाने से विभाग में जिन लोगों को प्रोन्नति का अवसर मिलना चाहिए उन्हे नहीं मिल रहा है ।]

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद गौतम बुद्ध नगर में दादरी क्षेत्रान्तर्गत कतिपय फैक्टिरियों द्वारा धूम टुजाना नाला में कचरायुक्त पानी डाले जाने से फसलों की क्षति के सम्बन्ध में श्री नवाब सिंह नागर, द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[जनपद गौतम बुद्ध नगर में दादरी क्षेत्र के अंतर्गत कतिपय फैक्ट्रियों द्वारा धूम टुजाना नाला में कचरायुक्त पानी डालने से किसानों की फसल को हो रही क्षति के संबंध में मा० सदस्य द्वारा सूचना दी गई हैं ।

2—उपरोक्त सूचना के संबंध में उल्लेखनीय है कि जनपद गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत दादरी विधान सभा क्षेत्र में धूम टुजाना नाला (जिसकी लम्बाई 12.27 कि० मी० है । स्थित है, इस नाले में निम्नांकित तीन फैक्ट्रियों द्वारा अपना उत्प्रवाह निस्तारित किया जाता है :–

(1) मै० इलीगेंट लैदर प्राइवेट लिमिटेड

(2) मै० कबात्रा पेपर मिल प्राइवेट लिमिटेड

(3) मै० स्वर्णिमा आयल मिल प्राइवेट लिमिटेड

3—उपरोक्त क्रमांक–1 व 2 पर इंगित इकाईयों द्वारा नाले के रख-रखाव हेतु बुलन्दशहर खण्ड, गंगा नहर बुलन्दशहर से अनुबन्ध किया गया है तथा इन दोनों इकाईयों द्वारा वर्ष 1997-98 में इस नाले का सफाई कार्य भी कराया गया था । क्रमांक–3 पर इंगित इकाई द्वारा कोई अनुबन्ध आदि नहीं किया गया और बिना अनुबन्ध के ही इस नाले में उत्प्रवाह डाला जा रहा है ।

4—मै० इलीगेट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वेट ब्लू से फिनीस्ड लेदर का उत्पादन किया जाता है । उद्योग की उत्पादन क्षमता 200 किलो ग्रा० प्रतिदिन है । उद्योगों औद्योगिक उत्प्रवाह को शुद्धीकृत करने हेतु उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र स्थापित है । तथा उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप है । इस इकाई से धूम टुजाना नाले की दूरी 25 मीटर है । इस इकाई द्वारा उत्प्रवाह को कच्चे ड्रेन के माध्यम से उक्त नाले में डाला जाता है । वर्तमान में यह उद्योग स्वयं के कारणों से बन्द है ।

5—मै० कवात्रा पेपर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 10 टन/दिन राइटिंग प्रिन्टिंग पेपर का उत्पादन किया जाता है और कच्चे माल के रूप में रद्दी कागज, एलम, रोजिन आदि का प्रयोग किया जाता है । इकाई द्वारा प्रदूषित उत्प्रवाह के नियंत्रण हेतु उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित है उद्योग का उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप है । इस उद्योग से धूम टुजाना नालेकी दूरी 280 मीटर है । औद्योगिक उत्प्रवाह के धूम टुजाना नाले तक निस्तारण की उचित व्यवस्था न होने के कारण उत्प्रवाह जी०टी० रोड साइड होता हुआ मै० स्वर्णिमा आयल मिल के औद्योगिक उत्प्रवाह के साथ मिलकर लो लाईन एरिया से होता हुआ धूम टुजाना नाले में मिलता है । उद्योग के उत्प्रवाह से रोड साइड पर जल भराव की समस्या कभी-कभी बनी रहती है । उद्योग को समुचित उत्प्रवाह निस्तारण की व्यवस्था किये जाने हेतु इस आशय का नोटिस प्रेषित किया गया है कि दिनांक 31 मार्च, 1999 तक समुचित उत्प्रवाह निस्तारण व्यवस्था कर लें अन्यथा नियमानुसार उद्योग को बन्द करने की कार्यवाही की जायेगी । वर्तमान में उद्योग स्वयं के कारणों से बन्द है ।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

6—मै० स्वर्णिमा आयल मिल द्वारा वनस्पति घी 30 टन/दिन का उत्पादन किया जाता है कच्चे माल के रूप में रा वेजीटेबिल आयल, कास्टिक लाई, सल्फ्यूरिक एसिड, फासफोरिक एसिड आदि का प्रयोग किया जाता है। पूर्व में इस उद्योग में उत्प्रवाह शुद्धिकरण की समुचित व्यवस्था न होने के कारण दिनांक 11 दिसम्बर, 1997 को उद्योग को बन्द करने के आदेश उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी किये गये। उद्योग द्वारा समुचित उत्प्रवाह शुद्धिकरण व्यवस्था कर लेने के उपरान्त एवं क्षेत्रीय अधिकारी की आख्या प्राप्त होने के उपरान्त दिनांक 5 फरवरी, 1999 को बन्दी आदेश सशर्त दो माह के लिए निलम्बित रखने के आदेश जारी किये गये। इस उद्योग से धूम टुजाना नाले की दूरी लगभग 500 मीटर है। उत्प्रवाह के निस्तारण हेतु इकाई द्वारा लगभग 400 मीटर पक्की नाली का निर्माण किया गया है। उद्योग द्वारा यह सूचित किया गया है कि यदि ड्रेनेज की पूर्ण व्यवस्था लोक निर्माण विभाग द्वारा नहीं की जाती तो उद्योग द्वारा स्वयं धूम टुजाना नाले तक ड्रेनेज की व्यवस्था करेगा। अभी तक इस ड्रेनेज के संबंध में कोई प्रगति नहीं हुयी है। यदि निलम्बन आदेश की समयावधि जो दिनांक 4-4-99 को समाप्त हो रही है के उपरान्त भी ड्रेनेज व्यवस्था तथा शर्तों का पूर्ण अनुपालन नहीं किया जाता तो उक्त बन्दी आदेश उद्योग पर स्वतः लागू हो जायेगें।]

जनपद मथुरा में उत्तर प्रदेश जल निगम से सम्बद्ध प्रोजेक्ट मैनेजर कान्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विस, मानस नगर महौली रोड स्थित कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार पोइया द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[मा० सदस्य द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में प्रथम बिन्दु यह उठाया गया है कि उत्तर प्रदेश जल निगम से सम्बद्ध प्रोजेक्ट मैनेजर कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विस, जिसका कार्यालय 163, मानक नगर महौली रोड, मथुरा में है। उक्त कार्यालय में गम्भीर रूप से भ्रष्टाचार व्याप्त है। वहां सर्वश्री सोमदत्त शर्मा, चपरासी, मोहर सिंह, टाइपिस्ट, वासुदेव सिंह, सुपरवाइजर, बाबूराम, चौकीदार, विष्णुदेव रनर, पुरूषोत्तम सुपरवाइजर, इस्लाम खाँ, ड्राइवर, 6 वर्ष से कार्यालय में कार्यरत हैं। किन्तु इसकी सूचना शासन को नहीं भेजी जाती है।

2—उक्त के सम्बन्ध में स्थिति यह है कि सी० एण्ड डी० एस०, उ० प्र० जल निगम में निर्माण कार्यों एवं कार्यालय सम्बन्धी कार्यों को सुगमता से सम्पन्न करने हेतु कार्यों की आवश्यकतानुसार स्टाफ को पीस रेटेड वर्कर (पी० आर० डब्लू०) के माध्यम से रखा जाता है। परियोजना प्रबन्धक द्वारा महाप्रबन्धक से प्रति त्रैमासिक पूर्व स्वीकृति प्राप्त करके ही, आवश्यकतानुसार पी० आर० डब्लू० कर्मियों की आपूर्ति ली जाती है।

3—मा० सदस्य द्वारा उठाये गये दूसरे बिन्दु में यह कहा गया है कि अधिकारियों के नजदीकी रिश्तेदारों को वेतन ठेकेदारी के नाम पर भुगतान किया जाता है, यही नहीं विजय कुमार के नाम से स्टेट बैंक आफ बीकानेर घीया मण्डी मथुरा में खाता संख्या–1184 तथा भोला शंकर जो कि जल निगम के एक बाबू के नजदीकी रिश्तेदार भी हैं, इनका खाता संख्या–38667 यूनियन बैंक होली गेट, मथुरा में है, इन खातों में फर्जी बिल बनाकर इनकी ठेकेदारी की सप्लाई दिखाकर चेक काटते हैं। उक्त के सम्बन्ध में स्थिति यह है कि परियोजना प्रबन्धक द्वारा पी० आर० डब्लू को प्रत्येक माह लेबर एंगेजिंग आर्डर निर्गत किया जाता है। पी० आर० डब्लू० द्वारा उपलब्ध कराये गये स्टाफ की उपस्थिति का विवरण रखा जाता

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

है, जिनके आधार पर पी० आर० डब्लू को उसके द्वारा उपलब्ध कराये गये स्टाफ के मासिक देयक का भुगतान किया जाता है । यह प्रक्रिया सी० एण्ड डी० एस० में लागू विधायी नियमों के अनुरूप है । इस प्रकार स्पष्ट है कि यह स्टाफ पी०आर०डब्लू० का है । अतः इनका जल निगम अधिष्ठान से कोई सम्बन्ध नहीं है । इसी कारण इनकी सूचना नहीं भेजी जाती है । सी०एण्ड डी० एस० यूनिट–17 मथुरा द्वारा भी स्टाफ को रखने हेतु यही प्रक्रिया अपनाई जा रही है । तथापि इस प्रकरण की जांच कराई गयी थी । सभी उपरोक्त इंगित व्यक्तियों से जांच के समय वार्ता कर अभिलिखित बयान लिये गये थे । सभी ने सूचित किया था कि यह सब विभाग में नियमित होना चाहते हैं । पी० आर० डब्लू० का स्टाफ होने के कारण इन्हें विभाग में नियमित नहीं किया जा सकता । श्री विजय कुमार पूर्व में पी० आर० डब्लू० रहे हैं। वर्तमान में श्री भोला शंकर पी० आर० डब्लू हैं । श्री भोला शंकर यूनिट में कार्यरत किसी भी नियमित स्टाफ के रिश्तेदार नहीं है । इन्हें जो भी भुगतान किये जाते हैं, वे रेखांकित चैक के माध्यम से वित्तीय नियमों के अनुकूल ही किये गये हैं ।

4—जहां तक इस यूनिट में गाड़ी नम्बर–यू०डब्लू०आर० 3420 के संदर्भ में एक अधिकारी द्वारा अपने भाई के नाम रुपये 15 हजार प्रतिमाह निकालने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में स्थिति यह है कि यूनिट के कार्यालय में कार्यों को सुचारू रूप से चलाने हेतु एक वाहन, मासिक रूप से किराये पर रखा गया है । वाहन रखने एवं किराये की स्वीकृति परियोजना प्रबन्धक द्वारा वरिष्ठ प्रबन्धक की संस्तुति पर, महाप्रबन्धक से प्राप्त की जाती है । इस यूनिट में दिनांक 9-8-1998 से 26–12-1998 तक मारूति कार संख्या–यू०एम०आर०–3400, श्री एम० एल० अग्रवाल, विजय नगर, नाका हिण्डोला, लखनऊ से किराये पर ली गयी थी । उक्त अवधि के पश्चात् यह कार मालिक को लौटा दी गयी है । इसका मासिक किराया रुपये 6400/ प्रतिमाह कार-मालिक को रेखांकित चैक/ड्राफ्ट भुगतान किया जाता था । कार मालिक यूनिट के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के रिश्तेदार नहीं है ।]

जनपद–कुशीनगर के गन्ना कृषक संघर्ष समिति कप्तानगंज के किसानों पर लाठी चार्ज एवं गोली चलाये जाने के सम्बन्ध में श्री रामनक्षत्र द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[प्राप्त सूचना के अनुसार गन्ना आयुक्त के आदेश दिनांक 4-1-99 के अनुसार कनौडिया शुगर मिल, कप्तानगंज जनपद–कुशीनगर के गन्ने को 8 मिलों क्रमशः 1–बस्ती, 2–बभनान, 3–चिलवाड़िया, 4–धोषी, 5–धुरियापार, 6–खड्डा, 7–सिसवा बाजार, 8–रामकोला (पी) को आबंटित किया गया । इन मिलों विशेषकर बस्ती चीनी मिल द्वारा इस क्षेत्र से गन्ना उठाने की प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी परन्तु दिनांक : 12-1-99 को शासन के आदेश द्वारा गन्ना आयुक्त के उपरोक्त आदेश को निरस्त माना गया । उक्त निरस्तीकरण के आदेश के बावजूद कुछ स्थानीय नेता बस्ती चीनी मिल से कमीशन लेकर गन्ना भिजवाते रहे । इसके विपरीत दूसरे गुट के प्रतिनिधि मास्टर राधेश्याम सिंह निवासी कप्तानगंज द्वारा गन्ना मूल्य के भुगतान का मुद्दा बनाकर दिनांकः 21-1-99 को धरना/प्रदर्शन/रोड जाम का कार्यक्रम निर्धारित किया । लगभग 2 बजे मास्टर राधेश्याम के 30-40 समर्थको ने रोड जाम करके उत्तेजनात्मक नारे लगाने लगे । मिल के कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार किये तथा यार्ड में खड़े गन्ना किसानों, ड्राइवरों, गाड़ीवानों को गन्ने, लाठी, ईंट पत्थरों से मारने लगे, जिससे उन्हें व पुलिस कर्मियों को गम्भीर चोटे आयी । उपद्रियों को रोकने का प्रयास किया गया परन्तु स्थिति नियंत्रण में न होते देख मौके पर

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

मौजूद परगना अधिकारी द्वारा एवं क्षेत्राधिकारी खड्डा द्वारा आदेश मिलने पर लाठी चार्ज, तीन राउण्ड फायर करके स्थिति नियंत्रण की गयी ! इन उपद्रियों में से योगेन्द्र सिंह सहित 4 व्यक्तियों को पकड़ा गया।

2—उक्त घटना के सम्बन्ध में दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध महाप्रबन्धक दि कनोडिया शुगर मिल कस्बा-कप्तानगंज को सूचना पर मु०अ०सं० 15/99 धारा 147/323/337/338/421 भा०द०वि० व एस० ओ० श्री शशिकान्त मिश्रा की सूचना पर अभियोग अपराध संख्या 16/99 धारा 147/145/323/332/353/504/307/352/337 भा० द० वि० व 7 क्रि०ला० अमेण्डमेंड एक्ट पंजीकृत किया गया। किसी व्यक्ति को गोली की चोट नहीं आई है। घायलों में किसी को अति गम्भीर चोट नहीं है। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार प्रदान कर दिया गया है।

3—यहां यह उल्लेखनीय है कि किसी के विरूद्ध फर्जी मुकदमा कायम नहीं कराया गया है। उपद्रवकारियों द्वारा जिस प्रकार का उपद्रव-तोड़-फोड़ एवं पथराव की घटना की गयी उससे कोई बड़ी घटना भी हो सकती थी। वास्तव में उपद्रवकारी किसान हितों के विरूद्ध कार्य कर रहे थे और अराजकता की स्थिति उत्पन्न करके मिल को बन्द करना चाहते थे ताकि गन्ने की आपूर्ति बस्ती मिल को दी जाय। यह भी चर्चा है कि उपद्रवकारियों के नेता श्री राधेश्याम को बस्ती मिल से कमीशन प्राप्त होता है।

4—वर्तमान में मिल सुचारू रूप से गन्ना पेराई का कार्य कर रही है एवं मिल में शान्ति व्यवस्था को बनाए रखने हेतु पर्याप्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। शान्ति व्यवस्था नियंत्रण में है। जहां तक गोली चलाने का प्रश्न है भीड़ को तितर-बितर करने व आत्म-रक्षार्थ 3 राउन्ड हवाई फायर किया गया। गोली से किसी को भी चोटे नहीं आयी। जनपद के पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी घटना स्थल पर मौजूद थे। उनके द्वारा सूझ-बूझ एवं संयम के साथ कार्यवाही करके स्थिति को नियंत्रण में किया गया।]

प्रदेश में विकास कार्य हेतु अवमुक्त की गयी विधायक निधि की धनराशि का उपयोग दिनांक 31 मार्च, 1999 तक न हो पाने की दशा में उक्त धनराशि का व्यपगत (लैप्स) होने से बचाने की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

[प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 22-12-98 को निर्गत शासनादेश द्वारा विधायक निधि की स्थापना की गयी है तथा इसके मार्गदर्शी सिद्धान्त समस्त मा० विधायकगण, मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारियों आदि को प्रेरित किये गये हैं। वर्तमान में राज्य आकस्मिकता निधि से रु० 133.50 करोड़ की धनराशि अग्रिम के रूप में लेकर वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या 5092/38-3-99-500 (1)/98 दिनांक 30-1-99 एवं 8-2-99 (क्रमशः मा० सदस्यगण विधान सभा, विधान परिषद् हेतु) द्वारा जनपदों को अवमुक्त कर दी गयी है।

यह उल्लेखनीय है कि मा० मुख्य मंत्री जी के पत्र दिनांक 12-10-98 द्वारा समस्त मा० सदस्यगण विधान सभा/विधान परिषद् से अनुरोध किया गया था कि अपने क्षेत्र में प्रस्तावित विकास कार्यों को चिन्हित कर संहत प्रस्ताव दिनांक 15-11-98 तक सम्बन्धित जिलाधिकारी को अवश्य उपलब्ध करा दें जिससे सभी इंगित कार्यों को समय सीमा में पूरा किया जा सके।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

विधायक निधि की धनराशि 31-3-99 को व्यपगत न हो इसके लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।]

श्री अधिष्ठाता–

अब हम उठते हैं और 15 मार्च, 1999 को 11.00 बजे फिर मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन 10 बजकर 3 मिनट पर सोमवार दिनांक 15 मार्च, 1999 दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :

12 मार्च, 1999

प्रेम चन्द्र सक्सेना,

सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिए अता० प्र०सं० –87 का उत्तर पीछे पृष्ठ 54 पर)

कार्यालय महाप्रबन्धक (लेसा)

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्

4–विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ

पत्रांक: म०प्र०/लेसा/पी०ओ० 178 दिनांक नवम्बर, 1998

अधीक्षक अभियन्ता,

विद्युत नगरीय वितरण मण्डल

प्रथम/द्वितीय/तृतीय,

लेसा, लखनऊ ।

विषय :–अतिकाल भत्ते पर प्रतिबंध के सम्बन्ध में ।

जैसा कि आपको विदित है, अतिकाल भत्ते पर प्रतिबन्ध के सम्बन्ध में दिनांक 4-11--98 को हुई वार्ता का कार्यवृत्त इस कार्यालय के पृष्ठांकन संख्या 2316-म०प्र०/लेसा/पी०ओ०–178 दिनांक 7-11-98 इस आशय के साथ प्रेषित किया गया था कि दिनांक 1-12-98 से अतिकाल भत्ते पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध लागू किया जाये । इस सम्बन्ध में आपको पुनः अनुदेशित किया जाता है कि दिनांक 1-12-98 से अतिकाल पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध लगाना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा ।

(ए०के० हगिल)

महाप्रबन्धक (लेसा)

पत्रांक 2339 म०प्र०/लेसा/तद्दिनांक 18/11/98

प्रतिलिपि समस्त अधिशासी अभियन्ता, लेसा क्षेत्र लखनऊ को इस अनुदेश के साथ प्रेषित कि यह अविलम्ब उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें ।

समस्त अधिशासी अभियन्ता

(ए० के० हगिल)

महाप्रबन्धक (लेसा)

नरेश अग्रवाल

ऊर्जा मंत्री

पी०एस०यू०पी०–एल० 179 विधान सभा (520)–1999–815 (डी० टी०पी०) ।